सप्तम माला खंड 1 अंक 1

बुधवार 20 अक्टूबर 1982

28 आश्विन 1904 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दसवाँ सत्र

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 14, बुधवार, 20 अक्टूबर, 1982/28 आश्विन, 1904 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1-23
*तारांकित प्रश्न संख्या : 250, 252 से 256 और 258	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	23-222
*तारांकित प्रश्न संख्या : 251, 257, 259 से 269	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2675 से 2756, 2758 से 2776, 2778, 2779, 2781 से 2862, और 2865 से 2906	
।पटल पर रखे गये पत्र	222-225
ज्य सभा से संदेश	225-226
वेलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	226-241
उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के तटवर्ती भागों में आया समुद्री तूफान	
श्री हरिकेश बहादुर	226
श्री बालेश्वर राम	226
श्री राजेश कुमार सिंह	233
श्री मनीराम बागड़ी	237
रतं सरकार के मुद्रणालयों के कर्मचारियों के लिए उत्पादकता पर आधारित ास के सम्बन्ध में वक्तव्य	241
श्री भीष्म नारायण सिंह	
ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सम्बन्ध में वक्तव्य	242
श्री भीष्म नारायण सिंह	

* किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
कार्य-मंत्रणा समिति	243
37वां प्रतिवेदन	
भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता (बिहार संशोधन) विधेयक के संबन्ध में वक्तव्य	243-245
श्री एन० के० पी० साल्वे	
नियम 377 के अधीन मामले	245-252
(एक) पारादीप बन्दरगाह पर मत्स्य पत्तन का निर्माण	245
श्री लक्ष्मण मलिक	
(दो) उड़ीसा में भूक्षरण रोकने की आवश्यकता	245
श्रीमती जयन्ती पटनायक	
(तीन) पोरबन्दर बन्दरगाह को बारहमासी बन्दरगाह घोषित करना	246
श्री दौलत सिंह जी जदेजा	
(चार) एशियाई खेलों के दौरान उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों को बिजली की नियमित सप्लाई	246
श्री चन्द्रपाल सिंह	
(पांच) तमिलनाडु में तापीय विद्युत घरों को पर्याप्त मात्रा में कोयले की सप्लाई करने की आवश्यकता	247
श्री एम० कंडा स्वामी	
(छः) मारुति लिमिटेड की डीलरशिप नीति	248
श्री रतनसिंह राजदा	
(सात) गोरखपुर जिले में मस्तिष्क ज्वर को समाप्त करना	248
श्री महावीर प्रसाद	
(आठ) कोल इंडिया लिमिटेड में इंजीनियरों के साथ समता का व्यवहार करने की आवश्यकता	249
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	

विषय		पृष्ठ
(नौ)	फसलों को बचाने के लिए तेनुघाट से पश्चिम बंगाल के लिए पानी छोड़ना	249
	प्रो० रूपचन्द पाल	
(दस)	बिहार में बांधों का निर्माण करने की आवश्यकता	250
	प्रो० अजित कुमार मेहता	
(ग्यारह)	जमालपुर रेल वर्कशाप	250
	श्री डी० पी० यादव	
(बारह)	आन्ध्रप्रदेश में तूफान से प्रभावित हुए लोगों को वित्तीय सहायता	251
	श्री पसाला पेंचालैया	
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक		252-285
विचार करने का प्रस्ताव		
	श्री मूलचन्द डागा	252
	श्री राम विलास पासवान	255
	श्री नारायण चौबे	258
	श्री चन्द्रपाल सिंह	262
	श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	264
	श्री कृष्ण कुमार गोयल	265
	श्री प्रताप भानु शर्मा	267
	श्री एस० मुरुगैयन	270
	प्रो० पी० जे० कुरियन	272
	श्री गिरधारी लाल व्यास	274

विषय	पृष्ठ
श्री रतनसिंह राजदा	276
श्री प्रणव मुखर्जी	279
खंड 2 और 1	284
पास करने का प्रस्ताव	
श्री प्रणव मुखर्जी	
आंध्र साइंटिफिक कंपनी लिमिटेड	285-298
(उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक	
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री आर० वेंकटरामन	285
श्री हन्नान मोल्लाह	286
प्रो० एन० जी० रंगा	287
श्री सत्यनारायण जटिया	288
श्री राजेश कुमार सिंह	289
श्री मूलचन्द डागा	291
श्री टी० आर० शमन्ना	292
प्रो० अजित कुमार मेहता	294
श्री के० पी० सिंह देव	295
खंड 2 से 32 और पास करने का प्रस्ताव	298
श्री के० पी० सिंह देव	
सभापटल पर रखा गया पत्र	298-299

लोक-सभा

बुधवार, 20 अक्टूबर, 1982/28 आश्विन, 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

———

अध्यक्ष महोदय : आज तो बगैर घन्टी बजाए आप लोग आ गए, कमाल है ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री भोगेन्द्र झा : प्रश्न संख्या 250

श्रीमती जयन्ती पटनायक : प्रश्न संख्या 256 की विषय-वस्तु भी उसी प्रकार की है । यदि हम दोनों प्रश्नों को एक साथ लें, तो अच्छा होगा । मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं, यदि संबंधित मंत्री को कोई आपत्ति न हो ।

उद्योग और इस्पात तथा खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आप पक्षपाती हैं । ठीक है ; हम इसे एक साथ लेंगे ।

भारी इंजीनियरिंग निगम की क्षमता का उपयोग

*250. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची की प्राप्य वार्षिक क्षमता क्या है और इस क्षमता का किस सीमा तक पूरा-पूरा उपयोग किया जा रहा है ;

(ख) क्या उक्त एकक और अधिक क्रयादेशों की अपेक्षा कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, हमारी आत्मनिर्भरता की नीति के संदर्भ में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इस मामले में कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) 1981-82 में प्राप्य क्षमता 141.29 करोड़ रुपये की थी और 106.63 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ था जो उस वर्ष के लिए प्राप्य क्षमता के 75.5% उपयोग के बराबर है ।

(ख) तथा (ग) जी, हां । कुछ और अधिक क्रयादेशों की आवश्यकता है लेकिन मांग और

अन्य बातों में हो रहे परिवर्तनों के संदर्भ में कुछ विशिष्ट कार्य-क्षेत्रों में ही आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी के उन्नयन, जहां आवश्यक हो, के लिए उत्पाद-मिश्र में संशोधन करने और नये क्रयादेशों का पता लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं जिससे क्षमता का इष्टतम उपयोग किया जा सके।

भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची में नई मशीनों का निर्माण

*256. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची ने चैकास्लोवाकिया के सहयोग से नई मशीनें बनाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारी इन्जीनियरी कारपोरेशन, रांची द्वारा इस सम्बन्ध में अन्तिम रूप दिया गया कार्यक्रम क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) तथा (ख) इस प्रकार का एक प्रस्ताव है जिस पर प्रारम्भिक रूप से बातचीत चल रही है।

श्री भोगेन्द्र झा : भारी इंजीनियरिंग निगम के अन्तर्गत फोर्ज फाउन्ड्री, हैवी मशीन बिल्डिंग तथा हैवी मशीन टूल्स शाखाएं हैं। यह उद्योग समूह भविष्य के हमारे औद्योगिक विकास की आशा है। पिछले तीन वर्षों से उत्पादन लगातार कम होता जा रहा है। 1978-79 में, क्षमता का 28 प्रतिशत ही उपयोग किया जा सका। जबकि हैवी मशीन बिल्डिंग में 1980-81 में क्षमता का उपयोग 21 प्रतिशत हुआ, फोर्ज फाउन्ड्री में 25 से 30 प्रतिशत हुआ और हैवी मशीन आउटलेज में 65 से 64 तथा 21 प्रतिशत हुआ। हमें कारण यह बताया गया है कि क्रयादेशों तथा बिजली की कमी थी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पूरी क्षमता का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

दूसरे बिहार में वर्तमान राजनैतिक सरकारी नेतृत्व से बिजली की सुनिश्चित सप्लाई की उम्मीद करना बेकार है। इस बात को देखते हुए क्या इस पर विचार किया गया है कि दीर्घकालीन आधार पर कैप्टिव बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जाए ताकि भविष्य में इस उद्योग समूह में बिजली की कमी न हो ?

तीसरे, क्या सरकार बताएगी कि क्या मूल्य में वर्तमान वृद्धि मात्रा में वृद्धि से भी मेल खाती है अथवा क्या यह केवल मूल्य-वृद्धि के कारण है ? मैं इसे मात्रा, गुण-प्रकार तथा आयतन के सन्दर्भ में जानना चाहता हूं।

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मैं औद्योगिक ढांचे में इस संयंत्र के महत्व के सम्बन्ध में माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूं। उन पाबंदियों जिनके कारण इस संयंत्र में उत्पादन में कमी हुई, के बारे में माननीय सदस्यों को मालूम है। उन्होंने स्वयं एक या दो कारणों का उल्लेख किया है। ये पाबन्दियां अपर्याप्त रहीं हैं और इनसे बिजली सप्लाई में रुकावट पैदा हुई है। औद्योगिक सम्बन्धों के सम्बन्ध में दीर्घकालीन समाधान हेतु मैं माननीय सदस्यों का सहयोग प्राप्त चाहता हूं।

जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, मैं इससे सहमत हूं कि 1979-80 तथा 1980-81 में थोड़ी गिरावट आई है। 1978-79 में कुल उत्पादन 76 करोड़ रुपये का हुआ, 1979-80 में उत्पादन 61 करोड़ रुपये का हुआ और 1980-81 में 64 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ। लेकिन माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 1980-81 से उत्पादन का स्तर बढ़ रहा है। 1980-81 में उत्पादन 106 करोड़ रुपये से अधिक हुआ—लगभग 107 करोड़ रुपये हुआ—और प्रतिशतता के हिसाब से 75.4 प्रतिशत है और इस वर्ष उत्पादन की गति में वृद्धि हो रही है। अब तक 1982-83 में छः माह की अवधि में कुल उत्पादन 70 करोड़ 60 लाख रुपये का हो चुका है, अर्थात् संभावित क्षमता का 76 प्रतिशत।

माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न में राजनैतिक रंग है, लेकिन मैं उस राजनैतिक रंग का उल्लेख नहीं करूंगा। लेकिन मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि दामोदर घाटी निगम में बिजली उत्पादन में वृद्धि हुई है। अतः उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। लेकिन उनका मुद्दा भारी इंजीनियरी निगम में कैप्टिवबिजली उत्पादन हेतु बिजली संयंत्रों की व्यवस्था करने के बारे में है। इसलिए, हम 40 मेगावाट क्षमता का एक बिजली संयंत्र स्थापित करने जा रहे हैं, एक डिजल जेनरेशन सेट की भी स्थापना हो चुकी है और मुझे आशा है कि इस काम की योजना आयोग द्वारा मंजूरी दे दी जाएगी, और इस बारे में तकनीकी आर्थिक ब्यौरों पर एक परामर्श यह फर्म द्वारा विचार किया गया है और उसके प्रति-वेदन की प्रतीक्षा है।

जहां तक भविष्य में उत्पादन का संबंध है, जैसा कि आप जानते हैं मूलरूप से इस संयंत्र को इस्पात संयंत्रों की स्थापना हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। अब, हम पिछले कई वर्षों से इस्पात संयंत्र स्थापित नहीं कर रहे हैं। चूंकि विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र स्थापित होने जा रहा है, इसलिए हमारे पास मशीनों के पर्याप्त आर्डर प्राप्त होंगे। उसे देखते हुए हमें विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र से बहुत अधिक सप्लाई आदेश प्राप्त हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि टन तथा क्षमता के दृष्टिकोण से उत्पादन में वृद्धि होगी।

श्री भोगेन्द्र झा : यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री भी यहां मौजूद हैं। स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि ये आधुनिक भारत के मन्दिर हैं, जिनमें भारी इंजीनियरी निगम मन्दिरों का मन्दिर है।

माननीय मंत्री ने एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, अर्थात् पिछले एक वर्ष के दौरान वास्तविक मात्रा तथा प्राप्त मात्रा क्या थी ताकि देश को वास्तविक प्रगति के बारे में मालूम हो ?

माननीय मंत्री जी ने समस्याओं के बारे में उल्लेख किया है। ये समस्यायें अधिकांशतः प्रबन्ध अथवा कुप्रबन्ध से सम्बन्धित हैं। नीति के सम्बन्ध में देश को मालूम है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 1977 से 1980 तक देश में ऐसा राजनैतिक नेतृत्व था जो खुले रूप से राष्ट्रीयकरण का विरोधी था, लेकिन इस समय वैसी नीति नहीं है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं कि मशीनरी अथवा अन्य यूनिटें, जो भारी इन्जीनियरी निगम द्वारा बनाई जा सकती हैं, बाहर से आयात नहीं की जा रही हैं ?

उन्होंने श्रमिकों की समस्या का उल्लेख किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भारी इन्जीनियरी निगम में मजदूरों की भागीदारी के बारे में विचार कर रही है, ताकि मजदूरों को भागीदरी की अनुभूति हो और वे महसूस करें कि वे भावी भारत का निर्माण कर रहे हैं।

असफलताओं के सम्बन्ध में क्या कोई उत्तरदायित्व निश्चित किया गया है? अन्यथा, जो गलती करते जाएंगे, कुप्रबन्ध करते रहेंगे, लेकिन वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति पाते रहेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं कि यह मन्दिरों का मन्दिर है जिसमें भोगेन्द्र झा समेत हम सभी को पूजा करनी चाहिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : ये कम्यूनिस्ट हैं। कम्यूनिस्ट पूजा नहीं कर सकते।

श्री नारायण दत्त तिवारी : इसलिए मैं कह रहा हूं कि श्री भोगेन्द्र झा इसकी वैयक्तिक स्तर पर पूजा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या डा० स्वामी ने श्री भोगेन्द्र झा से पूछ लिया है?

श्री नारायण दत्त तिवारी : जहां तक वास्तविक उत्पादन के आंकड़ों का सम्बन्ध है, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। भारी मशीन निर्माण संयंत्र ने 1979-80 में 18,894 टन निर्माण किए, 1981-82 में 27,269 टन किए, और 1982-83 में 34,482 टन का लक्ष्य है। फाउन्ड्री फोर्ज संयंत्रों ने 1979-80 में···

अध्यक्ष महोदय : आप इसे उन्हें दे सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : उन्होंने यह प्रश्न पुनः पूछा है। खेद है कि मुझे सभा का समय लेना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक ऐसी चीज है जो उन्हें दी जा सकती है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : सभी सेक्शनों में उत्पादन में वृद्धि हुई है।

जहां तक प्रबन्ध मंडल के उत्तरदायित्व का सम्बन्ध है, सरकार ने पूरे मामले की जांच करने के लिए एक समिति गठित की है सरकारी उद्यम संबंधी विशेषज्ञ समिति ने भारी इन्जीनियरी निगम के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। इस समिति की अनेक सिफारिशें अर्थात् प्रबंध मंडल के स्तर में वृद्धि करने के बारे में स्वीकार कर ली गई हैं।

जहां तक श्रमिकों की भागीदरी का सम्बन्ध है, हम सेक्शन स्तर पर क्वालिटी सर्किल शुरू करने जा रहे हैं। एच० ई० सी० में, मैं समझता हूं कि मजदूर पहले से अधिक भागीदार बन रहे हैं।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : देश में उद्योगों की स्थापना में तीव्र वृद्धि के कारण नई मशीनों की मांग काफी बढ़ गई है। अतः अधिक से अधिक मशीनों का निर्माण करना जरूरी है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि क्या किसी देश ने चैकोस्लावकिया को छोड़कर, भारी

इंजीनियरी निगम के साथ नई मशीनों के निर्माण के लिए सहयोग हेतु आवेदन किया है, यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं; कब आवेदन किए गए थे; तथा भारी इंजीनियरी निगम ने क्या निर्णय किया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि चैकोस्लावकिया के भारी इंजीनियरी मंत्री आज यहां मौजूद हैं और हम इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। चैकोस्लावकिया के अलावा, रूसी फर्म ने सिन्टरिंग संयंत्र स्थापित करने के लिए आवेदन किया है, पश्चिम जर्मनी से भी आवेदन प्राप्त हुआ है, जापान से भी आवेदन प्राप्त हुआ है। अतः, इन सभी आवेदनों पर विचार हो रहा है और उचित रूप से उन पर निर्णय किया जाएगा।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : मैं जानना चाहती हूं कि क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के भारी इंजीनियरी निगम, रांची के पास स्वदेशी कौशल तथा कामना द्वारा एक एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है तथा क्या उक्त एकीकृत स्टील प्लान्ट के लिए अपेक्षित मशीनों का निर्माण एच० ई० द्वारा किया जायेगा, यदि हां, तो एच० ई० सी० द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : हमारी अभी उतनी क्षमता नहीं है कि हम अपने बूते पर एकीकृत स्टील प्लान्ट स्थापित कर लें। हमें प्रसन्नता होगी, यदि हम अपने बल पर इस्पात संयंत्र स्थापित कर लेंगे।

श्री प्रताप भानु शर्मा : अध्यक्ष जी, मेरी जानकारी के अनुसार रांची हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन में आज भी ऐसी मशीनें मौजूद हैं जो कि कारखाने की स्थापना होने के बाद ऐसे ही पड़ी हैं और जिनका उत्पादन में किसी भी प्रकार का उपयोग नहीं हो रहा है। क्या माननीय मंत्री जी जानकारी देंगे कि ऐसी मशीनों को उपयोग में लाने के लिए, उनको इंसटाल्ड कैवेसिटी के यूटिलाईजेशन के लिए उन्होंने क्या योजना बनाई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, सम्मानित युवा सदस्य के विचारों से सहमत होने में मैं कठिनाई अनुभव कर रहा हूं वहां कई ऐसी मशीनें हैं, जिनका उपयोग नहीं हो सका है, लेकिन उन मशीनों की टैक्नीकल आधार पर उपयोगिता है। उनको और बढ़ाने की आवश्यकता है। उन सब मशीनों का पूरा विवरण मेरे पास है कि किस-किस मशीन की क्या उपयोगिता है। यदि आप चाहें तो मैं इनको दे दूंगा।

श्री प्रताप भानु शर्मा : इसकी आप जानकारी एकत्र कर लें, मैं बाद में ले लूंगा।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : महोदय, माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि कतिपय ऐसे क्षेत्र हैं जहां उन्हें आर्डर प्राप्त नहीं हो रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप इस संयंत्र की क्षमता का केवल 75 प्रतिशत ही उपयोग हो रहा है। लेकिन मौखिक वक्तव्य में, जिसे अभी-अभी उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि विशाखापत्तनम स्टील प्लान्ट के कारण उनका आर्डर पूरा होगा और उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या इस

संयंत्र में नानारूपकरण संभव है और नानारूपकरण से हमारे पास अधिक आर्डर प्राप्त होंगे और इस संगठन के पास अधिक काम होगा। (व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी : महोदय, यदि मुझे ठीक-ठीक याद है तो मैंने "किसी प्रकार की कोई कठिनाई" शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन जहां तक आर्डर बुक स्थिति के संबंध में इस प्रश्न का संबंध है, फाउन्ड्री फोर्ज प्लान्ट के क्षेत्र में इस विशिष्ट आर्डर बुक की स्थिति अंशत: विशाखापतनम स्टील प्लान्ट के आर्डरों से पूरी हो रही है।

कार्यकरण के ऐसे क्षेत्र, जहां हमें आर्डर बुक की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ रहा है, वे हैं शैफ्ट्स आयरन रौल्स एण्ड कास्टिंग्स। अब हम ड्रैग्लाइन्स, ओ० बी० ड्रील्स एक्सकैवेटर क्रैशर, जो आवृतिमूलक हैं, के क्षेत्रों में नानारूपकरण कर रहे हैं। अत:, इस क्षेत्रों में नानारूपकरण कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में हमारे पास और आर्डर प्राप्त होंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा : हमें इस प्रश्न के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम है। हमारे सिवाय अन्य सभी व्यक्ति अधिक समय की मांग कर रहे हैं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : वह रोलों का आयात कर रहे हैं और वह सभी अन्य मदों का निर्माण कर रहे हैं। आप रोलों के आयात पर पाबंदी क्यों नहीं लगाते, ताकि आपको और आर्डर प्राप्त हों ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 251—श्री आर० पी० गायकवाड़।

अध्यक्ष महोदय : श्री आर० पी० गायकवाड़

श्री जितेन्द्र प्रसाद

दोनों उपस्थित नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं। मैं केवल उनके नाम ही पुकार सकता हूं। मैं उन्हें यहां उपस्थित नहीं करवा सकता हूं।

श्री सतीश अग्रवाल : जुर्माने का उपबन्ध करें।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा सुझाव है, यदि आप ऐसा कर सकें।

महानगरों में प्रदूषण

*252. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** :
श्री हरिकेश बहादुर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के महानगरों और कानपुर, अहमदाबाद, जमशेदपुर आदि जैसे बड़े औद्योगिक शहरों में वायु, जल और शोर प्रदूषण को नापा है ;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या प्रदूषण का स्तर पश्चिम के अन्य विकसित औद्योगिक देशों के निर्धारित स्तर के अनुरूप है ; और

(घ) क्या दिल्ली प्रदूषण के ऐसे न्यूनतम स्तर के अन्तर्गत आती है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सदन पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर ने 10 शहरों में वायु प्रदूषण पर अध्ययन किये हैं । जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के केन्द्रीय और राज्य बोर्ड 234 केन्द्रों के तंत्र के माध्यम से, जिनमें महानगरीय और औद्योगिक शहर भी शामिल हैं, जल की क्वालिटी का प्रबोधन कर रहे हैं ।

कुछ अनुसंधान संस्थानों द्वारा अहमदाबाद, बम्बई, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता में शोर स्तर के सर्वेक्षण किये गये हैं ।

(ख) वायुमण्डल में निलम्बित विविक्त पदार्थ को छोड़कर अन्य गैसीय प्रदूषक प्रायः अन्तर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा निर्धारित मानकों से निम्न स्तर के हैं, यद्यपि कभी-कभी स्थानीय पाकिटों में अस्थायी वृद्धियां होती है ।

केन्द्रीय बोर्ड द्वारा प्रारम्भ किये गये प्रबोधन कार्यक्रम से आंकड़ों का लगातार आधार पर विश्लेषण किया जा रहा है । प्रायोगिक जांच-परिणामों के अनुसार, महानगरीय/औद्योगिक शहरों के निकट जल तत्वों में जल प्रदूषण के स्तर, निलम्बित ठोस पदार्थों, जैव पदार्थों और कालिफार्म काउन्ट्स के सम्बन्ध में उच्च होते हैं । भारी धातु और कीटनाशी औषधियां अधिकांशतः सर्वदा स्वीकार्य स्तर से नीचे पाये गये ।

शहरों की गलियों में अधिकतम शोर का स्तर, जहां कहीं इसकी माप की गई है, का परास 75-90 डेसिबल्स होता है ।

(ग) अन्य उन्नत देशों में प्रदूषण के स्तर तुलनीय अथवा निम्न हैं, परन्तु ये जैव और जीवाणु विज्ञान सम्बन्धी जल में प्रदूषण और वायु में निलम्बित विविक्त पदार्थ को छोड़ कर हैं । कुछ अतिसंकुल निवासों में शोर का स्तर कभी-कभी पश्चिमी देशों की निर्धारित सीमा से अधिक होता है ।

(घ) ऊपर (ग) में विवरण दिल्ली पर भी लागू होता है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : अध्यक्ष महोदय, कल आपने यह कहा था कि यदि सभा में एक वरिष्ठ मंत्री, जिनके नाम पर कोई विशेष मद सूची में दी गई हो, उपस्थित है तो···

अध्यक्ष महोदय : इस मामले मे वह लागू नहीं होता ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : शिष्टाचार का तो यही तकाजा है कि वरिष्ठ मंत्री को ही उत्तर देना चाहिए । किसी भी स्थिति में···

अध्यक्ष महोदय : हमें यह बात भली-भांति समझ लेनी चाहिए । सभी स्थितियां एक जैसी नहीं होती । कनिष्ठ मंत्री उत्तर दे सकते हैं । इसमें क्या हानि है ? वरिष्ठ मंत्री बीच में बोल सकते हैं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैंने आपको केवल याद दिलाया है कि कल क्या हुआ था ।

अध्यक्ष महोदय : वह इससे भिन्न स्थिति थी ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्हें सीधे कहना चाहिए कि वह चाहते हैं कि उत्तर प्रधान-मंत्री दें ।

अध्यक्ष महोदय : जहां आवश्यक होगा वह हस्तक्षेप करेंगी ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं चाहता हूं कि सरकार उत्तर दे । मैं यह नहीं चाहता कि·····

अध्यक्ष महोदय : जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं स्थिति बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : सभा पटल पर जो उत्तर रखा गया है उसमें निम्नलिखित के बारे में कोई संकेत नहीं मिलता ।

(क) क्या राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान द्वारा जमशेदपुर के बारे में भी अध्ययन किया गया है या उक्त संस्थान ने किन-किन संस्थानों के बारे में अध्ययन किया है ?

(ख) क्या सरकारी विभागों या प्रदूषण से सम्बद्ध विभागों के कार्य-क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण समस्या भी है ?

(ग) यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह जल-प्रदूषण विश्व में निर्धारित सामान्य प्रदूषण-स्तर से कितना अधिक है । यह भी स्पष्ट नहीं है कि जल को प्रदूषित करने वाले जैविक तत्त्व क्या हैं ?

अतः इस उत्तर को और अधिक स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता है । क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में और अधिक ब्यौरा देंगे ?

श्री दिग्विजय सिंह : सर्वेक्षण अन्य शहरों में किया गया है, उसमें जमशेदपुर सम्मिलित

नहीं है । जहां तक ध्वनि प्रदूषण की अधिकतम स्थिति का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारे यहां ध्वनि प्रदूषण सम्बन्धी कोई कानून नहीं है । कुछ पुराने नियम अवश्य हैं जिन्हें कानून का रूप नहीं दिया गया है । (व्यवधान) अनुमान ऐसा है कि भारत के कई नगरों में ध्वनि प्रदूषण अन्तर्राष्ट्रीय मानक से अधिक है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं विरोध स्वरूप कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछूंगा क्योंकि सरकार की ओर से उत्तर देने वाले मंत्री महोदय को पूरे विषय की जानकारी नहीं है । यह सम्पूर्ण सभा का अपमान है ।

प्रो० मधु दण्डवते : उनका कहना है कि क्या मैं विरोध करूं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : वह प्रदूषण सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे ।

एक माननीय सदस्य : प्रदूषण तो दूसरी ओर है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिकेश बहादुर । वह उपस्थित नहीं हैं । डा० कर्ण सिंह ।

डा० कर्ण सिंह : मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा था कि ध्वनि प्रदूषण के बारे में कोई कानून नहीं है । वायु प्रदूषण विधेयक पर गठित प्रवर समिति का मैं अध्यक्ष था ।

हालांकि उसका सीधासम्बन्ध इस विषय से नहीं है परन्तु मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि हमने अपने प्रतिवेदन में यह सिफारिश की थी कि महानगरीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण की बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए और स्थिति को और अधिक खराब होने से बचाने के लिए ध्वनि प्रदूषण के बारे में एक कानून बनाया जाना चाहिए ।

क्या सरकार सभा को बतायेगी कि क्या वह जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और थल प्रदूषण सम्बन्धी कानूनों की तरह ध्वनि प्रदूषण के बारे में भी कानून बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? क्या वह कानून इस सभा पर भी लागू होगा ?

कुछ माननीय सदस्य : शून्य काल में जो ध्वनि प्रदूषण होता है, उसके बारे में स्थिति क्या है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय ऐसी बातों से यथा संसद में ध्वनि प्रदूषण से विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है ।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं माननीय सदस्य के सुझाव से पूर्णत: सहमत हूं कि ध्वनि प्रदूषण के बारे में एक वृहद कानून होना चाहिए और यह प्रश्न विचाराधीन भी है । एक राष्ट्रीय पर्यावरण योजना समिति है जो इस सम्बन्ध में प्रारूप तैयार करने और कानून बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जहां तक ध्वनि प्रदूषण का सम्बन्ध है यह न्यूसेन्स सम्बन्धी नियम के अन्तर्गत आता है जो स्थानीय निकायों का विषय है । यह पूर्णत: लागू नहीं किया जा रहा है मेरे विचार से इस बारे में पर्याप्त कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, वह पूर्णत: आपका अधिकार क्षेत्र है।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि वह पहले ही उठ जाती तो बहुगुणा जी ने प्रश्न पूछे होते।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मैं श्री बहुगुणा को यह प्रश्न पूछने के लिए बधाई देता हूं। वह प्रदूषण के बारे में बहुत ही सजग रहते हैं। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में उन्होंने इस सम्बन्ध में बहुत कुछ किया है।

अध्यक्ष महोदय : आपका मतलब क्या है ? क्या उन्होंने प्रदूषण समाप्त करने के बारे में कार्य किया या अन्यथा ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : चैम्बुर क्षेत्र में प्रदूषण समाप्त करने के लिए। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि कलकत्ता जैसे महानगर में प्रदूषण इसलिए बढ़ा है क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने चिड़ियाघर के समीप एक पंचतारा होटल बनाने का निर्णय किया है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शान्त रहिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, यह एक गम्भीर प्रश्न है।

प्रो० मधु दण्डवते : इससे प्रदूषण होता है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं हाल ही में कलकत्ता गया था और वहां लोगों ने इस बारे में शिकायत की थी।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : दिल्ली के रिहायशी क्षेत्र में अनेक प्रकार के प्रदूषण आते जा रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या लोकतन्त्र के बारे में उनकी धारणा यही है कि मैं बोल भी नहीं सकता ? (व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, वास्तव में, यह पर्यावरण के सम्बन्ध में प्रश्न है। ये सभी परस्पर-सम्बद्ध विषय हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिए। (व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि जब भी मैं उठता हूं मार्क्सवादी क्यों उत्तेजित हो जाते हैं ? (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : वह तो अध्यक्ष पद की शक्तियों को छीन रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा ही प्रतीत होता है। वह अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को पता है कि इसका

कलकत्ता में काफी विरोध किया गया है। क्या यह भी सच है कि प्रधान मंत्री ने चिड़ियाघर के पास पंचतारा होटल बनाने के पश्चिम बंगाल सरकार के निर्णय पर सहमति व्यक्त कर दी है, जैसा कि मैंने कलकत्ते में सुना। अतः इससे पर्यावरण के प्रदूषित होने का खतरा पैदा हो गया है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस प्रस्ताव के बारे में शिकायत करने लोग मेरे पास आये थे। उसके बाद मैंने इस विषय पर पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री से दो बार बातचीत की। मैंने उन्हें लिखा भी था। परन्तु उन्हें बड़े ही दृढ़तापूर्वक लिखा है कि इस होटल के बनने से प्रदूषण में वृद्धि नहीं होगी। मेरे द्वारा सहमति दिये जाने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि यह मामला पूर्णतः उनके ही अधिकार क्षेत्र में है। (व्यवधान)

मैंने यह भी कहा है कि मुझे बताया गया है कि प्रस्तावित होटल से चिड़ियाघर के आस-पास के पर्यावरण में प्रदूषण होगा। मुख्यमंत्री ने उत्तर दिया है कि उस क्षेत्र में पहले से ही इमारतें बनी हुई हैं और इस होटल के बनने से भी कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। मुझे पता नहीं है कि यह ठीक है या नहीं, क्योंकि मैंने वह क्षेत्र नहीं देखा है।

श्री नीरेन घोष : महोदय, मेरा प्रश्न कुछ अलग है। इस विवरण में कुछ गलत बात कही गई है। राजधानी के चारों ओर केन्द्रीय सरकार की गगनचुम्बी इमारतें हैं, उनके बारे में किसी ने भी उल्लेख नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अन्य सदस्य द्वारा रखे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ?

श्री नीरेन घोष : अब मैं प्रश्न पर आ रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : वह सरकार की ओर से उत्तर दे रहे हैं। (व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : पंचतारा होटल मार्क्सवादियों का सिद्धान्त नहीं है। मैं नहीं जानता था कि उनके ऐसे सिद्धान्त हैं। मार्क्सवादी सरकार द्वारा पंचतारा होटल स्थापित किया जा रहा है। यह देश किस ओर बढ़ रहा है ?

श्री नीरेन घोष : इस प्रश्न के अन्तर्गत संयन्त्रों की यह तेलशोधक कारखानों की स्थापना का प्रश्न भी आना चाहिए जिनसे बड़े नगरों में प्रदूषण होता है। क्या मथुरा तेल शोधक कारखाने से दिल्ली महानगर और आगरा शहर का पर्यावरण दूषित होता है और उस कारखाने के प्रदूषण से ताजमहल भी प्रभावित हो रहा है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या इस पर विचार किया गया है। इससे पर्यावरण में असन्तुलन पैदा हो गया है। यह मिर्जापुर पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा सकता था। ताज को इससे खतरा पैदा हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है ?

श्री नीरेन घोष : पूर्ण पर्यावरण ही बिगड़ गया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वह 'सोलिडेरिटी' पर रोक लगाने की ओर बढ़ रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे अफसोस है कि मैं प्रश्न नहीं समझ सकी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप 'सोलिडेरिटी' पर रोक से सहमत हैं या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : क्या प्रश्न मथुरा तेलशोधक कारखाने के बारे में है या ताज के बारे में ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम नहीं है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : उसने क्या पूछा है ?

अध्यक्ष महोदय : वह अपने ही जगत में खो गया है। डा० वसन्त कुमार पंडित ।

श्री नीरेन घोष : उन्हें उत्तर तो देने दीजिए ।

श्री नीरेन घोष : मथुरा तेलशोधक कारखाने के कारण पर्यावरण सम्बन्धी संतुलन आगरा और दिल्ली में विगड़ गया है और उससे ताज पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस बात पर मुझे बड़ी चिन्ता है । मैंने इस बात पर विशेषज्ञों तथा अन्य लोगों से बातचीत कई बार की है । विशेषज्ञों की राय यह है कि इस तेलशोधक कारखाने से ताज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । उनके अनुसार आगरे का पर्यावरण रेलवे यार्ड और दूसरे वहां स्थित ढलाई के कारखानों से दूषित हो रहा है । हम उन्हें वहां से हटाने का प्रयास कर रहे हैं । परन्तु वे गैर-सरकारी हैं जिन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता । परन्तु हम प्रयास कर रहे हैं । रेलवे यार्ड के बारे में भी कुछ कार्यवाही की गई है ।

प्रो० मधु दण्डवते : ढलाई के कारखाने वहां जनता शासन से पहले भी थे ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जनता दल के शासन से पहले ही उनके बारे में कार्यवाही शुरू हो गई थी ।

डा० वसन्त कुमार पंडित : चूंकि गत दो दशकों से महानगरों में प्रदूषण का प्रश्न विचाराधीन है और इस बीच विभिन्न प्रकार की बड़ी संख्या में गाड़ियां न केवल पेट्रोल से चलती हैं बल्कि डीजल, मिट्टी के तेल आदि पेट्रोलियम उत्पादों से चलती हैं और सड़क पर निचले स्तर पर ही जहरीली गैस निकालती हैं । अन्य देशों में महानगरों के सम्बन्ध में ऐसा प्रस्ताव है कि गाड़ियों में बड़े एग्जास्ट-पाइप (धुंआ छोड़ने वाली नली) लगाये जाएं, जिससे धुंआ चार से पांच फुट ऊंचे स्तर पर निकले और प्रदूषण कम हो, क्योंकि इन गाड़ियों से निकलने वाली मोनोक्साइड गैसों से प्रदूषण होता है और मानव-जीवन को उससे खतरा बढ़ता जा रहा है ।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या गाड़ियों से निकलने वाली जहरीली गैसों के बारे में वर्तमान कानून में व्यापक स्तर पर संशोधन किया जाएगा जिससे इस प्रकार के प्रदूषण से सुरक्षा हो सके और क्या परिवहन विभाग द्वारा कोई नई तकनीक इस्तेमाल की जाएगी जिससे जहरीली गैसों के प्रभाव को निचले स्तर पर ही समाप्त किया जा सके ?

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सदस्य की चिन्ता विशेष रूप से महानगरों के बारे में सही

है। इस बारे में हमारे पास कार्यक्रम है। परन्तु मैं स्वीकार करता हूं कि उसका क्रियान्वयन विशेष रूप से बड़े नगरों में और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : दिल्ली परिवहन निगम ने एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया है। परन्तु मेरे विचार से इस कार्यक्रम को उस प्रकार से क्रियान्वित नहीं किया जा सका जिस प्रकार से वह किया जाना चाहिए था। तथापि, मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस दिशा में कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिए।

गोल छड़ों और संरचनाओं का आयात

*253. **श्री चिन्ता मणि जैना :**
श्री नवीन रवाणी :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार गोल छड़ों और संरचनाओं का निश्चित मात्रा में आयात कर रही है यद्यपि देश में बहुत अधिक रि-रोलिंग क्षमता अप्रयुक्त है ;

(ख) उपर्युक्त मदों का वार्षिक कितना आयात किया जाता है और उसकी किस्म क्या है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार को देश के हित में इन मदों के आयात को बन्द करने के बारे में सुझाव मिले हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ङ) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) इन मदों का आयात "सेल" की मार्फत किया जाता है। इन मदों की मांग का अनुमान लगाने और पुनर्बैलकों को मिलाकर देशीय स्रोतों से इन मदों की संभावित उपलब्धि का मूल्यांकन करने के पश्चात् ही आयात किया जाता है। अनुमानित मांग और उपलब्धि के अन्तर को पूरा करने के लिए ही आयात किया जाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनावश्यक आयात न किया जाए और इसके साथ-साथ उपलब्धि में कमी न हो, इसके लिए आयात-कार्यक्रम की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

(ख) वर्ष 1980-81 में किए गए कुल आयात के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष

1980-81, 1981-82 और 1982-83 (अप्रैल-सितम्बर, 82) में सेल द्वारा किए गए आयात का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(मात्रा : हजार टनों में)

	1980-81	1981-82	1982-83 (अप्रैल-सितम्बर, 82)
छड़ और गोल छड़ (तार छड़ भी शामिल हैं)	46.1	62.3	41.0
संरचनात्मक	306.0	309.0	507.4

(ग) क्वालिटी, साइज और विशिष्टियों की कठिनाइयों के कारण देश में इन मदों का वास्तविक उत्पादन इन मदों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(घ) और (ङ) पुनर्वेलकों से प्राप्त हुए कुछ सुझावों पर उनसे परामर्श करके विचार किया गया था। यह पाया गया कि आयात की आवश्यकता को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता लेकिन यदि पुनर्वेलक उद्योग प्राथमिक उपभोक्ताओं की कुछ श्रेणियों की मांग पूरी कर सके तो आयात में कमी की गुंजाइश हो सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था की संभावनाओं का पता लगाने के लिए लोहा और इस्पात नियंत्रक के तत्वावधान में बातचीत हुई थी, लेकिन पुनर्वेलक और उपभोक्ता आपस में संतोषजनक व्यवस्था के बारे में निर्णय नहीं ले पाए हैं। संतोषजनक प्रबन्ध करने में एक कठिनाई यह है कि पुनर्वेलकों में से कुछेक पुनर्वेलकों के उत्पाद भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रमाणित हैं और उपभोक्ता भारतीय मानक संस्थान की विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री की मांग करते हैं। दूसरी कठिनाई यह है कि पुनर्वेलक और उपभोक्ता उन शर्तों पर सहमत नहीं हो पाये हैं, जिन पर पुनर्वेलक उनको तैयार माल सप्लाई करेंगे। लोहा और इस्पात नियंत्रक एक व्यवहार्य व्यवस्था बनाने के लिये अपनी सद्भावना का उपयोग कर रहे हैं और इसके लिये प्रयास जारी हैं।

श्री चिन्ता मणि जैना : देश में री-रोलिंग उद्योग की छड़ों और संरचनाओं के निर्माण की वार्षिक उत्पादन क्षमता तथा उनकी मांग क्या है? देश में उत्पादित इन वस्तुओं के मूल्य और आयातित वस्तुओं के मूल्य में कितना अन्तर है तथा इसमें कितनी विदेशी मुद्रा लगी है?

श्री नारायण दत्त तिवारी : इस वर्ष संरचनाओं की मांग का अनुमान 3,59,000 टन है तथा 2,90,000 टन का उत्पादन होने का अनुमान है। इस प्रकार 100,000 टन की कमी रहेगी।

अन्य ढांचों के क्षेत्र में भी उदाहरण के लिए चैनल और एंगल आदि की अनुमानित मांग

6,30,000 टन है जबकि कुल मिलाकर इनके उत्पादन का अनुमान 4,15,000 टन का है तथा 2,5,000 टन की कमी रहेगी। इस प्रकार कुल मिला कर लगभग 374,000 टन की कमी रहेगी।

प्रमुख क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को कठिनाई न हो, इस कारण हमें इसका आयात करना पड़ता है।

इसमें कितनी विदेशी मुद्रा लगेगी इसका पता आयात के बारे में बातचीत होने पर ही लग सकता है तथा इस समय मैं उसकी मात्रा नहीं बता सकता।

श्री चिन्ता मणि जेना : माननीय मंत्री द्वारा दिए गए विवरण से पता चलता है कि लोहा और इस्पात नियन्त्रक री-रोलिंग उद्योग से बात कर रहे हैं और ऐसा पता चला है कि यदि री-रोलिंग उद्योग प्राथमिकता के क्षेत्र की कुछ श्रेणियों की मांग पूरा कर सकें तो आयात में कमी की जा सकती है। भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रमाणित किए जाने के अभाव में करार में कुछ कठिनाइयां आ रही हैं तथा उपभोक्ताओं आदि के सहमत न होने के कारण यह करार नहीं हो पा रहा है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि ये दोनों कठिनाइयां आपसी सहयोग से दूर नहीं होती तो मंत्रालय इसके लिए व्यवहार्य हल ढूंढने के लिए क्या उपाय करना चाहता है? मंत्री महोदय के विवरण से आप देखेंगे कि संरचनाओं के आयात में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। 1980-81 में इसका आयात 306,000 टन था और 1981-82 में यह 309,000 टन था तथा इस वर्ष यह बढ़ कर 507,000 टन हो गया है। इसका अन्ततः देश की अर्थव्यवस्था तथा विदेशी मुद्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी : यह सही है कि लोहा और इस्पात नियन्त्रक री रोलिंग फर्मों से बात करने की पहल कर रहे हैं, जिससे वे प्राप्त प्रौद्योगिकी के स्तर को बढ़ा सकें और रक्षा, विद्युत प्राधिकरणों आदि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिये अच्छे किस्म की संरचना का निर्माण कर सकें।

9 सितम्बर, 1982 को हुई बैठक में नियन्त्रक आयात घटाने के उपायों पर चर्चा की।

छड़ों और गोल छड़ों के लिए प्रौद्योगिकी के स्तर को बढ़ाना आवश्यक है।

संरचनाओं के उत्पादन के लिए मशीनों को अधिक शक्तिशाली बनाना चाहिए। इसके लिए तोलने की सुविधा का होना भी आवश्यक है।

1000 फर्मों में से केवल 220 फर्में ही अन्तर्राष्ट्रीय मानक प्रमाण पत्र विशिष्ट विवरण योजना के अन्तर्गत पर पंजीकृत हैं। यह सब किस्म के स्तर को बढ़ा कर भारतीय मानक संस्था के स्तर पर लाने के लिए करना आवश्यक है।

इन सभी प्रश्नों पर विशिष्ट रूप से विचार करने के लिए लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है और उसे इस वर्ष के अन्त तक रिपोर्ट देने के लिए

कहा गया है। रि रोलिंग उद्योग के प्रतिनिधियों को भी आमन्त्रित किया गया है, ताकि उनके विचारों को भी ध्यान में रखा जा सके तथा टैक्नोलोजी में सुधार संबन्धी समस्याओं पर विचार किया जा सके।

केरल में कोका प्रोसेसिंग एकक की स्थापना

*254. **श्री एम० रामन्ना राय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोका प्रोसेसिंग कारखाना लगाने के लिये कोई लाइसेंस आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केरल सरकार द्वारा सिफारिश किया गया कारखाना लगाने के एक आवेदन-पत्र को केन्द्रीय सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

डा० कर्णसिंह : 'कोका फैक्टरी' नाम की कोई चीज नहीं है। (व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी : यह "कोको" है।

श्री एम० रामन्ना राय : मेरे प्रश्न के दो भागों का उत्तर "नहीं" और एक का "प्रश्न नहीं उठता" में दिया गया है। (व्यवधान) भारत में कोको की खेती का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। कोको क्या है, यह सब जानते हैं। हाल ही तक इसका आयात किया जाता था। परन्तु विदेशी मुद्रा बचाने के लिए भारत सरकार···

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है ?

श्री एम० रामन्ना राय : मैं प्रश्न कर रहा हूं। मैं पृष्ठ मार्क बता रहा हूं। यह बहुत आवश्यक है।

भारत सरकार तथा कर्नाटक और केरल की सरकारों ने कोको के उत्पादन के लिए किसानों को आवश्यक सहायता दी। भारत में 4000 टन कोको की आवश्यकता होती है। इस लक्ष्य के प्राप्त होते ही यह अफवाह फैलाई जाने लगी कि भारत में उत्पादित कोको में अम्लता होती है और इस कारण यह उपयोगी नहीं। इसलिए केडबरी, अमुल और अन्य कम्पनियों···

अध्यक्ष महोदय : आप इसकी व्याख्या में जा रहे हैं या कोई प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री एम० रामन्ना राय : एफ० ए० ओ० के विशेषज्ञ श्री हब्बार्ड ने अपने प्रतिवेदन में

बताया है कि कर्नाटक और केरल में पैदा होने वाले कोको में अम्लता होती है। जबकि सी० एफ० टी० आर० आई० के प्रतिवेदन के अनुसार इसमें अम्लता नहीं है। एफ० ए० ओ० के विशेषज्ञ के प्रतिवेदन से किसानों को बड़ी कठिनाई हुई। कैम्पको ने प्रोसेसिंग उद्योग की स्थापना के लिए लाइसेंस देने का आवेदन किया। इससे बचने के लिए कैतुबरी और अन्य लोगों ने लाइसेंस के लिए···

अध्यक्ष महोदय : आप स्पष्ट प्रश्न पूछें।

श्री एम० रामन्ना राय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को गुमराह करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए था (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय ने प्रश्न को नहीं समझा है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसी प्रकार का उत्तर दें।

श्री वीर भद्र सिंह : जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया भारत में कुल 4000 मी० टन कोको का उत्पादन होता है, जिसमें से 2,700 टन केरल में पैदा होता है। इस प्रकार केरल देश में कोको का प्रमुख उत्पादक है। देश में किसी प्रकार के कोको का आयात करने पर प्रतिबन्ध है। जहां केरल और कर्नाटक के कोको में अम्लता पाए जाने की बात है, हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री एम० रामन्ना राय : भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ने कैम्पको को कोको प्रोसेसिंग की फैक्टरी को एक लाइसेंस दिया है। यह फैक्टरी केरल और कर्नाटक दोनों में पैदा होने वाले कोको का प्रोसेसिंग करने के लिए पर्याप्त है।··· (व्यवधान)

(श्री ई० बालानन्दन खड़े हुए)

श्री सतीश अग्रवाल : उन्हें अपना पूरक प्रश्न पूरा करने दें।

श्री ई० बाला नन्दन : केरल में कोको प्रोसेसिंग फैक्टरी लगाने के लिए एक निजी फर्म ने लाइसेंस के लिए आवेदन दिया है। इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री वीर भद्र सिंह : सरकार को केरल औद्योगिक विकास निगम की ओर से केरल में प्रोसेसिंग संयंत्र लगाने के लिए दो आवेदन प्राप्त हुये हैं। दोनों को स्वीकृति दे दी गई है तथा दोनों लागू होने की अलग-अलग स्थिति में है।

दिल्ली में औद्योगिक प्लाटों की ऊंची कीमत

*255. **श्री भीकू राम जैन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के औद्योगिक विकास की समस्याओं का अध्ययन किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में भूमि के ऊंचे मूल्यों के कारण राजधानी में उद्योगों के विकास में बाधा पड़ी है ; और

(ग) औद्योगिक प्लाटों की ऊंची कीमत पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) दिल्ली में औद्योगिक वृद्धि संबंधी कठिनाइयों की दिल्ली प्रशासन द्वारा निरन्तर समीक्षा की जाती है।

(ख) दिल्ली में लघु उद्योगों में दृढ़ वृद्धि हुई है।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने औद्योगिक भूमि और फ्लैटेड कारखानों जिन्हें उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराया जा रहा है, के विकास के लिए एक कार्यक्रम बनाया है।

श्री भीकू राम जैन : मेरा निवेदन यह है कि मैने पूछा था कि क्या सरकार ने दिल्ली के औद्योगिक विकास की समस्याओं का अध्ययन किया है जिसका उत्तर यह दिया गया है कि दिल्ली में औद्योगिक वृद्धि सम्बन्धी कठिनाइयों की दिल्ली प्रशासन द्वारा निरन्तर समीक्षा की जाती है। अध्यक्ष महोदय, यदि आप इस उत्तर से सन्तुष्ट हैं तो मुझे यह निवेदन करने की अनुमति दी जाए कि···

अध्यक्ष महोदय : मेरा तो आपकी संतुष्टि से वास्ता है।

श्री भीकू राम जैन : मैं इससे सन्तुष्ट नहीं हूं। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं यह जानना चाहता था कि क्या इस सरकार ने दिल्ली में लघु उद्योगों की वृद्धि के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया है। यदि दिल्ली प्रशासन कुछ कर रहा होता तो मेरा प्रश्न पूछने का क्या औचित्य था। यदि आप मुझ से सहमत हैं तो मंत्री महोदय को कहिए कि वे मेरे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दें तथा इसे अब स्थगित कर दिया जाए। अन्यथा मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए।

श्री वीरभद्र सिंह : दिल्ली प्रशासन ने उद्योग विभाग का सर्वेक्षण किया है। क्योंकि दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र है इसलिए यह सीधे केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रणाधीन है। दिल्ली प्रशासन ने ही हमें यह जानकारी भेजी है।

श्री भीकू राम जैन : यदि यही उत्तर दिया जाना है कि राज्य सरकार ही इसके लिए उत्तरदाई है तो फिर यहां प्रश्न पूछने से क्या लाभ। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अनुपूरक प्रश्न करूं। यदि आप मेरी दलील से सहमत हैं तो आप कृपया मंत्री महोदय को स्पष्टीकरण देने के लिए कहिए। मेरे प्रश्न के भाग (ख) में पूछा गया है "क्या यह भी सच है कि दिल्ली में भूमि के ऊंचे मूल्यों के कारण राजधानी में उद्योगों के विकास में बाधा पड़ी है ?" जिसके उत्तर में कहा गया है : "दिल्ली में लघु उद्योगों में दृढ़ वृद्धि हुई है।" मैं भूमि की ऊंची कीमत की बात कर रहा हूं तो उत्तर लघु उद्योगों की दृढ़ वृद्धि के बारे में दिया गया है। इसका भूमि की कीमतों से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः मंत्री महोदय को कहा जाए कि वह उचित उत्तर तैयार करके मुझे जानकारी भेजें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सत्तारूढ़ दल के सदस्य असन्तुष्ट हैं।

कुछ माननीय सदस्य : आप इस प्रश्न को स्थगित कर सकते हैं।

श्री वीरभद्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग में पूछा गया है कि क्या दिल्ली में भूमि के ऊंचे मूल्यों के कारण दिल्ली में औद्योगिक विकास में बाधा पड़ी है। इसके सम्बन्ध में हमारा उत्तर यह है कि हमने इस मसले का अध्ययन किया है तथा सरकार का यह निश्चित मत है कि भूमि के मूल्यों में वृद्धि होने से दिल्ली में उद्योगों के विकास में कोई बाधा नहीं पड़ी है। इसके विपरीत हमारे पास जो आंकड़े हैं उनसे पता चलता है कि 1950-51 में 8,060 उद्योग स्थापित थे, जिनमें 16 करोड़ 13 लाख रुपये की पूंजी लगी हुई थी तथा जिनका कुल क्रय-विक्रय 31 करोड़ 35 लाख रुपये का था और जिनमें 69,256 कर्मकार नियुक्त थे। इन आंकड़ों की तुलना वर्ष 1980-81 के आंकड़ों के साथ करने से पता चलता है कि उद्योगों की संख्या बढ़कर 45,000 हो गई थी, उनमें 867 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई थी तथा उनका क्रय-विक्रय 2159 करोड़ रुपये का हो गया था और उसमें कर्मचारियों की संख्या 4 लाख 50 हजार हो गई थी। अतः मेरे उत्तर से माननीय सदस्य को समझ लेना चाहिए कि दिल्ली में उद्योगों के विकास में कोई बाधा नहीं पड़ी है।

श्री भीकू राम जैन : अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम नहीं है कि माननीय मंत्री जी ने ये आंकड़े कहां से लिए हैं—संभवतः दिल्ली प्रशासन से लिए होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें मालूम है कि दिल्ली का योजनाबद्ध विकास करने के लिए 1662 से योजना-विरोधी क्षेत्रों से लगभग एक लाख औद्योगिक एककों को योजनाबद्ध क्षेत्रों में ले जाने के लिए उपयुक्त भूमि, भवन तथा शैड पूर्व-निश्चित कम दरों पर दिए जाने थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन एक लाख औद्योगिक एककों का पुनर्वास करने के लिए अब बीस वर्षों में कोई प्रयास किया गया है और यदि हां, तो उनमें से कितने एककों का पुनर्वास किया गया है? ऐसे एककों की संख्या हजारों में नहीं होगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें 20 वर्ष पूर्व किसी योजना-विरोधी क्षेत्र से जबरदस्ती निकाल दिया गया था तथा उनके लिए पानी तथा बिजली आदि की व्यवस्था भी नहीं की गई थी। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या हाल में विकसित क्षेत्रों में विकास दर बढ़ा है?

श्री वीरभद्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरे से दिल्ली में योजना-विरोधी क्षेत्रों से सम्बन्धित जानकारी मांगी है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस अरसे में दिल्ली प्रशासन और दिल्ली राज्य औद्योगिक निगम ने योजना-विरोधी क्षेत्रों के उद्योगों का पुनर्वास करने तथा अन्य उद्योगों का विकास करने के लिए दिल्ली के आस-पास अनेक उद्योग-समूह स्थापित किए हैं। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं उनको उद्योग समूहों संबंधी जानकारी उन्हें भेज सकता हूं।

श्री भीकू राम जैन : अनेक क्षेत्रों का विकास किया जा चुका है। इस समय मैं वर्तमान क्षेत्रों में उद्योगों के पुनर्वास की बात कर रहा हूं। दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय के पास जानकारी है? मैं समझता हूं कि उन्हें अधिक जानकारी सम्बन्धित विभाग से मिल सकती है। क्या उन्हें मालूम है कि वर्तमान और नये लघु उद्यमियों को धन प्राप्त करने और लाइसेंस लेने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण, उद्योग निदेशालय दिल्ली जल प्रदाय उपक्रम, नगर निगम,

एस० एस० आई० आई०, तथा बैंकों आदि के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। अत: क्या वह इस सदन को आश्वासन देंगे कि वह इन लघु उद्योगों के संबंध में समान नीति बनाएंगे जिससे कि वे उद्योग पुनर्वासित ही होने के साथ-साथ चलते भी रहें, उनके विकास की तो बात ही छोड़ दीजिए ?

श्री वीरभद्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार इस मामले पर विचार कर रही है। हम इस प्रक्रिया को सरल बनाना चाहते हैं जिससे कि नये उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के मामले में कोई कठिनाई न हो। उद्योग स्थापित करने के लिए निश्चित प्रक्रिया होगी। उद्यमियों को उसका अनुसरण करना होगा। इसके साथ ही साथ हमारा यह निरन्तर प्रयत्न होगा कि उद्यमियों को कम से कम कठिनाई हों।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न के भाग (क) की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें पूछा गया है कि क्या सरकार ने दिल्ली के औद्योगिक विकास की समस्याओं का अध्ययन किया है। मैं लघु उद्योग या कुटीर उद्योग की बात नहीं कर रहा हूं। इससे पहले हमने इस बात पर चर्चा की थी कि बड़े उद्योगों के होने के कारण दिल्ली जैसे महानगरों में वायु, जल और शोर शराबे की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। प्रधान मंत्री जी भी यहां बैठी हैं। मैं मास्को अपना इलाज कराने के लिए गया था।

अध्यक्ष महोदय : इसका इससे क्या ताल्लुक है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : रूस सरकार ने मास्को जैसे अपने महानगरीय शहरों से बड़े उद्योगों को दूसरे स्थानों पर भेजने का निश्चय किया है। कुछ अन्य समाजवादी देश भी यही कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं—प्रधान मंत्री जी भी यहां बैठी हैं—क्या सरकार दिल्ली और अन्य महानगरीय शहरों का योजनाबद्ध विकास करने के लिए, ऐसे महानगरीय शहरों से, जिनमें वायु, जल प्रदूषण और शोरोगुल प्रदूषण (व्यवधान) तथा राजनैतिक प्रदूषण क्योंकि बेईमान राजनीतिज्ञ (व्यवधान) भी हैं, बड़े उद्योगों को हटाने के बारे में निर्णय करेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार दिल्ली जैसे महानगरीय शहरों से बड़े उद्योगों को हटाएगी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं इसका विरोध करता हूं। वे हमारे उद्योगों को मास्को भेजना चाहते हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं।

श्री वीरभद्र सिंह : दिल्ली एक महानगरीय प्रदेश है तथा इसमें कोई पंच प्रदेश नहीं है। सरकार इसमें तथा अन्य महानगरीय प्रदेशों में बड़े उद्योग स्थापित करने की अनुमति नहीं देती। अत: महानगरीय शहरों में बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए प्राय: नए लाइसेंस नहीं दिए जाते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या आप दिल्ली जैसे महानग रीय से उद्योग बाहर भेज देंगे ?

श्री वीरभद्र सिंह : मैं मान नीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि दिल्ली और उसके

आसपास अधिकतर लघु उद्योग ही हैं। एक सौ के लगभग बड़े उद्योग हो सकते हैं। सरकार का विचार उन्हें दूसरी जगह भेजने का नहीं है।

श्री बीजू पटनायक : क्या माननीय मंत्री ने बदरपुर स्थित विद्युत संयंत्र देखा है। यदि हां तो क्या उन्होंने देखा है कि बदरपुर विद्युत संयंत्र तथा उत्तरी दिल्ली में स्थित अन्य विद्युत संयंत्रों से हर रोज लाखों टन धुआं बाहर निकालता है? इन संयंत्रों को दिल्ली की परिधि से बाहर भेजने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है।

श्री वीरभद्र सिंह : यह प्रश्न नहीं उठता। यह अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से नहीं उठता। आप यह प्रश्न ऊर्जा मंत्री से पूछ सकते हैं।

श्री बीजू पटनायक : मैंने तो समझा था कि इसका सम्बन्ध आपके मंत्रालय से है।

श्री वीरभद्र सिंह : जी, नहीं। यह प्रश्न ऊर्जा मंत्री को संबोधित किया जा सकता है।

उद्योग में अनुसंधान तथा विकास

*258. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बाजार में लगी होड़ को ध्यान में रखकर उनके मंत्रालय ने भारतीय उद्योगों की अनुसंधान तथा विकास की और अधिक ध्यान देने तथा आत्मनिर्भर बनने के लिए निदेश दिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में इसके अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) तथा (ख) भारत सरकार ने हमेशा ही प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने और शोध तथा विकास को प्रोत्साहन देना आवश्यक समझा है जिससे कि भारतीय उद्योग विश्व के बाजार में प्रतियोगिता कर सकें। इस दिशा में विभिन्न अभ्युपाय किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

(क) स्वीकृत संस्थानों में अनुसंधान परियोजनाओं के लिए भारित कर में 133 प्रतिशत की छूट देना।

(ख) आंतरिक अनुसंधान तथा विकास एककों में स्वीकृत अनुसन्धान कार्यक्रम चलाने के लिए भारित कर में 125 प्रतिशत की छूट देना।

(ग) व्यय के वर्ष में 100 प्रतिशत बट्टे खाते में डालने की अनुमति देकर उद्योग

में अनुसन्धान तथा विकास के लिए पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन को प्रोत्साहन देना ।

(घ) जब संबंधित प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के भीतर ही विकसित की गई हो तब "फैरा" (विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम)/एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार से भिन्न औद्योगिक एककों को लाइसेंसीकरण के प्रतिबन्धों से मुक्त रखना ।

(ङ) देश में विकसित प्रौद्योगिकी को प्रयोग में लाने वाले संयंत्रों और मशीनों पर किए गए व्यय के वास्ते बढ़ा हुआ निवेश भत्ता देना ।

(च) मान्यता प्राप्त आंतरिक अनुसंधान तथा विकास एककों को अपनी अनुसंधान तथा विकास संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए बिना किसी सीमा के खुले सामान्य लाइसेंस की सुविधा देना ।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : मंत्री जी ने विभिन्न अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं को दी जाने वाली छूट का विवरण दिया है । मैं उन अनुसंधान परियोजनाओं का नाम जानना चाहता हूं । उन्हें किन संस्थाओं ने प्रायोजित किया है । वे दूसरे संस्थान कौन से हैं और उद्योग कौन से है जिनके साथ इन्हें सम्बद्ध किया गया है । अन्त में मैं इनको मिली कुल छूट के बारे में जानना चाहता हूं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : ऐसे 750 पंजीकृत एकक हैं जो विज्ञान और प्राद्योगिकी विभाग के अनुसंधान तथा विकास के पास पंजीकृत हैं । ऐसे सभी एककों की सूची बनाना तो कठिन है । आपकी अनुमति है तो मैं माननीय सदस्य को इन 750 पंजीकृत एककों के नामों की सूची दे सकता हूं ।

इन एककों का अनुसंधान तथा विकास पर व्यय जो 1978-79 मे 50 करोड़ रुपये या बढ़कर 1981-82 में 200 करोड़ रुपये हो गया । इन 750 उद्यमों में 50 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं जो अनुसंधान में लगे हैं । भारित कर लाभ के 80 कार्यक्रम हैं जो योजना के अन्तर्गत मंजूर किये गये हैं । यदि सदस्य महोदय चाहें तो मैं विवरण दे सकता हूं ।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : आप कृपया मुझे विवरण दे दें । उद्योगों में प्रतियोगिता और विकास श्रम तथा प्रबन्धकों के बीच सम्बन्धों पर निर्भर है । इन सम्बन्धों में तनाव के कारण भारतीय उद्योग पर्याप्त तरक्की नहीं कर पा रहे और मंत्री जी ने एक सभा में यह माना है कि भारत के उद्योगों के सम्मान में कमी हुई है । सरकार ने इन सम्बन्धों में सुधार के लिए क्या प्रयास किये हैं ।

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : तनावपूर्ण सम्बन्ध भी एक कारण हो सकते हैं लेकिन मेरे विचार से अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम में यह मुख्य बाधा नहीं है । हमने औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में विधान तथा विधियां बनाई हैं । विस्तार में जाने की जरूरत नहीं लेकिन हम यथा सम्भव मामले पर विचार कर रहे हैं ।

श्री ए० के० राय : आजकल औद्योगिकी निःशुल्क आयात की नीति से हम बहुत क्षुब्ध हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास की बुरी तरह अवहेलना की जाती है। यह क्षेत्र 0.5% से अधिक व्यय नहीं करता जबकि सरकारी क्षेत्र 2.5% व्यय करता है। अनुसंधान तथा विकास की ओर ध्यान दिये बिना क्या सरकार प्रौद्योगिकी के निःशुल्क आयात के लिए दबाव के आगे झुकती रहेगी। क्या सरकार उत्पादन सम्बद्ध बोनस की भांति अनुसंधान तथा विकास सम्बद्ध लाइसेंस देने पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

वनों के कटने से पर्यावरणीय असंतुलन

*251. **श्री आर० पी० गायकवाड :**
श्री जितेन्द्र प्रसाद :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भूमि पर वनों के बड़े पैमाने पर काटे जाने के कारण गंभीर पर्यावरण और सामाजिक-आर्थिक असन्तुलन पैदा होने की आशंका के सम्बन्ध में भारतीय विज्ञान संस्थान की अध्ययन रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने हेक्टर क्षेत्र में से वृक्ष काटे गए हैं और इससे किस सीमा तक पर्यावरणीय असन्तुलन पैदा हुआ है ;

(ग) पर्यावरण की स्थिति अनुकूल बनाये रखने और शेष प्राकृतिक वनों की सुरक्षा के लिए कौन से कदम उठाने का विचार है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट मिली है कि 1951 और 1980 के बीच, 433 लाख हैक्टेयर सरकारी वन्य क्षेत्र, गैर-वनीय प्रयोजनों के लिए अपवर्तित (नष्ट) किए गए हैं। अक्टूबर, 1980 के बाद, जब वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 लागू किया गया केवल 5964 हैक्टेयर क्षेत्र ही गैर-वनीय प्रयोजन के लिए अपवर्तित किया गया है। अनधिकार-प्रवेश, वृक्षों को अवैध रूप से काटने, चराने, आग लगने और अन्य जीवीय कारणों से वन आच्छादन की हानि भी हुई है। समस्त देश के लिए हानियों का सही अनुमान नहीं लगाया गया है। यह सत्य है कि वन्य क्षेत्र और वन्य आच्छादन की हानि, बाढ़, सूखा, मरुस्थलीकरण, भू-कटाव, जलाशयों सहित जल तत्वों में गाद भरना और जैवीय संसाधनों की हानि जैसी पारिस्थितिकीय समस्यायें उत्पन्न करती हैं।

(ग) तथा (घ) निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

1. वर्तमान वन विधान का कठोरतर कार्यान्वयन ।

2. संरक्षण पर अत्यधिक बल देने के लिए राष्ट्रीय वन नीति और भारतीय वन अधिनियम का संशोधन ।

3. वनों के उन्नत प्रबन्ध के लिए राज्यों को मार्गदर्शन प्रदान करना ।

4. संरक्षण कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, साज-सामान की व्यवस्था और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के पक्ष में लोक मत संग्रहण द्वारा वनों को अधिक अच्छा संरक्षण सुनिश्चित करना ।

5. वनरोपण, सामाजिक वनविद्या, ग्राम और फार्म वन-विद्या के कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर वन्य और गैर-वनीय क्षेत्रों में वृक्ष आच्छादन में सुधार करना और इन कार्यक्रमों में ग्रामीण समुदायों तथा नवयुवकों को शामिल करना ।

6. क्रांतिक पारितन्त्रों और क्षेत्रों, जिन्हें विशेष संरक्षण देने की आवश्यकता है, की पहचान करने के लिए देश का पारिस्थितिक मानचित्रण तैयार करना ।

7. राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों के तंत्र में वृद्धि करना और जीव-मण्डल रिजर्वों की स्थापना करना ।

8. कतिपय क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों के पारिस्थितिकीय कार्य बल स्थापित करना ।

दिल्ली की पत्थर की खानों में दुर्घटनायें

*257. **श्री बापूसाहिब परुलेकर :**
श्री मोती भाई आर० चौधरी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की पत्थर की खानों का प्रबन्ध दिल्ली राज्य औद्योगिक विकासनिगम ने अपने हाथ में ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ;

(ग) इन खानों में दिसम्बर, 1981 पश्चात् ऐसी कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें जान-माल का नुकसान हुआ है ;

(घ) क्या ऐसी दुर्घटनाओं में मुआवजा देने के लिए स्पष्ट निदेश हैं ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार 1976 में पत्थर की अनेक खानें अभिग्रहीत की गई थीं।

(ग) निगम की पत्थर-खानों में 4 दुर्घटनाएं हुईं जिनमें 4 श्रमिकों की जानें गईं।

(घ) तथा (ङ) दुर्घटनाओं के मामले में क्षतिपूर्ति के भुगतान पर कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के प्रावधान लागू होते हैं, जिसे राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा लागू किया जाता है।

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा दिये गये पुरस्कार

*259. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकासनिगम (एन० आर० डी० सी०) आविष्कारों के लिए प्रतिवर्ष स्वतन्त्रता दिवस पर पुरस्कार देते हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने अविष्कारों पर पुरस्कार दिए गए। इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी धनराशि खर्च की गई और शुरुआत से अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी गई और अब तक गुणाधार (मेरिट) पर कितने प्रमाण पत्र दिए गए ;

(ग) पुरस्कार जीतने वाले अविष्कारों को आम आदमी के व्यावहारिक उपयोग में लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) देश में इन पुरस्कार जीतने वाले अविष्कारों में से कितने अविष्कार उपयोग में लाए गए हैं और उनसे आम आदमी द्वारा क्या लाभ उठाये गए हैं ?

प्रधानमंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) आविष्कारों के लिए पुरस्कार एन० आर० डी० सी० द्वारा दिए जाते हैं। साधारणतः इन पुरस्कारों की वर्ष में 2 बार हमारे स्वतन्त्रता दिवस तथा गणतन्त्र दिवस पर घोषणा की जाती है।

(ख) 1961-62 में प्रारम्भ हुए पारितोषक वितरण से अब तक 486 आविष्कारों के लिए नकद पुरस्कार और 60 सराहना प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। नकद पुरस्कारों की कुल राशि 10.2 लाख रुपये है। इसके अतिरिक्त माडलों और आदिप्ररुपों की संविरचनाओं के लिए 9.77 लाख रुपये की राशि भी वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की गई।

(ग) और (घ) जनसाधारण के लिए पुरस्कृत आविष्कारों को उपलब्ध कराने के लिए कार्पोरेशन कई उपाय करती है यथा (1) निगम के जनरल—"इन्वैशन इंटैलिजेंस" के माध्यम से आविष्कारों का प्रचार करना : (2) आदिप्ररुप की संविरचना के लिए आविष्कर्त्ता को वित्तीय सहायता प्रदान करना ; (3) आविष्कार को अपने पेटेन्ट की सुरक्षा के लिए सहायता देना, और (4) आविष्कारों को ऐसे उद्यमियों के सम्पर्क में लाना, जो सम्भवतः इन आविष्कारों को

उपयोग में ला सकते हैं। यद्यपि प्रत्युक्त आविष्कारों की सही संख्या का निर्धारण करवाना सम्भव नहीं है, तथापि समाज को उपलब्ध कराये गये उत्पादों और सेवाओं में कई आविष्कारों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अनुप्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के पुरस्कृत आविस्कारों में— उच्च दक्षता प्राप्त मिट्टी के तेल से चलने वाला धुनाई मशीन, पवन चक्की, एक्सल गणक, चाय किण्वन मशीन (टी फरमेंटिंग मशीन), हार्डनैस टैस्टर, रेडियो सौंड थार्मिस्टर, स्टेन गाज, टाई-टेनियम एन्डाज और स्टैटिक कन्वर्टर, आदि हैं।

सरकार द्वारा रंगीन टी० वी०, टी० वी० ट्यूब्स और बी० सी० आर० की स्वीकृत परियोजनायें

*260. **श्री रघुनन्दनलाल भाटिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में निर्माता इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र-रंगीन टेलीविलन, टी० वी० पिक्चर ट्यूब और वीडियो केसेट रिकार्डों (बी० सी० आर० एस०) की ओर दौड़ रहे हैं ;

(ख) सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में अब तक स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी होगी ;

(ग) क्या पंजाब स्टेट इलेक्टानिक्स डेवलेपमेन्ट एण्ड प्रोडक्शन कार्पोरेशन को भी बी० डी० ओ० केसेट रिकार्ड्स बनाने के लिए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या सावधानियां बरती गई हैं कि जारी किए लाइसेंस मूल भूत रूप से उत्पादन के आर्थिक स्तरों के लिए हैं ; और वे विफलता में समाप्त न हो जाएं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण I, II तथा III में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) अनुमोदन के लिए परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय सरकार अन्तर्निहित प्रौद्योगिकी, संघटक-पुर्जों तथा कच्ची-सामग्री की उपलब्धता, पूंजी निवेश, विदेशी मुद्रा आदि जैसे कारकों पर विचार करती है ऐसा करने से तकनीकी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य इकाइयां स्थापित करने में सहायता मिलती है।

विवरण-1

श्याम तथा श्वेत (ब्लैक एण्ड ह्वाइट) दूरदर्शन फोटो ट्यूबों/रंगीन दूरदर्शन फोटो ट्यूबों का विनिर्माण करने के लिए जारी किए गए आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंसों की स्थिति

क्र० सं०	फर्म का नाम	वार्षिक क्षमता औद्योगिक लाइसेंस पत्र	जिसके लिए आशय-पत्र जारी किया गया है उसका विस्तार के बाद कुल क्षमता
	श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन फोटो ट्यूबें		
1.	मेसर्स बी० ई० एल०, बंगलौर	2.00 लाख संख्या	3.00 लाख संख्या
2.	मेसर्स अपट्रान आनन्द लिमिटेड, कानपुर ।	0.40 लाख संख्या	2.00 लाख संख्या
3.	मेसर्स टेलीट्यूब इलेक्ट्रानिक्स, गाजियाबाद ।	1.00 लाख संख्या	—
4.	मेसर्स गुजरात मल्को इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	3.00 लाख संख्या	—
5.	मेसर्स सान्तल (इण्डिया) लिमिटेड, साहिबाबाद ।	—	3.00 लाख संख्या
6.	मेसर्स बेबल वीडियों डिवाइसिज लिमिटेड	0.40 लाख संख्या	3.00 लाख संख्या
7.	मेसर्स पंजाब डिस्प्ले डिवाइसिज लि०, एस० ए० एस० नगर ।	3.00 लाख संख्या	—
8.	मेसर्स ए० पी० ई० डी० सी० लिमिटेड, हैदराबाद ।	—	2.50 लाख संख्या
	रंगीन दूरदर्शन फोटो ट्यूबें		
1.	मेसर्स पंजाब डिस्प्ले डिवाइसिज लि०, एस० ए० एस० नगर, पंजाब ।	—	4.00 लाख संख्या

विवरण-2

संगठित क्षेत्रों में वीडियो कैसेट रिकार्डर के लिए अनुमोदित मामलों की सूची

क्रम संख्या	फर्म का नाम	आशय पत्र संख्या तथा तारीख	वास्तविक अनुमोदित* क्षमता
1	2	3	4
1.	मेसर्स कर्नाटक स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि० एमलिन हेवन, 30, रेसकोर्स रोड, बंगलौर।	आ० प० : 275 (82) 17-4-82	
2.	मेसर्स बी० पी० एल०, प्रो० बा० नं० 5194, महात्मा गांधी रोड, बंगलौर-560001.	आ० प० : 207 (81) 31-12-81	
3.	मेसर्स एम० एस० बलसारा, 'शर्मन' प्लेट नं० 32 नारायण दाथोल्कर रोड, आफ़ नेपीन, सी०-रोड, बम्बई-40000	आ० प० : 854 (81) 31-12-81	
4.	मेसर्स बुश (इण्डिया) लिमिटेड, सुखसागर, एन० एस० पी० मार्ग, पो० बा० नं० 4127, बम्बई-400007.	आ० प० : 855 (81) 31-12-81	
5.	मेसर्स अपट्रान इण्डिया लिमिटेड, 10, अशोक मार्ग, लखनऊ।	आ० प० : 813 (81) 31-12-81	
6.	मेसर्स महाराष्ट्र इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि०, प्लाट नं० 214, बेकबे रिक्लेमेशन, रहेजा सेन्टर, 13वीं मंजिल, नरीमन प्वाइंट, बम्बई।	आर० प० : 796 (81) 31-12-81	
7.	मेसर्स मर्फी (इंडिया) लिमिटेड, इस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, पो० आ० बा० नं० 201, नौपदा थाणा-400602.	आ० प० : 853 (81) 31-12-81	
8.	मेसर्स ऊषा वीडियो सिस्टक्स प्रा० लि०, 12/1, दिल्ली मथुरा रोड, फरीदाबाद-121003.	आ० प० : 320 (82) 6-5-82	

1	2	3	4
9.	श्री ओम प्रकाश श्याम सुन्दर अग्रवाल, ए/212, एलाईट फ्लैट्स, शाही बाग, अहमदाबाद-380004.	आ० प० 468 (82) 12-7-82	
10.	मेसर्स पी० एस० ई० डी० एण्ड पी० सी० लिमिटेड, दूसरी मंजिल, सेक्टर-17 बी०, चंडीगढ़-160017.	आ० पा० : 434 (82) 3-7-82	
11.	मेसर्स कोनार्क टी० वी० लिमिटेड, 82 तथा 83 इण्डस्ट्रियल एस्टेट, भुवनेश्वर-751010.	आ० प० : 637 (82) 21-8-82	

* उपर्युक्त उल्लिखित सभी आशय-पत्र 500 सेट वार्षिक मानक क्षमता के लिए जारी किए गए हैं।

विवरण-3

वीडियो केसेट रिकार्डर तथा वीडियो टेप रिकार्डर (वी० टी० आर०) के विनिर्माण के लिए जिन फर्मों को अनुमोदन प्रदान किया गया है उनकी सूची

क्रम संख्या	फर्म का नाम	अनुमोदन की तारीख	वास्तविक* अनुमोदित क्षमता
1	2	3	4
1.	मेसर्स मिर्क इलेक्ट्रानिक्स, 22 पारस, लिटल गिब्स रोड, बम्बई-6	12-3-80	
2.	मेसर्स फोटोफोन लिमिटेड, सांघुसेट ब्रिज, 532 सरदार बल्लभ भाई पटेल, रोड, बम्बई।	13-12-80	
3.	मेसर्स टेलीविजन एण्ड कम्पोनेन्ट्स प्रा० लिमिटेड, प्लाट नं० 57, जी० आई० डी० सी० औद्योगिक बर्स्ता, नरोडा, अहमदाबाद।	5-2-80	

1	2	3	4
4.	मेसर्स गुड्स एण्ड सुटेबल क्लासिज, 170, बुधवार पेठ, बम्बई ।		15-7-80
5.	मेसर्स योगेश इलेक्ट्रानिक्स, 64, इण्डस्ट्रियल स्टेट, अम्बरगांव ।		5-6-80
6.	मेसर्स इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कम्पोनेन्ट्स कंपनी, 12 सरदार पटेल रोड, अड्यार, मद्रास-20		28-8-80
7.	मेसर्स वेलविन इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लिमिटेड, 140/1, वी० एम० स्ट्रीट, रोयापेठा, मद्रास-20		29-9-80
8.	मेसर्स बी० एल० आर० एस०, प्लाट नं० 2, 139/4, एम० जी० रोड, थिरुवनमयूर, मद्रास-41		10-9-80
9.	मेसर्स अलकुंयों टेपस, के-14, ग्रीन पार्क ऐक्स-टेंशन, नई दिल्ली		3-2-80
10.	मेसर्स वेलटेक इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि०, ए-80 नरायणा औद्योगिक बस्ती, फेज-II, नई दिल्ली		28-8-80
11.	मेसर्स टेलीविस्टा इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि० 239, ओखला औद्योगिक बस्ती, नई दिल्ली ।		14-7-80
12.	मेसर्स डिस्को इलेक्ट्रानिक्स, ए-83, ओखला औद्योगिक बस्ती, फेज-II, नई दिल्ली ।		14-7-80
13.	मेसर्स मोहित इलेक्ट्रानिक्स, डी-47, नारायणा, नई दिल्ली-28.		5-2-80
14.	मेसर्स वेस्टन इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, ओखला औद्योगिक बस्ती, नई दिल्ली ।		5-2-80
15.	मेसर्स केनन इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लिमिटेड, डी० एस० आई० डी० सी० कम्प्लेक्स, बजीरपुर, दिल्ली ।		10-7-80

1	2	3
16.	मेसर्स सतीश चन्द्र टकयार, 4/3934, देव नगर, करोल बाग, नई दिल्ली ।	5-2-80
17.	मेसर्स इलेक्ट्रानिक इन्स्टूमेन्टेशन, 23, कम्यूनिटी सेन्टर, अशोक विहार, दिल्ली ।	8-9-80
18.	मेसर्स इलेक्ट्रानिक्स कन्सीटियम प्रा० लि०, 5-ए/1, 2, 83 अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली ।	19-7-80
19.	मेसर्स मोनिका इलेक्ट्रानिक्स, ओखला औद्योगिक बस्ती, नई दिल्ली ।	27-2-82
20.	मेसर्स आहूजा रेडियो, ओखला औद्योगिक बस्ती, नई दिल्ली ।	10-7-82
21.	मेसर्स शान्ति इलेक्ट्रानिक्स, 100 औद्योगिक बस्ती, सिलवासा (वेपी मार्ग से)	27-7-81
22.	मेसर्स कांस्मिक रेडियो, 23-सी महल औद्योगिक बस्ती महाकाली केव्स रोड, अंधेरी (पूर्व) बम्बई-400093.	30-5-81
23.	मेसर्स जुपिटर रेडियो, सी-46, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली (स्थापना स्थल: पंजाब)	29-6-81
24.	मेसर्स वीडियो कंपनी ऑफ इंडिया, बी०-170, इस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली (स्थापना स्थल: दिल्ली)	29-6-81
25.	मेसर्स सोनोडायुने टेलीविजन कंपनी प्रा० लि०, 7, सुरिन राय रोड, कलकत्ता-700034 (स्थापनास्थल : पश्चिम बंगाल)	29-6-81
26.	मेसर्स पंजस्टार स्टेंडर्ड इलेक्ट्रानिक्स लि०, ए-12, फेज-VI, साहिबजादा अजीतसिंह नगर, जिला रूपनगर । (स्थान : पंजाब)	29-6-81

1	2	3	4
27.	मेसर्स पोलस्टार इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि०, ई-49, फेज-II, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली। (स्थान : महाराष्ट्र)	29-6-81	
28.	मेसर्स सदर्न इलेक्ट्रानिक्स (बंगलौर) प्रा० लि०, 16-ए, पीनिया इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-I, पीनिया बंगलौर। (स्थान : कर्नाटक राज्य)	29-6-81	
29.	मेसर्स कासमिक इलेक्ट्रानिक्स 504/2, जी० आई० डी० मकरपुरा, वडोदरा।	1-7-81	
30.	मेसर्स वेस्टन इलेक्ट्रानिक्स, ओखला इण्डस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली-110029 (स्थान : जम्मू तथा कश्मीर राज्य)	1-7-81	
31.	मेसर्स ऐसोसिएटिड एलेक्ट्रानिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, ए-113, ब्रिगेड रोड, बंगलौर।	30-7-81	
32.	मेसर्स यू० एम० एस० रेडियो फैक्ट्री लि०, 306, ए दुबई रोड, कोयम्बटूर।	30-7-81	
33.	मेसर्स टेलीविस्टा इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि०, 239, ओखला इण्डस्ट्रियल एस्टेट, फेज-II, नई दिल्ली। (स्थान : हैदराबाद)	30-12-81	
34.	मेसर्स एम० पी० इलेक्ट्रानिक्स, केयर/ऑफ रामनारायण पटेल, 3 सी/79 बंगला प्लाट, नीअर ई० एस० आई० होस्पिटल एन० आई० टी०, फरीदाबाद (स्थान : मध्यप्रदेश)	31-12-81	
35.	मेसर्स टेलीरामा इंडिया, 11, सूटरकिन स्ट्रीट, कलकत्ता (स्थान : पश्चिम बंगाल)	31-12-81	
36.	मेसर्स क्यूजर इलेक्ट्रानिक्स, 13 अम्बर बिहार, कांतिनगर, बम्बई।	31-12-81	

1	2	3	4
37.	मेसर्स आर० के० गुप्ता, 8, हिल रेंज अपार्टमेंट, पाली माला रोड, बम्बई।	31-12-81	
38.	मेसर्स आर० के० इलेक्ट्रानिक्स एल, 4-6-8, जी० आई० डी० सी०, नरोदा, फेज-III, अहमदाबाद (गुजरात)	8-1-82	
39.	मेसर्स अल्पम इलेक्ट्रानिक्स, 23-ए, रानी-का-बाग, अमृतसर (पंजाब)	8-1-82	
40.	मेसर्स जुपिटर रेडियोज, सी-46, ओखला इण्डस्ट्रियल एस्टेट, फेज-II, नई दिल्ली (दिल्ली)	8-1-82	
41.	कमल इलेक्ट्रानिक्स, शिवापुरी (स्थान : मध्य प्रदेश) 6, कम्यूनिटि सेंटर, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली (मध्य प्रदेश)	8-1-82	
42.	मेसर्स कृष्ण, एन-2, कनाट प्लेस, नई दिल्ली (उत्तर प्रदेश)	8-1-82	
43.	मेसर्स माइक्रोन इलेक्ट्रानिक्स, 28, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली (उत्तर प्रदेश)	8-1-82	
44.	मेसर्स के जयट्रोनिक्स (प्रा०) लि० नं० 66, फस्ट ऐवन्यू, इन्द्रा नगर, अड्डयार, मद्रास (तमिल नाडु)	8-2-82	
45.	मेसर्स वीडियो इलेक्ट्रानिक्स लि०, 5 ए/7, अन्सारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली (स्थान : उत्तर प्रदेश)	15-10-81	
46.	मेसर्स डाइमेक इलेक्ट्रानिक्स (इण्डिया) प्रा० लि०; रहीम सार्विसेवा बिल्डिंग, के० एम० सर्कल, बंगलौर (कर्नाटक)	27.1-82	
47.	मेसर्स महिन्द्रा रेडियो टेलीविजन प्रा०, 222 मोहनपुरी, मेरठ (उत्तर प्रदेश)	27-1-82	

1	2	3	4
48.	मेसर्स नोएडा वीडियो इलेक्ट्रानिक्स (प्रा०) लिमिटेड, सी-27, मस्जिद मोठ, दूसरी मंजिल, नई दिल्ली (उत्तर प्रदेश)	27-1-82	
49.	अनादिगि इंस्ट्रूमेंट्स (प्रा०) लिमिटेड, 5-8-42, नामबाली, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	27-1-82	
50.	मेसर्स ऑहमिट्रॉन इण्डिया लिमिटेड, मोहन कुमार मंगलम स्ट्रीट, नागम-बक्कम, मद्रास ।	27-1-82	
51.	मेसर्स सकॉनट्रोनिक्स (प्रा०) लिमिटेड, 28, पृथ्वीराज रोड़, नई दिल्ली-1	27-1-82	
52.	मेसर्स गडोदिया इलेक्ट्रॉनिक्स (प्रा०) लिमिटेड, एस-40 साइट नं० 4, इण्डस्ट्रियल ऐरिया, साहिबाबाद (उत्तर प्रदेश) (स्थान : उत्तर प्रदेश)	27-1-82	
53.	मेसर्स ऋषि इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऋषि सदन, 35-36, नेहरू प्लेस नई दिल्ली 1	27-1-82	
54.	मेसर्स हरियाणा इलैक्ट्रोनिक्स 228, पोस्ट ऑफिस बिल्डिग, सदर बाजार दिल्ली (स्थान : हरियाणा)	27-1-82	
55.	मेसर्स अमित इलेक्ट्रोनिक्स, 412, अंसल भवन, 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली (स्थान : पंजाब)	27-1-82	
56.	मेसर्स जय कुमार इन्जीनियरिंग (केरल) प्रा० लि० नं० 1, मिनि इन्डस्ट्रियल एस्टेट, कांजीकोडा, पालघाट (स्थान : केरल)	27-1-82	
57.	मेसर्स विजय गुप्ता, सी-14 इन्द्रा मार्केट, ओल्ड सब्जी मंडी, दिल्ली (स्थान : हिमाचल प्रदेश)	27-1-82	

1	2	3	4
58.	मैसर्स डिगिको इण्डिया (प्रा०) लिमिटेड, 228, चन्द्र नगर पालघाट (स्थान : केरल)	15-2-82	
59.	मैसर्स भारत टेलीविजन लिमिटेड, 15 बी तथा 17 बी० टी० आई० ई० वालानगर, हैदराबाद	27-1-82	
60.	मैसर्स वीडियों टेक्नीकल (प्रा०) लिमिटेड, दिलकुशा, रामानगर, शिमला (स्थान : हिमाचल प्रदेश)	27-1-82	

* उपर्युक्त उल्लिखित सभी फर्मों को आशय-पत्र 500 सेट वार्षिक की मानक क्षमता के लिए जारी किए गए हैं।

परमाणु बिजलीघरों का निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चलना

* 261. **श्री नारायण चौबे :**
श्री कृष्ण कुमार गोयल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा, कलपाक्कम तथा नरोरा स्थित सभी परमाणु बिजलीघर निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रहे हैं ;

(ख) क्या ऐसा तकनीकी दोषों, बिजली की कमी अथवा भारी जल के अभाव के कारण हुआ है ;

(ग) तलचर, तूतीकोरिन, बड़ौदा और नांगल स्थित सभी भारी जल संयन्त्रों द्वारा अपनी प्रतिष्ठापित क्षमता से कम उत्पादन किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) परमाणु बिजली उत्पादन को इस स्थिति से उभारने के लिए क्या कोई द्रुत कार्यक्रम हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना और नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना के निर्माणकार्य निर्धारित कार्यक्रम से पीछे रह गए हैं। राजस्थान परमाणु बिजलीघर चालू किया जा चुका है।

(ख) मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना और नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना के निर्माण-कार्य के पूरा होने में विलम्ब के प्रमुख कारण हैं—भूमि के अधिग्रहण में विलम्ब होना, प्रमुख उपस्करों के दिए जाने में देरी होना, निर्माण के दौरान सामने आई तकनीकी समस्याएं, कुछ प्रकार

की निर्माण-सामग्री का उपलब्ध न होना, बिजली की कमी, भारी पानी का उत्पादन भारत में करने में सामने आई समस्याएं आदि ।

(ग) नांगल स्थित भारी पानी संयन्त्र में कम उत्पादन होने का मूल कारण बिजली की कमी है । तूतीकोरिन और बड़ौदा स्थित भारी पानी संयन्त्रों में कम उत्पादन होने का कारण जहां बिजली की कमी रही है वहां तकनीकी समस्याएं और फीड गैस की सप्लाई में रुकावट आना या सप्लाई का कम रहना, फीड गैस में ड्यूटोरियम की मात्रा कम होना, आदि भी इसके कारण हैं। तलचर स्थित भारी पानी संयन्त्र ने अभी व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन शुरू नहीं किया है ।

(घ) इन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा निरन्तर की जाती है और भारी पानी का उत्पादन बढ़ाने, भारी पानी को ऊंचे ग्रेड का बनाने की सुविधाओं में वृद्धि करने और परमाणु बिजलीघरों के निर्माण कार्यों में होने वाली देरी को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

महिलाओं और बच्चों की अस्वाभाविक मौतें

* 262. **डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या गृह मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से दिसम्बर, 1981 तथा जनवरी से जून, 1982 तक की अवधि के दौरान दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों (18 वर्ष से कम) की अस्वाभाविक मौतों के कुल कितने मामले दर्ज कराये गए ;

(ख) इनमें से कितने-कितने मामले (एक) आत्महत्या, (दो) यौन-अपराधों, (तीन) दहेज संबन्धी अपराधों, (चार) लूटपाट, (पांच) घरेलू कारणों, और (छः) अन्य अपराधों के रूप में दर्ज कराये गए ;

(ग) उपरोक्त मामलों में से कितने मामलों में विभाग ने मुकदमें दायर कर दिये हैं तथा कितने मामलों में अभी जांच चल रही है ;

(घ) क्या पुलिस ने अपराधों को रोकने हेतु घरों में तंग किये जाने की घटनाओं की जांच करने और तत्सम्बन्धी मामलों को हल करने के लिए एक "सामाजिक कक्ष" की स्थापना की है ; और

(ङ) वर्ष 1982 के दौरान दिल्ली में संदिग्ध कारणों से हुई मौतों की संख्या में अचानक वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ङ) वर्ष 1981 और 1982 (30-6-82 तक) के दौरान महिलाओं तथा बच्चों की अस्वाभाविक मौतों की संख्या नीचे दी गई है । अपराधों के शीर्ष जिनके अन्तर्गत मामले दर्ज किए गए हैं और उनमें वह संख्या जिनमें न्यायालय में चालान पेश किए गए हैं और ऐसे मामलों की संख्या जिनकी जांच की जा रही है नीचे दी गई है :—

अपराध शीर्ष	अस्वाभाविक मौतों की संख्या		ऐसे मामलों की संख्या जिनके चालान न्यायालय में पेश किए जा चुके हैं।	ऐसे मामलों की संख्या जिनकी जांच की जा रही है।
	महिलाएं	बच्चे (18 वर्ष से नीचे)		
	1981 (जनवरी से दिसम्बर)			
आत्म हत्या	164	24	—	13
यौन अपराध	—	3	—	2
दहेज से सम्बन्धित	23	—	12	6
लूटपाट	1	—	—	—
घरेलू कारण	16	1	9	—
अन्य	632	457	108	109
	1982 (जनवरी से जून)			
आत्म हत्या	84	29	—	45
यौन अपराध	—	—	—	—
दहेज से सम्बन्धित	21	—	6	15
लूटपाट	—	—	—	—
घरेलू कारण	16	2	13	5
अन्य	313	206	52	228

अस्वाभाविक मौतों के मामले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन जांच संबंधी कार्यवाही की जाती है। जब केवल किसी गलत कार्य का सन्देह होता है तो ऐसे मामलों की जांच की जाती है।

महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा किसी सामाजिक कक्ष की स्थापना नहीं की गई है। फिर भी, महिलाओं के प्रति गम्भीर अपराधों और दहेज सम्बन्धी मौतों के मामलों की जांच सहायक पुलिस आयुक्त और उच्च अधिकारियों के सीधे पर्यवेक्षण में की जाती है। 1982 (30-9-82 तक) के दौरान गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में सन्देहास्पद परिस्थितियों में मौत के मामलों की संख्या में न्यूनतम वृद्धि हुई है। ऐसे अपराधों के लिए विभिन्न सामाजिक आर्थिक कारण उत्तरदायी हैं।

किसी क्षेत्र को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के लिए मानदण्ड

* 263. **श्री जगदीश टाइटलर :**
श्री गुलाम मुहम्मद खां :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसी क्षेत्र को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के लिए नये मानदण्डों सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या उन व्यक्तियों को जिन्होंने औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े और दूर-दराज क्षेत्रों में एकक स्थापित कर लिए हैं, नई रियायतें देने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मानदण्डों का, विशेष रूप से उन नये मानदण्डों का, ब्यौरा क्या है जिनसे दूर-दराज के और पिछड़े क्षेत्रों के द्रुत औद्योगिकरण में मदद मिलेगी ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चौव्हान : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) योजना आयोग द्वारा नवम्बर, 1978 में स्थापित की गई पिछड़े क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित राष्ट्रीय समिति ने औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े निर्धारित किए गए क्षेत्रों में इकाइयों को इस समय दी जा रही रियायतों की स्कीम की समीक्षा की है और अपनी सिफारिशें औद्योगिक प्रकीर्णन सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में दी हैं । पिछड़े क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित राष्ट्रीय समिति ने सिफारिश की है कि औद्योगिक विकास को कुछ मूल आधार-संरचनात्मक सुविधाओं वाले संवृद्धि केन्द्रों के जरिए बढ़ावा दिया जाए । इन संवृद्धि केन्द्रों के चयन के लिए इस समिति ने तीन विभिन्न मानदण्डों के समुच्चय की सिफारिश की है, अर्थात् 1971 की जनगणना के आधार पर न्यूनतम कुल जनसंख्या, 1971 की जनगणना के अनुसार परिवारेतर विनिर्माण में मजदूरों/कामगारों की अधिकतम संख्या तथा परिवारेतर विनिर्माण में लगे मजदूरों/कामगारों की संख्या के आधार पर परिभाषित वर्तमान विकसित केन्द्रों से विभेदक दूरी समुच्चय । इस समिति द्वारा औद्योगिक प्रकीर्णन सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशें इस समय सरकार के विचाराधीन हैं ।

राज्यों को 1983-84 की वार्षिक योजना के बारे में दिशा निर्देश

* 264. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :**
श्री के० मालन्ना :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने "छठी पंचवर्षीय योजना के उपान्तिम नाजुक वर्ष" 1983-84 के लिए वार्षिक योजना तैयार करने के सम्बन्ध में योजना लक्ष्यों के बारे में राज्य सरकारों को कोई दिशा निर्देश हाल ही में भेजे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) 1983-84 की वार्षिक योजना को तैयार करने के सम्बन्ध में योजना आयोग द्वारा जारी किए गए परिपत्र की प्रति सभापटल पर प्रस्तुत है ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-5545/82]

आयात किये गए टी० किट्स की डीलरों द्वारा डिलीवरी न लिया जाना

* 265. श्री आर० आर० भोले :
श्री आर० एन० राकेश :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि पात्र टी० वी० निर्माता, जो आयातीत रंगीन टी० वी० के लिए निम्न खुदरा मूल्य के लिए विभाग के साथ सहमत हो गये थे अब सरकारी क्षेत्र के इलैक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टैक्नोलौजी डेवलेपमेंट कारपोरेशन से आयातित रंगीन टी० वी० किट्स की डिलीवरी न लेकर अपना समझौता भंग कर रहे हैं ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार इलैक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड डेवलेपमेंट कारपोरेशन को भारी हानि हो रही है और टी० वी० निर्माता उपभोक्ताओं को धोखा दे रहे हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

आदिवासी विकास के लिए एक पृथक् विभाग खोला जाना

* 266. श्री अरविन्द नेताम :
श्री भीखाभाई :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासियों के लिए मंत्रालय में एक पृथक विभाग खोलने सम्बन्धी ढेबर आयोग की सिफारिश को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) गृह मंत्रालय में आदिवासी विकास के लिए एक पृथक विभाग खोलने के सम्बन्ध में उनके मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) तब कोई पृथक विभाग बनाना आवश्यक नहीं समझा गया था ।

(ख) मामले की जांच की जा रही है ।

कर्नाटक में सीमेंट का उत्पादन और मांग

*267. **श्री बी० के० नायर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने सीमेंट कारखानों द्वारा कर्नाटक राज्य में उत्पादन किया जा रहा है :

(ख) पिछले तीन वर्षों में सीमेंट का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) सीमेंट की वार्षिक स्थानीय मांग क्या है और प्रतिवर्ष स्थानीय खपत के लिए कितनी मात्रा जारी की जाती है ; और

(घ) सरकार द्वारा सीमेंट के उचित तथा समान वितरण के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) कर्नाटक राज्य में इस समय आठ सीमेंट कारखानों में उत्पादन हो रहा है ।

(ख) और (ग) कर्नाटक राज्य सरकार ने नवम्बर, 1980 में सीमेंट संबंधी अपनी तिमाही आवश्यकता 4 लाख मी० टन बताई थी । तीन कलैंडर वर्षों अर्थात् 1979, 1980 और 1981 के दौरान इन सीमेंट कारखानों द्वारा किया गया सीमेंट का कुल उत्पादन तथा इन तीन वर्षों में कर्नाटक राज्य को किये गए सीमेंट का आवंटन निम्न प्रकार है :—

वर्ष	उत्पादन	आवंटन
	(हजार मी० टन)	
1979	1486.0	1232.1
1080	1484.0	1025.7
1981	1628.0	1050.5

(घ) प्रत्येक तिमाही में सीमेंट का आवंटन पिछली खपत और सम्बन्धित तिमाही में सीमेंट की संभावित उपलब्धता के आधार पर किया जाता है । 1981 की चौथी तिमाही से सरकार ने सीमेंट का आवंटन करने के लिए जनसंख्या और न्यूनतम आवश्यकता वाले कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति योजनायें, गंदी बस्तियों में रहने वालों के लिए आवास योजनाएं तथा हरिजनों, आदिवासियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों की योजना की आवश्यकताओं जैसी योजनाओं पर अधिक ध्यान देने का निर्णय किया है । राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सीमेंट का आवंटन करने के मामले में नए 20 सूत्री कार्यक्रम में सम्मिलित समाज प्रधान योजनाओं और ग्रामीण विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है ।

उत्पादन बढ़ाने में अखबारी कागज के संयंत्रों की विफलता

*268. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखबारी कागज के तीन संयंत्र अखबारी कागज का उत्पादन बढ़ाने में विफल रहें हैं और समाचारपत्र उद्योग में संकट पैदा हो जाने की संभावना है ;

(घ) यदि हां, तो तीनों संयंत्रों के गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन के आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं । अखबारी कागज का देशी उत्पादन बढ़ रहा है और आयात द्वारा देशी उत्पादन की अनुपूर्ति करके अखबारी कागज की मांग को पूरा किया जाता है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अखबारी कागज का उत्पादन निम्न प्रकार रहा :—

एकक का नाम	मी० टनों में वार्षिक उत्पादन		
	1979-80	1980-81	1981-82
नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स	47,285	51,383	55,021
मैसूर पेपर मिल्स	कुछ नहीं	कुछ नहीं	9,285
केरल न्यूजप्रिंट प्रोजेक्ट	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

(ग) दि हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन, दि केरल न्यूजप्रिंट प्रोजेक्ट और मैसूर पेपर मिल्स न्यूजप्रिंट प्रोजेक्ट, जिनकी क्षमता क्रमशः 80,000 मी० टन और 75,000 मी० टन है, ने कार्य चालू कर दिया है । अखबारी कागज की वर्तमान निर्धारित क्षमता को 60,000 मी० टन वार्षिक बढ़ाकर 75,000 मी० टन वार्षिक करने के लिए नेपा (दि नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर) मिल्स आधुनिकीकरण सह पुनर्नवीकरण कार्यक्रम चला रहा है । अखबारी कागज के उत्पादन के लिए निम्नलिखित योजनाओं को भी स्वीकृतियां जारी की गई हैं :—

पार्टी का नाम	वार्षिक क्षमता मी० टनों में	आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस की स्वीकृति की तारीख
1	3	4
1. मै० तिरुपति न्यूजप्रिंट, इण्डिया (मध्य प्रदेश)	79,000	आशय पत्र सं० 295 (82) दिनांक 24-4-82
2. मै० तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर लिमि०	50,000	औद्योगिक लाइसेंस सं० आई० एल० 177 (82) दिनांक 19-5-1982

1	2	3
3. श्री एस० के० सिक्का	25,000	आशय-पत्र सं० 126 (82) दिनांक 25-8-1982
4. मै० सैन्कुरी पल्प एण्ड पेपर, उत्तर प्रदेश	20,000	औद्योगिक लाइसेंस सं० आई० एल० 19 (82) दिनांक 15-1-1982

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों की सूची में संशोधन के लिए विधान

*269. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :**
श्री एन० ई० होरो :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जनजाति आयुक्त ने यह सुझाव दिया है कि सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में व्यापक संशोधन करने के लिए उपयुक्त विधान बनाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयुक्त ने अपनी 27 वीं रिपोर्ट में कहा है कि भारत सरकार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों की सूची में व्यापक संशोधन के लिए निकट भविष्य में वर्तमान लोक सभा में उपयुक्त विधान लायेगी ।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सूचियों में कोई संशोधन केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून से ही किया जा सकता है । अनुसुचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में प्रस्तावित व्यापक संशोधन के संदर्भ में सभी प्रस्तावों, सिफारिशों, सुझावों तथा अभ्यावेदनों को टिप्पणियों के लिए सम्बद्ध राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को भेजा गया है । कुछ राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्रों प्रशासनों से टिप्पणियों की अभी प्रतीक्षा है । उनको निरन्तर अनुस्मारक भेजे जा रहे है । सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से टिप्पणियों के प्राप्त होने के बाद, संसद में विधान पुरःस्थापित करने से पूर्व प्रत्येक प्रस्ताव की भारत के महापंजीयक से परामर्श करके जांच की जाएगी ।

सरीसृपों की खाल का व्यापार

2675. **श्री जी० वाई कृष्णन्** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अन्तर्राष्ट्रीय संघ के वन्य प्राणी निगरानी एकक ने सरीसृपों की खाल के सम्बन्ध में एक सर्वेक्षण किया है जिसमें पाया गया है कि देश में सांप की खाल के स्टाक में निरन्तर वृद्धि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो बेईमान व्यक्तियों द्वारा, जो सरीसृपों की खाल के व्यापार पर लगे प्रतिबन्ध के बावजूद व्यापार करके आसानी से पैसा कमा रहे हैं, सरीसृपों का मारना रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को सापों और अन्य सरीसृपों के लिए उनकी खालों के निर्यात पर पावन्दी को विचार में रखते हुए, फन्दा लगाने के लाइसेंस जारी नहीं करने की सलाह दी गई है ।

आदिवासियों में गरीबी और ऋणग्रस्तता के बारे में अध्ययन

2676. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में अत्याधिक गरीबी ने आदिवासियों में अपने अच्छी तरह से रहने के प्रति उदासीनता का रवैया पैदा कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनमें व्याप्त अत्याधिक गरीबी और अत्याधिक ऋणग्रस्तता के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई अध्ययन कराया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) सरकार को कुछ आदिवासी वर्गों में व्याप्त गरीबी की जानकारी है । परन्तु उनमें उदासीनता के दृष्टिकोण का कारण केवल गरीबी ही नहीं हो सकता ।

(ख) तथा (ग) भारत सरकार ने राज्य सरकारों के माध्यम से भिन्न-भिन्न राज्यों में आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में व्यापक बैच मार्क सर्वेक्षण किया है । सर्वेक्षण के आंकड़ों का संसाधन पूरा होने की विभिन्न अवस्थाओं में है । एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों का खंडवार सर्वेक्षण और इसके पश्चात कार्यक्रम का कार्यान्वयन भी आरंभ किया गया है । गरीबी—विरोधी कार्यक्रम और प्रधान मंत्री के नये 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के संदर्भ में एक विनिर्दिष्ट संख्या में आदिवासी परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने पर बल दिया गया है । 1982-83 के दौरान लगभग 9.5 लाख आदिवासी परिवारों को आर्थिक सहायता देने की आशा है । आदिवासी क्षेत्रों में एल० ए० एम० पी० एस० के रूप में नये सहकारी ढांचे और सहबद्ध अग्रणी संस्थानों की, ऋण देने और ऋणग्रस्तता से राहत प्राप्त करने के लिए उनको सुदृढ़ करने हेतु सावधिक समीक्षा की जाती है ।

फालतू घोषित कर्मचारियों की नौकरी

2677. **श्री एम० एम० लारेंस :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन कर्मचारियों को वर्षों तक सरकार की सेवा करने के पश्चात् स्थापना में कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने या संगठन को समाप्त किये जाने के कारण फालतू घोषित कर दिया गया है या जिनकी सेवायें समाप्त कर दी जाती हैं उन्हें उपयुक्त समकक्ष नौकरी देना सरकार का दायित्व है ; और

(ख) यदि नहीं, तो गृह मंत्रालय के अतिरिक्त कक्ष के माध्यम से जिस नये कार्यालय में उन्होंने कार्य-भार संभाला है उसमें उनकी वरिष्ठता उनके द्वारा की गई सेवा अवधि के आधार पर निर्धारित न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० आर० लस्कर) : (क) तथा (ख) जी, हां। "अधिशेष कर्मचारियों के पुनर्नियोजन की योजना" के अन्तर्गत, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में केन्द्रीय (अधिशेष कर्मचारी) सेल केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों को जो प्रशासनिक सुधारों, कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा किए गए अध्ययनों, कार्य मापन के स्वत: किये गये अध्ययनों अथवा मंत्रालयों द्वारा किये गये अन्य प्रशासनिक सुधारों के लागू किये जाने तथा केन्द्रीय सरकार के स्थायी अथवा लम्बी अवधि वाले संगगनों के समाप्त किये जाने के परिणाम स्वरूप केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों से अधिशेष हो जाते हैं; उन्हें सेल में उनके स्थानान्तरण की तारीख से छह महीनों के भीतर यथासंभव समान वेतनमान वाले केन्द्रीय सरकार के पदों में पुनर्नियोजित करने के प्रयास करता है। जो व्यक्ति इस अवधि के दौरान पुनर्नियोजित नहीं किये जा सकते उनकी छंटनी कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार के समूह "ग" तथा "घ" वर्गों के अस्थायी कर्मचारी जिनकी प्रारम्भिक भर्ती रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है और तीन वर्ष की नियमित लगातार सेवा करने के बाद विभिन्न सरकारी कार्यालयों से जिनकी सेवाओं की छंटनी कर दी जाती हैं, उन्हें भी उपर्युक्त विभाग में विशेष सेल के माध्यम से मंत्रालयों के अधीन विभिन्न अधीनस्थ/गैर सहभागी सम्बद्ध कार्यालयों में पुनर्नियोजित किया जाता है। अधिशेष/छंटनीशुदा कर्मचारी नये कार्यालयों में नई भर्ती के रूप में माने जाते हैं और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारण को विनियमित करने वाले सामान्य सिद्धांतों के अनुसार, उनकी वरिष्ठता नये कार्यालयों में उनके कार्य ग्रहण की तारीख से गिनी जाती है।

विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले संगठनों पर प्रतिबन्ध

2678. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगस्त माह में राजनैतिक स्वरूप के संगठनों पर बिना सरकार की अनुमति के विदेशी अंशदान स्वीकार करने पर प्रतिबन्ध लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो उन धार्मिक, राजनैतिक या सामाजिक संगठनों की संख्या कितनी है जो

विदेशी अंशदान प्राप्त करती हैं और कुल कितने संगठनों पर अंशदान लेने के लिये प्रतिबन्ध लगाया गया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार बिना सरकार की अनुमति के विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले कुछ और संगठनों पर भी प्रतिबन्ध लगाने का है क्योंकि वे इस धनराशि का अपने राजनैतिक कार्यों में दुरुपयोग कर रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पर्यटकों के लिए नेशनल पार्कों का विकास

2679. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या एशियाई खेलों के दौरान भारत का दौरा करने वाले पर्यटकों के लिए कतिपय नेशनल पार्कों को नये रूप देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो विकास के लिये किन-किन पार्कों का चयन किया गया है, उसके लिए कितनी राशि नियत की गई है और वहां पर्यटकों को क्या क्या सुविधायें देने का विचार है ?

पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हीं ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा घरेलू आय तथा उसके निपटान के बारे में अध्ययन

2680. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा 'घरेलू' आय तथा उसके निपटान के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या में आय अवसरों तथा सुविधाओं में विषमतायें अधिक हो रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या के बीच आय के अंतर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं अथवा किये जाने हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1967-68 में मध्यम वर्ग के विशेष संदर्भ में आय, बचत और उपभोक्ता व्यय के सम्बन्ध में अखिल भारतीय पारिवारिक सर्वे-

क्षण पर किये गए अध्ययन से प्रतिव्यक्ति आय के अनुपात में शहरी क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों से 1.35 अनुपात का पता चला। बाद में "पारिवारिक आय और इसकी स्थिति" से सम्बन्धित वर्ष 1975-76 में किए गए दूसरे अध्ययन से इस अनुपात के 1.80 होने का अनुमान किया गया था। लेकिन ये दोनों अनुमान तुलनीय नहीं हैं क्योंकि इन दोनों ही सर्वेक्षणों के बीच व्याप्ति और आय के अनुमानों के संकल्पनात्मक अन्तर है। इसके अलावा ये अध्ययन लघु प्रतिदर्श आकारों पर भी आधारित हैं और इसलिए इन परिणामों का मूल्यांकन अत्यधिक सावधानी से किया जाना है।

व्यय को आय के संकेतक के रूप में प्रयुक्त करते हुए उपभोक्ता व्यय से सम्बन्धित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण से ग्रामीण-शहरी आय की असमानता को मापा जा सकता है। उपभोक्ता व्यय से सम्बन्धित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र के प्रति व्यक्ति व्यय के अनुपात का अनुमान लगाया गया है वह वर्ष 1972-73 और 1977-78 दोनों में ही 1043 होता है।

(ग) ग्रामीण-शहरी असमानताओं को दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय विभिन्न विकास योजनाओं के भाग हैं। ग्रामीण गरीबी को दूर करना छठी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य है। सबसे गरीब वर्गों में भूमिहीन मजदूरों, छोटे और मझोले किसानों, ग्रामीण दस्तकारों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के परिवार हैं। गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले परिवारों की शिल्पविज्ञान, सेवाओं और परिसम्पत्ति अन्तरण के कार्यक्रमों के उपयुक्त समावेशन के जरिये सहायता की जानी है। कुछ महत्वपूर्ण विशिष्ट कार्यक्रम ये हैं :—एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना और जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम।

राष्ट्रीय एकता परिषद को पुनर्जीवित करना

2681. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकता परिषद को पुनर्जीवित करने तथा उसे गतिशील बनाने के सम्बन्ध में उनके द्वारा दिया गया आश्वासन क्रियान्वित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो साम्प्रदायिक सद्भाव सुनिश्चत करने तथा धर्म निरपेक्षता में विश्वास रखने वाली बातों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) और (ख) साम्प्रदायिक हिंसा के पुनरुत्थान और विघटनकारी शक्तियों को जो उभर रही हैं दबाने की आवश्यकता को देखते हुए प्रधान मंत्री द्वारा 1 सितम्बर, 1980 को राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन करने का निर्णय किया गया था। पुनर्गठित राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक 12 नवम्बर 1980 को हुई थी और तीन समितियां गठित करने का निर्णय किया गया :—

(I) स्थाई समिति,

(II) शिक्षा सम्बन्धी समिति,

(III) साम्प्रदायिक सद्भाव सम्बन्धी समिति ।

साम्प्रदायिक सद्भाव सम्बन्धी समिति की 24 अप्रैल, 1981 और 21 जून, 1982 को दो बैठकें हुई । जातीय झगड़ों को भी समिति के क्षेत्र में लाने के लिए इसका क्षेत्र बढ़ाया गया है । इस समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे राज्य स्तर और जिला स्तर पर राष्ट्रीय एकता समितियां गठित करें । इस समिति द्वारा जैसा सुझाव दिया गया है, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिए जन-सम्पर्क माध्यम-दूर दर्शन, आकाशवाणी, प्रैस इत्यादि की भूमिका को अधिक कारगर बनाने के लिएकार्यवाही सम्बन्धी एक कार्यक्रम तैयार किया है । समिति साम्प्रदायिक तथा जातीय सद्भाव के सन्दर्भ में राजनैतिक दलों के लिए एक आचार संहिता बनाने के कार्य में सक्रिय रूप से व्यस्त है ।

शिक्षा सम्बन्धी समिति की दो बैठकें हुई हैं । इसने पाठ्यपुस्तकों के पुनरीक्षण का काम राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् को सौंपा है । 1983-84 सत्र के लिए इतिहास तथा भाषा की संशोधित पाठ्यपुस्तकों को प्रकाशित करने के प्रयास किये जा रहे हैं । छात्र तथा गैर-छात्र युवकों के लिए कार्यक्रमों से सम्बन्धित शिक्षा सम्बन्धी समिति की सिफारिशों को कार्यरूप दिया जा रहा है ताकि वे राष्ट्रीय एकता की गति विधियों में सक्रिय रूप से भाग ले सकें ।

राष्ट्रीय एकता परिषद् की स्थायी समिति की बैठक 17 अप्रैल, 1982 को गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी और वह राष्ट्रीय एकता के कार्य की गति को तेज करने की तत्काल आवश्यकता पर एकमत थी ।

भारतीयों बायलर विनियमों में संशोधन

2682. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **उद्योग मंत्री** भारतीय बायलर विनियमों में संशोधन के बारे में 26 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1525 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बायलर विनियम के प्रारूप विनियम संख्या 7 और 391 पर प्राप्त आपत्तियों/सुझावों की केन्द्रीय बायलर बोर्ड द्वारा जांच करा ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि जांच अभी पूरी नहीं हुई है तो इसमें असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं और यह कब तक पूरी हो जाएगी और इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय बायलर बोर्ड ने भारतीय बायलर विनियम, 1950 के विनियमों के विनियमन और 391 में संशोधन प्रख्यापित करने का निर्णय किया है। तदनुसार, उक्त विनियमों के 7 और 391 में संशोधन प्राख्यापित करने सम्बन्धी अन्तिम अधिसूचना 19 मार्च, 1982 को जारी की गई थी।

(ग) भाग (क) और (ख) के उत्तर के सन्दर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता।

एन० एस० एस० ओ० (एफ० ओ० डी०) के सहायक अधीक्षकों की वरीयता

2683. **श्री भीखा भाई** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एन० एस० एस० ओ० (एफ० ओ० डी०) के सहायक अधीक्षकों की वरीयता को लम्बी अवधि से अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अधीक्षक के पद पर पदोन्नतियों के लिए क्या पद्धति अपनाई गई है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) 14-12-1967 तक नियुक्त सहायक अधीक्षकों की तीनों श्रेणियों (अर्थात्-समाजार्थिक सांख्यिकी, कृषि सांख्यिकी तथा औद्योगिक सांख्यिकी) के सम्बन्ध में वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिया गया है। 15-12-1967 (पहले के भर्ती नियमों में संशोधन की तारीख) से 4-1-1974 तक (जिस तारीख को सहायक अधीक्षकों के बिना लेवल की नई श्रेणी के भर्ती नियम अधिसूचित किए गए) सहायक अधीक्षकों (कृषि सांख्यिकी) की राज्यवार वरिष्ठता सूची को भी अन्तिम रूप दिया गया है और सहायक अधीक्षकों (समाजार्थिक सांख्यिकी) तथा सहायक अधीक्षकों (औद्योगिक सांख्यिकी) की राज्यवार वरिष्ठता सूची प्रचलित की गई है और इनको शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है।

(ख) वर्तमान भर्ती नियमों के अनुसार अधीक्षक का पद 90 प्रतिशत चयन के आधार पर पदोन्नति से तथा 10 प्रतिशत सीधी भर्ती से भरा जाना अपेक्षित है। पदोन्नति सहायक अधीक्षक (समाजार्थिक सांख्यिकी) सहायक अधीक्षक औद्योगिक सांख्यिकी) सहायक अधीक्षक (कृषि सांख्यिकी) की तीनों श्रेणियों से क्रमशः 2 : 2 : 1 के अनुपात से की जाती है। इस प्रयोजन के लिए इन तीनों ग्रेडों के सम्बन्ध में अलग से एक अखिल भारतीय पात्रता सूची तैयार की गई है और राज्यवार वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिए जाने तक तदर्थ आधार पर पदोन्नति की जाती है।

आदिवासी उप-योजना के सम्बन्ध में परियोजना रिपोर्ट

2684. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्यों द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित आदिवासी उप-योजना की पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974-75 से 1981-82 तक राज्य वार कितनी विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई है ;

(ग) इन वर्षों में आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के लिए राज्यों द्वारा कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों का अंशदान कितना है और संस्थागत ऋण कितना दिया गया है ; और

(घ) प्रशासन का स्तर सुधारने और आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए निर्धारित क्षेत्रों के आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान सहित समय-समय पर जारी किये गये मार्ग निर्देश क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के लिए 65 समग्र आदिवासी विकास योजनायें प्राप्त हुई हैं।

(ख) विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए, संख्या एल० टी० 5546/82**]

(ग) विवरण संलग्न है। केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा वित्तीय संस्थाओं के अंशदान की मात्रा पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं की गई।

[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए, संख्या एल० टी० 5546-82**]

(घ) राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिए गए हैं। इनको छठी योजना 1980-85 के दौरान आदिवासी विकास के सम्बन्ध में योजना आयोग द्वारा गठित कार्यकारी दल की रिपोर्ट में भी शामिल किया गया है और राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों का विकास

2685. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के नए मानदण्ड के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों बिशेष रूप से पश्चिम बंगाल में किन नये जिलों को शामिल किया जायेगा ; और

(ख) औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु सरकार का विचार क्या सुविधायें देने का है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा नवम्बर, 1978 में स्थापित की गई पिछड़े क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित राष्ट्रीय समिति ने औद्योगिक प्रकीर्णन सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के निर्धारण के लिए अपनाए जाने वाले मापदण्डों और इन क्षेत्रों का विकास करने के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में अपनी सिफारिशें दी हैं। इस रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों की इस समय योजना आयोग में जांच की जा रही हैं।

गढ़वाल में उद्योगों की स्थापना के लिए सहायता

2686. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गढ़वाल जिले के भोटिया कबीले के लोगों और सारे पहाड़ी क्षेत्र को लघु उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह सहायता किस प्रकार उपलब्ध की जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) केन्द्रीय सरकार ने गढ़वाल जिले के और समस्त पहाड़ी क्षेत्र के भोटिया कबीले के लोगों को लघु उद्योगों की स्थापना के लिए कोई विशेष वित्तीय सहायता देने का निर्णय नहीं किया है ।

(ख) गढ़वाल जिला औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा जिला है और वहां के उद्यमी जिनमें भोटिया कबीले के व्यक्ति भी शामिल हैं रियायती वित्त, ब्याज राजसहायता, मुफ्त परामर्शदायी सेवाएं, किराया खरीद आधार पर मशीनों की पूर्ति आदि जैसे अनेक प्रोत्साहन और रियायतें पाने के पात्र हैं । ये प्रोत्साहन जिला उद्योग केन्द्र गढ़वाल से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को हिन्दी के प्रयोग के लिये प्रशिक्षण

2687. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग के लिए अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने हेतु एक हिन्दी शिक्षण योजना चलाई हुई है ;

(ख) यदि हां, तो "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों में ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या कितनी है ;

(ग) इस योजना पर पिछले तीन वर्षों के दौरान खर्च की गई धनराशि का वर्ष वार ब्योरा क्या है ;

(घ) इस योजना में काम करने वाले अधिकारियों, अन्य कर्मचारियों, अनुदेशकों आदि की पृथक-पृथक संख्या कितनी है ; और

(ङ) इस योजना का पिछले तीन वर्षों का वर्षवार बजट कितना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी, हां ।

(ख) हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत "क", "ख" तथा "ग" क्षेत्रों में काम कर रहे पूर्ण-कालिक तथा अंशकालिक केन्द्रों की संख्या निम्न प्रकार हैं :

क्षेत्र	पूर्णकालिक केन्द्र	अंशकालिक केन्द्र	योग :
क	24	27	51
ख	11	12	23
ग	37	36	73

(ग) पिछले तीन वर्षों में इस योजना पर खर्च की गई राशि निम्न प्रकार हैं :

1979-80	रुपये 62,33,000
1980-81	रुपये 65,36,000
1981-82	रुपये 74,60,000

(घ) इस योजना के अन्तर्गत 87 राजपत्रित अधिकारी के पद, 245 हिन्दी प्राध्यापकों के पद तथा 202 अन्य अराजपत्रित पद सृजित किए गए हैं।

(ङ) इस योजना के लिए पिछले तीन वर्षों में किया गया बजट प्रावधान निम्न प्रकार है :

1979-80	रुपये 63,23,000
1980-81	रुपये 68,40,000
1981-82	रुपये 73,84,000

20-सूत्री कार्यक्रम के लिये निगरानी सेल

2688. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :**
श्री बी० के० नायर :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों ने प्रधान मंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए निगरानी सेल स्थापित किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां ये सेल स्थापित किए गए हैं ;

(ग) क्या योजना आयोग ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे 20-सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति के बारे में उसे समय-समय पर रिपोर्ट भेजें ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) सभी राज्यों ने प्रबोधन एकक स्थापित किए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) राज्य सरकारों से मासिक और तिमाही प्रगति रिपोर्टें भेजने के लिए कहा गया है।

डी० जी० टी० डी० में एकल तकनीकी अधिकारी का एक ही सीट पर बने रहना

2689. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० जी० टी० डी० में एक तकनीकी अधिकारी का एक ही सीट/ब्रांच में बने रहने की अवधि निर्धारित की गई है यदि हां, तो कितनी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) डी० जी० टी० डी० में उन तकनीकी अधिकारियों की संख्या कितनी है जो अपना वर्तमान कार्यभार पिछले तीन वर्षों से निरन्तर सम्भाले हुए हैं ;

(ग) क्या उनके विशेष ज्ञान को ध्यान में रखकर उन्हें अन्य कार्यभार सौंपा जा सकता है ;

(घ) क्या उन्हें यह जानकारी है कि मैन मेड फाइवर इण्डस्ट्री का काम करने वाला कोई भी तकनीकी अधिकारी अपने सम्पर्क अधिकारियों के माध्यम से विभिन्न ग्रुपों के साथ निकट सम्बन्ध स्थापित कर लेता है ; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों को अपने निहित स्वार्थ बनाने से रोकने और व्यक्तिगत लाभ उठाने के लिए व्यापारियों की सांठ-गांठ से एक उद्योगपति को दूसरे के विपक्ष में खड़ा करने से रोकने और उनका समय-समय पर स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ग) तकनीकी विकास का महानिदेशालय प्रमुखत: एक तकनीकी सलाहकार संगठन है और इसके विभिन्न ग्रेडों के तकनीकी अधिकारी प्राय: अपने-अपने क्षेत्रों में इंजीनियरी/रसायन उद्योगों के विशेषज्ञ होते हैं। फिर भी उनकी विशेषज्ञता के अवरोधों को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक कार्य से दूसरे कार्य के लिए स्थानांतरित किया जाता है। उपर्युक्त कारकों को दृष्टि में रखते हुए निश्चित अवधि के बाद स्थानांतरण की योजना से कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आती हैं अत: यह योजना प्रचलित नहीं है।

(ख) विभिन्न ग्रेडों में ऐसे छत्तीस अधिकारी हैं।

(घ) तकनीकी विकास महानिदेशालय में मानवनिर्मित रेशा उद्योग का कार्य देखने वाले किसी तकनीकी अधिकारी के बारे में प्रश्न में उल्लिखित प्रकृति की कोई शिकायत/जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय सांख्यिकीय सेवा में ग्रेड I ग्रेड II और ग्रेड III के खाली पदों को भरना

2690. **श्री जैनुल बशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड I ग्रेड II और ग्रेड III के समानान्तर बहुत अधिक पद सेवा में बाहर पड़े हैं और उन पर गैर सेवा कार्मिक काम कर रहे हैं ;

(ख) यदि हो, तो सेवा के प्रत्येक ग्रेड I, II और III के समानान्तर ऐसे संवर्ग बाह्य भरे हुए तथा खाली पदों की विभाग-वार संख्या कितनी है ;

(ग) इन पदों को भरने का तरीका क्या है क्या इन पदों के लिए समान भर्ती नियम हैं ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे नियमों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

बिहार में लघु उद्योग बंद होने की स्थिति में होना

2691. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 सितम्बर, 1982 के अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि बिहार के 50000, लघु उद्योगों के उद्यमियों का रोजगार खत्म होने का खतरा है क्योंकि बिहार में लघु उद्योग बंद होने की स्थिति में हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) सूचना सरकार के पास उपलब्ध तथ्यों से प्रमाणित नहीं होती ।

माण्डया नेशनल पेपर मिल, बेलागोला, मध्य प्रदेश का कार्यकरण

2692. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माण्डया जिले में बेलागोला में माण्डया नेशनल पेपर मिल पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले 5 वर्षों में कितने प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया ;

(ग) पूरी क्षमता का उपयोग न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) मिल की पूरी क्षमता के उपयोग के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान संयंत्र में क्षमता उपयोग निम्न प्रकार हुआ है :—

वर्ष	क्षमता उपयोग का प्रतिशत
1977-78	71.19
1978-79	61.25
1979-80	33.89
1980-81	36.20
1981-82	72.40

(ग) क्षमता उपयोग कम होने के मुख्य कारण कच्ची सामग्री कोयला और बिजली की कमी रही है।

(घ) मिल कार्य चालू रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में खोई प्राप्त करने में समर्थ रही है तथा बगासे के स्थान पर बांस और अन्य कच्चे माल का उपयोग करने हेतु उपकरण की भी स्थापना कर ली गई है। मिल को बिजली कटौती से भी छूट दी गई है एवं इसने बिजली जनियंत्रण के लिए 1.5 मेगावाट क्षमता का टर्बाइन स्थापित कर लिया है। कोयला और वैगनों का पर्याप्त आवंटन कराने के लिए भी प्रयास किए गए हैं।

बम के खतरे की झूठी सूचना देने वालों को पकड़ने के कदम

2693. **श्री उत्तमभाई एच० पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस और आसूचना एजेंसियों ने सारे देश में बम के खतरे की झूठी सूचना देने वालों को पकड़ने तथा विमानों के अपहरण को रोकने के लिये जाल फैलाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं या उठाने का विचार है ; और

(ग) ये प्रस्तावित उपाय कब लागू होने हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (ग) राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन अपराधों से सम्बन्धित कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं। विमान अपहरण के किसी प्रयत्न को नाकामयाब करने के लिए हाल में समयबद्ध नागर उड़ानों का कार्य करने वाले सभी हवाई अड्डों पर निगरानी सख्त कर दी गई है। विमान अपहरण को रोकने के उद्देश्य से स्टराइल और संचालन क्षेत्रों पर निगरानी रखने के लिए प्रत्येक हवाई अड्डे पर विशेष रूप से शिक्षित किए गए पुलिस अधिकारी प्रतिनियुक्त कर दिए गए हैं।

दूरदर्शन के लिये इलेक्ट्रानिक पुर्जों का आयात

2694. **श्री बी० एस० विजय राघवन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :
(क) क्या इलेक्ट्रानिक कम्पोनेंट इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन ने सरकार से अनुरोध किया है

कि दूरदर्शन आदि के पुर्जों के आयात पर लगे प्रतिबन्ध को हटाकर उन्हें इनके आयात की अनुमति दी जाए ;

(ख) क्या यह सच है कि ये पुर्जे देश में ही बनाये जाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इनके आयात की अनुमति देगी ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सेटों में प्रयुक्त किए जाने वाले लगभग सभी संघटक-पुर्जे देश में ही निर्मित किए जाते हैं।

(ग) और (घ) सरकार इन संघटक-पुर्जों का अभाव दूर करने तथा समय-समय पर लागू सामान्य आयात नीतियों के अनुरूप ऐसे संघटक-पुर्जों के आयात की अनुमति देती है।

गैर-प्राथमिकता वाले उद्योगों में विदेशी धन

2695. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता उत्पाद जैसे गैर-प्राथमिकता वाले उद्योगों में विदेशी मुद्रा लगाने के लिए सरकार की नीति क्या है ;

(ख) क्या इस क्षेत्र में नई विदेशी ब्रांड शुरू की जायेगी ; और

(ग) क्या सरकार के पास कोई आवेदन विचाराधीन पड़ा है ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) वित्तीय या तकनीकी विदेशी सहयोग के सम्बन्ध में सरकार की नीति चयनात्मक है और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर है। गैर-प्राथमिकता उद्योग में विदेशी पूंजी के निवेश सम्बन्धी कुछ मार्गदर्शी विचारणीय बातें ये हैं :—

(1) उपभोक्ताओं की वरीयता के अनुसार उत्पादन पालियों में किया जा रहा हो ताकि उपलब्धता से मांग को केवल समग्र रूप से ही नहीं बल्कि गुणवत्ता के अनुसार भी पूरा किया जा सके।

(2) उत्पादन विस्तृत रूप से छितरा हुआ हो जिससे जहां तक सम्भव हो "प्रभुत्व" वाली स्थिति से बचा जा सके।

(3) उत्पादन प्रमुखतया निर्यात के लिए हो।

(ख) देशी बाजार में उपभोक्ता उत्पादों की बिक्री के लिए सामान्य तथा विदेशी ब्राण्ड नामों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाती।

(ग) जी, हां।

नांगल कुण्ड में डूबे बच्चे

2696. **श्री सुभाष यादव :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 सितम्बर, 1982 को 30 से अधिक बच्चे नांगल कुण्ड में डूब गये ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कोई जांच की गई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार ने मरने वाले बच्चों के संतप्त माता पिता को कोई राहत दी है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (ङ) पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार 29-9-82 को नांगल तालाब में 22 बच्चे डूबे थे। थाना नांगल में 29-9-82 को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-क के तहत एक मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 62 दर्ज किया गया। जांच पड़ताल के दौरान यह पाया गया कि "अवर लेडी फातिमा कन्वेंट स्कूल, पटियाला" के 11 / 12 वर्ष की आयु के 113 स्कूल के छात्र-छात्राएं दर्शनीय स्थल यात्रा पर नांगल गए थे। उनके साथ 3 अध्यापिकाएं भी थी। वे नदी के घाट पर गए और आमोद-प्रमोद के लिए एक नौका में बैठे। कु० अरुणा वेद, स्कूल अध्यापिका उस समय बच्चों की साथी थी। 62 बच्चों सहित नाव में 68 व्यक्ति थे, हालांकि इसकी क्षमता 25 व्यस्क व्यक्तियों की थी। नौका की हालत अच्छी नहीं थी और यह नौकायन के योग्य नहीं थी। ठेकेदार के पास कोई जीवन बचाव उपकरण नहीं थे। आनन्दपुर साहिब के एस० डी० एम० द्वारा जांच की जा रही है। पंजाब सरकार ने उन शोका कुल मातापिता को 5000 रुपये की राशि राहत में देने की घोषणा की है, जिनके बच्चे इस नौका दुर्घटना में मारे गए हैं।

परमाणु प्रदूषण पर निगरानी के लिए पशु का उपयोगी पाया जाना

2697. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 अगस्त, 1982 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि बम्बई के तट से दूर एक पक्षी पाया जाता है जिसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों से उत्पन्न परमाणु प्रदूषण पर नजर रखने के सूचक के रूप में किया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिकों के नाम क्या हैं ; और

(ग) तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के स्वास्थ्य प्रभाग के सर्व श्री बी० पटेल, एम० सी० बलानी और एस० पटेल ने इस सम्बन्ध में अपने निष्कर्षों की सूचना दी है।

(ग) इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

सर्व श्री बी० पटेल और उसके साथियों के निष्कर्ष हैलिफेक्स, कनाडा में अगस्त 2-13, 1982 के दौरान आयोजित पांचवी संयुक्त समुद्र-वैज्ञानिक असमेम्बली में प्रस्तुत "स्पन्ज-धातु प्रदूषकों के संतरी" नामक वैज्ञानिक लेख में निहित हैं।

2. स्थिति यह है कि स्पंज सिलिकामय प्रजातियां **स्पाइरसट्रेला कसपी-डिफेरा और प्रास्टाइलाइसा फोटिडा** तटीय और तट से दूर के सागर में बहुत बड़ी मात्रा में उगती है और विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों, जिनमें डाइड्रोकार्बन्स, कीटनाशक औषधियां, ट्रेस मेटल्स आदि शामिल हैं, का पता लगाने में उनकी उपयोगिता पर अभी तक बहुत कम कार्य किया गया है। जर्मनी में अभी हाल में किए गए अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया है कि स्पंज विभिन्न हाइड्रो-कार्बन के बहुत अच्छे संचायक हैं। वर्ष 1977 से, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र का स्वास्थ्य भोतिकविज्ञान प्रभाग, अपने नेमी प्रबोधन कार्यक्रम में, हमारे तटीय सागरों में उग रही स्पंज की दो प्रजातियों का अध्ययन भी करता रहा है। ये स्पंज टिटानियम, निकल, केडमियम, क्रोमियम आदि जैसे भारी तत्वों के अच्छे संचयक के रूप में पाये गये हैं, जो कि प्रकृति में सागर जल में अत्यधिक निम्न स्तर के हैं। ये प्रजातियां, कोवाल्ट, निकल और आयोडीन के कारण रेडियो-धर्मिताओं का संचयन भी करती पायी गई हैं, जो कि अन्य प्रकार से रियेक्टर बहिश्रावों के चारों ओर सागरों में अत्यधिक निम्न मात्रा में हैं और, इसलिए, पता लगाने योग्य नहीं हैं। ये नक्लाइड्स किसी स्थानीय समुद्री पारि-तंत्र में भी मापी नहीं जा सकती हैं क्योंकि उनके अत्यधिक निम्न स्तर का होने तथा अपने जैव-रसायनिकता को केन्द्रित करने की उनकी असमर्थता के कारण। इन रेडियो-नक्लाइड्स का विनिश्चय करने और मापने में स्पंज बहुत अच्छे मैट्रिक्स सिद्ध हुए हैं। स्पंज इन तत्वों को (रेडियो-धर्मिता अथवा अन्य प्रकार से) दस लाख अथवा इससे अधिक के एक घटक द्वारा सकेन्द्रित करता है और इसलिए ये तत्व मापने योग्य बन जाते हैं। स्पंजों में इन तत्वों के मापन द्वारा, परिवेशी समुद्र जलों में सम्भावित सकेन्द्रिता का अनुमान लगाया जा सकता है, और

इसलिए ये प्रजातियां स्थानीय पारि-तंत्र में प्रदूषण की मात्रा का पता लगाने के लिए एक आदर्श "सेंन्टिनल/इन्डीकेटर" पाये गये हैं। स्पंज नमूनों में सान्द्रण इतना निम्न है कि मानव सुरक्षा के दृष्टिकोण से वे किसी महत्व के नहीं हैं। स्पंज की ये प्रजातियां किसी अन्य प्रयोजन से भी स्तेमाल नहीं की जाती हैं। स्पंज में केन्द्रण कारण को देखते हुए, समुद्र जल में विभिन्न रेडियो-नक्लाइड्स का स्तर महत्वहीन रूप में निम्न है।

इस प्रकार सूचित अन्वेषण मुख्य रूप से वैज्ञानिक हित के हैं और रेडियो-नाक्लाइड्स बहुत से ट्रेस तत्वों के कारण प्रदूषण का पता लगाने में एक अच्छे ट्रेसर की व्यवस्था करते हैं।

कुद्रेमुख लौह अयस्क का उपयोग करने की व्यवस्था

2698. **श्री राजेश पाइलट** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुद्रेमुख लौह अयस्क जिसके लिए करोड़ों रुपये का पुनर्निवेश किया हुआ है, का निर्यात करने अथवा उसका उपयोग करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ; और

(ख) लौह अयस्क का कम मूल्य पर निर्यात करने के बजाय इसके भारत में ही इस्पात बनाने में उपयोग करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) अक्तूबर, 1981 से लेकर 3 वर्ष की अवधि में रूमानिया को 35 लाख टन सांद्रण बेचने के लिए किये गए करार की शर्तों के अनुसार कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड रूमानिया को सांद्रण की सप्लाई कर रही है। अन्य देशों को सांद्रण बेचने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं।

(ख) कुद्रेमुख के सांद्रण का इस्तेमाल भारत में इस्पात के उत्पादन में भी किया जाएगा बशर्ते कि ऐसा करना मितव्ययी हो और तकनीकी दृष्टि से सम्भव हो।

हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा नियुक्त निजी ठेकेदार कम्पनियां

2699. **श्री ए० के० राय** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लि० द्वारा 1 अक्तूबर, 1982 की स्थिति के अनुसार इसके अधूरे पड़े कामों को पूरा करने के लिए नियुक्त की गई निजी ठेकेदार कम्पनियों के नाम क्या हैं ;

(ख) हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की कुल जनशक्ति कितनी है और करोड़ों के काम को सम्भालने की इसकी क्षमता क्या है और इसकी यथास्थिति क्या है ;

(ग) 1 अक्तूबर, 1982 की स्थिति के अनुसार हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के पास कितना काम था और इसके द्वारा कितने रुपयों का काम निजी ठेकेदारों को दिया गया है ; और

(घ) काम को स्वयं न निपटा कर छोटे ठेकेदारों को देने के कारण क्या है और तथ्य-परक ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

आसाम में राज्य सरकार के कर्मचारी

2700. **श्री अजय विश्वास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में राज्य सरकार के कुल कितने प्राणी हैं ;

(ख) कितने कर्मचारी स्थायी हैं और कितने अस्थायी ;

(ग) अस्थायी कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों की सेवा दस वर्षों से अधिक की हो चुकी हैं ; और

(घ) क्या सभी अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी घोषित करने का राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अन्य देशों के सहयोग से बनाई गई औद्योगिक परियोजनायें

2701. **श्री गदाधर साहा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भिन्न-भिन्न देशों, देशवार पृथक-पृथक के सहयोग से भारत में कितनी औद्योगिक तथा अन्य परियोजनायें बनाई गई हैं और निर्माणाधीन हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : औद्योगिक और अन्य परियोजनाओं के लिए भारत सरकार को विदेशों से मिली वित्तीय सहायता के देशवार ब्यौरे "ब्रोशर आन एक्सटर्नल असिस्टेंस 1979-80" और वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 1982-83 के केन्द्र सरकार के बजट पर स्पष्टीकरण सम्बन्धी ज्ञापन में दिये गये हैं जिसकी प्रति राज्य संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

छठी पंचवर्षीय योजना में परियोजना लागतों का उतार और चढ़ाव

2702. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग छठी योजना को बचाने के लिए प्रयत्नशील है जिसमें अनेक क्षेत्रों में तेजी से कमी आने और परियोजना लागत के बढ़ने की आशंका बनी हुई है ; और

(ख) क्या लागत बढ़ जाने से परियोजनाओं की अधिकांश निवेश आवश्यकतायें अस्त व्यस्त हो गई है और सरकार के पास इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है या तो अतिरिक्त निधियों का तुरन्त प्रबन्ध किया जाय अथवा उन्हें सांतवीं योजना के लिए अंतरित किया जाये ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं । योजना आयोग ने अब तक के निष्पादन का मूल्यांकन करने और उक्त योजना में यदि कोई समायोजनों की आवश्यकता हो तो उसका निर्धारण करने की दृष्टि से छठी योजना का मध्यावधि मूल्यांकन आरम्भ किया है । इस मूल्यांकन के पूरा हो जाने के बाद ही विभिन्न क्षेत्रकों में उपलब्धियों के बारे में सही स्थिति के बारे में पता चलेगा ।

(ख) जनवरी, 1981 में छठी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने के समय, उस समय तक कीमतों में जो वृद्धि हुई थी । उसको संपाधनों का तथा योजना में शामिल परियोजनाओं और कार्यक्रपों की लागत का मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखा गया था । उक्त योजना को अन्तिम रूप देने के बाद कीमतों में जो वृद्धि हुई है उसके परियोजनाओं की निवेश आवश्यकताओं तथा संसाधनों की समग्र उपलब्धता पर पड़ने वाले वास्तविक प्रभाव का योजना के इस मध्यावधि मूल्यांकन के पूरा हो जाने के बाद ही पता चलेगा ।

मध्य प्रदेश के आदिवासी पिछड़े जिलों के विकास के लिए नियतन

2703. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश के आदिवासी पिछड़े जिलों के विकास के लिए 1980 से 1982 की अवधि के दौरान कितनी राशि प्रदान की थी और यह राशि किन-किन कार्यों और योजनाओं के लिए दी गई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि किसी विशेष मद के लिये दी गई राशि अन्य कार्यों के लिए लगा दी जाती है और यह राशि व्ययगत हो जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का आगे क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) मध्य प्रदेश के आदिवासी पिछड़े जिलों के विकास के लिए गृह मंत्रालय के विशेष केन्द्रीय सहायता (एस० सी० ए०) के रूप में निम्नलिखित धनराशि दी :—

वर्ष	जनजाति उपयोजना	जनजाति वाले जनसंख्या वाले खंड	आदिम जनजाति कार्यक्रम	कुल
1980-81	1923.51	277.90	35.00	2236.41
1981.82	2412.83	313.83	80.00	2806.66

हालांकि विशेष केन्द्रीय सहायता का कुछ भाग मूल संरचना विकास के लिए प्रयोग किया गया है, फिर भी राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि इसे मुख्यतः परिवारोन्मुख कार्यक्रमों और योजनाओं पर खर्च करें। केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का धन विशेष विशिष्ट योजनाओं जैसे मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों, लड़कियों के छात्रावासों अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए प्रयोग किया गया है।

(ख) सूचना राज्य सरकार से एकत्र करनी है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि विशेष केन्द्रीय सहायता का प्रयोग परिवारोन्मुख योजनाओं के लिए किया जाए। राज्य बजट में एक अलग डिमाण्ड शीर्ष है, जिसमें जनजाति उपयोजना के लिए परिव्यय स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही धन अन्य प्रयोजन में लगाना संभव है।

उद्योगों की स्थापना के लिए महिलाओं को प्राथमिकता

2704. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का विचार उद्यमियों की सहायता करने हेतु अपनी योजनाओं में, बेरोजगार शिक्षित महिलाओं को प्राथमिकता देने का है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम जयपुर तथा अन्य स्थानों पर स्थिति अपने शाखा कार्यालयों को निदेश देगा कि वे महिला उद्यमियों के प्रति विशेष ध्यान दे ; और

(ग) महिलाओं को लघु उद्योग आरम्भ करने योग्य बनाने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की वर्तमान योजनाएं क्या हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लघु उद्योग चलाने के लिए उद्यमियों को जिसमे नारियां भी सम्मिलित हैं, किराया खरीद आधार पर मशीनें देता है। इसमें तकनीकविदों (पुरुष या नारी) को वरीयता दी जाती है।

सीमेंट के लिए सुधरी पैकिंग

2705. **श्री वृषण कुमार गोयल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट के लिए सुधरी पैकिंग लागू की गई है और सभी सीमेंट निर्माताओं को तुरन्त सुधरी हुई नई पैकिंग व्यवस्था लागू करने को कहा गया है ;

(ख) नई पैकिंग व्यवस्था सम्बन्धी आदेश के पालन पर निगाह रखने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ;

(ग) सीमेंट के नये बोरे पर्याप्त मात्रा में बनाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) उपभोक्ताओं द्वारा दिये जाने वाले मूल्य पर यदि कोई प्रभाव है तो वह क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां। अक्तूबर, 1981 से।

(ख) सीमेंट को बेहतर किस्म की जूट की बोरियों में पैक करने सम्बन्धी आदेश, समय-समय पर यथा संशोधित सीमेंट नियन्त्रण आदेश, 1867 के अनुबन्धों के अधीन जारी किये गए हैं, इन आदेशों के अनुपालन पर सीमेंट नियन्त्रक द्वारा निगरानी रखी जाती है।

(ग) इण्डियन जूट मिल्स एशोसियेशन ने आश्वासन दिया है कि वे सीमेंट पैक करने के लिए अच्छी बुनाई की जूट की बोरियों की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति कर सकेंगे।

(घ) अच्छी किस्म की जूट की बोरियों में सीमेंट पैक करने के लिए लगभग 22 पैसे प्रति बोरी की मामूली वृद्धि की अनुमति दी गई है।

तमिलनाडु में उद्योगों की स्थापना

2706. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा आरम्भ किये गए भारी, मध्यम तथा हल्के नये उद्योगों की संख्या कितनी है ; और

(ख) उक्त उद्योगों का ब्यौरा क्या है और वे कहां-कहां पर स्थित हैं तथा उनमें कितनी पूंजी लगी है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

तमिलनाडु के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोपों की जांच करने हेतु नियुक्त रे आयोग का समाप्त किया जाना

2707. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के मुख्य मंत्री के विरुद्ध कतिपय आरोपों की जांच करने के लिए केन्द्र द्वारा नियुक्त रे आयोग को समाप्त कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समाप्ति के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन को हानि

2708. **श्री उत्तम राव पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन में हानि के बारे में 11 अगस्त, 1982 के अतारांकित प्रश्न सं० 5000 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के सामने उसमें उल्लिखित विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत दर्शाये गए 2,54,737 रुपये का ब्यौरा क्या है ;

(ख) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन द्वारा मकान के लिए मकान मालिक को प्रतिमास कितना किराया अदा किया जाता है और उसके रख-रखाव पर प्रतिमास दिन-प्रतिदिन कितना व्यय किया जाता है ; और

(ग) क्या खराब वित्तीय हालत जिसमें इस समय माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन है, को ध्यान में रखते हुए सरकार इसके व्यय, विशेषकर एक स्वतन्त्र अतिथि गृह के रख-रखावों पर व्यय को कम करने हेतु उपयुक्त कार्यवाही करेगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) 1981-82 का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(i)	किराया	रुपये 50,400
(ii)	स्थापना	रुपये 96,145
(iii)	स्टाफ कार	शून्य
(iv)	अन्य दैनिक व्यय	रुपये 1,08,192
	योग	रुपये 2,54,737

(ख) 1981-82 का मासिक ब्यौरा इस प्रकार है :—

(i)	किराया	रुपये 4200
(ii)	दैनिक व्यय	रुपये 9016

(ग) इन अतिथि गृहों को बन्द कर देने से एम०ए०एम०सी० के अधिकारियों को सरकारी काम से यात्रा पर होने वाला व्यय और बढ़ जाएगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्दी

2709. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा सरकारों ने केन्द्र सरकार को सूचित किया है कि उन्होंने अपने राज्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत किसी को भी नजरबन्द नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो अन्य राज्यों, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम प्रचलित है कि तुलना में इन राज्यों में कानून और व्यवस्था की सामान्य स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आज तक राज्यवार कितने व्यक्ति नजरबन्द किये गए हैं, सलाहकार बोर्डों ने कितने व्यक्तियों को रिहा कर दिया है और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय ने नजरबन्दी का कोई पर्याप्त कारण नहीं पा सके ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा सरकारों द्वारा अभी तक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन नजरबन्द किए जाने की कोई सूचना नहीं दी गई है ।

(ख) कानून और व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण यह विचार करना राज्य सरकारों का कार्य है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में कानून और व्यवस्था की सामान्य स्थिति से किस प्रकार निपटना चाहेंगे । राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के उपबन्धों को लागू करना अथवा न करना भी उन्हीं का कार्य है । पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की कानून और व्यवस्था स्थिति की अन्य राज्यों की कानून और व्यवस्था स्थिति के साथ तुलना करना संभव नहीं है ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

अखिल आसाम विद्यार्थी संघ द्वारा नये सिरे से आन्दोलन

2710. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल आसाम विद्यार्थी संघ विदेशी राष्ट्रकों के मामले पर नए सिरे से आन्दोलन करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या नई दिल्ली में अखिल आसाम विद्यार्थी संघ के नेताओं के साथ पिछली बार हुई बैठक में सरकार द्वारा रखे गये प्रस्तावों के वांछित परिणाम नहीं निकले हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) उनके आन्दोलन के नवीनतम कार्यक्रम के विषय में सूचना प्राप्त हो गई है ।

(ख) सरकार के प्रतिनिधियों, संसद में विपक्ष के नेताओं और अखिल असम छात्र संघ/अखिल असम गण संग्राम परिषद् के मध्य हुई संयुक्त बैठक के 5वें दौर का विचार-विमर्श अनिर्णित रहा । आगे विचार-विमर्श 6 नवम्बर, 1982 को पुनः होने की संभावना है ।

दिल्ली नगर निगम के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा लिया गया अध्ययन अवकाश

2711. **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम अध्ययन अवकाश के बारे में उन नियमों का पालन करता आ रहा है जो गृह मंत्रालय के कार्मिद विभाग ने निर्धारित किए हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली नगर निगम ने कितने चिकित्सा अधिकारियों को वेतन सहित अध्ययन अवकाश का लाभ उठाने दिया ;

(ग) इस समय अध्ययन अवकाश के लिए चिकित्सा अधिकारियों के कितने आवेदन पत्र निर्णायाधीन पड़े हैं ;

(घ) क्या दिल्ली नगर निगम चिकित्सा अधिकारियों को अध्ययन अवकाश देने के लिए कार्मिक विभाग के निर्णय का पालन नहीं कर रहा है ; और

(ङ) दिल्ली नगर निगम द्वारा उक्त अवकाश संबन्धी नियमों का पालन कराने का सुनिश्चय करने हेतु सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) गृह मंत्रालय के कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ने अध्ययन अवकाश के सम्बन्ध में कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं। जहां तक दिल्ली नगर निगम के सामान्य स्कंध का सम्बन्ध है, उन्होंने बताया है कि इस सम्बन्ध में वे केन्द्रीय सिविल सेवा छुट्टी नियम में निहित सम्बन्धित प्रावधानों का अनुसरण कर रहे हैं।

(ख) एक

(ग) तीन

(घ) और (ङ) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

डालमिया के स्वामित्व वाली चिरीवुरु (सिंहभूम) खान में तालाबन्दी

2712. **श्री शिवु सोरन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डालमिया के स्वामित्व वाली चिरीवुरु (सिंहभूम) खान में अनेक वर्षों से तालाबन्दी है जिसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों में खान श्रमिकों को बंधुआ मजदूरों के रूप में काम करने के लिए विवश किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस खान का अधिग्रहण करने का है ;

(घ) क्या किसी व्यक्ति या कंपनी ने इस बन्द पड़ी खान को चलाने के लिए पेशकश की है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ङ) सिंहभूम जिले के लोटापहाड़ में चिरीवुरु क्वार्टजाइट खान मैं० उड़ीसा सीमेंट लि० द्वारा 3-9-56 से प्राप्त एक 20 वर्षीय खनन पट्टे पर चलाई जा रही है। 1979 में बिहार सरकार ने मैं० उड़ीसा सीमेंट लि० का खनन पट्टा नवीकरण आवेदन पत्र इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया कि कंपनी ने खनिज रियायत नियमावली, 1960 के नियम 37 (1) (ख) का उल्लंघन किया था तथा एक वर्ष खान चलाई भी नहीं थी। चूंकि पट्टा नवीकृत नहीं हुआ इसलिए खान मार्च, 1979 से बन्द पड़ी है। भारत सरकार इस खान का अधिग्रहण नहीं करना चाहती। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार ने इस खान को अन्य एजेन्सियों द्वारा चलाने के प्रयास किए थे जो सफल नहीं रहे हैं। यदि कोई पार्टी इस क्षेत्र पर खनन पट्टा मंजूरी हेतु आवेदन करती है तो पट्टे की स्वीकृति के बारे में राज्य सरकार द्वारा खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 तथा खनिज रियायत नियमावली, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत विचार किया जाएगा।

नए भारी जल संयंत्रों की स्थापना

2713. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि दो नये भारी जल संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्षमता, पूंजी निवेश, स्वदेशी उत्पादन और उनको पूरा करने के लक्ष्य सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रत्येक परियोजना पर कार्य की क्या प्रगति है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिक, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मंत्रालय के गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां। महाराष्ट्र में थाल वाइशेट में और आंध्र प्रदेश में मानुगुरू में नए भारी पानी संयंत्र लगाए जा रहे हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है। इन संयंत्रों की स्थापना का अधिकांश काम भारत अपने ही प्रयासों से कर रहा है।

	थालवाइशेट	मानुगुरू
स्थापित क्षमता (टन)	140	200
अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)	187.65	421.60
पूरा होने की अनुमानित तारीख	1987	1988

(ग) परियोजनाओं के लिये वित्तीय-संस्वीकृति दी जा चुकी है और परामर्शदाता नियुक्त किए जा चुके हैं। आधारभूत विकास-कार्य किए जा रहे हैं और उपस्कर प्राप्त करने की कार्रवाई चल रही है।

बिहार में स्वाधीनता सेनानियों की पेंशन के विचाराधीन पड़े मामले

2714. **श्री राम विलास पासवान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार स्वाधीनता सेनानी डिवीजन, पटना में ऐसे कितने आवेदन पत्र विचाराधीन पड़े हैं जो स्वाधीनता सेनानियों द्वारा निर्धारित फार्मों पर तथा निर्धारित तिथि के भीतर प्रस्तुत किये गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि बिहार स्वाधीनता सेनानी डिवीजन दिल्ली स्वाधीनता सेनानी डिवीजन को ये आवेदन पत्र अग्रसारित में अनुचित विलम्ब करता है ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि इन आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करने में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की कोई गुंजाइश न हो ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) 15-8-72 से पेंशन योजना लागू किए जाने के बाद निर्धारित अन्तिम तिथि 31-3-82 तक बिहार से 92299 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से 39439 आवेदन जांच और रिपोर्ट के लिये राज्य सरकार के कार्यालय में विचाराधीन हैं।

(ख) तथा (ग) आवेदन पत्रों की भारी संख्या और स्वतन्त्रता सेनानियों और उनके परिवारों को सम्मान पेंशन का लाभ देने के लिये सरकार की इच्छा को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय के अनुरोध पर बिहार सरकार ने केवल सम्मान पेंशन आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करने के लिए उप सचिव के पर्यवेक्षण में एक विशेष अनुभाग स्थापित किया है। स्वतन्त्रा सेनानियों के दावों की शीघ्रता से जांच करने में सहायता करने के लिये एक राज्य सलाहकार समिति भी स्थापित की गई है। राज्य सरकार ने स्वतन्त्रता सेनानियों के दावों की जांच को निपटाने के लिये जेल अधीक्षकों और जिला समाहर्त्ताओं को भी निर्देश दिये हैं। उनको सलाह दी गई है कि वे अपने पास विचाराधीन मामलों को निपटाने के लिये समयबद्ध अभियान आरम्भ करें। राज्य सरकार को भी कदाचार और अनियमितता की किसी सम्भावना के प्रति सचेत रहने का अनुरोध किया गया है।

आसाम की वन्यजीव सम्पदा को संरक्षण

2715. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या आसाम का वन्यजीव संपदा का संरक्षण करने के लिये बड़े पैमाने पर वन्यजीव कार्यक्रम आरम्भ करने तथा वर्तमान कार्यक्रम का क्षेत्र बढ़ाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार आसाम के वन्य जीवों को बचाने की एक मुश्त योजना पर विचार करेगी ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) वन्य-जीवन रिजर्वों के प्रबन्ध का सीधा उत्तरदायित्व सम्बन्धित राज्य सरकारों का है। केन्द्र सरकार राज्यों में चुने हुए राष्ट्रीय उद्यानों, उभयारण्यों और चिड़ियां घरों के विकास के लिए वित्तीय सहायता के अतिरिक्त तकनीकी सहायता और सलाह मुहय्या करती है। पांचवीं योजना के दौरान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मनास चीता रिजर्व और गुहाटी चिड़िया-घर के लिए निम्नानुसार केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जा रही है :

(लाख रुपये में)

	1980-81	1981-82	1982-83
(क) काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान	3.00	—	4.445
(ख) मनास चीता रिजर्व	7.00	8.00	6.50 (अभी तक)
(ग) गुहाटी चिड़िया घर	—	—	2.00

भारी वाणिज्यिक वाहनों के निर्माताओं के लिए लाइसेंस

2716. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री बी० वी० देसाई :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चाधिकार प्राप्त लाइसेंस समिति ने प्योर ड्रिक्स लिमिटेड एण्ड कैम्पाकोला के भारी वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण करने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव गत दो वर्षों से सरकार के विचाराधीन था ;

(ग) क्या अन्य ऐसे और भी प्रस्ताव थे तथा ऐसी कम्पनियां थी, जिन्होंने उसके लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें अब तक लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उन कम्पनियों का विवरण क्या है; जिन्होंने आवेदन किये थे ; और

(ङ) उनके आवेदनों को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ङ) भारी वाणिज्यिक वाहनों के निर्माण के लिए सरकार को मे० प्योर ड्रिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली से अगस्त, 1980 में एक आवेदन प्राप्त हुआ था। इसके अलावा, सरकार को वाणिज्यिक वाहनों के निर्माण

हेतु मे० किर्लोस्कर, पुणे से एक आवेदन प्राप्त हुआ है और वाणिज्यिक गाड़ियों के निर्माण के लिए अपनी क्षमता में पर्याप्त विस्तार करने हेतु मे० टेल्को लिमिटेड, बम्बई से भी एक आवेदन प्राप्त हुआ है। ये सभी आवेदन सरकार के विचाराधीन हैं।

भारतीय साम्यवादी दल की 12वीं बैठक में भाग लेने वाले विदेशी

2717. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन साम्यवादी और श्रमिक दलों की संख्या और नाम क्या हैं जिन्होंने इस वर्ष मार्च में वाराणसी में भारतीय साम्यवादी दल की 12वीं बैठक में अपने प्रतिनिधि भेजे थे ;

(ख) क्या भारत और उन अन्य देशों के बीच राजनयिक संबंध कायम हैं जिन्होंने बैठक में भाग लेने के लिये अपने प्रतिनिधि भेजे थे और उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ राजनयिक संबंध नहीं हैं ;

(ग) क्या भारतीय साम्यवादी दल की बैठक में भाग लेने के लिए ऐसे देशों के प्रतिनिधियों द्वारा विशेष अनुमति मांगी गई थी और उन नेताओं के नाम और पद क्या हैं ; और

(घ) क्या उन प्रतिनिधियों ने देश में विभिन्न महत्वपूर्ण व्यक्तियों से भेंट की थी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) जिन देशों से प्रतिनिधि आए थे जिनके साथ भारत के राजनयिक संबंध हैं। कांग्रेस में विदेशियों के भाग लेने के लिए सरकार की स्वीकृत मांगी गई थी।

(घ) ऐसे प्रतिनिधि जो देश में विभिन्न महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिले थे के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

विवरण

उन साम्यवादियों और कार्यकर्त्ता दलों की सूची जिन्होंने भारतीय साम्यवादी दल की 12वीं कांफ्रेस में प्रतिनिधि भेजे थे

1	2
1.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ सोवियत यूनियन
2.	बुल्गेरियन कम्युनिस्ट पार्टी
3.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ क्यूबा
4.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ चैकोस्लोवाकिया

1	2
5.	सोशलिस्ट यूनिटी पार्टी आफ जर्मनी
6.	हंगेरियन सोशलिस्ट वर्कस पार्टी
7.	मंगोलियन पीपल्स रिबोल्यूशनरी पार्टी
8.	पोलिश युनाईटिड वर्कर पार्टी
9.	रोमेनियन कम्युनिस्ट पार्टी
10.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ वियतनाम
11.	लीग आफ कम्युनिस्ट आफ युगोस्चलाविया
12.	कांगोलीस पार्टी आफ लेबर
13.	कोपवे यूथोपिया
14.	येमिनी सोशलिस्ट पार्टी
15.	सोशलिस्ट पार्टी आफ आस्ट्रेलिया
16.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ बंगलादेश
17.	ए० के० ई० एल० साईप्रस
18.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ डेनमार्क
19.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ जर्मनी (एफ० आर० जी०)
20.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ यू० के०
21.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ ग्रीस
22.	पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी आफ गुयाना
23.	इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी
24.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ लेबनान
25.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ श्री लंका
26.	कम्युनिस्ट वर्कस पार्टी आफ, स्विडन
27.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ सीरिया
28.	फाराबुन्दो मार्ती नेशनल लिब्रेशन फ्रंट आफ एलसाल्वाडोर

1	2
29.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ सउदी अरबिया
30.	डेमोक्रेटिक फ्रंट फार दा लिबरेशन आफ पैलेस्टाइन
31.	वर्ल्ड मार्कसिस्ट रिव्यू
32.	शार्बी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पोलिसरियों

टिप्पणी :—कुछ अन्य व्यक्तियों ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया था।

राज्यों में सीमेंट वितरण प्रणाली

2718. **श्री चित्त नहाटा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने राज्य द्वारा अनुपालन की जा रही सीमेंट वितरण प्रणाली का अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने सीमेंट वितरण प्रणाली में कोई कमियां पाई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

"टायर कम्पनीज मेकिंग ब्लैक मनी" शीर्षक से समाचार

2719. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 20 सितम्बर, 1982 के बिजनेस स्टैंडर्ड, में "टायर कम्पनीज मेकिंग ब्लैक मनी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह तथ्य सुनिश्चित कर लिया कि टायर कम्पनियां उपभोक्ता से किसी विशेष प्रकार के टायर के लिए ढुलाई (हैंडलिंग) खर्चों सहित 4400 रुपये से अधिक न लें ;

(ग) क्या 1977 के बाद टायरों के मूल्य में बार बार और बहुत अधिक वृद्धि हो रही है ; और

(घ) क्या मोटर ट्रांसपोर्ट कांफ्रेस ने सरकार से टायर उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का अनुरोध किया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) जी हां। आटोमोबाइल टायरों/ट्यूबों के मूल्यों पर कोई औपचारिक तथा अनौपचारिक नियंत्रण नहीं है। अतः प्रत्येक टायर विनिर्माता कम्पनी टायरों/ट्यूबों के मूल्य निर्धारित करने के लिए मुक्त हैं और बाजार में अपने अनुकूल व्यापारिक गतिविधियों में भाग ले सकती हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) जयपुर ट्रांसपोर्ट आपरेटर्स एसोसिएशन (आल इण्डिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांफ्रेस, नई दिल्ली की एक संबंद्ध संस्था) ने टायर के मूल्यों में वृद्धि से सम्बन्धित अपने अभ्यावेदन में अन्य बातों के साथ-साथ टायर उद्योग के राष्ट्रीयकरण का भी सुझाव दिया है।

क्र० सं०	विशिष्टियां	विवरण							
		1-1-77	28-10-78	1-1-79	1-3-80	8-8-81	13-3-82	10-7-82	अगस्त 82
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. कार टायर्स (रेयन बी-एस० डब्ल्यू०)									
		को मूल्य	को मूल्य	को मूल्य	को मूल्य	को मूल्य	को मूल्य	को मूल्य	को मूल्य
1.	6. 70-156 प्लाई रेटिंग सी-49	266.60	331.28	प० न०	400.00	575.00	660.00	660.00	प० न०
2.	5.90-15	195.30	279.22	प० न०	345.00	445.00	504.00	520.00	515.00
3.	5.20-14	168.95	241.36	प० न०	295.00	380.00	426.00	440.00	435.00
4.	5.60-13	186.00	235.06	प० न०	280.00	445.00	520.00	520.00	510.00
II. ट्रक टायर्स									
5.	8.25-20 12 पी० आर० एम० डब्ल्यू० (105)	1018.35	1304.59	प० न०	1485.00	1975.00	2140.00	2230.00	2150.00
6.	9.00-12पी० आर०एम० डब्ल्यू० (रेयन) 105 एम० के० आई०	1205.90	1558.57	प० न०	1760.00	2300.00	2480.00	2480.00	प० न०

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. मोटर साइकिल टायर्स								
7.	3.25-104 प्लाई	97.50	122.46	प० न०	155.00	184.00	210.00	216.00	प० न०
	4. स्कूटर टायर्स								
8.	3.50-104 प्लाई	66.25	80.80	80.80	99.00	114.00	130.00	132.00	प० न०
	5. ट्रैक्टर टायर्स								
9.	12.2.28 (11.28) 6 प्लाई रियर	828.75	998.00	प० न०	1145.00	1460.00	1615.00	1663.00	प० न०
10.	12.4-36 (11.36) (")	1045.00	1232.00	प० न०	1430.00	1770.00	1982.00	2041.00	प० न०
	6. हवाई जहाजों आदि के नायलोन टायर								
11.	12.00 24/25 16प्लाई	2780.00	4065.00	प० न०	5285.00	6485.00	6600.00	6930.00	प० न०
12.	18.00 24/25 12प्लाई	7026.15	9805.74	प० न०	14780.00	16147.00	प० नं०	प० नं०	प० न०

टिप्पणी :—प० न० का अर्थ है परिवर्तन नहीं।

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्यों द्वारा साधन जुटाया जाना

2720. **श्री बी० आर० नहाटा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने 1500 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक की राशि जुटाने का प्रावधान किया है ; और

(ख) 30 जून, 1982 तक क्या छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में वास्तविक में कितने साधन जुटाए गए और एकत्र किए गए और छठी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में और कितनी राशि उन्होंने एकत्र करनी है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) छठी योजना की अवधि के लिए सभी राज्यों के लिए 9012 करोड़ रु० के अतिरिक्त संसाधन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। किसी भी राज्य के मामले में 1500 करोड़ रु० या अधिक लक्ष्य की परिकल्पना नहीं की गई थी।

(ख) 1981-82 और 1982-83 की वार्षिक योजना के दस्तावेजों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जो संसद में रखे जा चुके हैं जिनमें वर्ष 1980-81, 1981-82 में राज्य योजनाओं के लिए वित्त की समीक्षा तथा वर्ष 1982-83 के लिए वार्षिक योजना के अनुमान दिए गए हैं। संसाधनों सहित छठी पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया जा रहा है और इस कार्य के पूरे हो जाने के बाद ही छठी योजना की शेष अवधि में राज्यों की संसाधनों की स्थिति के बारे में पता चलेगा।

औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आने के कारण भारतीय अर्थ व्यवस्था में मंदी

2721. **श्री राम लाल राही :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल से जून, 1982 तक की अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी की प्रवृत्ति रही है और इस अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन में गिरावट हुई है तथा विदेशी व्यापार में कमी पाई गई है क्योंकि निर्यात में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो सकी ;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक उत्पादन और विदेशी व्यापार में कितने प्रतिशत कमी हुई है ; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (अनन्तिम) के आधार पर समग्र सूचकांक में अप्रैल-जून, 1982 में अप्रैल-जून, 1981 की अपेक्षा 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई दी है। यद्यपि औद्योगिक उत्पादन में सामान्य रूप से वृद्धि हुई है फिर भी, कुछ उद्योगों में पूर्ति और मांग के बीच कुछ अल्पकालिक समायोजन को स्वाभाविक प्रक्रिया का एक पहलू माना जा सकता है।

अप्रैल-जून, 1982 में व्यापार शेष में 3334.23 करोड़ रुपये के आयात और 1811.50

करोड़ रुपये के निर्यात के कारण 1522.73 करोड़ रुपये का घाटा दिखाई दिया है। किन्तु निर्यात के आंकड़े अपूर्ण हैं और यह अनुमान लगाया गया है कि अप्रैल-जून, 1982 में भारत का निर्यात लगभग 2097 करोड़ रुपये हो सकता है।

(ग) पहले किए गए उपाय :—

1. औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए :—

1. पांच वर्ष की अवधि में 25 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि करके 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से स्वतः विकास की व्यवस्था करना।

2. आधारभूत तथा विशेष महत्व के उद्योगों के साथ ही निर्यात की संभाव्यता वाले उद्योगों में लाइसेंसीकृत/पंजीकृत क्षमता से अधिक क्षमता को मान्यता, प्रदान करना।

3. लघु उद्योग क्षेत्र को संरक्षण देने के लिए क्षमताओं के पृष्ठांकन हेतु उत्पादन को आधार मानना।

4. "उद्योग रहित जिलों" और अधिसूचित पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योगों के विकास की ओर विशेष ध्यान देना।

5. ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करने की योजनाओं को लाइसेंस मुक्त करना।

6. सरकार ने एक ऐसी योजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत उत्पादकता वर्ष 1982 में औद्योगिक अर्थव्यवस्था को एक निश्चयात्मक उत्पानोन्मुख दिशा देना संभव होगा। इस योजना की प्रमुख बातों की घोषणा उद्योग मंत्रालय के प्रेस टिप्पण संख्या 10/97/81-एल० पी० दिनांक 21 अप्रैल, 1982 में पहले ही की जा चुकी है।

II निर्यात का संबर्द्धन करने के लिए

इन उपायों में मुख्य जोर निर्यात संबर्द्धन और आयात प्रतिस्थापन दोनों के लिए उत्पादन की घरेलू रुकावटों को दूर करना है। इस दिशा में किए गए कुछ मुख्य उपाय निम्नलिखित हैं :—

1. "लाइसेंस प्राप्त क्षमता" और अपनी "प्रधानतः" बनाए रखने के प्रयोजन के लिए निर्यात हेतु सम्बन्धी उत्पादन को अलग रखना ;

2. ऐसे निर्यात के लिए उन नई वस्तुओं के उत्पादन की अनुमति देना जिनमें लाइसेंस प्राप्त औद्योगिक एककों द्वारा निर्मित वस्तुओं में भिन्नता हो।

3. निर्यात के लिए उत्पादन, जिसमें रायल्टी का एक मुश्त भुगतान निहित होता है, के लिए उन्नत और आधुनिक प्रौद्योगिकी के आयात को बढ़ावा देना।

4. सभी 100 प्रतिशत निर्यात प्रधान एककों के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र की तरह व्यवस्था करना ;

5. कुछ इंजीनियरी वस्तुओं और अन्य निर्यात परक उद्योगों के सम्बन्ध में ब्याज की रियायती दर पर लदान पूर्ण ऋण देने की अवधि को 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करना ;

6. निर्यात के लिए उत्पादन करने वाले एककों को महानगरों में नए औद्योगिक उपक्रमों पर लगाए गए प्रतिबंधों में चयनात्मक ढील देना ;

7. "एक्सिम" बैंक द्वारा जिसकी हाल ही में स्थापना की गई है निर्यात वित्त के प्रावधान में वृद्धि की जाने की आशा है ।

8. इंजीनियरी सामान के निर्यातकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार इस्पात का अंतराष्ट्रीय मूल्यों पर संभरण किया जा रहा है । निर्यात किए जाने के बाद निर्यातकों का देशी मूल्य और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के बीच के अन्तर की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है ;

9. शुल्क वापस करने में होने वाली देरी को कम करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं का सुप्रवाही बनाया जाना ;

10. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निर्यात बढ़ाने की सम्भावना का पता लगाना ;

11. नकद क्षतिपूर्ति सहायता देने सम्बन्धी नीति को 31 मार्च, 1985 तक की तीन वर्ष की अग्रेतर अवधि के लिए बढ़ाया जाना ;

12. वर्ष 1982-83 की विद्यमान आयात निर्यात नीति "उत्पादकता वर्ष" के अनुरूप और निर्यात की दिशा में और अधिक वृद्धि करने के सुनिश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर तैयार की गई है ।

13. साथ कच्चे माल, उर्वरक, इस्पात, अलौह, धातुओं, खाद्य तेलों आदि जैसी वस्तुओं के आयात प्रतिस्थापन के लिए देश में इनका उत्पादन भी बढ़ाया जा रहा है ।

चेकोस्लोवाकिया को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० के उत्पादों का निर्यात

2722. **श्री तारिक अनवर : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० तथा चेकोस्लोवाकिया के बीच भारतीय उत्पादों के चेकोस्लोवाकिया को निर्यात के बारे में कोई करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त करार का ब्यौरा क्या है और किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया जायगा ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। बी० एच० ई० एल० ने डीजल जनरेटरों की सप्लाई के लिए मे० प्रागोइन्वेस्ट फारेन ट्रेड कारपोरेशन, चेकोस्लोवाकिया को एक प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव पर चेकोस्लोवाकियाई पक्ष के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

ग्रामीण शिल्प संवर्धन परिषद् का गठन किया जाना

2723. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण शिल्प संवर्धन परिषद् का गठन कब तक किया जायेगा ; और

(ख) इस दिशा में अब तक हुई प्रगति का ब्योरा क्या है ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) ग्रामीण शिल्प संवर्धन परिषद् के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पक्षी अभयारण्य

2724. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या देश में कितने पक्षी अभयारण्य स्थापित किए गए हैं ;

(ख) इन अभयारण्यों की स्थापना किन स्थानों पर की गई है ;

(ग) इनमें से प्रत्येक अभयारण्य को 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान कितना केन्द्रीय आवंटन किया गया ?

पर्यावरण विभाग में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) वन्य जीवन (परिरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों के रूप में स्थापित पक्षी रिजर्वों और उनके स्थान की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) राज्यों में अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के विरुद्ध केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अधीन मुहय्या की जाती है। पक्षी रिजर्वों के लिए विकास के लिए केन्द्रीय सहायता 1980-81 और 1982-83 के बीच केवल हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों द्वारा निम्नानुसार उपयोग की गई है :

अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों के नाम	छोड़ी गई राशि		अनुमोदित राशि (केन्द्र का अंशदान)
	1980-81	1981-82	1982-83
सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, हरियाणा	—	1.06	2.00
ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड अभयारण्य महाराष्ट्र	2.37	—	1.00
केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान	8.38	7.96	प्रस्ताव की जांच की जा रही है

विवरण

भारत में अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों के रूप में स्थापित पक्षी रिजर्वों की सूची

क्रम संख्या	अभयारण्य का नाम	राज्य
1.	नीलापट्टू पक्षी अभयारण्य	आन्ध्र प्रदेश
2.	केलेरू पेलिकेनरी	आन्ध्र प्रदेश
3.	पुलीकट अभयारण्य	आन्ध्र प्रदेश
4.	नरकेन्डम अभयारण्य	अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह
5.	नार्थ रीफ द्वीप अभयारण्य	—वही—
6.	टेपचनाही वन्य-जीवन अभयारण्य	बिहार
7.	नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य	गुजरात
8.	सुल्तानपुर झील पक्षी अभयारण्य	हरियाणा
9.	शंकराचार्य वन्य-जीवन अभयारण्य	जम्मू-कश्मीर
10.	गोविन्दसागर पक्षी अभयारण्य	हिमाचल प्रदेश
11.	घाटप्रभा पक्षी अभयारण्य	कर्नाटक
12.	रंगनथिटू पक्षी अभयारण्य	कर्नाटक
13.	सिरपर पक्षी अभयारण्य	मध्य प्रदेश
14.	गांधी सागर अभयारण्य	मध्य प्रदेश
15.	करनाला पक्षी अभयारण्य	महाराष्ट्र
16.	ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड अभयारण्य	महाराष्ट्र
17.	चिलका अभयारण्य	उड़ीसा
18.	हरिका हेडवर्कस अभयारण्य	पंजाब
19.	केवलदेव धानी राष्ट्रीय उद्यान	राजस्थान
20.	वेदेनथरगल पक्षी अभयारण्य	तमिल नाडु
21.	वेतानगुडी पक्षी अभयारण्य	तमिल नाडु
22.	सुखना झील अभयारण्य	चण्डीगढ़
23.	नवाबगंज पक्षी अभयारण्य	उत्तर प्रदेश

जनजातीय विकास के लिए राजस्थान को केन्द्रीय आवंटन

2725. **श्री जय नारायण रौत** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य में जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 1977 से आज तक राजस्थान सरकार को स्वीकृति की और कितनी आवंटित की ;

(ख) जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए अब तक कितनी धन राशि उपयोग की गई, इसके अलावा और क्षेत्रवार आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए आवंटित धनराशि का जनजातीय क्षेत्रों से इधर अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जनजातीय क्षेत्रों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए कितनी धनराशि प्रयोग की है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) वर्ष 1977-78 से वर्ष 1981-82 तक राजस्थान राज्य के लिए जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर की गई राशि संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी ।

विवरण

1977-78. 1978-79, 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के वर्षों के लिए राजस्थान के लिए गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर की गई धनराशि

(लाख रु०)

क्रम संख्या	स्कीम	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82
1	2	3	4	5	6	7
1.	मैट्रिक-परवर्ती छात्रवृत्ति	14.70	20.50	7.31	17.83	40.37
2.	बालिका छात्रावास	2·00	4.00	4.00	2.00	2.00
3.	अनुशिक्षण और संबद्ध स्कीमें ×	0.90	1.30	0.745	0.25	—
4.	मेडिकल/इन्जीनियरी कालेजों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों					

1	2	3	4	5	6	7
	के लिए पुस्तक बैंक×	—	1.168	0.50	—	1.20
5.	अनुसंधान और प्रशिक्षण	2.00	1.50	1.50	2.40	4.00
6.	जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	298.10	388.50	537.00	516.49	590.79

×अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सम्मिलित ।

राजस्थान में राष्ट्रीय रेगिस्तान उद्यान के विकास पर किया गया व्यय

2726. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के बाडमेर एवं जैसलमेर जिलों में राष्ट्रीय रेगिस्तान उद्यान की स्थापना एवं विकास पर मदवार अब तक कितना व्यय किया जायेगा ;

(ख) इस उद्यान के विकास के सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का क्या ब्यौरा है; और

(ग) पर्यटकों को सुविधाएं देने की दृष्टि से उद्यान में क्या प्रबन्ध किए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) राजस्थान के बाडमेर और जैसलमेर जिलों में एक राष्ट्रीय रेगिस्तान उद्यान की स्थापना के लिए 247 लाख रुपयों की राशि मंजूर की गई है । इसकी तुलना में किया गया व्यय निम्नानुसार है :

(लाख रुपयों में)

1980-81	20.41
1981-82	34.15
1982-83 (जून 1982 तक)	10.84

व्यय का बड़ा भाग संरक्षित क्षेत्रों में घेराबन्दी और पुनः बीज रोपण, निम्नीकृत क्षेत्रों में पौध रोपण, तालाब, नलकूपों आदि की स्थापना करने पर हुआ है । इस उद्यान की स्थापनाा का मुख्य प्रयोजन थार मरुस्थल की पारिस्थितिकीय स्थिति का अध्ययन करना, इसकी दुर्लभ वनस्पतियों और जीव-जन्तुओं की तेजी से समाप्त हो रही प्रजातियों का परिक्षण करना और प्राकृतिक पारि-तंत्र का पुनरुद्धार करना है । पर्यटकों को सुविधाओं की व्यवस्था इस कार्यक्रम का भाग नहीं है, यद्यपि रीडम निर्मित कर दिये गये हैं ।

दल-बदल विरोधी विधेयक

2727. **श्री सूरज भान :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दलबदल विरोधी विधेयक लाने की मांग की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) इस बारे में सरकार का दृष्टिकोण क्या है तथा इस संदर्भ में क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) दल बदल की समस्या को अलग से नहीं देखा जा सकता और यह निर्वाचन सम्बन्धी सुधार के वृहत प्रश्न का भाग है । इसलिए सरकार निर्वाचन सुधार से सम्बन्धित प्रश्नों के साथ दल बदल की समस्या पर विचार कर रही है ।

रंगीन टी० वी० की कीमतों में कमी लाने के लिए की जा रही कार्यवाही

2728. **श्री जगपाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि एक सरकारी घोषणा के अनुसार एक रंगीन टी० वी० सैट जिसकी कीमत 1950/-रुपये है उपभोक्ताओं को 8000/-रुपये पर दिया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो रंगीन टी० वी० सैटों की कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और स्वदेशी रंगीन टी० वी० सैट कब तक उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराये जायेंगे ;

(ग) क्या सरकार पहले से घोषित 8000 रु० मूल्य में कोई छूट देने अथवा इसकी कीमत में कमी लाने पर विचार कर रही है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या गांव के लोग इतनी अधिक कीमत पर रंगीन टी० वी० खरीद सकेंगे और यदि नहीं, तो सरकार की इस बारे में क्या नीति है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं । रंगीन दूरदर्शन सैटों पर कम से कम उतने कर तो लगने ही चाहिए जितने श्याम तथा श्वेत (ब्लेक एण्ड व्हाइट) दूरदर्शन सैटों पर लगते हैं क्योंकि इनमें आयातित कल-पुर्जों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसके फलस्वरूप देश से मूल्यवान विदेशी मुद्रा बाहर जाती है ।

तथापि, (कल-पुर्जों की किटों का संयोजन करने की अपेक्षा) एक बार नियमित औद्योगिक उत्पादन शुरू हो जाने पर यह रंगीन दूरदर्शन सैटों के विनिर्माताओं पर निर्भर करेगा कि वे कुशल उत्पादन के माध्यम से इनकी लागत और मूल्यों में कितनी कमी लाते हैं।

(घ) यद्यपि कुछ ग्रामीण प्रस्तावित मूल्यों पर रंगीन दूरदर्शन सैट खरीदने की स्थिति में हो सकते हैं, इस सम्बन्ध में योजनाओं पर विचार-विमर्श हो रहा है तथा दूरदर्शन इसकी जांच कर रहा है। तथापि ग्रामीण समुदायों में दूरदर्शन को अधिकाधिक तथा व्यापक रूप से इस आधार पर प्रचारित किए जाने की आवश्यकता होगी कि बड़े आकार के प्रोजेक्शन पर्दों पर अथवा उनके बिना भी लोग सामूहिक रूप से मिलजुल कर दूरदर्शन का इस्तेमाल करें।

भारत में रंगीन टी० वी० किट्स का जोड़ा जाना

2729. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या एशियाड खेलों के लिए पश्चिम जर्मनी तथा कोरिया से आयात किए गए 90,000 रंगीन टी० वी० किट्स को भारत में जोड़ा जा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रकार जोड़े जाने वाले सैटों में लगने वाले अधिकतर पुर्जों का इस देश में पहले से ही निवेश किया जा रहा है ;

(ग) क्या 'ऐलसीना' के अध्यक्ष के अनुसार काले तथा सफेद टी० वी० सैटों के निर्माताओं को बाध्य होकर बेकार बैठना पड़ रहा है अथवा काम बन्द करना पड़ रहा है तथा उनके पास बहुत माल जमा हो गया है ; और

(घ) क्या छोटे एवं मध्यम दर्जे के निर्माताओं के संरक्षण के लिए सरकार का कोई दीर्घावधि कार्यक्रम है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, हां। एशियाड के लिए भारत में संयोजित किए जाने के लिए पश्चिम जर्मनी और कोरिया से 90,000 रंगीन दूरदर्शन किटों का आयात किया जा रहा है।

(ख) रंगीन दूरदर्शन ट्यूब, विशेष एकीकृत परिपथ रंगीन दूरदर्शन विक्षेपण संघटक-पुर्जे आदि का, जो ऐसे संयोजित सैटों में प्रयुक्त संघटक पुर्जों को लागत के लगभग 65% मूल्य के बराबर होते हैं, अभी देश में विनिर्माण नहीं किया जा रहा है।

(ग) सरकार को ई० एल० सी० आई० एन० ए० के अध्यक्ष द्वारा दिए गए बयान के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(घ) सरकार रंगीन दूरदर्शन के विनिर्माण के लिए एक दीर्घअवधि की नीति बनाने पर विचार कर रही है। इसमें लघु तथा मझोले क्षेत्र के विनिर्माताओं के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

डिटर्जेन्टों का विषैला प्रभाव

2730. **श्री के० ए० राजन :** क्या उद्योग मंत्री डिटर्जेन्टों के विषैले, प्रभाव के बारे में दिनांक 28 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3097 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है कि सिन्थैटिक डिटर्जेन्टों का उत्पादन करने के काम में लग श्रमिक उपयोग में आने वाले रसायनों के पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव तथा सांस के द्वारा सुगमता से शरीर में प्रवेश पा जाने के कारण आसानी से विभिन्न बीमारियों का शिकार हो जाते हैं ;

(ख) क्या श्रमिकों को इस घातक खतरे से बचाने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) सरकार को भारत में सिन्थेटिक डिटरजेंटों (संश्लिष्ट प्रक्षालकों) के उत्पादन में कार्यरत कर्मचारियों के व्यावसायिक रोगों के बारे में कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है। किन्तु यदि पर्याप्त मात्रा में सुरक्षात्मक उपाय नहीं किए जाते हैं तो पक्षालकों के उत्पादन में प्रयोग किए गए सतही सक्रिय तत्वों से श्वांस रोग और व्यावसायिक चर्मरोग आदि हो सकते हैं। प्रक्षालकों में सुरक्षा के लिए भारतीय मानक संस्थान ने भारतीय मानक (कोड) संहिता तैयार करने पर पहले ही कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

औद्योगिक लाइसेंसों का जारी किया जाना

2731. **श्री हरिहर सोरन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीने में कुल कितने औद्योगिक लाइसेंस और आशय पत्र जारी किए गए ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किन-किन कम्पनियों, निगमों और गैर सरकारी व्यक्तियों को ये औद्योगिक-लाइसेंस और आशय पत्र जारी किए गए ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) मार्च से अगस्त, 1982 की अवधि में 222 औद्योगिक लाइसेंस और 541 आशय-पत्र जारी किए गए थे।

(ख) और (ग) भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा "मंथली न्यूज लैटर" में पार्टी का नाम, एकक का स्थापना स्थल उत्पादन की वस्तु और क्षमता आदि सहित सभी आशय पत्रों तथा औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा प्रत्याशित किया जाता है। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

गरीबी की रेखा से नीचे वाले व्यक्ति

2732. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री सूरज भान :

क्या योजना मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्ष और प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों की संख्या क्या थी ;

(ख) छठी योजना के अन्त पर क्या संख्या होने का अनुमान है ;

(ग) क्या काले धन का इस समस्या पर कोई प्रभाव है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार और इसका सामना करने की योजना क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) उपभोक्ता व्यय का अद्यतन उपलब्ध सर्वेक्षण वर्ष 1977-78 के लिए है जिस पर गरीबी के अनुमान आधारित हैं। गरीबी के स्तर की वर्तमान संकल्पना और गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या योजना आयोग द्वारा न्यूनतम आवश्यकता और प्रभावी उपभोग मांग से सम्बन्धित कार्यकारी दल की सिफारिशों पर आधारित है जिसकी रिपोर्ट जनवरी, 1979 में प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में वर्तमान छठी योजना को तैयार करते समय गरीबी का अनुमान लगाने की इस पद्धति का उपयोग किया गया था। इसलिए इससे पहले की योजनाओं के लिए गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के बारे में कोई अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

छठी योजना के आधार वर्ष, अर्थात् वर्ष 1979-80 के लिए गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 3168.40 लाख होने का अनुमान लगाया गया है। यह वर्ष 1977-78 के पारिवारिक उपभोक्ता सर्वेक्षण पर और 1977-78 तथा 1979-80 के बीच अर्थ-व्यवस्था की संवृद्धि पर आधारित है। इसी प्रकार से छठी योजना के पहले दो वर्षों में अर्थ-व्यवस्था में संवृद्धि (लगभग 6 प्रतिशत प्रति वर्ष) और गरीबी दूर करने के उद्देश्य वाले विभिन्न कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1981-82 के लिए गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 2820 लाख होने का अनुमान लगाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या वर्ष 1979-80 में 2595.60 लाख और वर्ष 1981-82 में 2259.30 लाख होने का अनुमान लगाया गया था। शहरी क्षेत्रों में यह संख्या वर्ष 1979-80 में 572.80 लाख और वर्ष 1981-82 में 560.70 लाख होने का अनुमान लगाया गया था।

(ख) इसी प्रकार के विश्लेषण द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि छठी योजना की अवधि अर्थात 1984-85 के अन्त में गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में 1660.20 लाख और शहरी क्षेत्रों में 491.40 लाख होगी, जो कुल मिलाकर

2151.60 लाख होगी, जैसी कि छठी योजना के दस्तावेज के पृष्ठ 52 (अंग्रेजी रूपांतर) पर दी गई सारणी 3.37 में दिया गया है ।

(ग) और (घ) जिस सीमा तक काले धन का विकास के लिए संसाधन जुटाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, उतनी उससे छठी योजना में शामिल गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों में भी बाधा पड़ सकती है ।

काले धन को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं । छठी योजना और परिशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम की अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए भी हर प्रयत्न किया जा रहा है ।

कोरोमण्डल मिनी साल्ट प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, तूतीकोरिन के नमक का सत्यापन

2733. **श्री के० टी० कोसल राम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नमक आयुक्त और राज्य व्यापार निगम द्वारा कोरोमण्डल मिनी साल्ट प्रोड्यूसर्स एसोसियेशन तूतीकोरिन के नमक के वार्षिक उत्पादन सम्बन्धी दावों का मौके पर जाकर संयुक्त सत्यापन करने के लिए आदेश दिये गए थे ;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा सूचित किया गया कि कोरोमण्डल मिनी साल्ट प्रोड्यूसर्स एसोसियेशन अपने रिकार्ड दिखाने और नमक के ठीक नमूने देने के बारे में अनिच्छा तथा असहयोगपूर्ण रवैया है हालांकि नमक आयुक्त स्वयं भी वहां पर उपस्थित था ;

(ग) क्या मौके पर जाकर एक अन्य संयुक्त सत्यापन के आदेश दिए गए थे जिसमें नमक आयुक्त द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास के अध्यक्ष को भी सम्बद्ध किया जाना था ;

(घ) क्या नमक आयुक्त ने पत्तन न्यास, तूतीकोरिन के अध्यक्ष के नोट सहित अपना प्रतिवेदन भेज दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) नमक आयुक्त और राज्य व्यापार निगम के मुख्य विपणन प्रबन्धक द्वारा तूतीकोरिन में विभिन्न नमक उत्पादक एसोसिएशनों की वार्षिक उत्पादन और निर्यात क्षमता की मौके पर जांच करने के लिए सरकार द्वारा 30 अप्रैल 1982 को आदेश दिया गया था । जांच 3 जून, 1982 को की गई थी । किन्तु की गई जांच आदि के बारे में कुछ आपत्तियां प्राप्त होने के कारण, नमक आयुक्त द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास (तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट) के अध्यक्ष के साथ कोरामंडल मिनी साल्ट प्रोडयूसर्स एसोसिएशन की वार्षिक उत्पादन क्षमता की जांच करने के लिए सरकार द्वारा 22 जुलाई, 1982 को आदेश दिया गया था ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) नमक आयुक्त के प्राक्कलन के अनुसार, कोरामंडल मिनी साल्ट प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन की वार्षिक उत्पादन क्षमता 3 लाख मी० टन 10 प्रतिशत कम या 10 प्रतिशत अधिक बैठती है।

पाकिस्तानी हथियारों की भारत में तस्करी

2734. **श्री मंगल राम प्रेमी :**
श्री जगपाल सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पाकिस्तानी शस्त्रों की देश के विभिन्न भागों में तस्करी करने वाले एक ऐसे गिरोह का पता लगाया है जो पाकिस्तान में बने रिवाल्वरों, पिस्तोलों, विस्फोटकों तथा चाकूओं, आदि की बड़े पैमाने पर सप्लाई कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है ;

(ग) क्या गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू-काश्मीर तथा अनेक अन्य राज्यों में भी पाकिस्तानी शस्त्रों की तस्करी में वृद्धि हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो मारे गए छापों के ब्यौरे क्या हैं और प्रत्येक राज्य में जब्त की गई वस्तुओं के ब्यौरे क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (घ) राज्य सरकारों से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति-काल में नियुक्त किया जाना

2735. **श्रीमती सुमति उरांव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास प्रतिनियुक्ति पर आए अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को जिन्हें कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा तैनात किए जाने से पूर्व प्रतीक्षा करनी पड़ी, अनुमति दी गई कि वे ऐसी अवधि को अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि माने और उस प्रकार उसे ड्यूटी-काल माने ; और

(ख) यदि हां, तो कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा अनिवार्य प्रतीक्षा की अनुमत अधिकतम अवधि के बारे में सम्बद्ध नियम/उपबन्ध क्या हैं और कितने अवसरों पर ऐसी अवधि को ड्यूटी-काल नहीं माना गया/नहीं माना जाता तथा उसके कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) जिन मामलों में अधिकारियों को छुट्टी अथवा प्रशिक्षण से वापस लौटने पर अथवा उनके द्वारा धारित पद से कार्यमुक्त किए जाने पर तत्काल तैनाती नहीं दी जाती और अपनी अगली तैनाती के लिए आदेशों

की प्रतीक्षा करनी पड़ती है और जहां उनक नियन्त्रण से बाहर परिस्थितियों के कारण ऐसा होता है तो उनके द्वारा नए पद का कार्यभार ग्रहण करने तक मध्यवर्ती प्रतीक्षा काल ड्यूटी के रूप में माना जाता है। इसे मूल नियम 9(6) के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं की गई है।

महानगरों में जनसंख्या में वृद्धि

2736. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई, बंगलौर, अहमदाबाद, कलकत्ता तथा चण्डीगढ़ जैसे महानगरों में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तसम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं और उसके कारण क्या हैं और सरकार का इन नगरों में जनसंख्या को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान। तथापि जनगणना में केवल 10 लाख से अधिक जन संख्या वाले नगरों का महानगर के रूप में उल्लेख किया जाता है। इस मानदण्ड के अनुसार चण्डीगढ़ महानगर नहीं है।

(ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

शहर का नाम	दर्जा	1981 की जनगणना के अनुसार अस्थाई जनसंख्या	वृद्धि दर (%) 1961-71	1971-81
बृहत्स बम्बई	नगर निगम	8,227,332	+ 43.80	+37.80
बंगलौर	शहरी समूह	2,913,537	+ 37.82	+76.17
अहमदाबाद	—तदेव—	2,515,195	+ 44.40	+43.53
कलकत्ता	—तदेव—	9,165,650	+ 22.57	+30.35
चण्डीगढ़	—तदेव—	421,256	+134.67	+80.84

इन शहरों में जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण प्रवास है, हालांकि कुछ मामलों में क्षेत्र विस्तार से भी आंशिक रूप से जनसंख्या में वृद्धि होती है।

सरकार ने राज्य सरकारों को बराबरी के आधार पर सहायता देने के लिए छोटे और मझोले कस्बों के समग्र विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना चलाई है। स्थान और परिवहन सेवाओं से सम्बन्धित परियोजनाओं, आर्थिक कार्यों, जैसे 212 कस्बों में मंडियां और विपणन केन्द्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को धन दिया जा चुका है। केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत कस्बों में परिवहन, संचार और उद्योगों से संबंधित योजनाओं में निवेश के साथ साथ धन की

व्यवस्था करने की सम्भावना है। योजना का उद्देश्य महानगरों में जनसंख्या की वृद्धि की दर में कमी लाना और संतुलित शहरीकरण और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है।

हाल में पूरी हुई सिंचाई परियोजना के प्रकाश में छठी पंचवर्षीय योजनाओं की पुनरीक्षा

2737. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने हाल में पूरी हुई सिंचाई परियोजनाओं के प्रकाश में छठी पंचवर्षीय योजना के प्रगति की समीक्षा की है ;

(ख) यदि हां, तो सिंचाई से राज्यवार कितने क्षेत्र को लाभ होगा ;

(ग) क्या योजना आयोग ने अनाज के उत्पादन की दृष्टि से हाल में सिंचित कृषि क्षेत्रों की प्रगति का मूल्यांकन तथा समीक्षा की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) छठी योजना की मध्यावधि समीक्षा चल रही है।

(ख) बड़ी, मझौली और छोटी सिंचाई स्कीमों से सिंचाई की क्षमता के राज्यवार उपयोग का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सिंचाई के अंतर्गत लाए गए नए क्षेत्रों से खाद्यान्न के उत्पादन का कोई विशिष्ट मूल्यांकन नहीं किया गया है।

विवरण

दि० 31-3-1982 तक छठी योजना में बड़ी, मझौली और छोटी सिंचाई स्कीमों से सिंचाई की क्षमता के उपयोग का विवरण

(हजार हैक्टेयर)

क्रम संख्या	राज्य	सिंचाई की क्षमता का उपयोग
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	343
2.	असम	52
3.	बिहार	153

1	2	3
4.	गुजरात	142
5.	हरियाणा	125
6.	हिमाचल प्रदेश	15
7.	जम्मू और कश्मीर	27
8.	कर्नाटक	142
9.	केरल	86
10.	मध्य प्रदेश	377
11.	महाराष्ट्र	271
12.	मणिपुर	18
13.	मेघालय	5
14.	नागालैंड	4
15.	उड़ीसा	200
16.	पंजाब	139
17.	राजस्थान	116
18.	सिक्किम	2
19.	तमिलनाडु	73
20.	त्रिपुरा	2
21.	उत्तर प्रदेश	2096
22.	पश्चिम बंगाल	187
	उप जोड़—राज्य	4875
	संघ राज्य क्षेत्र	4
	कुल जोड़	4879

नोएडा में डाकुओं का मकानों पर आक्रमण

2738. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकुओं ने 21 सितम्बर, 1982 को सुबह को नोएडा में पांच मकानों पर हमला किया और तीन लाख रुपये का सामान उठा कर ले गये ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ;

(ग) क्या पुलिस ने वहां पर पहुंचने में बहुत अधिक समय लगाया हालांकि वहां के निवासी व्यक्तिगत रूप से उनको बुलाने गये ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ; और

(ङ) इस क्षेत्र में निवासियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ड़) उपलब्ध सूचना के अनुसार 21 सितम्बर, 1982 की रात को नोएडा में 4 डकैतों ने 5 मकानों पर हमला किया और लगभग 50,000 रु० की वस्तुएं लेकर भाग गए । निवासियों ने कोई शोर नहीं मचाया । जैसे ही पुलिस को घटना के विषय में सूचना प्राप्त हुई, वह घटनास्थल पर पहुंची । पुलिस ने अभी तक इस सम्बन्ध में एक अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया है । इस क्षेत्र में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गयी है । भारतीय दण्ड सहिता की धारा 392 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है ।

नैनीताल झील में प्रदूषण

2739. **श्री गुलाम मोहम्मद खान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनमोहक नैनीताल झील बहुत अधिक प्रदूषित है और उसमें गाद भरा है जिसके कारण उसमें मछलियां अधिक रहती हैं और नगरी को भी अशुद्ध पेय जल की सप्लाई होती है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का झील के नियमित तलकर्षण और पानी की सफाई के लिए क्या कदम उठाने का विचार हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) नैनीताल झील का प्रदूषण और गाद भरना आस पास पहाड़ी ढलानों से जल स्रोत अप्रवाह तंत्र के कारण और ढलानों पर आवासीय बस्तियों से मल-जल और स्लज के कारण भी होता है । तथापि, मछलियों के मरने के उदाहरण की कोई सूचना नहीं मिली है । नगर को पीने के लिए केवल उपचारित जल की सप्लाई की जाती है ।

(ख) झील के प्रदूषण का निवारन करने के उद्देश्य से सरकार अधिक विस्तृत क्षमता वाली एक नयी मल-जल लाइन बिछा रही है ।

मिश्रित धातु और स्टेनलैस स्टील का उत्पादन करने वाले इस्पात संयंत्र

2740. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे इस्पात संयंत्रों को मिश्रित धातु और स्टेनलैस स्टील का उत्पादन करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे इस्पात संयंत्रों के नाम क्या हैं जो उनका उत्पादन करते हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र में दुर्गापुर के मिश्र-इस्पात कारखाने, सेलम स्थित सेलम इस्पात कारखाने और भद्रावती स्थित विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड में मिश्रित/बेदाग इस्पात का उत्पादन होता है। गैर-सरकारी क्षेत्र में मिश्रित/बेदाग इस्पात के अन्य उत्पादक भी हैं।

एस० आई० एस० आई० एक्सटेन्शन सेन्टर, उदयपुर की उपलब्धियां

2741. **श्री दीन बन्धु वर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एस० आई० एस० आई० एक्सटेन्शन सेन्टर, उदयपुर (राजस्थान) की उनके प्रशिक्षण के सम्बन्ध में पिछले पांच वर्षों की उपलब्धियां क्या हैं और उनको क्या काम पर लगाया गया है ;

(ख) क्या सरकार इलैक्ट्रोप्लेटिंग से भिन्न अन्य तकनीकी विषयों में वर्कशाप तथा अन्य प्रयोगशाला सुविधाएं देने की योजना बना रही है ; और

(ग) यदि हां, तो किन तकनीकी क्षेत्रों में ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) लघु उद्योग सेवा संस्थान विस्तार केन्द्र, उदयपुर राजस्थान ने विगत 5 वर्षों के दौरान 19 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है। अधिकांश प्रशिक्षु मे० हिन्दुस्तान जिंक लि० उदयपुर, इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०, कोटा, हिन्दुस्तान कांपर लि०, खेतड़ी, राजस्थान माइन्स एण्ड मिनरल्स, उदयपुर तथा अन्य स्थानीय उद्योगों में लाभदायक पदों पर नियोजित हैं।

(ख) और (ग) विस्तार केन्द्र की मशीन शाला में विद्यमान सुविधाओं का विस्तार करने और उन्हें आधुनिक बनाने सम्बन्धी आवश्यकता का पता लगाने के लिए कार्यवाही की गई।

नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र का कार्य न करना

2742. **श्री त्रिलोक चन्द्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि नरौरा परमाणु विद्युत केन्द्र का कार्य वर्ष 1974 में आरंभ हुआ

था परन्तु इसे पूरा किये जाने की निर्धारित अवधि पूरी हो जाने के पश्चात भी उसने अभी भी कार्य करना आरंभ नही किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त संयंत्र की लागत में वृद्धि हो गई है और यदि हां, तो कितनी और उसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार इसको चालू किये जाने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं और यह परमाणु विद्युत केन्द्र कब तक आरंभ किया जाना है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मंत्रालय के गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) बिजली घर के निर्माण के काम के निर्धारित कार्यक्रम से पिछड़ जाने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :—भूमि के अधिग्रहण में सामने आई समस्याएं, भूकम्पीय परिस्थितियों के अनुसार सुधारे गए डिजाइन को अन्तिम रूप देने में हुआ विलम्ब, खास-खास उपस्करों के दिए जाने में हुआ विलम्ब, निर्माण के दौरान उत्पन्न तकनीकी समस्यायें तथा कुछ प्रकार की निर्माण सामग्री का उपलब्ध न होना।

(ग) परियोजना की संस्वीकृत लागत आरंभ में 209.89 करोड़ रुपये थी, जबकि अब यह अनुमान है कि इसके पूरा होने पर लागत लगभग 400 करोड़ रुपये बैठेगी। लागत में हुई इस वृद्धि के कारण हैं—मूल्य-वृद्धि, डिजाइन में किए गए परिवर्तन, कार्य-क्षेत्र तथा कार्य की मात्रा में हुई वृद्धि, तथा ऐसे कामों का किया जाना जिनका अनुमान पहले नहीं लगाया जा सका था।

(घ) तथा (ङ) इस बात की कोशिश की जा रही है कि निर्माण-कार्यों को यथा-संभव साथ-साथ चलाया जा सके ताकि उपस्करों के मिलने में हुई देरी का प्रभाव घट जाए और प्रमुख नाभिकीय उपस्करों के बनाने और सप्लाई के काम में तेजी लाई जा सके। आशा है कि नरोरा बिजली-घर के दोनों यूनिट क्रमश: वर्ष 1986-87 और वर्ष 1987-88 में चालू कर दिए जाएंगे।

नई इलैक्ट्रानिक्स नीति

2743. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या नई इलैक्ट्रानिक्स नीति तैयार की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इसे अन्तिम रूप कब तक दिया जायेगा ?

इलैक्ट्रानिकी विभाग में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की योजना

2744. **श्री एम० रामगोपाल नायडू :**
श्री सुभाष यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपने संयन्त्रों के लिए परमाणु ईंधन के क्षेत्र में स्वदेशी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कोई दीर्घावधि योजना बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मंत्रालय के गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) तथा (ख) भारत अपने बिजली सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए आवश्यक परमाणु ईंधन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है।

खेतड़ी तांबा परियोजना में नियुक्त स्थानीय कर्मचारी

2745. **श्री भीम सिंह :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह क्या सच है कि खेतड़ी तांबा परियोजना सरकारी क्षेत्र का एक उद्यम है ;

(ख) यदि हां, तो इस संयन्त्र में श्रेणी-एक, दो, तीन और चार में स्थानीय श्रमिकों/कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या-क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने स्थानीय लोगों के लिए और अधिक नौकरियां सुनिश्चित करने हेतु कोई योजना बनाई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) कुल नियुक्त कर्मचारियों में स्थानीय लोगों का प्रतिशत निम्नलिखित है :—

वर्ग	कुल कर्मचारियों में स्थानीय लोगों का प्रतिशत
श्रेणी-1	22%
श्रेणी-2	32%
श्रेणी-3	81%
श्रेणी-4	97%
जोड़	79%

(ग) और (घ) रोजगार के पात्र स्थानीय लोगों को रोजगार सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार ने मार्गदर्शी नियम जारी किये हैं तथा रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत इस आशय का नियम बनाया है कि अधिकतम रु० 800/- प्रतिमाह के वेतनमान के सभी खाली पदों की सूचना स्थानीय रोजगार कार्यालय को दी जाए जहां आमतौर पर रोजगार के इच्छुक आस-पास के क्षेत्रों के लोगों के नाम दर्ज होते हैं। उपर्युक्त पदों पर अन्य स्रोतों से भर्ती तभी की जा सकती है जब स्थानीय रोजगार कार्यालय द्वारा उपयुक्त उम्मीवार न मिलने के बारे में लिखित प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए।

हिन्दी के प्रयोग के बारे में परिपत्र जारी किया जाना

2746. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने और "सम्पर्क भाषा" का विकास करने के लिए 1977 से बहुत से परिपत्र जारी किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और जारी किए जाने की तारीख क्या है और क्या उनकी प्रतियां सभा पटल पर रखी जाएंगी ; और

(ग) वर्ष 1980 के पश्चात से उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने इन परिपत्रों के आदेशों का पालन नहीं किया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी हां, केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों मे हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बहुत से परिपत्र जारी किए गए हैं।

(ख) ऐसे सभी परिपत्रों की संख्या और जारी करने की तिथियां "हिन्दी के प्रयोग सम्बन्धी आदेशों का संकलन (द्वितीय संस्करण)" में छप चुकी हैं तथा संसद के पुस्कालय में इस संस्करण की प्रतियां राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1008 दिनांक 6 मई, 1982 के उत्तर के संदर्भ में उपलब्ध करा दी गई थीं।

(ग) सरकार राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए किसी दण्ड का सहारा लेने के बजाए अनुनय विनय और प्रोत्साहन का मार्ग अपनाना अधिक उपयुक्त समझती है। इसलिए किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई।

सुजुकी का मारुति के साथ किए गए करार की तुलना में पाकिस्तान आटोमोबाइल कार्पोरेशन के साथ किया गया करार

2747. **श्री बाबू राव परांजपे :**
श्रीराम जेठमलानी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स सुजुकी ने, जिसने यात्री कार के उत्पादन के लिए मारुति लिमिटेड के

साथ सहयोग-करार किया है ; जून, 1982 में 'पाकिस्तान आटोमोबाइल कार्पोरेशन' के साथ भी एक करार किया है, जिसके अन्तर्गत 57 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई जाएगी तथा 25 हजार कार आदि प्रतिवर्ष बनाई जाएगी और कार का अनुमानित मूल्य लगभग 25 हजार रुपये होगा ;

(ख) यदि हां, तो जापान की सुजुकी कम्पनी द्वारा भारत की मारुति कम्पनी के साथ किए गए करार तथा उसके दो महीने बाद पाकिस्तान की सरकारी कम्पनी के साथ किए गए करार से सम्बन्धित (1) पूंजी निवेश, (2) उत्पादन क्षमता, (3) कार के अनुमानित मूल्य के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) यह बताया जाता है कि जापान की मे० सुजुकी मोटर कम्पनी लिमिटेड ने पाकिस्तान में गाड़ियों के निर्माण के लिए समझौता किया है। मारुति उद्योग लिमिटेड परियोजना की पाकिस्तान परियोजना से तुलना करना उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि परियोजना का विवरण, पैरामीटर और क्षेत्र समान नहीं हैं। मारुति परियोजना में निर्माण की प्रौद्योगिकी और कारखाने के अन्दर निर्माण सुविधाएं पाकिस्तानी परियोजना से भिन्न हैं। पाकिस्तान में कार के प्रस्तावित मूल्य के बारे में प्रमाणित ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु समझा जाता है कि प्रश्नगत गाड़ी की कीमत लगभग 50,000 पाकिस्तानी रुपये हो सकती है।

हिमाचल प्रदेश में नीजला अखबारी कागज कारखाने का लाइसेंस रद्द करना

2748. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के विलासपुर जिले में नीजला में अखबारी कागज का एक कारखाना खोलने हेतु लाइसेंस गत पांच वर्षों के दौरान रद्द कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख को और किन कारणों से यह लाइसेंस रद्द किया गया था और किस फर्म को यह लाइसेंस दिया गया था ;

(ग) क्या किसी अन्य फर्म/कम्पनी अथवा उद्योगपति ने मिल स्थापित करने हेतु प्रस्ताव किया है अथवा उनसे सम्पर्क किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं और इसके क्या परिणाम रहे ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जी, हां। मैसर्स बल्लारपुर पेपर एण्ड स्ट्रां बोर्ड लिमिटेड (श्री गोपाल प्रभाग) को नीला (हि० प्र०) में 60,000 मी० टन प्रति वर्ष अखबारी कागज की क्षमता वाला एक कारखाना स्थापित करने के लिए वर्ष 1961 में एक औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया था। चूंकि पार्टी योजना का कार्यान्वयन न कर सकी, अतः लाइसेंस 27-4-77 को प्रति संहृत कर दिया गया।

(ग) और (घ) श्री बी० डी० सोमानी को बिलासपुर (हि० प्र०) में अखबारी कागज/कागज मिल स्थापित करने के लिए वर्ष 1976 में एक आशय पत्र जारी किया गया था। चूंकि पार्टी उस आशय पत्र का कार्यान्वयन न कर सकी अतः इसे भी 27-3-1981 को रद्द कर दिया गया।

नई योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश को धन राशि

2749. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नई योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को धनराशि दी है ;

(ख) यदि हां, तो नई योजनाओं के लिए इस राशि में से बरेली और पीलीभीत जिलों को कितनी राशि दी जाएगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) उत्तर प्रदेश की चालू वर्ष की योजना में केन्द्रीय अनुमोदन की आवश्यकता वाली कोई नई स्कीमें शामिल नहीं की गई हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिवहन राज सहायता योजना की पुनः संरचना

2750. **श्री चिंग वांग कोनयक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों के शीघ्र विकास के लिए परिवहन राज सहायता योजना की पुनः संरचना का निर्णय लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सरकार पर्वतीय और दूरवर्ती क्षेत्रों के शीघ्र औद्योगिक विकास के हित के मामले की समीक्षा कर रही है।

क्योंझर जिले में पाए गए स्वर्ण स्थल

2751. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा के क्योंझर जिले में जोड़ा के पास के क्षेत्र प्री-कमवेरियन चट्टानों में सोना होने का पता चला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) *जी, नहीं।*

(ख) परन्तु भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण क्योंझर जिले के तेलकोई क्षेत्र की प्री-केम्वेरियन चट्टानों में स्वर्ण की खोज कर रहा है।

भारत की इस्पात की प्रतिव्यक्ति खपत

2752. **श्री चित्त बसु** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की इस्पात की एक वर्ष में लगभग 14 किलोग्राम की प्रतिव्यक्ति खपत विश्व में निम्नतम खपत बनी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए अब तक क्या विशेष कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) वर्ष 1980 में भारत में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत 16 किलोग्राम अपरिष्कृत इस्पात के बराबर थी। यह खपत इस्पात का उत्पादन करने वाले मुख्य-मुख्य देशों में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत की तुलना में कम थी।

(ख) इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास की स्थिति और लोगों के रहन-सहन के स्तर पर निर्भर करती है। आगामी वर्षों में देश में इस्पात की मांग को पूरा करने के लिए इस्पात उद्योग की उत्पादन क्षमता का विस्तार किया जा रहा है।

"न्यूक्लियर यूनिट्स के सीरियस प्राब्लम्स" शीर्षक से समाचार

2753. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या विभाग का लक्ष्य इस शताब्दी के अन्त तक आणविक बिजली की वर्तमान 860 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता को बढ़ाकर 10,000 मेगावाट करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस लक्ष्य को प्राप्त करते के लिए उपाय और साधनों का पता लगा लिया गया है अथवा पता लगाने का विचार है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिक, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मंत्रालय के गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां। हमारे देश में उपलब्ध यूरेनियम के वर्तमान प्रमाणित भंडार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं। इसके अलावा, छठी पंचवर्षीय योजना में यह प्रावधान किया गया है और भविष्य की पंचवर्षीय योजनाओं में भी इस बारे में पर्याप्त प्रावधान किया जाएगा कि आरम्भ में नरोरा के रिएक्टर जैसे 235 मेगावाट क्षमता के रिएक्टर लगाए जाएं, और बाद में अपेक्षाकृत बड़े यूनिट लगाए जाएंगे जो 500 मेगावाट क्षमता के होंगे। इस समय चालू परमाणु बिजली घरों की स्थापित क्षमता 860 मेगावाट है और निर्माणाधीन परमाणु बिजली घरों की स्थापित क्षमता 1410 मेगावाट होगी। ईंधन और भारी पानी के उत्पादन की सुविधाएं भी आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा रही हैं। भारत के उद्योगों को इस काम के योग्य बनाने के लिए कि वे इस

कार्यक्रम के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के कल-पुर्जों का उत्पादन कर सकें, उन उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत शुरू की गई है।

कर्नाटक में चन्दन की लकड़ी का अभाव

2754. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि वनों के अवैध रूप से काटे जाने के कारण कर्नाटक से चन्दन जैसी बहुमूल्य इमारती लकड़ी का लोप हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वनों की अवैध कटाई को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना कर्नाटक सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आणविक ऊर्जा संयंत्रों के लिये भारी जल का उत्पादन

2755. **श्री नरसिंह मकवाणा :**
श्री कृष्ण प्रताप सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) देश में ऐसी कितनी फैक्ट्रियां हैं जो आणविक ऊर्जा संयंत्रों के लिये भारी जल का उत्पादन करती हैं और वे कितने भारी जल का उत्पादन करते हैं ;

(ख) देश में भारी जल की कुल मांग कितनी है और इस समय कितने भारी जल का उत्पादन होता है तथा भारी जल के शेष मांग को किस तरह पूरा करने का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार ने भारी जल के संबंध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये कोई योजना तैयार की है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मंत्रालय के गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० एन० सिंह) : (क) इस समय तीन भारी पानी संयंत्र काम कर रहे हैं और दो को चालू करने का काम चल रहा है। वर्ष 1981-82 में 39.4 टन भारी पानी का उत्पादन हुआ था।

(ख) भारी पानी की मांग रिएक्टरों के चालू होने के कार्यक्रम के अनुसार अलग-अलग वर्षों में अलग-अलग रहती है। चालू वर्ष के लिए 426 टन भारी पानी की आवश्यकता है जबकि 124 टन भारी पानी का उत्पादन होने का अनुमान है। इस प्रकार रही कमी को कम ग्रेड वाले भारी पानी का ग्रेड बढ़ाने के बाद उपलब्ध भारी पानी से पूरा किया जायेगा। इसके अलावा, सोवियत संघ से भारी पानी के आयात के लिए एक संविदा भी की जा चुकी है।

(ग) मौजूदा भारी पानी संयंत्रों की "आन-स्ट्रीपिंग" प्रक्रिया को सुधार कर और उनके प्रचालन तथा रख-रखाव को दक्षतापूर्वक करके उनमें अधिकतम उत्पादन करने का प्रयास किया जा रहा है। चालू वित्त-वर्ष में दो और भारी पानी संयंत्रों के चालू हो जाने और अतिरिक्त भारी पानी संयंत्रों के लग जाने से भारी पानी के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली जाएगी।

सीमेन्ट का उत्पादन और राज्यों को आवंटन

2756. **श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में सीमेन्ट उत्पादन के राज्य वार और वर्ष वार आंकड़े क्या हैं और राज्यों को आवंटित किए गए सीमेंट की राज्य-वार मात्रा कितनी है ; और

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का अनुरोध किया है और उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) कारखाने वार/राज्यवार उत्पादन और राज्यवार सोमेंट का आवंटन दर्शाने वाले दो विवरण अनुबन्ध I और II संलग्न हैं। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं०-एल० टी० 5547/82]

(ख) औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति के लिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़िसा राज्यों के सरकारी क्षेत्र के निगमों से आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। वे विचार की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के आयात बिल

2758. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना अवधि और पिछले तीन वर्षों में करों और शुल्कों सहित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के वर्षवार आयात बिल क्या थे ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में सम्मिलित न किए गए अन्य विदेशी मुद्रा व्यय क्या थे ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण		आयात मूल्य							
1.	आयात मूल्य	1974-75	75-76	76-77	77-78	78-79	79-80	80-81	81-82
1.1	कच्चे माल का लागत बीमा भाड़ा मूल्य	49.9	65.1	32.1	48.6	63.0	75.1	56.7	85.9
1.2	खरीदे गये तथा फालतू पुर्जों समेत हिस्से पुर्जे	37.7	43.7	69.4	64.3	93.9	106.5	121.2	122.3
1.3	पूंजीगत सामान	1.3	4.9	9.4	20.8	10.5	14.0	19.5	21.8
1.4	आयात का लागत बीमा भाड़ा मूल्य (1.1+1.2+1.3)	88.9	113.7	110.9	133.7	167.4	195.6	197.4	230.0
2.	भुगतान किया गया सीमा शुल्क	43.0	56.0	53.0	63.0	86.0	98.0	107.0	144.0
3.	सीमा शुल्क अर्थात् (1+2) समेत आयात का कुल मूल्य	131.9	169.7	163.9	196.7	253.4	293.6	304.4	374.0
ख*	अन्य विदेशी व्यय	5.20	5.75	13.02	25.39	37.81	32.27	20.27	18.73

* *विदेशी स्थल, ब्याज का भगतान रायल्टी इत्यादि का व्यय शामिल है।*

वार्षिक योजना 1983-84 के लिए राज्यों के प्रस्तावों के प्रारूप

2759. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को यह दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि वर्ष 1983-84 के लिये वार्षिक योजना में 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर, जिसके ग्रामीण क्षेत्रों में परिणाम प्राप्त होने आरंभ हो गये हैं, पर्याप्त बल दिया जाये ; और

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उद्योगों की स्थापना के लिये व्यवसायिक अध्ययन लागू करने के लिये प्रश्न को भी दिशा निर्देशों में समुचित स्थान दिया गया है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1983-84 की वार्षिक योजना को तैयार करने के लिए योजना आयोग द्वारा नए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए जा रहे हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में राज्य सरकारों का ध्यान नए 20-सूत्री कार्यक्रम और माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक दृष्टिकोण की आवश्यकता की ओर किया गया है। किन्हीं विशेष प्रकार के व्यावसायिक अध्ययनों का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है।

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्यों को आवंटित और उनके द्वारा खर्च की गई धनराशि

2760. **श्री टी० आर० शामन्ना** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों की छठी पंचवर्षीय योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई थी और योजना के पहले दो वर्षों में अब तक (राज्यवार) कितनी धन-राशि खर्च की गई है ; और

(ख) राज्यों को तदनुरूप निधि हेतु खर्च करने के लिए कितनी धनराशि दी गई है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) राज्यों के संसाधनों और वर्ष 1980-82 की अवधि में संभावित व्यय सहित राज्यवार छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के परिव्यय संलग्न विवरण में दिखाए गए हैं।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के अनुमोदित परिव्यय और 1980-82 की अवधि में व्यय

(करोड़ रु०)

राज्य	छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85)	1980-82 की अवधि में संभावित व्यय
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	3100.00 (2194.30)	1007.92
असम	1115.00 (287.98)	402.60

1	3	4
बिहार	3225.00 (1964.50)	1025.47
गुजरात	3680.00 (3080.32)	1215.60
हरियाणा	1800.00 (1565.15)	530.74
हिमाचल प्रदेश	560.00 (122.65)	194.04
जम्मू और कश्मीर	900.00 (-109.00)	314.00
कर्नाटक	2265.00 (1725.80)	815.93
केरल	1550.00 (1119.84)	574.06
मध्य प्रदेश	3800.00 (2786.61)	1206.58
महाराष्ट्र	6175.00 (5299.09)	1963.75
मणिपुर	240.00 (—0.50)	82.77
मेघालय	235.00 (39.00)	87.28
नागालैंड	210.00 (0.50)	72.81
उड़ीसा	1500.00 (840.47)	523.15
पंजाब	1957.00 (1657.00)	630.97
राजस्थान	2025.00 (1398.69)	684.63
सिक्किम	122.00 (2.50)	44.89
तमिलनाडु	3150.00 (2485.20)	1034.48
त्रिपुरा	245.00 (40.37)	85.33
उत्तर प्रदेश	5850.00 (3920.96)	1938.45
पश्चिम बंगाल	3500.00 (2819.74)	1088.89
जोड़ :	47204.00 (33241.67)	15524.34

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित राज्य सरकार द्वारा छठी योजना के परिव्यय की वित्त-व्यवस्था करने के लिए उसके अपने संसाधनों से धनराशि के अंशदान के लिए हैं।

नेपाल में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

2761. श्री रामजी भाई मावणि :
श्री राम विलास पासवान :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री नवीन रवाणी :
श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कुटीर उद्योग के विकास के लिये नेपाल के एक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए वितीय रूप से और अन्य मामलों में सहायता देने को सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कितनी राशि दी जायेगी ;

(ग) नेपाल से भारत को इसके बदले क्या सहायता मिलेगी ;

(घ) क्या सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में औद्योगिक सहयोग की संभावना की वृद्धि और विस्तार के लिये संयुक्त औद्योगिक समिति का गठन किया जा चुका है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और उक्त समिति की शर्तों, निदेश पदों और क्षेत्र सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) नेपाल ने बुटवाल में प्रमुखत: हल्के इंजीनियरी उद्योगों के लिए एक औद्योगिक बस्ती की स्थापना में सहायता करने के लिए सहमत हो गया है ।

(ख) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और लागत अनुमानों को अभी तैयार किया जाना है ।

(ग) नेपाल को आर्थिक सहयोग बढ़ाने और इसके साथ मैत्री सम्बन्धों को मजबूत करने में औद्योगिक बस्ती की स्थापना करना एक और कदम होगा ।

(घ) और (ङ) सिद्धान्तत: नेपाल और भारत सरकार दोनों देशों के बीच औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त औद्योगिक समिति को गठित करने हेतु समहत हो गई है। विचारार्थ विषयों सहित विस्तृत विधि को अभी अंतिम रूप दिया जाना है ।

गुजरात ट्रैक्टर्स लिमिटेड, बड़ोदा पर बकाया राशि

2762. प्रो० अजित कुमार मेहरा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'इंडियन मशीनरी स्टोर्स लिमिटेड, पटना' द्वारा जमा की गई जमानत राशि सहित गुजरात ट्रैक्टर्स लिमिटेड, बड़ौदा पर अनेक ऋणदाताओं की बड़ी राशियां बाकी हैं और बकाया राशि के विवाद को सुलझाने के लिए ऋण वापसी आयुक्त की नियुक्त की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऋण वापसी आयुक्त द्वारा बकाया राशि का निपटारा कर दिया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1978 के अनुसार कम्पनी को गुजरात राज्य सरकार में निहिति किया गया था जिसने उपक्रम के कार्यों को चलाने के लिए गुजरात ट्रैक्टर्स कार्पोरेशन लिमिटेट नामक नई कम्पनी का गठन किया। अधिनियम की धारा 5 (2) के अंतर्गत कुछ देयताएं जैसे कम्पनी को केन्द्रीय या राज्य सरकार या बैंक द्वारा दिए गए ऋण केन्द्रीय सरकार में निहित कर दिए गए हैं। अधिनियम की धारा 5(1) के अधीन आने वाली हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड की बकाया देयताओं का भुगतान अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भुगतान आयुक्त को दी गई धनराशि में से भुगतान आयुक्त द्वारा अधिनियम की अनुसूची के अन्तर्गत दी गई प्राथमिकताओं के क्रम में किया जायेगा। इस प्रयोजन के लिए भुगतान आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई है। वह तारीख जिस तक दावेदार उनको अपना दावा प्रस्तुत कर सकेंगे, विनिर्दिष्ट करते हुए एक अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जायेगी।

रंगीन टी० वी० ट्यूबों का उत्पादन

2763. **श्री सज्जन कुमार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में रंगीन टी० वी० ट्यूबों के उत्पादन के लिए एक फैक्टरी लगाने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन नयी, प्रौद्योगिकी के लिये किन-किन देशों से जानकारी प्राप्त की जा रही है और क्या एशियाई खेलों के आरम्भ होने से पहले पिक्चर ट्यूबों का उत्पादन संभव हो सकेगा ; और यदि हां, तो उनका उत्पादन कब तक होने की संभावना है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) पंजाब राज्य सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की मेसर्स पंजाब डिस्प्ले डिवाइसिज लिमिटेड (पी० डी० डी० एल०) नामक कंपनी को प्रतिवर्ष 4 लाख रंगीन दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों का उत्पादन करने के लिए 27 जनवरी, 1982 को एक आशय-पत्र जारी किया गया है।

(ग) मेसर्स पंजाब डिस्प्ले डिवाइसिज रंगीन दूरदर्शन ट्यूबों के उत्पादन की तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए जापान की एक विख्यात कंपनी के साथ बातचीत कर रही है। नवम्बर 1982 में आयोजित होने वाले एशियाई खेलों से पूर्व उत्पादन शुरू होने की संभावना नहीं है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की रिक्त आर्डर पुस्तिकाएं

2764. **श्री बालकृष्ण बासनिक** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की आर्डर-पुस्तिकाएं रिक्त हैं तथा कम्पनी को धूमिल भविष्य का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) बी० एच० ई० एल० के पास 1983-84 तक ताप तथा जल विद्युत जनित्रण उपकरणों के लिए पर्याप्त क्रयादेश हैं। 1984-85 की क्रयादेश स्थिति से यह दिखाई देता है कि इसमें मामूली सा अन्तराल है और बाद के वर्षों की क्रयादेश स्थिति में और अधिक अन्तराल दिखाई देता है। केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण/योजना आयोग द्वारा और अधिक परियोजनाओं को स्वीकृति देने से और बी० एच० ई० एल० को क्रयादेश देकर बी० एच० ई० एल० की कार्यशालाओं को और अधिक पूरी तरह कार्यभार प्रदान किया जा सकता है। इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

यह भी निर्णय लिया गया है कि बी० एच० ई० एल० की क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए।

कापियों के निर्माताओं की अग्रिम जमा धनराशि वापस करना

2765. **श्री निहाल सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक कापी निर्माता की अग्रिम जमा धनराशि में से कितनी धनराशि वापस की गई और उन मिलों के नाम क्या हैं जिन्हें अभी भी अग्रिम धनराशि का भुगतान करना है और वह धनराशि किस अवधि से सम्बन्धित है ;

(ख) क्या जैसे ही सस्ते कागज के मूल्य बढ़ते हैं सभी कागज मिलें कापी निर्माताओं को अग्रिम जमा धनराशि चेक द्वारा वापस कर देती हैं जबकि उन मिलों द्वारा अग्रिम जमा धनराशि के बैंक ड्राफ्ट ही स्वीकार किए जाते हैं और यदि हां, तो इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उन कागज मिलों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने पिछले डेढ़ वर्ष तक उक्त निर्माताओं की अग्रिम जमा धनराशि रखी हुई है और निर्माताओं को कागज की आपूर्ति नहीं की है और सरकार द्वारा इन कागज मिलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) कापी बनाने के लिए छपाई के सफेद कागज का आवंटन राज्य स्तरीय समितियों द्वारा किया जाता है एवं आबंटी मिलों को आदेश (आर्डर) दे देते हैं तथा सीधे कागज प्राप्त करते हैं। आवंटियों द्वारा मिलों को आर्डर देने का स्वरूप गैर सरकारी पार्टियों के बीच वाणिज्यिक लेन-देन जैसा होता है। इसी-लिये सरकार को भुगतान के तरीकों और ब्याज प्रभार, विभिन्न मिलों के पास अग्रिम जमा की

राशियों, जमा राशियों को वापस करने के तरीकों और उन मिलों के ब्यौरे जिन्होंने अग्रिम जमा राशियां रखी हुई हैं, के ब्यौरे के बारे में जानकारी नहीं है।

बिहार सरकार की अप्रयुक्त राशियां

2766. **श्री कुंवर राम** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 के दौरान बिहार सरकार की शीर्ष-वार कितनी धनराशि अप्रयुक्त रही ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1981-82 में योजना व्यय 560 करोड़ रु० के अनुमोदित परिव्यय के बराबर ही है और इस प्रकार इस वर्ष में उपयोग में न लाई गई कोई शेष राशि नहीं थी।

"पासिब्लीटी आफ डायमंड डिपोजिट्स इन झालावाड़" शीर्षक समाचार

2767. **श्री चतुर्भुज** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के साधनों के माध्यम से 28 सितम्बर, 1982 के "राष्ट्रदूत" में "पासिब्लीटी आफ डायमंड डिपोजिट्स इन झालावाड़" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कब तक किया जायेगा और खनन कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा और इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने झालावाड़ में हीरों के निक्षेपों के बारे में कोई अन्वेषण नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पुरानी लुगदी और कागज मशीनरी का आयात

2768. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** :
श्री जगपाल सिंह :
श्री रशीद मसूद :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयंत्रों की स्थापना पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के बावजूद कुछ प्रसिद्ध फर्में पर्याप्त मात्रा में पुरानी और घटिया लुगदी तथा कागज मशीनरी का आयात कर रही हैं और सरकार उन पुराने लाइसेंसों को भी पुनः मान्यता दे रही है ; बहुत समय पहले जिनकी अवधि समाप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) देश के कागज उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) कागज का उत्पादन करने के लिए मूल गौण कच्ची सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित करने और देश में कागज की कमी को कम करने के विचार से वर्ष 1975-81 की अवधि में कागज और लुग्दी की पुरानी मशीनों का आयात करने की अनुमति दी गई थी । आयातों पर वास्तविक रूप से विचार किया गया था तथा इन मशीनों की शर्त और उनके शेष जीवन सम्बन्धी उनकी गारंटी अवधि को ध्यान में रखकर स्वीकृति प्रदान की गई थी । इस नीति के फलस्वरूप इन मिलों की संख्या वर्ष 1974 में 63 थी उससे बढ़कर 1981 में 136 हो गई । इस अवधि के दौरान लघु कागज मिलों के कारण कागज की उद्योग क्षमता में अधिक बढ़ोतरी हुई है । मार्च, 1981 से पुरानी कागज मशीनों का सामान्य आयात रोक देने का निर्णय लिया गया है । किन्तु आयात सम्बन्धी पुराने लाइसेंसों की पुनः वैधता पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है ।

दक्षिण गोवा के लिए एक नया जिला बनाना

2769. **श्री एडु आर्डो फैलोरो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा, दमन और दीव सरकार ने दक्षिण गोवा के लिए एक नया जिला बनाने का विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने यह प्रस्ताव कब भेजा था और उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गोवा प्रशासन का अनुरोध स्वीकार करने में देरी होने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) दिसम्बर, 1981 में गोवा, दमण और दीव सरकार ने वर्तमान गोवा जिले को उत्तर गोवा जिला और दक्षिण गोवा जिला के दो भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव भेजा था । चूंकि प्रस्ताव अपूर्ण था अतः गोवा प्रशासन को विस्तृत प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है जिसकी प्रतीक्षा है ।

सिरोही में सीमेन्ट फैक्ट्री के मजदूरों को दैनिक मजदूरी

2770. **श्री विरदा राम फलवारिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिरोही की सीमेंट फैक्ट्री में काम शुरू हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस फैक्ट्री में कितने मजदूर काम करते हैं और उनकी मजदूरी क्या है ; और

(ग) इस फैक्ट्री में प्रतिदिन कितने सीमेंट का उत्पादन होता है और सरकार को इस फैक्ट्री से कितनी वार्षिक आय होती है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) सीमेंट कारखाने से सूचना मिली है कि इस कारखाने में अस्थायी और आकस्मिक मजदूरों सहित लगभग 415 व्यक्ति प्रतिदिन काम करते हैं और इन्हें नए सीमेंट संयंत्रों के मजदूरी बोर्ड पंचनिर्णय (वेज बोर्ड अवार्ड) की सिफारिशों और राजस्थान राज्य सरकार के आदेशों से जो लागू न्यूनतम मजदूरी है उसी के अनुसार मजदूरी दी जाती है।

(ग) सीमेंट कारखाने ने सूचित किया है कि हालांकि इस संयन्त्र की क्षमता 1500 मी० टन प्रतिदिन है। किन्तु बिजली और अन्य कठिनाइयों के कारण 15-8-82 से 30-9-1982 के बीच वास्तविक उत्पादन केवल 9200 मी० टन रहा। 135 रुपये प्रति मी० टन की दर से सरकार को उत्पादन शुल्क की प्राप्ति होती है।

अनुसूचित जातियों की सूची का पुनरीक्षण

2771. श्री छोटे सिंह यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष दिल्ली में अनुसूचित जातियों की सूची का पुनरीक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें शामिल की गई जातियों के नाम क्या-क्या हैं ;

(ग) क्या इस सूची में बेरवा जाति को भी शामिल किया गया है जिसके लिए हरिजन कल्याण परिषद (दिल्ली) ने सिफारिश की थी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की सूची में बेरवा को शामिल करने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर अन्य ऐसे प्रस्तावों, सिफारिशों, सुझावों और अभ्यावेदनों के साथ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में प्रस्तावित व्यापक संशोधन करने के संदर्भ में और इस सम्बन्ध में अपनाये गए सम्बद्ध मानदण्ड के अनुसार सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और भारत के महापंजीयक से परामर्श करके विधिवत विचार दिया जा रहा है। कुछ राज्य सरकारों से टिप्पणियां अभी प्रत्याशित हैं और उन्हें नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 341 (2) और 342 (2) को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की विद्यमान सूचियों में कोई संशोधन संसद के किसी अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है।

अभ्यारण्यों में जंगली पशुओं की संख्या में वृद्धि

2772. श्री के० मालन्ना : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या अभयारण्यों में जंगली पशुओं की संख्या में कोई वृद्धि हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक अभयारण्य में चीतों, चीतलों, सांभरों, बुल-बुलों और लकड़बग्घों, भेड़ियों, लोमड़ियों, जंगली बिल्लियों, जंगली रीछों, शेरों, हिरणों और अन्य पशुओं की संख्या सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) देश के सभी अभयारण्यों में सभी वन्य-जीवन प्रजातियों के लिए विस्तृत संगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, अभी हाल के वर्षों में किये गए संरक्षण उपायों के परिणामस्वरूप स्थिति में निश्चित रूप से सुधार हुआ है और रिपोर्ट मिली है कि जंगली जन्तुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है ।

सरकारी सेवा में वरीयता निर्धारित करने का मानदण्ड

2773. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी सेवा में वरीयता निर्धारित करने का मानदण्ड क्या है ;

(ख) क्या एक कर्मचारी जिसने विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में निरन्तर काम करके अपनी पूरी सेवा में अधिक वर्षों तक सरकार की सेवा की हो, को उन कर्मचारियों, जिन्होंने कम वर्षों तक, किन्तु एक विशिष्ट कार्यालय में, सरकार की सेवा की हो, से वरिष्ठ माना जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) यदि संगत सेवा नियमों में कोई अलग विशिष्ट उपबन्ध न किए गए हों तो सेवा में वरिष्ठता का निर्धारण कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (गृह मंत्रालय) के दिनांक 22-12-1959 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/11/55-आर० पी० एस० में दिए गए सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ख) तथा (ग) वरिष्ठता का निर्धारण पदों के लिए पृथक रूप से किया जाता है, जो किसी एकल संवर्ग के भाग होते हैं, चाहे वे किसी एक कार्यालय के भीतर हों, अथवा कार्यालयों के किसी समूह में हों । किसी नए संवर्ग में किसी पद पर नियुक्त किए गए किसी अधिकारी को नए संवर्ग में अपनी वरिष्ठता, उस मामले में लागू नियमों के अनुसार प्राप्त होती है ।

उद्योग स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन

2774. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग तथा आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि के लिए पिछले तीन वर्षों में वर्षवार प्रोत्साहन दिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रोत्साहनों का क्या परिणाम निकला ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने में सहायता के लिए पिछड़े क्षेत्रों की उन्नति हेतु राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश के प्रशासनों द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों और सुविधाओं के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय निवेश राजसहायता, परिवहन राजसहायता, रियायती वित्त, कर रियायतें, लघु उद्योगों द्वारा किराया खरीद आधार पर मशीनों की खरीद, तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श, ब्याज राजसहायता, कच्चे माल के आयात हेतु विशेष सुविधायें तथा सीड़/मार्जिन धनराशि सहायता के रूप में राजकोसीय एवं वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है ।

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1979-80, 1980-81, और 1981-82 के दौरान देश में पता लगाए गए पिछड़े क्षेत्रों/जिलों में स्थापित औद्योगिक एककों को दी जाने वाली राजसहायता की प्रतिपूर्ति के रूप में राज्य सरकारों/संघ.शासित प्रदेश के प्रशासनों को क्रमशः 12.00 करोड़ रुपये, 30.55 करोड़ रुपये और 20.00 करोड़ रुपये दिये गये ।

राष्ट्रीय आय में वृद्धि

2775. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980-81 के दौरान राष्ट्रीय आय में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि रिकार्ड की गई ;

(ख) यदि हां, तो आय में वृद्धि के सहयोगी कारण क्या हैं ; और

(ग) राष्ट्रीय आय में यह वृद्धि कहां तक उसी वर्ष के दौरान की मूल्य वृद्धि के अनुरूप है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1980-81 के दौरान प्रचलित भावों पर राष्ट्रीय आय में 19.4 प्रतिशत की वृद्धि रिकार्ड की गई है । मूल्य में लगभग 11 प्रतिशत की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए स्थिर भावों (1970-71) पर राष्ट्रीय आय में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

वर्ष 1980-81 के दौरान राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि मुख्यतः कृषि क्षेत्र के निष्पादन में विशिष्ट सुधार के कारण हुई जिससे वास्तविक रूप में 13 प्रतिशत की व्यापक वृद्धि पंजीकृत की गई है, सरकारी प्रशासन के द्वारा सम्बन्धित मूल्य में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि रिकार्ड की गई है, वर्ष के दौरान शेष क्षेत्रों में भी 3 प्रतिशत से 5 2 प्रतिशत की श्रेणी तक सामान्य वृद्धि पंजीकृत की गई है ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को स्वैछिक सेवानिवृत्ति के लिए अतिरिक्त पांच वर्षों का लाभ

2776. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 से 33 वर्ष की सेवा वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के लिए अतिरिक्त पांच वर्षों का लाभ देने की अनुमति नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं जबकि 30 वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारियों को यह लाभ दिया जाता है ; और

(ग) क्या सरकार इस त्रुटि को दूर करने और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए 30 वर्ष की सेवा के बाद अतिरिक्त 5 वर्षों के लाभ की अनुमति देने का विचार रखती है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी, हां ।

(ख) 5 वर्ष तक के अतिरिक्त लाभ के साथ 20 वर्षों की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति की योजना लागू किए जाने से पूर्व, सरकारी कर्मचारी 30 वर्षों की सेवा के बाद बिना अतिरिक्त वर्षों के लाभ के सेवानिवृत्त होने के पहले ही हकदार थे । सरकार ने इस नियम में कोई परिवर्तन नहीं किया है और यह पहले की तरह अब भी विद्यमान है ।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए, नियमों में कोई त्रुटि मालूम नहीं पड़ती ।

वनों पर आधारित उद्योग की स्थापना

2778. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी लोगों के लाभार्थ देश में आदिवासी क्षेत्रों में वनों पर आधारित उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) देश के विभिन्न राज्यों/जिलों में स्थित जन-जातीय क्षेत्र जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं। अधिकांश जिला उद्योग केन्द्रों ने कार्रवाई योजनाएं तैयार की हैं जिनमें जिले में उपलब्ध अधिशेष स्रोत, कुशलता और मांग की जानकारी दी गई है । इन कार्रवाई योजनाओं के आधार पर स्थापित किए जा सकने वाले संभव लघु उद्योगों का पता लगाया जा चुका है । सम्भव उद्योग विभिन्न प्रकार के हैं उनमें वनों पर आधारित ऐसे उद्योग भी सम्मिलित हैं जिनमें विभिन्न स्तरों के निवेश परिव्यय निहित हैं, तथा जनजातीय क्षेत्र के उद्यमियों सहित विभिन्न वर्गों के उद्यमियों के अनुरूप भिन्न-भिन्न परिणाम की योग्यता की आवश्यकता है । ग्रामीण और लघु उद्योगों को लगाए जाने सम्बन्धी पहल उद्यमियों द्वारा स्वयं की जाती है । जिला उद्योग केन्द्र, ग्रामीण और लघु क्षेत्र में उद्योगों को लगाने के लिए सभी सम्भव सहायता प्रदान करते हैं ।

कालाहांडी जिले (उड़ीसा) का खनिज सर्वेक्षण

2779. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के कालाहांडी जिले के खनिज भंडारों का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण दल ने इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां ।

(ख) सर्वेक्षणों से निम्नलिखित खनिजों का संकेत मिला है :

1. **बाक्साइट** : सिजिमाली में 86 मि० टन, लांजीगढ़ पठार (कोरापुट तथा कालाहांडी जिलों में बराबर बंटा हुआ) में 53 मि० टन तथा करलापेट पठार में 67 मि० टन ।

2. **मैंगनीज** : ओलातुरा के निकट निम्न ग्रेड के लघु भंडार ।

3. **ग्रेफाइट** : कांदेगान, तारांग, विचिकामान और अमझारन आदि में 6 से 10 प्रतिशत के बीच निश्चित कार्बन वाले भंडार ।

4. **सीसा सल्फाइड** : वामनीगुन्डा के उत्तर-पश्चिम में तथा शिशिखाल के निकट लघु भंडार हैं ।

5. करलाकोटे, लांक्षी, हाथीबंधा, सिनायली तथा गोलागुंडा, सिनामल क्षेत्रों में अर्द्ध-कीमती पत्थरों के होने के बारे में अध्ययन किया जा रहा है ।

आदिवासी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

2781. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उन आदिवासियों और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करने की नीति बनाई है जिनके क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्र अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में, मध्यम और बड़े उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक तैयार की गई और क्रियान्वित करने के लिए भेजी गई नीति क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो उन क्षेत्रों के आदिवासियों और स्थानीय लोगों को, जिनकी भूमि पर संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं, इतने बड़े पूंजी निवेश और बड़े कम्पलैक्सों से किस प्रकार लाभ होगा ; और

(घ) क्या नीति का निर्माण इस ढंग से करने का उत्तरदायित्व सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों और राज्यों का नहीं है कि इन परियोजनाओं के कारण विस्थापित लोगों के पुनर्वास, रोजगार और सम्बद्ध लाभ परियोजना रिपोर्ट का अंग बन जाए ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) वित्त मंत्रालय द्वारा 14 अप्रैल, 1961 को लोकसभा के पटल पर, परियोजनाओं से प्रभावित जनजातीय/स्थानीय लोगों को सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में रोजगार देने सम्बन्धी सरकारी नीति रखी गई थी। इस नीति की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है। निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाए जाने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट निदेश जारी नहीं किए गए हैं। तथापि, किसी क्षेत्र/प्रदेश में औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना होने से स्थानीय/जनजातीय लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सहायता मिलती है। प्रत्यक्ष रूप में रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्र के व्यापार, वाणिज्य और अन्य गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।

विवरण

जिन क्षेत्रों में एकक हैं उन क्षेत्रों के कर्मचारियों की भर्ती करने सम्बन्धी मामले में तकनीकी दृष्टि से कोई प्रतिबन्ध नहीं है। यदि परियोजना के स्थापना स्थल के आस-पास के क्षेत्रों से व्यक्ति आते हैं तो कम वेतनमान वाले पदों पर नियुक्ति प्राप्त करते हैं तो यह बात अनेक तरह से एककों के लिए लाभप्रद रहेगी। सभी अकुशल कर्मचारियों के मामले में, विशेष प्रयास किए बिना भी, ऐसे कर्मचारी सामान्यत: उसी स्थान से लिए जाते हैं जिसमें परियोजना स्थित होती हैं। परियोजना के लिए अभिगृहीत क्षेत्रों से हटाए गए व्यक्तियों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (उदाहरणतया आदिवासी) के व्यक्तियों को ऐसी भर्तियों में प्राथमिकता देने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। इनके बाद उन व्यक्तियों को, चाहे वह कुछ दूर से आये हों या उनकी किसी अन्य सरकारी उपक्रमों से छंटनी की जानी हो, प्राथमिकता दी जायेगी।

2. कुशल कर्मचारियों, लिपिकों और अन्य गैर-तकनीकी कर्मचारियों, जिनके वेतनमान अपेक्षाकृत कम हैं, के मामले में चाहें उनकी आधारिक अर्हता और अनुभव अधिक ही हो, पिछले पैरों में निर्दिष्ट प्राथमिकता के क्रम से प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

3, भारत सरकार के श्रेणी "क" के कनिष्ठ वेतनमान (350-850 रु०) के समतुल्य पदों पर अधिक वेतनमानों वाले मध्यस्तरीय तकनीकी और मुख्य गैर-तकनीकी पदों के मामलों में गुणों और अर्हताओं को प्रमुख आधार मानकर अखिल भारतीय आधार पर भर्ती की जानी चाहिए। विगत में कई बार ये शिकायतें की गई हैं कि स्थानीय प्रार्थियों पर उचित ढंग से ध्यान नहीं दिया जाता है। इसे सुनिश्चिय करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसी शिकायत का कोई उचित आधार नहीं है।

4. उच्च सामान्य प्रबन्ध, वित्त और लेखा, बिक्री, क्रय, स्टोर, परिवहन, कार्मिक

प्रबन्ध और कल्याण तथा टाउन (कस्बा) प्रशासन में 600 रु० और इससे अधिक वेतनमान वाले गैर तकनीकी उच्च पदों के मामले में औद्योगिक प्रबन्ध पूल में उपलब्ध उम्मीदवारों पर पहले विचार किया जाना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों के न मिलने पर अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापन दिए जाने चाहिए। किन्तु, इससे ऐसे उम्मीदवारों पर विचार करने में कोई बाधा नहीं आती है जिन्होंने स्वयं आवेदन दिया है अथवा अन्य सरकारी परियोजना आदि से उनकी छंटनी की गई है।

5. उच्च तकनीकी पदों के लिए योग्यता प्राप्त व्यक्तियों की भर्ती अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापन द्वारा अथवा वैयक्तिक सम्पर्क द्वारा करनी होगी।

6. पैरा 1 और 2 में उल्लिखित इस प्रकार के सभी रिक्त स्थानों के बारे में परियोजना के निकट के रोजगार केन्द्र को सूचित कर दिया जाना चाहिए। समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापन स्थानीय भाषाओं में तथा स्थानीय समाचार पत्रों में होने चाहिए। ऐसे विज्ञापनों में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को अग्रिमानता दी जाएगी जिनके नाम रोजगार केन्द्रों में पंजीकृत हैं। रोजगार केन्द्र द्वारा भेजी गई सूची के साथ-साथ प्राप्त सभी आवेदनपत्रों की जांच की जानी चाहिए तथा प्रत्येक एकक द्वारा इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से गठित चयन समिति द्वारा नियुक्तियां की जानी चाहिए। इस चयन समितियों में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्तियों को शामिल किया जाना चाहिए।

7. सभी अन्य मध्यस्तरीय तकनीकी या गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए गठित चयन समिति में राज्य सरकार का कम-से-कम एक प्रतिनिधि होगा जिसे रखते समय निदेशक बोर्ड में नामित राज्य सरकार के अधिकारी को वरीयता दी जाएगी।

8. स्थानीय हितों के रक्षार्थ राज्य सरकार के नामित व्यक्ति के रूप में दिए गए उपर्युक्त प्रतिनिधित्व की सहायता केवल विशिष्ट तदर्थ समितियों के लिए ही सीमित न रहकर इस कार्य के लिए विद्यमान सभी स्थाई समितियों के लिए भी उपलब्ध रहेगी।

9. यदि कार्य के तात्कालिक महत्व के कारण शीघ्र तदर्थ नियुक्ति आवश्यक हो तो प्रबन्ध निदेशक इस प्रकार की नियुक्ति करने को स्वतन्त्र होंगे और नियुक्ति के बाद वह इसके बारे में चयन अथवा स्थाई समिति को सूचित कर देंगे।

10. अपनी परियोजनाओं में पदों पर भर्ती करते समय सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के निदेशक मण्डल और प्रबन्ध निदेशकों/अध्यक्षों द्वारा उपर्युक्त सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जाएगा।

आदिवासी क्षेत्रों में वनों का कटाव

2782. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि देश के आदिवासी क्षेत्रों में वनों के योजित कटाव और उद्योगों की स्थापना से उस क्षेत्र के पारिस्थितिक सन्तुलन और पर्यावरण पर बड़ी हद तक प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें वनों और आदिवासी क्षेत्रों के कटाव और उद्योगों की स्थापना से लोगों पर प्रभाव पड़ने का समाचार है ; और

(ग) क्या वन विभाग के नाम पर वन विकास निगम द्वारा बड़े पैमाने पर वनों के वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराकर कृषि स्थानान्तरण, विस्थापित आदिवासियों की सुरक्षा उत्तर निर्धारित किए बिना नियोजित औद्योगीकरण और वायु तथा जल प्रदूषण जैसे सम्बद्ध प्रभा वनों में तथा वनों के आस-पास विकास करने वाले आदिवासियों के सामाजिक आर्थि सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव को रोककर आदिवासी क्षेत्रों के हितों की रक्षा करने के लिए को कोई मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) आदिवासी क्षेत्रों में वन की कटाई और उद्योगों की स्थापना एक तथ्य है और इन्होंने कुछ सीमा तक प्रकृति अं वरण के सन्तुलन को प्रभावित किया है ।

(ख) यह उन सभी राज्यों पर लागू होगा जहां वन और आदिवासी क्षेत्र हैं।

(ग) इस सम्बन्ध में वन विकास निगम को कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी नहीं वि क्योंकि निगम राज्य सरकारों द्वारा विधिवत अनुमोदित योजनाओं के अन्तर्गत कार्य 1977 में स्थानांतरित होने वाली कृषि के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए 1978 के वन तथा आदिवासी कल्याण राज्य मंत्रियों के सम्मेलन के बाद भी मार्गदर्शी जारी किए गए हैं कि वन ग्रामों में रह रहे आदिवासियों को उन भूमियों पर जिसे वह वंशागत और अनपहार्य अधिकार दिये जाने चाहिए ।

राज्य वन विभागों को वैयक्तिक लाभभोगी योजनाओं का सुझाव दिया गया है, व विभागों द्वारा पौध-रोपण के लिऐ आदिवासियों की सीमांतिक और अर्ध-सीमांतिक भूमि करने और उस समय तक पर्याप्त जीवन-निर्वाह भत्ता देना जब तक बागान परिपक्व न हो इन बागानों की कुल प्राप्ति के हिस्से बांटना, आदिवासियों को बढ़ईगिरी के कार्य का देना, टूल हैंडल जैसी मदों के निर्माण के लिए उन्हें कच्चा माल देना, लट्ठे बनाने की त प्रशिक्षण देना, रेशम-उत्पादन के लिए मलबरी, टर्मिनेलिया आदि का पालन करने के लि देना, ऐगेव फल वृक्षों को उगाने के लिए भूमि देना, आदि ।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया गया मानचित्र

2783. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत के किसी भी भाग के मानचित्र का अनुमोदन करने वाला अन्तिम प्राधिकारी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि भारत सरकार का प्रत्येक राजस्व विभाग भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा अनुमोदित मानचित्र मानने के लिए बाध्य है, और

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किए गए मानचित्र के सीमांकन में परिवर्तन के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्राधिकारी की अनुमति के बिना कोई अधिकारी प्राधिकृत किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में और ऊर्जा मंत्रालय के गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) उपयुक्त प्राधिकरणों से सूचना और अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात भारतीय सर्वेक्षण स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार करता है। नई घटनाओं के आधार पर इन मानचित्रों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(ख) भारतीय सर्वेक्षण राजस्व सम्बन्धी मानचित्र तैयार नहीं करता है। फिर भी, भारतीय सर्वेक्षण द्वारा तैयार किये गये मानचित्र भारत सरकार का प्राधिकृत प्रकाशन है।

(ग) राज्य सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में प्रशासनिक सीमाएं निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत हैं और भारतीय सर्वेक्षण उनके प्रमाणीकरण के बाद उन्हें चित्रित करता है।

वाणिज्यिक वाहनों हेतु लाइसेंस जारी करना

2784. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा ट्रकों तथा अन्य वाणिज्यिक वाहनों के निर्माण हेतु लाइसेंस जारी करने के लिए काफी भीड़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न पार्टियों/औद्योगिक गृहों को जारी किए गए लाइसेंसों, उनकी लाइसेंसशुदा निर्माण क्षमता, तकनीकी जानकारी और विदेशी फर्मों के साथ सहयोग का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विदेशी सहयोग में कितनी धनराशि खर्च होगी और किन-किन तकनीकों को लिया जाएगा और इन निर्माताओं द्वारा ट्रक कब तक तैयार कर लिए जाएंगे ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) मध्यम और भारी वाणिज्यिक गाड़ियां बनाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु मै० प्यौरा डिक्स प्राइवेट लिमिटेड तथा मै० किर्लोस्कर क्यूमिस लि० से आवेदन प्राप्त हुए हैं और सरकार के विचाराधीन

हैं। हल्की वाणिज्यिक गाड़ियां बनाने के लिए वर्ष 1981 के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र की निम्न-लिखित दो पार्टियों को आशय पत्र जारी किये गए थे :—

पार्टी	क्षमता
आयशर ट्रैक्टर्स लि०	12,000 नग प्र० व०
दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कं० लि०	15,000 नग प्र० व०

इन दो पार्टियों ने विदेशी सहयोग के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं जो कि सरकार के विचारीधीन हैं। वाणिज्यिक उत्पादन का आरम्भ पार्टियों के कार्यान्वयन कार्यक्रम पर निर्भर करेगा। यह बताया गया है कि औद्योगिक लाइसेंस जारी होने के पश्चात् लगभग 2 से 3 वर्ष में उत्पादन आरम्भ हो जाएगा।

गढ़वाल व टिहरी गढ़वाल में उद्योगों की स्थापना करना

2785. **श्री टी० एस० नेगी : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की सहायता से उत्तर प्रदेश के गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल जिलों में कोई नया कारखाना स्थापित किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने में कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा और इस पर कितनी धनराशि खर्च जाएगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके विस्तृत कारण क्या हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के स्थापना-स्थल का निर्णय तकनीकी-आर्थिक विचारधाराओं के आधार पर लिया जाता है। इसके अन्तर्गत, केन्द्रीय परियोजनाएं स्थापित करने के लिए अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता देना सरकार की नीति है।

उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल जिलों की रियायती वित्त की पात्रता के लिए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना गया है। इन जिलों को उद्योग रहित जिले भी मान लिया गया है और भारत सरकार सभी अन्य स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी आवेदनों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी प्रकार, यदि किसी एकक की स्थापना किसी उद्योग रहित जिले में की जा रही है तो तकनीकी प्राधिकारी पंजीकरण सम्बन्धी आवेदनों को सर्वप्रथम प्राथमिकता देते हैं।

बलात्कार के मामलों में वृद्धि

2786. **श्री टी० एस० नेगी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण देश में बलात्कार के मामलों में असाधारण रूप से वृद्धि हुई है और इससे नारियों में भय की भावना घर कर गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बलात्कारियों को दण्डित करने के लिए कोई नया कानून बना रही है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) सरकार के पास यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई विशिष्ट रिपोर्ट अथवा सूचना नहीं है कि सम्पूर्ण देश में बलात्कार के मामलों में असाधारण रूप से वृद्धि हुई है और इससे महिलाओं में भय की भावना घर कर गई है। अपराधों से सम्बन्धित कानूनों को लागू करने के लिए राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन उत्तरदायी हैं। भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम को संशोधित करने के लिए एक विधेयक अर्थात् आपराधिक बिधि (संशोधन) विधेयक, 1980 को लोक सभा में 12-8-1980 को पुरःस्थापित किया जा चुका है जिसमें बलात्कार के अपराधों के लिए अधिक कठोर दण्ड की व्यवस्था की गई है। विधेयक इस समय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति के विचाराधीन है।

छपाई के सफेद कागज के नियन्त्रित/सांविधिक मूल्य

2787. **श्री बी० वी० देसाई :**
श्री के० मालन्ना :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने छपाई के सफेद कागज के नियन्त्रित मूल्य समाप्त करने का निर्णय लिया है ;

(ख) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरों के परामर्श से केन्द्रीय मंत्रालय छपाई के सफेद कागज के सांविधिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए सहमत हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो कितनी वृद्धि करने पर विचार किया जा रहा है ;

(घ) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ;

(ङ) क्या मंत्रालय ने हाल ही में औद्योगिक लागत मूल्य ब्यूरों को अपनी संशोधित सिफारिशें देने के लिए कहा है ; और

(च) मंत्रालय द्वारा संशोधित मूल्य नियन्त्रण आदेश का मसौदा तैयार किया जा रहा है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) छपाई के सफेद कागज के मूल्यों में संशोधन करने के सम्बन्ध में सरकार ने अभी निर्णय नहीं लिया है।

(ङ) छपाई के सफेद कागज के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा दिए गए आन्तरिक व्यादेश आदेशों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक लागत मूल्य ब्यूरों से सफेद कागज के चालू मूल्यों पर पड़े मूल्य प्रभाव का निर्धारण करने के लिए और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

(च) कागज नियन्त्रण आदेश के कुछ पहलू सरकार के विचाराधीन हैं।

इस्पात संयन्त्रों के पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण के लिए भारत-रूस करार

2788. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री अर्जुन सेठी :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात संयन्त्रों के आधुनिकीकरण के लिए भारत और रूस के बीच कोई करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस करार के परिणामस्वरूप भारत में इस्पात उत्पादन में कितनी सम्भावित वृद्धि होगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) भारत सोवियत संयुक्त आयोग की सितम्बर, 1982 में हुई सातवीं बैठक में इस्पात कारखानों के आधुनिकीकरण के बारे में बातचीत की गयी थी। भिलाई और बोकारो के इस्पात कारखानों का 40 लाख टन चरण से आगे आधुनिकीकरण करने/इनके उत्पादन को अधिकाधिक करने के लिए आयोग ने दोनों पक्षों के सम्बन्धित संगठनों को अनुदेश दिये थे कि वे वर्ष 1982 की समाप्ति से पहले इस बात का फैसला कर लें कि रूपांकन कार्य में उनकी अपनी-अपनी भूमिका क्या होगी। बर्नपुर स्थित इस्को के कारखाने के आधुनिकीकरण के लिए सोवियत सहयोग के प्रस्तावों पर भी बातचीत की गयी थी।

(ग) सभी परियोजनाओं की शक्यता रिपोर्टें तैयार हो जाने और बाद में दोनों पक्षों द्वारा उनको स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात् ही इस्पात के उत्पादन में सम्भावित वृद्धि के अनुमान के बारे में पता लग सकेगा।

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया के इस्पात संयन्त्रों के विस्तार की योजनाएं

2789. **श्री नवीन रवाणी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया ने देश में सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिए सीमेंट संयन्त्रों के विस्तार हेतु कुछ योजनाएं पेश की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने सीमेंट की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपर्युक्त योजनाओं को मंजूरी देने के बारे में क्या निर्णय लिया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) विस्तार के निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किए गए/विचाराधीन हैं :—

	संयन्त्र का नाम	पूंजी में प्रस्तावित वृद्धि	लागत करोड़ों रुपये में	सरकार का निर्णय
1.	नया गांव	10 लाख मी० टन	92.58 (जून, 1980 की कीमतों के आधार पर)	स्वीकृत
2.	येरगुन्तला (आ० प्र०)	10 लाख मी० टन	79.13 (जून, 1980 की कीमतों के आधार पर)	स्वीकृत
3.	अकलतारा	10 लाख मी० टन	3.18 (जनवरी, 1981 की कीमतों के आधार पर)	स्वीकृत
4.	कर्नाटक	06.60 लाख मी० टन	अनुमानित लागत में संशोधन किया जा रहा है ।	

विभिन्न राज्यों में सीमेंट निगमों द्वारा स्थापित कारखाने

2790. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां निकट भविष्य में कारखाने स्थापित करने का सीमेंट निगम का विचार है ; और

(ख) उनकी उत्पादन क्षमता तथा उन्हें लगाये जाने के स्थान के बारे में पूरा ब्यौरा क्या है ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया निम्नलिखित परियोजनाएं स्थापित कर रहा है उनके ब्यौरे उनके सामने दिये गये हैं :—

	राज्य	स्थापना स्थल एवं क्षमता
1.	मध्य प्रदेश	नया गांव—क्लिंकर के उत्पादन हेतु एक 3000 टी० पी० डी० क्लिन की स्थापना द्वारा विद्यमान संयंत्र का विस्तार करना ।
2.	दिल्ली	दिल्ली—प्रति वर्ष 5 लाख मी० टन की पिसाई क्षमता
3.	पंजाब	भटिंडा —वही—
4.	आन्ध्र प्रदेश	करणकोट गांव, तहसील तेन्दूर, जिला के वी० रंगारेड्डी 10 लाख मी० टन की क्षमता
5.	आन्ध्र प्रदेश	जिला कुडप्पा, सब तालक कमलापुरम में स्थित 10 लाख मी० टन की क्षमता वाले येरागुन्तला सीमेंट संयंत्र का विस्तार

स्कूटरों, मोपेडों और मोटर साइकिलों के नए एकक स्थापित करना

2791. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में स्कूटरों, मोपेडों, मोटर साइकिलों और मिनि मोटर साइकिलों के उत्पादन के लिए नए एककों की स्थापना करने और वर्तमान एककों का विस्तार करने के लिए बहुत अधिक आवेदन आए थे ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न आवेदकों को जारी किये गये लाईसेंसों का ब्यौरा क्या है और उनकी उत्पादन क्षमता क्या है ;

(ग) इन कम्पनियों द्वारा विदेशी कम्पनियों के साथ किए गए अथवा किए जाने वाले वित्तीय शौर तकनीकी सहयोग की शर्तें क्या हैं ; और

(घ) किस्म नियंत्रण के मामले में सरकार द्वारा कौनसी सावधानियां बरती गई हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) वित्तीय और तकनीकी सहयोग की शर्तें उत्पादन, उत्पादन की मात्रा सहयोगकर्ता की साख, प्रौद्योगिकी का स्तर, आदि के आधार पर एक मामले से दूसरे मामले में भिन्न होती है । आमतौर पर, शर्तों में तकनीकी जानकारी आदि के हस्तान्तरण के लिए एक मुश्त भुगतान और विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रायल्टी का भुगतान शामिल होता है । कुछ मामलों में विदेशी सहयोग-कर्ता द्वारा इक्विटी में सहभागिता भी परिकल्पित होती है ।

(घ) प्रौद्योगिकी और निर्माण प्रक्रिया की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा विदेशी सहयोग और पूंजीगत समान के आयात के प्रस्तावों की विधिवत जांच की जाती है।

विवरण

क्रमांक	एकक का नाम	स्वीकृत की गई अतिरिक्त क्षमता
	स्कूटर	
1.	बजाज आटो लिमिटेड	3,00,000
2.	आन्ध्र प्रदेश स्कूटर्स लिमिटेड	36,000
	100 सी० सी० तक की मोटर साइकिलें/स्कूटर/मोपेड	
3.	एन्फील्ड इण्डिया लिमिटेड	90,000
4.	एन० कृष्णन, मद्रास	2,00,000
5.	मैजेस्टिक आटो लिमिटेड	2,00,000
6.	चामुन्डी मोपेड	1,00,000
7.	हरीश जैन, नई दिल्ली	50,000
8.	लोहिया मशीन्स	1,00,000
9.	केल्विनेटर (इंडिया) लिमिटेड	76,000
10.	आर० सी० ओसवाल, लुधियाना	1,00,000
11.	आन्ध्र प्रदेश स्कूटर्स लिमिटेड	1,00,000
12.	बलराज अग्रवाल, करनाल	1,00,000
13.	आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इंडिया लिमिटेड	60,000

जिला औद्योगिक केन्द्रों का कार्यकरण

2792. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जिला औद्योगिक केन्द्रों के कार्यकरण का कोई निष्पक्ष मूल्यांकन किया गया है ;

(ख) इन केन्द्रों में राज्यवार कितनी धनराशि निवेश की गई है ;

(ग) क्या पंजाब में कुछ केन्द्र बन्द हो गये हैं अथवा बन्द होने वाले हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जिला उद्योग केन्द्रों का पुनर्गठन किए जाने के पश्चात किसी प्रकार का मूल्यांक गया है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) यद्यपि पंजाब के सभी 12 जिलों में जिला उद्योग केन्द्र मौजूद हैं, उद्योग केन्द्रों में अब तक नियुक्त किए गए कर्मचारी पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत गये ढांचे के अनुरूप नहीं है । पंजाब सरकार को खामियों में सुधार करने के लिए कह

(घ) पंजाब सरकार ने रिक्त पदों को भरने के लिए अभ्युपाय करने का दिया है ।

विवरण

(लाख :

क्रम सं०	राज्य/संघशासित प्रदेश का नाम	दी गई केन्द्रीय निधि		
		1978-79	1979-80	1980-81
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	110.00	72.55	14.39
2.	असम	51.75	24.50	6.08
3.	बिहार	273.25	74.40	49.02
4.	गुजरात	155.02	48.36	57.02
5.	हिमाचल प्रदेश	82.20	28.80	6.41
6.	हरियाणा	103.00	28.90	कुछ नहीं*
7.	जम्मू और काश्मीर	97.25	34.00	16.37
8.	कर्नाटक	80.05	43.17	25.17
9.	केरल	103.00	45.91	40.54
10.	मध्य प्रदेश	357.75	108.00	17.11
11.	महाराष्ट्र	212.85	60.00	37.50
12.	मणिपुर	56.00	14.40	8.88
13.	मेघालय	9.80	20.50	कुछ नहीं*

1	2	3	4	5	6
14.	नागालैंड	37.50	17.10	12.08	23.36
15.	उड़ीसा	132.00	43.93	40.62	58.50
16.	पंजाब	65.50	29.30	कुछ नहीं*	30.75
17.	राजस्थान	141.25	38.78	39.00	87.50
18.	सिक्किम	9.25	2.40	कुछ नहीं*	1.95
19.	तमिलनाडु	128.50	33.60	51.31	59.66
20.	त्रिपुरा	28.00	7.20	1.76	9.65
21.	उत्तर प्रदेश	134.00	226.45	65.11	217.25
22.	पश्चिम बंगाल	143.80	42.74	31.62	57.24
23.	अरुणाचल प्रदेश	40.25	12.00	कुछ नहीं*	9.75
24.	मिजोरम	16.25	5.55	5.99	7.50
25.	पांडिचेरी	9.05	4.22	3.70	11.12
26.	गोवा, दमन और द्वीव	7.75	2.40	कुछ नहीं*	कुछ नहीं
27.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	8.10	8.00	4.00	3.42
28.	दादरा और नगर हवेली	8.50	2.40	2.46	3.33
29.	चंडीगढ़	—	7.70	3.85	2.42
	कुल योग :	2600.62	1087.26	539.99	1283.40

* वर्ष 1980-81 के दौरान, पंजाब सरकार सहित कुछ राज्यों/संघशासित प्रदेशों को कोई भी नई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई थी, क्योंकि उनके पास केन्द्र सरकार द्वारा गत दो वर्षों में दी गई निधि में से काफी राशि शेष रह गयी थी। वे अपने पास केन्द्रीय सहायता की बकाया राशि का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत कर दिए गए थे।

उच्चस्तरीय औद्योगिक प्रतिनिधि मंडलों की यात्रा

2793. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापार तथा उद्योग मण्डल संघ द्वारा प्रायोजित अनेक उच्चस्तरीय औद्योगिक प्रतिनिधि मंडलों ने संयुक्त उद्यमों और तीसरे विश्व की परियोजनाओं में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए यूरोप की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधि मंडलों ने किन देशों की यात्रा की थी ; और

(ग) उन्होंने किस प्रकार के विषयों पर विचार-विमर्श किए और उसके क्या परिणाम निकले और क्या उन्हें सरकार द्वारा अथवा स्वयं भारतीय व्यापार तथा उद्योग मंडल संघ की ओर से आगे और संशोधित किया जाएगा ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) अप्रैल 1980 से सितम्बर, 1982 तक "फिक्की" (फेडरेशन आफ इण्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज) द्वारा प्रायोजित नौ औद्योगिक शिष्ट मंडलों ने यूरोप का दौरा किया। इन शिष्ट मंडलों ने कुल मिलाकर 15 देशों का दौरा किया जिनके नाम बेल्जियम, बल्गारिया, साइप्रस, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी, इटली, नीदरलैंडस, पोलैण्ड, रूमानिया, स्वीडन, इंगलैंड, पश्चिम जर्मनी और यूगोस्लाविया है। ये शिष्टमंडल अधिकतर उन बैठकों के संबंध में प्रायोजित किए गए थे जो संबंधित देशों में आयोजित संयुक्त बिजनेस कौंसिलों की बैठकों में भाग लेने के लिये थी अथवा उन देशों की फिक्की जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर संयुक्त बिजनेस कौंसिल बनाने के लिए करार करने के संबंध में बुलाई गई थी। इन शिष्ट मंडलों के दौरों का उद्देश्य व्यावसायिक उद्यमों और वाणिज्यिक संगठनों के साथ संबंध स्थापित करके उन्हें मजबूत बनाना, आपसी व्यापार का विस्तार करने की गुंजाइश का पता लगाना, संयुक्त उद्यमों और अन्य प्रकार के द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाना तथा तृतीय देशों में संयुक्त प्रयासों की संभावनाओं की खोज करना था।

इन शिष्ट मंडलों द्वारा प्रस्तुत की गई रिर्पोटों पर फिक्की द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

ट्रक टायरों के मूल्य में वृद्धि

2794. **श्री मोहनलाल पटेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान ट्रक टायरों के मूल्यों में प्रतिवर्ष हुई वृद्धि का अनुपात क्या है ;

(ख) ट्रक टायरों के मूल्यों में वृद्धि करने के मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या ट्रक टायरों के मूल्य निर्धारण पर सरकार का कोई नियंत्रण है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ट्रक टायरों को आवश्यक वस्तुओं में सम्मिलित करेगी और समय-समय पर मूल्य निर्धारित करेगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) टायर निर्माताओं के प्रतिनिधि संघ ने संकेत दिया है कि मोटर गाड़ी के टायर और ट्यूबों के मूल्यों में वृद्धि टायर और ट्यूबों के निर्माण में काम आने वाली निविष्टियों के मूल्यों में वृद्धि के कारण आई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ट्रक टायर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत एक आवश्यक वस्तु है। इस समय टायरों के मूल्यों को कानूनी रूप से नियमित करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

मूल्य रुपयों में प्रति नग

विशिष्टियां	5-4-76	1-1-77	28-10-78	13-10-79	1.3-80	21-11-81	13-3-82	24-8-82	अक्टूबर, 82
ट्रक टायर									
28.20 12 पी० आर०	1049.35	1018.35	1304.59	1440.00	1485.00	2040.00	2140.00	2150.00	2120.00
एस० डब्ल्यू रेयन मूल्य		—3.00	+10.48	+13.8	+13.8	+37.4	+4.9%	—3.6%	—1.4%
9,00.20 पी० आर०	1205.90	अपरिवर्तित	1558.57	1740.00	1760.00	2360.00	2480.00	अपरिवर्तित	
एम० डब्ल्यू एम० के० आई० रेयन			+29.2%	+11.6%	+12.9	+34.1%	+5.1%		

पाकिस्तानी नागरिकों का समय से ज्यादा दिनों तक रुकना

2795. **श्री मोहनलाल पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसी कतिपय शिकायतें आई हैं कि पाकिस्तानी नागरिक, जो 1981-82 के दौरान यात्री के रूप में भारत आए थे, भारत में समय से ज्यादा दिनों तक रुके हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे लोगों की संख्या क्या है जिनका 1981-82 में पता लगाया गया था और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि पाकिस्तान जाने वाले भारतीय यात्री भी अपने वीसा की समाप्ति के बाद भी वहां पर निरन्तर रुके हुए हैं ;

(घ) यदि हां, तो वहां पर इन व्यक्तियों की संख्या क्या है जिनका 1981-82 में पता लगाया गया था और उनके विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ङ) ऐसे लोगों का पता लगाने के तरीके क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) और (घ) ऐसे मामलों को संख्या के विषय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । जिनमें पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा पता लगाया गया है और कार्यवाही की गई है ।

(ङ) भारत-पाकिस्तान वीसा समझौते के अनुसार यात्रियों को प्रवेश की जांच चौकी पर स्वयं को पंजीकृत कराना होता है और जिस स्थान पर वे जाते हैं वहां उन्हें अपने आगमन/प्रस्थान की सूचना भी पुलिस प्राधिकारियों को देनी होती है । पुलिस प्राधिकारी निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रुके व्यक्तियों का पता लगाने के लिए पर्याप्त सतर्कता बरतते हैं ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गैर योजना व्यय

2796. **श्री कृष्णप्रताप सिंह** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हुए कुल गैर-योजना व्यय का ब्यौरा क्या है और कुल योजना परिव्यय का वह कितने प्रतिशत है ; और

(ख) गैर योजना व्यय के क्या कारण हैं और ऐसे व्यय को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी चव्हाण) : (क) केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पांचवीं योजना की अवधि में किए गए कुल योजनेतर व्यय के ब्यौरे बहुत ही विस्तृत हैं और उनको संकलित करने में लगने वाला प्रयत्न प्राप्त किए जाने वाले प्रयोजनों के अनुरूप नहीं होगा।

ये ब्यौरे सम्बन्धित बजट दस्तावेजों में उपलब्ध हैं। बजटीय लेन-देन की संक्षिप्त स्थिति सम्बन्धित वर्षों के लिए वित्त मंत्रालय के वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षणों में बताई गई है। इन आंकड़ों से सम्बन्धित प्रतिशत प्राप्त किए जा सकते हैं।

(ख) सरकार को प्रशासन, स्थापना, रक्षा, आंतरिक सुरक्षा ब्याज के भुगतान, कर संग्रहण प्रभार आदि और क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत उत्पन्न की गई सरकारी परिसम्पत्तियों के पर्याप्त अनुरक्षण पर भी वर्षानुवर्ष योजनेतर व्यय करना पड़ता है। सरकार ने पांचवीं योजना की अवधि में योजनेतर व्यय को नियंत्रण में रखने के लिए अनेक उपाय किए थे। कुल व्यय से योजनेतर व्यय का अनुपात वर्ष 1978-79 वर्ष 1974-75 की अपेक्षा कम था।

दुर्लभ किस्म के पक्षियों/पशुओं को संरक्षण

2797. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) गोडावन, मेकवीन बस्टर्ड और सफेद शेर सहित देश के उन दुर्लभ किस्म के पक्षियों और पशुओं के नाम तथा संख्या क्या है, जो विलुप्ति के कगार पर हैं ;

(ख) उन अभयारण्यों और आरक्षित क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां पर इन किस्मों को सुरक्षा की दृष्टि से रखा जाता है और इन्हें सुरक्षा प्रदान करने वाली व्यक्तिगत एजेंसियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इन किस्मों को सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) भारत में पायी जाने वाली जंगली पशुओं और पक्षियों की 122 जातियां और उप-जातियां हैं जो वन्य-जीवन (परिरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की अनुसूची 1 में सम्मिलित की गई हैं। बताया गया है कि इनमें से, चीता, पहाड़ी बटेर (क्वेल), जर्डोन्स, नुकरी, गुलाबी-सिरयुक्त बत्तख और वन चित्तीदार उलूकक लुप्त हो गए हैं। बाकी प्रजातियां दुर्लभ और संकटग्रस्त हैं। तथापि, हाल के वर्षों में की गई संरक्षण कार्यवाही के परिणामस्वरूप, वे विलुप्ति के कगार पर नहीं हैं।

(ख) तथा (ग) : वन्य पशुओं और पक्षियों की ऊपर उल्लिखित जातियां प्रायः देश के विभिन्न भागों में पायी जाती हैं, और केवल वन्य-जीवन रिजर्वों तक ही सीमित नहीं हैं। अभी तक देश में कुल 23 राष्ट्रीय उद्यान और 205 अभयारण्य स्थापित किये गये हैं। राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य सम्बन्धित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा प्रबन्धित किये जाते हैं।

विवरण

भारत में राष्ट्रीय/उद्यान अभयारण्य

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या	अभयारण्यों की संख्या
1	2	3
आंध्र प्रदेश	—	14
अन्डमान निकोबार	—	4
अरुणाचल प्रदेश	—	4
असम	1	7
बिहार	—	15
गोआ, दमन और दीव	—	3
गुजरात	2	5
हरियाणा	—	1
जम्मू तथा काश्मीर	2	4
हिमाचल प्रदेश	—	26
कर्नाटक	3	13
केरल	1	6
मध्य प्रदेश	4	22
महाराष्ट्र	4	10
मणिपुर	1	—
मेघालय	—	1
मिजोरम	—	1
नागालैण्ड	—	2
उड़ीसा	—	18
पंजाब	—	4

1	2	3
राजस्थान	1	13
सिक्किम	1	—
तमिल नाडु	1	7
उत्तर प्रदेश	2	12
पश्चिम बंगाल	—	12
चण्डीगढ़	—	1
	23	205

आसाम में राष्ट्रपति शासन

2798. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति शासन को वर्तमान अवधि पूरी होने पर हमारे संविधान के अनुसार उसे और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस अवधि के समाप्त होने से पूर्व आसाम में विधानसभा चुनाव कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ; और

(ग) सरकार ने इस संकट को पार करने के लिए चुनाव कराने हेतु क्या विशेष कदम उठाने आरम्भ किए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (ग) जब तक संविधान के अनुच्छेद 356(5) में दी गई शर्तें पूरी नहीं होती हैं, असम में राष्ट्रपति शासन को 18 मार्च, 1983 से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है । सरकार इस तारीख से पहले आम चुनाव कराने की संवैधानिक आवश्यकता से अवगत है ।

राजधानी में वायु प्रदूषण

2799. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हाल ही में किये गये अध्ययन के अनुसार राजधानी में वायु प्रदूषण सबसे अधिक पाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) राजधानी में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या निवारक उपाय किये हैं अथवा करने का विचार है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिए केन्द्रीय बोर्ड ने दिल्ली में वायु प्रदूषण पर कुछ प्रारम्भिक अध्ययन किये हैं। इस सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन करने पर विचार किया गया है। विस्तृत अध्ययनों के परिणाम प्राप्त होने के बाद ही कोई अन्तिम निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

(ग) वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, मई, 1981 में लागू हुआ। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिए केन्द्रीय बोर्ड, विभिन्न स्रोतों द्वारा दिल्ली में उत्पन्न किए जा रहे वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण के लिए उपयुक्त उपाय कर रहा है।

भारत में निर्धनता का प्रसार

2800. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ई० ई० सी० के मूल्यांकन के अनुसार भारत में निर्धनता फैल रही है। (20 सितम्बर, 1982 का बिजिनेस स्टेन्डर्ड) ; और

(ख) सरकार का कौन सी उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के जिस मूल्यांकन का दि० 20-9-1982 के बिजनेस स्टेन्डर्ड में उल्लेख किया गया है वह यूरोपीय देशों से सम्बन्धित है और उसमें भारत का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बिहार गरीबी के स्तर से नीचे

2801. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बिहार के गरीबी के स्तर से नीचे होने के बारे में 20 सितम्बर, 1982 के बिजिनेस स्टेंडर्ड के प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है और गत छः पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य और केन्द्र दोनों क्षेत्रों के अन्तर्गत खर्च की गई निधि के क्या परिणाम निकले हैं।

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में बिहार सहित पिछड़े राज्यों के विशेष संदर्भ में कई सुधारात्मक उपायों का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा बिहार की पंचवर्षीय योजनाओं को आय के स्तरों को बढ़ाने के लिए गतिशील किया गया है। गरीबी को प्रत्यक्ष रूप से दूर करने और आय की असमानताओं को कम करने के कई विशिष्ट कार्यक्रम छठी योजना में शामिल किए गए हैं। इनमें

से कुछ कार्यक्रम इस प्रकार हैं : राष्ट्रीय एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना और जनजातीय क्षेत्र विकास योजनाएं। राज्यों को केन्द्रीय सहायता के आवंटन के लिए गाडगिल फार्मूले को बिहार सहित पिछड़े राज्यों के पक्ष में परिशोधित किया गया है। कुल केन्द्रीय सहायता के एक भाग को भी आय समायोजित कुल जनसंख्या फार्मूले के अन्तर्गत आवंटित किया गया है और वह भी बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के पक्ष में है। बिहार सहित पिछड़े कुछ राज्यों को अधिक बाजार ऋण भी आवंटित किए गए हैं जिससे कि ऐसे राज्यों को अपने त्वरित विकास के लिए अधिक संसाधन प्राप्त हो सकें। बिहार में योजनाबद्ध विकास के तीन दशकों के फलस्वरूप सकल राज्य उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 1979-80 तक राज्य क्षेत्रक में कुल व्यय 2603 करोड़ रु० था और बिहार की 1980-85 की छठी योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय 3225 करोड़ रु० है।

स्वर्ण उत्पादन में गिरावट

2802. **श्री जी० बाई० कृष्णन्** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में स्वर्ण उत्पादन में काफी गिरावट आती जा रही है और इस समय होने वाला उत्पादन वित्तीय दृष्टि से लाभप्रद नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1977 से अब तक (वर्ष वार) स्वर्ण उत्पादन में कितनी गिरावट आई है और उत्पादन लागत में तुलनात्मक कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ग) देश में नए स्वर्ण निक्षेपों का पता लगाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं अथवा अब तक क्या प्रयास किए गए हैं तथा धन कार्य में कितनी सफलता मिली है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) इस समय देश में स्वर्ण का उत्पादन केन्द्र सरकार के उपक्रम भारत गोल्ड माइन्स लि० तथा कर्नाटक राज्य सरकार के उपक्रम हट्टी गोल्ड माइन्स लि० द्वारा किया जाता है। इसके अलावा स्वर्ण केन्द्र सरकार के अन्य उपक्रम हिन्दुस्तान कापर लि० द्वारा अपने घाटशिला संयंत्र में उपोत्पाद के रूप में भी प्राप्त किया जाता है।

2. इन कंपनियों द्वारा 1977 से किया गया स्वर्ण उत्पादन निम्नलिखित है :

वर्ष	भा० गो० मा० लि०	ह० गो० मा० लि०	हि० का० लि०	जोड़
1	2	3	4	5
1977-78	1941	855	202	2998
1978-79	1792	792	120	2703

1	2	3	4	5
1979-80	1650	856	59	2575
1980-81	1562	783	61	2406
1981-82	1420	781	75	2276

3. स्वर्ण के उत्पादन की लागत बढ़ रही है, भारत गोल्ड माइन्स लि० के मामले में वृद्धि 100% से भी अधिक हुई है।

(ग) सरकार ने अनन्तपुर जिले (आंध्र प्रदेश) के येप्पामाना क्षेत्र में स्वर्ण भंडार पर आधारित एक नई स्वर्ण खनन परियोजना को स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना की 1984 तक पूरा होने की आशा है तथा इसके बाद 9 वर्ष तक प्रति वर्ष लगभग 305 कि० ग्रा० स्वर्ण का उत्पादन होने की आशा है।

नए स्वर्ण भंडारों का पता लगाने हेतु स्वर्ण खोज का पंचवर्षीय (1980-85) गहन कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और खनिज गन्वेषण निगम लि० को भी शामिल किया गया है।

कोलार गोल्ड फिल्ड्स के विस्तार क्षेत्रों अर्थात आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के चिगारगुंटा तथा मालप्पकोंडा में और कर्नाटक राज्य के गदाग स्वर्ण क्षेत्रों के होसूर ब्लाक तथा हट्टी खान ब्लाक के विस्तृत क्षेत्रों में गत तीन वर्षों के दौरान नए स्वर्ण स्थलों का पता चला है।

गुजरात राज्य को सीमेंट का आवंटन

2803. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982 की पहले तीन तिमाहियों में गुजरात राज्य को कितना सीमेंट आवंटित किया गया और 1982 का चौथी तिमाही में कितने आवंटन का प्रस्ताव है ;

(ख) राज्य को मांग की तुलना में राज्य सरकार को 1982 में दूसरी तिमाही से प्रति तिमाही कितना सीमेंट अलाट किया गया ;

(ग) क्या 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विन को देखते हुए केन्द्र सरकार का विचार 2.22 लाख टन प्रति तिमाही आवंटन की तुलना में कम से कम 3.80 लाख टन सीमेंट अलाट करने का है ; और

(घ) राज्य को और सीमेंट अलाट करने के लिए क्या कार्यवाही की जाएगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) वर्ष 1981 के अन्त में गुजरात सरकार ने यह बताया था कि उनकी प्रति तिमाही सीमेंट की आवश्यकता 11 लाख मी० टन है। वर्ष 1982 की चारों तिमाहियों के दौरान गुजरात राज्य के लिए किया गया सीमेंट का आवंटन निम्न प्रकार है :

तिमाही	आवंटन	
तिमाही-1 (जनवरी-मार्च, 82)	3,79,500	(सिंचाई और शक्ति परियोजनाओं के लिए सीमेंट सहित)
तिमाही-2 (अप्रैल-जून, 82)	2,44,200 ×	,,
तिमाही-3 (जुलाई-सितम्बर, 82)	2,43,800 ×	,,
तिमाही-4 (अक्तूबर-दिसम्बर, 82)	2,36,400 ×	,,

× लेवी सीमेंट

वर्ष 1982 की अन्तिम तीन तिमाहियों के दौरान लेवी सीमेंट प्राप्त करने के अतिरिक्त राज्य को मूल्य एवं वितरण नियंत्रण से मुक्त बिना लेवी की श्रेणी के अधीन भी सीमेंट प्राप्त हुई है ।

(ग) और (घ) देश में सीमेंट की आम कमी है । अतः गुजरात राज्य के लिए लेवी सीमेंट के आवंटन में वृद्धि करना संभव नहीं है ।

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों जिसमें गुजरात राज्य भी है को सीमेंट के आवंटन में वृद्धि करना सीमेंट की अधिक उपलब्धता पर निर्भर करता है जिसके लिए हर संभव उपाय किये जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त 1982-83 की आयात-निर्यात नीति के अधीन चुनिंदा खुले सामान्य लाइसेंस के आधार पर सीमेंट के आयात की अनुमति दी गई है । गुजरात सरकार ऐसी सीमेंट का आयात करने हेतु इस नीति का लाभ उठा सकती है इस प्रकार आयात वाला सीमेंट मूल्य और वितरण नियंत्रण से मुक्त है ।

नर्मदा परियोजना के लिए सीमेंट का विशेष कोटा देने की मांग

2804. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य सरकार ने नर्मदा परियोजना के लिए सीमेंट का विशेष कोटा देने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो नर्मदा परियोजना के लिए कितना सीमेंट मांगा गया है और मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) यद्यपि केवल नर्मदा परियोजना के लिए सीमेंट के विशेष कोटे की स्वीकृति हेतु कोई विशिष्ट मांग प्राप्त

नहीं हुई है, फिर भी गुजरात सरकार ने 82 की चौथी तिमाही में नर्मदा परियोजना से सम्बन्धित निर्माण कार्यों सहित अपनी प्रमुख और मझोली सिंचाई परियोजनाओं के लिए 80,000 मी० टन सीमेंट की आवंटित मात्रा के बदले 1,77,000 मी० टन सीमेंट का आवंटन करने के लिए सिंचाई मंत्रालय से अनुरोध किया था। वर्तमान वितरण नीति के अनुसार सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं की आवश्यकताओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और केन्द्रीय जल आयोग की सिफारिश पर सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिए निश्चित किए गए इकट्ठे आवंटन में से पूरा किया जाता है। नर्मदा घाटी परियोजना की वास्तविक आवश्यकता का अनुमान लगाना तथा और सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं के लिए नियत किए गए आवंटन में से उन आवश्यकताओं को पूरा करना समन्वयकारी प्राधिकारणों का काम है।

20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत नयी योजनाओं के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग की उप-समिति

2805. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 20-सूत्री कार्यक्रम को तेजी से लागू करने के लिए नयी योजनायें तैयार करने हेतु एक उप-समिति और अनेक पैनलों का गठन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन नयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और समेकित ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के लिए यह कहां तक सहायक होंगे ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों के अध्यक्षों और खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रम को बढ़ावा देने तथा कार्यान्वयन के काम में लगे चुने हुए प्रतिनिधियों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन 27 और 28 मार्च, 1982 को नई दिल्ली में हुआ था। सम्मेलन ने खादी और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर विशेष रूप से ध्यान दिया था। सम्मेलन ने खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम के कार्यान्वयन में आने वाली (1) संगठनात्मक, (2) वित्तीय उपायों का सुझाव देने के लिए तीन समितियों का गठन किया। तीनों समितियों द्वारा, प्रस्तुत की गई रिपोर्टों में, राज्य, जिला और ब्लाक स्तरों पर उपयुक्त संगठनात्मक सम्पर्क बनाये रखने, बैंक वित्त पर अधिक निर्भर रहने और प्रौद्योगिकी में सुधार करने पर जोर दिया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग में उपयुक्त अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा ग्रामीण रोजगार की व्यवस्था करने में खादी और ग्रामोद्योग आयोग एक राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड और अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकेंगे।

टायरों के मूल्यों को कम करने के लिए किए गए उपाय

2806. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास टायरों पर लगाए गए उत्पाद शुल्क को कम करने का कोई प्रस्ताव है ताकि टायरों के निर्माता टायरों के दाम कम कर सकें ;

(ख) क्या सरकार आदानों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के मार्ग में आने वाली बाधाओं पर विचार कर रही है ताकि टायरों का कम मूल्य निश्चित किया जा सके ; और

(ग) टायरों के मूल्यों में औचित्यपूर्ण संशोधन सुनिश्चित करने हेतु अन्य किन उपायों और प्रोत्साहनों पर विचार किया जा रहा है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) आटोमोबाइल टायर और ट्यूबें बनाने के लिए देश में निविष्टियों की कोई कमी नहीं है । तथापि कच्चे माल के आयात की भी अनुमति है ।

(ग) आटोमोबाइल टायर उद्योग की एक प्रतिनिधि एसोसिएशन ने अपने सदस्यों द्वारा कुछ किस्मों के टायरों की कीमत स्वेच्छा से कम किए जाने की सूचना दी है ।

देश के जीव जन्तु

2807. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) देश में स्वतन्त्रता के समय कितने जीवजन्तु थे और उसकी तुलना में आज कितने हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) संकटाषन्न किस्म के जन्तुओं का ब्यौरा क्या है और उन अभ्यारण्यों और सुरक्षित स्थानों के नाम क्या हैं जहां उनकी सुरक्षा की जा रही हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) देश के जीवजन्तुओं के सम्बन्ध में अपेक्षित विवरण संलग्न सूची में दिए गए हैं—अनुबन्ध I

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5548/82]

(ख) जीवजन्तुओं की दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां वन जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 में दी गई हैं । इनमें स्तनधारियों की 66 प्रजातियां, पक्षियों की 38 प्रजातियां जलस्थलचरों और सरीसृपों की 18 प्रजातियां और कस्टेशिया तथा कीटों की 131 प्रजातियों सहित कुल 253 प्रजातियां शामिल हैं । जंगली वनस्पतियों और जीव-जन्तुओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए देश में अभी तक 23 राष्ट्रीय उद्यान और 205 अभयारण्य स्थापित किए गए हैं और दुर्लभ तथा संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध प्रजातियां इन अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों तक ही सीमित नहीं हैं अपितु अन्य वन्य क्षेत्रों में भी होती हैं । राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की एक सूची संलग्न है (अनुबन्ध II तथा अनुबन्ध III) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए, संख्या एल० टी० 5548/82]

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कमान्ड विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मांगी गई वित्तीय सहायता

2808. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत जिसमें जलभाग क्षेत्रों के डिजाइन एवं आयोजन के लिए अपेक्षित स्थलाकृति एवं अन्य भूमि सर्वेक्षण, भू-आकृति बनाना तथा जमीन को समतल करना, आवर्ती जल वितरण प्रणाली के लिए नक्शे बनाना तथा लघु एवं सीमान्त किसानों को राज सहायता देने जैसे कार्य सम्मिलित हैं, कमान्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम में केन्द्रीय अंश के रूप में आंध्र प्रदेश सरकार को कुछ धनराशि दी जाए ;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश राज्य की इसके अन्तर्गत दी जाने वाली परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा उनके उद्देश्य क्या हैं ; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय क्षेत्र तथा राज्य क्षेत्र में कमांड क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए स्वीकृत धनराशियों के सम्बन्ध में ब्यौरे क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) 6 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं अर्थात् नागार्जुन सागर दाएं और बाएं किनारे की नहरें, श्रीरामसागर, गाजुलादिन्ने, राजोलीबंदा, के० सी० नहर और तुंगभद्रा के अन्तर्गत नियंत्रण क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्पन्न की गई सिंचाई क्षमता और उसके उपयोग के बीच के अन्तर को कम करना है तथा परियोजनाओं के नियंत्रण क्षेत्रों में भूमि और जल के अधिक अच्छे प्रबन्ध के जरिए कृषि उत्पादन को इष्टतम करना ।

(ग) अनुमोदित प्रणाली के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों को सहायता देने के लिए छठी योजना के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक में 300 करोड़ रु० की व्यवस्था है । आंध्र प्रदेश के लिए राज्य क्षेत्रक के अन्तर्गत अनुमोदित छठी योजना की धनराशि की व्यवस्था 35 करोड़ रु० है ।

राजस्थान के बाड़मेर और नागौर जिलों में प्रारम्भिक जांच हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करने के लिए कृत्यवल की स्थापना

2809. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खान विभाग ने राजस्थान के दो चयनित ब्लाकों और कपुरदी (जिला बाड़मेर) तथा मेड़ता रोड (जिला नागौर) में प्रारम्भिक जांच हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करने के लिए जी० एस० आई०, कोयला विभागों, एम० ई० सी० और योजना आयोग के साथ मिलकर एक कृत्यवल की स्थापना की थी ;

(ख) क्या राजस्थान के खान और भू-विज्ञान निदेशालय का काम पूरा हो गया है ; यदि हां, तो मात्रा और किस्म के बारे में उसके क्या परिणाम रहे ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया था कि सेन्ट्रल मिनिरल एक्सपोलेरेशन कार्पोरेशन विस्तृत खोज सम्बन्धी योजनाएं तैयार करे तथा कोयला विभाग वांछित धनराशि की व्यवस्था करें ; और

(घ) क्या राज्य के खान और भू-विज्ञान निदेशालय ने यह सुझाव दिया था कि कपुड़ी क्षेत्र में सबसे पहले खोज का काम शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि वहां इसके अच्छे आसार हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । राज्य सरकार द्वारा मेड़ता रोड में लिगनाइट के 11.20 मि० टन तथा कपुरदी में 17.71 मि० टन भंडारों की पुष्टि की गई है ।

(ग) राजस्थान सरकार के प्रतिनिधियों ने योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल की एक बैठक में खनिज गवेषण निगम की सहायता का सुझाव दिया था । किन्तु इस हेतु अपेक्षित राशि की व्यवस्था का कोई प्रस्ताव कोयला विभाग को राज्य सरकार से नहीं मिला है ।

(घ) जी हां ।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स इकाइयों की क्षमता का उपयोग

2810. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े, मध्यम और छोटे तापीय पन बिजली और अन्य बिजली इकाइयों के लिए जनरेटरों, टरबाइनों, कंट्रोल पेनलों आदि के निर्माण में हमारी हैवी इलेक्ट्रिकल इकाइयों की इस समय प्राप्य वार्षिक क्षमता कितनी है और इस क्षमता का किस हद तक पूरा-पूरा उपयोग किया जा रहा है ;

(ख) क्या ऐसे जनरेटरों का विदेशों से आयात किया जा रहा है अथवा किया जाना है जिसका निर्माण हमारी अपनी इकाइयों द्वारा देश में ही किया जा सकता है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं ;

(ग) क्या हमारी आत्मनिर्भरता की नीति को पूरा करने के लिए हमारी अपनी इकाइयों को आदेश नहीं मिल रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो किस हद तक ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) यह सन्दर्भ संभवतः बी० एच० ई० एल० की यूनिटों से सम्बन्धित है । 1982-83 के लिए थर्मल, हाइड्रो तथा बायलर उत्पादों को प्राप्त करने योग्य क्षमता नीचे दी गई है :—

क्रमांक	उत्पाद	प्राप्त होने योग्य क्षमता
1	2	3
1.	स्टीम टर्बाइन	2740 मे० वा०
2.	टर्बो जनरेटर	2920 मे० वा०

1	2	3
3.	हाइड्रो टर्बाइन	1031 मे० वा०
4.	हाइड्रो जनरेटर	823 मे० वा०
5.	बायलर	126830 मे० वा०
6.	कन्ट्रोल पेनल	683 नग

आशा की जाती है कि ये प्राप्त कर ली जाएंगी ।

(ख) उच्च क्षमता के तापीय सेटों के आयात की अनुमति अन्य बातों के साथ-साथ देश में बिजली जनित्रण के विकास को तेज करने की जरूरत तथा देशी क्षमता के उपयोग को ध्यान में रखते हुए दी गई है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पर्यावरण आयोजना सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति की बैठकें

2811. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :**
श्री बी० वी० देसाई :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) पर्यावरण आयोजना सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति (एन० सी० ई० पी०) की कुल कितनी बैठकें हुई ; और

(ख) बैठकों में किन विषयों पर चर्चा हुई ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) राष्ट्रीय पर्यावरणीय योजना समिति द्वारा अभी तक 3 बैठकों का आयोजन किया गया है ।

(ख) पर्यावरणीय कार्यक्रमों के लिए अग्रता क्षेत्र, पर्यावरणीय शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए संस्थानात्मक सुविधाएं, पर्यावरणीय रिपोर्ट की स्थिति, पर्यावरणीय सुधार के लिए मार्गदर्शी परियोजनाएं और वन नीति में पुनः स्थिति निर्धारण जैसे कुछ विषयों पर इन बैठकों में विचार-विमर्श किया गया था ।

योजना के असन्तुलन दूर करने के लिए की गई कार्यवाही

2812. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना को लागू करने में ढिलाई और उसके फलस्वरूप योजना खर्चों में वृद्धि होने के कारण पूर्व निर्धारित योजना लक्ष्यों के लिए नये मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं ;

(ख) क्या मूल्य वृद्धि के लिए व्यवस्था करना योजना प्रक्रिया का अंग नहीं है ; और

(ग) योजना में असन्तुलन के क्या कारण हैं और इसके लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां । यह वार्षिक योजनाओं को अन्तिम रूप देते समय किया जाता है ।

(ग) असन्तुलन होने के मुख्य कारण ये हैं—(1) निवेश लागत में वृद्धि (2) व्यापार की शर्तों में परिवर्तनों सहित विदेशी स्थिति में परिवर्तन (3) प्राकृतिक विपत्तियां और संसाधनों के जुटाने में कमी । वार्षिक योजनाएं आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए तैयार की जाती हैं ।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात

2813. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अगस्त, 1982 को गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात कितना था ; और

(ख) 31 अगस्त, 1979, 31 अगस्त, 1980, 31 अगस्त, 1981 और 31 अगस्त, 1982 को गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) 31 अगस्त, 1982 को गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या उपलब्ध नहीं है । उपभोक्ता व्यय का अद्यतन उपलब्ध सर्वेक्षण वर्ष 1977-78 के लिए है । जिस पर गरीबी के अनुमान आधारित हैं । छठी योजना के पहले दो वर्षों में अर्थ-व्यवस्था में संवृद्धि (लगभग 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष) तथा गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों के विभिन्न पुनर्वितरणात्मक उपायों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 1981-82 के अन्त में गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 2820 लाख होने का अनुमान लगाया गया है जो कुल जनसंख्या की 41.51 प्रतिशत होती है ।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1979-80 में गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 3168.40 लाख थी । वर्ष 1979-80 और 1981-82 के बीच की अवधि में गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की औसत वार्षिक कमी 5.6 प्रतिशत होती है । प्रश्न में उल्लखित तारीखों के सही अनुमान संभव नहीं है ।

बंगलादेश से आये शरणार्थियों द्वारा बोस विज्ञान संस्थान की भूमि पर अवैध कब्जा

2814. **श्री एम० रामन्ना राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को बोस विज्ञान संस्थान के अधिकारियों से कोई शिकायतें मिली हैं

जिनमें इस बात का अनुरोध किया गया है कि संस्थान के स्वामित्व की और विशेष प्रयोजनों के लिए नियत 99 बीघा भूमि पर मुख्य रूप से बंगलादेश से आए शरणार्थियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है ;

(ख) इन सभी वर्षों में भूमि का उपयोग करने में बोस संस्थान के अधिकारियों की विफलता के क्या कारण थे ; और

(ग) अवैध रूप से उन कब्जा करने वालों को बेदखल करने में सरकार बोस संस्थान को किस प्रकार सहयोग देगी, जिन्होंने वहां अपने सभी संसाधन लगा दिए हैं और तदनन्तर आवासीय तथा अन्य भवनों का निर्माण कर लिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में और ऊर्जा मंत्रालय के गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) भारत सरकार को बोस संस्थान कलकत्ता से इस रूप में ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि संस्थान के स्वामित्व की भूमि पर बंगलादेश से आये शरणार्थियों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। तथापि, ऐसा समझा जाता है कि संस्थान ने, संस्थान के अधीन प्रायोगिक क्षेत्र/क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी कार्यवाहियों के अधीन मध्यमग्राम में प्राप्त की गई भूमि का खाली कब्जा दिलाने की व्यवस्था कराने के लिए पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार को कहा है। 24 सितम्बर, 1982 को संस्थान को 17.63 एकड़ भूमि का खाली कब्जा दे दिया गया था।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित स्थिति को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

अम्बुड्समेन और लोकपाल की नियुक्ति

2815. **श्री एम० रामन्ना राय** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, सारे देश में बहुत अधिक भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की विद्यमान भावना को ध्यान में रखते हुए देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को पतन से बचाने हेतु अम्बुड्समेन या लोकपाल की नियुक्ति करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : (क) तथा (ख) केन्द्र में लोकपाल की संस्था का गठन किए जाने की व्यवस्था करने हेतु संसद में विधान प्रस्तुत करने के प्रश्न पर सरकार ध्यान दे रही है।

नौएडा में औद्योगिक संस्थाओं की समस्याएं

2816. **श्री भीकू राम जैन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौएडा क्षेत्र में युवा उद्यमियों द्वारा स्थापित अनेक औद्योगिक संस्थानों को उनकी अनेक समस्याओं का कोई हल न निकलने के कारण बन्द करना पड़ा है, या अनियमित ढंग से चलाना पड़ रहा है अथवा वे बन्द करने की स्थिति में हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नौएडा में औद्योगिक यूनिटों को पिछड़े क्षेत्र के प्रोत्साहन नहीं दिए गए हैं और अनेक आबंटित प्लाट अभी तक अविकसित हैं और इस क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचेंज, हास्पिटलों, परिवहन, सप्लाई, सीवेज आदि की सुचारु सेवाओं की कमी है ;

(ग) क्या नौएडा का विचार उद्यमियों की ऐसोसिएशन के साथ बैठक आयोजन और समस्याओं को हल करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) सूचना राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

औद्योगिक विकास में रुकावटें

2817. **श्री भीकू राम जैन :**
श्रीमती माधुरी सिंह :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि विदेशियों द्वारा बाजार में अधिक माल लाए जाने, ऋण न देने और मांग में आम गिरावट आने से देश के औद्योगिक विकास में रुकावट आ रही है ; और

(ख) सरकार का विचार स्वदेशी उद्योगों को अनुचित प्रतिस्पर्द्धा से बचाने और उत्पादन बढ़ाने तथा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु मांग में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं । वास्तव में, औद्योगिक उत्पादन के समग्र सूचकांक में अप्रैल-जून, 1982 में अप्रैल-जून, 1981 की अपेक्षा 6.11 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई दी है ।

(ख) सरकार ने औद्योगिक उत्पादन में तेजी लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अभ्युपाय किए हैं । इनमें निम्नलिखित अभ्युपाय शामिल हैं :—

1. पांच वर्ष की अवधि में 25 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि करके 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से स्वत: विकास की व्यवस्था करना ।

2. आधारभूत तथा विशेष महत्व के उद्योगों के साथ ही निर्यात की संभाव्यता वाले उद्योगों में लाइसेंसी कृत/पंजीकृत क्षमता से अधिक क्षमता को मान्यता देना ।

3. 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों के लिए योजना तैयार करना ।

4. लघु उद्योग क्षेत्र को संरक्षण देने के लिए क्षमताओं के पृष्ठांकन हेतु उत्पादन को आधार मानना ।

5. "उद्योग रहित जिलों" और अधिसूचित पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योगों के विकास की ओर विशेष ध्यान देना ।

6. ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करने की योजनाओं को लाइसेंस मुक्त करना ।

7. निर्यात के उद्देश्य से किए गए उत्पादन को लाइसेंसी कृत क्षमता से अलग मानना ।

8. सरकार ने एक ऐसी योजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत उत्पादकता वर्ष, 1982 में औद्योगिक अर्थव्यवस्था को एक निश्चयात्मक उत्पादनोन्मुख दिशा प्रदान करना संभव होगा । इस योजना के अन्तर्गत, एककों द्वारा लघु क्षेत्र को काफी संरक्षण प्रदान करते हुए किए गए सर्वोत्तम उत्पादन के आधार पर क्षमताओं आदि की अनुमति दी जाती है ।

विकास कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को शामिल करना

2818. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार के पास अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या की 50 प्रतिशत जनसंख्या और अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या की 50 प्रतिशत जनसंख्या को विभिन्न विकास कार्यक्रमों में शामिल करने का एक प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विभिन्न राज्यों में शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) विभिन्न राज्यों में अब तक इन कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कुल कितने प्रतिशत लोग शामिल किए गए हैं ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (घ) छठी योजना में अनुसूचित जातियों का विकास महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है । मार्च, 1980 में मुख्य मंत्रियों को भेजे गए प्रधान मंत्री ने अपने पत्र में इस उद्देश्य और उसके लिए कार्यक्रमों के महत्व पर बल दिया है । इसी प्रकार अनुसूचित जन जातियों के लिए भी यह विचार है कि छठी योजना अवधि में 50 प्रतिशत परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर उठाए जाएं । अनुसूचित जातियों के लिए विशेष कम्पोनेंट योजना और राज्यों द्वारा अपनी राज्य योजनाओं में से लाभ और वित्तीय परिव्यय निर्धारित करके तैयार की गई जनजातीय उप-योजनाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भिन्न-भिन्न कार्यक्रम शामिल हैं । प्रत्येक राज्य की विशेष कम्पोनेंट योजना और जनजातीय उप-योजना

दस्तावेज में काफी योजनाएं और कार्यक्रम दिए गए हैं जिनके ब्यौरे दस्तावेज में उपलब्ध हैं। इन विशेष कम्पोनेंट योजनाओं और राज्यों द्वारा तैयार की गई जनजातीय उप-योजनाओं में यह अनुमान लगाया गया है कि तीन वर्षों 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में 48.48 लाख (28.2 प्रतिशत) अनुसूचित जाति परिवार भिन्न-भिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो जाएंगे, और अनुसूचित जनजातियों के लिए यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 30.35 लाख परिवार (50 प्रतिशत) छठी योजना अवधि के दौरान शामिल कर लिए जाएंगे।

जगतपुर औद्योगिक बस्ती, उड़ीसा को हुआ नुकसान

2819. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जगतपुर औद्योगिक बस्ती, उड़ीसा को बाढ़ के कारण हुए बहुत अधिक नुकसान के बारे में जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो उस औद्योगिक बस्ती को बाढ़ के कारण हुए नुकसान में मुआवजे के रूप में कितनी केन्द्रीय सहायता देने का विचार है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) : जी, हां।

(ख) और (ग) औद्योगिक बस्ती जगतपुर में हुई हानि कृषि मंत्रालय द्वारा भेजे गये विशेषज्ञों के केन्द्रीय दल को राज्य सरकार की परिसम्पतियों की हानि के संबंध में दिये गए ज्ञापन में सम्मिलित कर ली गयी है। इस दल ने सितम्बर, 1982 के उत्तरार्द्ध में हानि का पता लगाने के लिए राज्य का दौरा किया था, केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय में विचार किया जा रहा है।

विजयनगर इस्पात संयंत्र का निर्माण

2820. **श्री एन० एच० नन्जे गौडा :**
श्री के० लकप्पा :
श्री एस० टी० कादरी :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विजय नगर इस्पात संयंत्र के निर्माण के लिए अपनाई जाने वाली नीति के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय ले लिया है ;

(ख) क्या सी० ई० डी० बी० तथा "मेकोन" ने सरकार को कई अवसरों पर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पेश किये थे ;

(ग) यदि हां, तो विजय नगर इस्पात संयंत्र का कब तक निर्माण किये जाने और कार्य आरम्भ करने की सम्भावना है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा संयंत्र के लिए राज्य सरकार को दी गई सहायता के ब्यौरे क्या हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) परियोजना का कार्य शुरू करने से पहले परियोजना पर तकनीकी तथा अन्य दृष्टिकोणों से विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग) परम्परागत धमन-भट्टी प्रौद्योगिकी पर आधारित इस्पात कारखाना लगाने के सम्बन्ध में विस्तृत परियोजना रिर्पोट तैयार हो गई है और इसकी जांच भी कर ली गई है। रेल इण्डिया टेक्निकल एण्ड इकोनोमिक्स सर्विस द्वारा एक अनुपूरक अध्ययन भी किया गया है। इसकी रिर्पोट हाल ही में प्राप्त हुई है और इसका अध्ययन किया जा रहा है।

सीधी अपचन प्रक्रिया पर आधारित कारखाना लगाने के लिए विस्तृत परियोजना रिर्पोट तैयार की जा रही है। आशा है यह रिर्पोट कुछ ही महीनों में प्राप्त हो जाएगी।

इस कारखाने के लिए प्रौद्योगिकी के चयन के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निर्णय लेने के पश्चात् कारखाने का निर्माण कार्य निकट भविष्य में शुरू कर दिया जाएगा।

(घ) यह परियोजना भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है अतः राज्य सरकार को सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उद्योगों के लिए ऋण सुविधा

2821. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन के हित में उद्योगों को ऋण सुविधा प्रधान करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है ; और

(ख) सरकार ने इस बारे में प्रक्रिया को संगत बनाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) उद्योगों को ऋण सुविधाएं बैंकों और सावधिक उधार देने वाले संस्थानों द्वारा दी जाती हैं जो उधार देने से पहले परियोजना की जांच करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्रयोजन के लिए विभिन्न अभिकरणों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों का इष्टतम उपयोग किया गया है, राज्य सरकारों को इस संबंध में अलग से कोई निदेश जारी नहीं किये गये हैं।

डी० सी० एम० द्वारा जमुना में प्रदूषण

2822. **श्री नारायण चौबे** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट, दिल्ली के हाल के

आदेशों की ओर आकृष्ट किया गया है जो बाड़ा हिन्दूराव में दिल्ली क्लोथ मिल्स की यूनिट द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट को जमुना नदी के पानी में बहाने से होने वाले प्रदूषण के बारे में है ;

(ख) क्या ऐसा अपशिष्ट आदमियों और जानवरों के लिए समान रूप से अत्यधिक नुकसान-देह होता है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार डी० सी० एम० अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां ।

(ग) न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत उद्योग को 30 नवम्बर, 1982 तक औद्योगिक बहिस्राव उपचार संयंत्र लगाने का निदेश किया गया है ।

मध्य प्रदेश के पिछड़े जिलों का औद्योगिकीकरण

2823. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के विश्लेषण से पता चला है कि देश में मध्य प्रदेश राज्य में "उद्योगहीन जिलों" की संख्या सबसे अधिक है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने और मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिकीकरण करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) उन बड़े और मध्यम दर्जे के उद्योगों के नाम क्या हैं जो मध्य प्रदेश के राजगढ़, गुना, विदिशा, शाजापुर और सागर में स्थित हैं ; और

(घ) उनमें से रजिस्टर्ड औद्योगिक यूनिटें कितनी हैं और क्या उपर्युक्त उल्लिखित यूनिटों में उत्पादन हो रहा है और वह काम कर रही हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां । 1 अगस्त, 1982 को देश के कुल 87 उद्योग रहित जिलों में से निम्नलिखित 18 जिले मध्य प्रदेश में स्थित हैं :

1. बालाघाट 2. भिण्ड 3. छत्तरपुर 4. छिन्दवाड़ा 5. दमोह 6. दतिया 7. धार 8. गुना 9. झबुआ 10. माण्डला 11. नरसिंह पुर 12. पन्ना 13. रायगढ़ 14. सिवनी 15. शिवपुरी 16. सीद्धी 17. सरगुजा 18. टीकमगढ़ ।

(ख) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के अलावा केन्द्रीय सरकार भी ये सहायता देती हैं—केन्द्रीय निवेश सहायता, रियायती वित्त, परिवहन सहायता, लघु उद्योगों द्वारा मशीनरी की किराया खरीद, तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श, ब्याज सहायता, कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधाएं, औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के लिए सीमान्त मूल धनराशि सहायता और जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम ।

(ग) और (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सारण (बिहार) में उद्योग स्थापित करना

2824. **प्रो० सत्यदेव सिंह :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिहार के सारण (छपरा) जिले में, जो औद्योगिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है, कोई उद्योग स्थापित करने की संभावना का पता लगा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी सम्भावनाओं का ब्यौरा क्या है और इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) बिहार के सारण जिले को अखिल भारतीय सावधिक ऋणदायी वित्तीय संस्थानों की रियायती वित्तीय सुविधाओं की पात्रता के लिए औद्योगिक दृष्टि, से पिछड़ा हुआ माना गया है। राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों और सुविधाओं के अलावा केन्द्र सरकार कर सम्बन्धी रियायतों, लघु उद्योगों द्वारा मशीनों की किराया-खरीद, तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श, ब्याज राजसहायता, कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधाएं और मूल सीमान्व (मार्जिन) धनराशि की सहायता के रूप में प्रोत्साहन देती है।

दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम की देन-दारियां

2825. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम को 30 जून, 1982 को विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों या जनता का ऋण, अग्रिम धनराशि या ओवर ड्राफ्ट के रूप में कुल कितनी देनदारी थी ;

(ख) इस देनदारी का उद्देश्य क्या था और यह कितनी पार्टियों के साथ है और निगम के उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए धन कब खर्च किया गया या आवंटित किया गया अथवा उपयोग में लाया गया ;

(ग) क्या 1980-81 और 1981-82 के लेखों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है, यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या पिछले सात वर्षों से निगम की वित्तीय सक्षमता को पूंजी की किस्तों की वसूली न होने और उसके ब्याज के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है, यदि हां, तो निगम की सभी वसूल योग्य और गैर वसूली की बकाया धनराशि का पार्टी उद्योग-वार ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

मध्यम श्रेणी के कागज निर्माताओं पर कच्चे माल के मूल्य में हुई वृद्धि का प्रभाव

2826. **श्री जगदीश टाइटलर :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में मध्यम श्रेणी की कागज निर्माता यूनिटों को कच्चे माल और रसायनों के मूल्यों में तीव्र वृद्धि होने के कारण बन्द होने के संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या सरकार इन मध्यम श्रेणी के उद्योगों को आर्थिक सक्षमता पुनः जुटाने के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है ; और

(ग) मध्यम श्रेणी के यह उद्योग बन्द न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य क्या योजनाएं शुरू करने पर विचार किया जा रहा है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) लघु और मझौली कागज मिलों को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(I) लुगदी के आयात को उदार बना दिया गया है।

(II) कागज बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले रद्दी कागज से आयात शुल्क हटा दिया गया है।

(III) लघु कागज मिलों को उत्पादन कर से छूट देने की अनुमति दे दी गई है।

नोएडा में उद्योगों की समस्या

2827. **श्री जगदीश टाइटलर :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नोएडा काम्पलेक्स में उद्योगों के सामने आ रही समस्याओं को हल करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार की उदासीनता के कारण 4000 यूनिटों में से केवल 40 यूनिटें ऐसी हैं जिन्हें घाटा या लाभ नहीं हुआ है अथवा लाभ कमा सके हैं ;

(ग) क्या सम्बन्धित अधिकारियों ने उद्यमियों की समस्याओं को हल करने और उन्हें उत्पादन बढ़ाने में सहायता करने में रुचि नहीं दिखाई है ; और

(ग) नोएडा के विकास के लिए अब क्या कार्यवाही करने पर विचार हुआ है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) सूचना राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

स्कूटरों का निर्माण करने वाले एकक

2828. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को मिलाकर स्कूटर बनाने वाली कौन-कौन सी कम्पनियां हैं ;

(ख) इन कम्पनियों ने वर्ष 1979 से 1982 तक (वर्ष-वार) कितने स्कूटर बनाए हैं ; और

(ग) कितने स्कूटरों का निर्यात किया गया है और किस-किस देश को ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जैसा कि प्रमुख निर्माताओं ने बताया है निर्यात किये गये स्कूटरों की संख्या इस प्रकार है :

क्र० सं०	इकाई का नाम	निर्यातित मात्रा नगों में		
		1979-80	1980-81	1981-82
1.	बजाज आटो लि० पुणे	5214	5627	2745
2.	स्कूटर्स इंडिया लि० लखनऊ	1174	1606	278
3.	आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इंडिया, बम्बई निर्यात मुख्य रूप से इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्री लंका, ताइवान, मिश्र का अरब गणराज्य, सुडान, इटली, ब्रिट्रेन, ग्रीक तथा अमरीका को किया गया था ।	59	शून्य	17

विवरण

1979, 1980, 1981 तथा 1982 (जनवरी से दिसम्बर) के कलेण्डर वर्ष में स्कूटर बनाने वाले एकक तथा उसके उत्पादन

क्र० सं०	इकाई का नाम (मै०)	1979	1980	1981	1982 (सितम्बर तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आटो मोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इंडिया लि० बम्बई	26,338	23,405	21,067	17,817

1	2	3	4	5	6
2.	बजाज आटो लि० पूर्णे	61,548	109,982	107,050	104,568
3.	स्कूटर्स इंडिया लि० लखनऊ	33,010	35,895	31,200	26,198
4.	आंध्र प्रदेश स्कूटर्स लि० हैदराबाद	9,450	10,564	10,580	6,937 (जुलाई तक)
5.	महाराष्ट्र स्कूटर्स लि० सतारा	19,451	25,006	24,546	22,782
6.	गुजरात लघु उद्योग निगम लि० अहमदाबाद ।	740	3,836	5,953	3,279
7.	कर्नाटक स्कूटर्स लि० बैंगलोर ।	2,913	1,374	954	460*
	योग—	153,490	210,062	201,350	182,041

*मार्च और अप्रैल, 1982 के आंकड़े छोड़कर

छोटे सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए आवेदन

2829. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 मार्च, 1982 तक राज्य सरकारों ने राज्यवार केन्द्रीय सरकार को देश में छोटे सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए मंजूरी हेतु कितने आवेदन पत्र अग्रसारित किये हैं ;

(ख) ऐसे छोटे सीमेंट संयंत्रों के आवेदन-पत्रों की राज्यवार संख्या और ब्यौरा क्या है, जिन्हें स्वीकृति प्रदान दी गई है ;

(ग) दिनांक 31 मार्च, 1982 तक कितने छोटे सीमेंट संयंत्र स्थापित हो चुके हैं और उनमें उत्पादन होना शुरू हो गया है तथा उनका अनुमानतः वार्षिक उत्पादन कितना है ;

(घ) निर्माणाधीन छोटे सीमेंट संयंत्रों की संख्या क्या है तथा वे कहां-कहां लगाए जा रहे हैं ;

(ङ) क्या उनकी स्थापना से देश की सीमेंट की आवश्यकता पूरी हो जाएगी ; और

(च) यदि नहीं, तो सीमेंट की मांग की पूर्ति के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) 1-4-1981 से 31-3-1982 के दौरान उद्यमियों से मिनी सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए 113 आवेदन-पत्र (लाइसेंस और पंजीकरण के लिए) प्राप्त हुए । जैसा संलग्न विवरण I में दर्शाया गया है ।

(ख) मार्च, 1982 तक स्वीकृत क्षेत्रवार और राज्यवार मिनी सीमेंट संयंत्रों की कुल संख्या संलग्न विवरण II में दिखाई गई है ।

(ग) चार, 1981 के दौरान लगभग 13,400 मी० टन ।

(घ) पहले स्थापित किए जा चुके मिनी सीमेंट संयंत्रों के अतिरिक्त अन्य कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं ।

(ङ) और (च) सीमेंट की स्थानीय मांग को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने को बढ़ावा दिया गया है ।

सरकार, विद्यमान क्षमता का बेहतर उपयोग करके और अतिरिक्त क्षमता स्वीकृत करके देश में सीमेंट की उपलब्धता में वृद्धि करने का हर सम्भव प्रयास कर रही है । इसके अलावा मूल्य और वितरण नियंत्रण से मुक्त गैर लेवी श्रेणी की सीमेंट उपलब्ध है । आयात निर्यात नीति 1982-83 के अधीन चयनात्मक सामान्य खुले लाइसेंस पर सीमेंट के आयात की अनुमति है ।

विवरण-1

1-4-1981 से 31-3-1982 के दौरान मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए उद्यमियों से प्राप्त आवेदन पत्र (लाइसेंस और पंजीकरण के लिए)

राज्य	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या		
	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
आशय पत्र की स्वीकृति के लिए			
आन्ध्र प्रदेश	—	5	5
बिहार	—	2	2
गुजरात	—	12	12
हरियाणा	1	—	1
हिमाचल प्रदेश	—	2	2
कर्नाटक	—	10	10
मध्यप्रदेश	1	4	5
महाराष्ट्र	—	6	6
उड़ीसा	—	3	3
राजस्थान	—	3	3
उत्तर प्रदेश	2	5	7
	4	52	56

तकनीनी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण के लिए			
आन्ध्रप्रदेश	—	9	9
गुजरात	—	23	23
हिमाचल प्रदेश	—	2	2
जम्मू तथा काश्मीर	—	1	1
कर्नाटक	—	3	3
मध्यप्रदेश	—	4	4
महाराष्ट्र	—	1	1
उड़ीसा	—	2	2
राजस्थान	—	5	5
तमिलनाडु	—	1	1
उत्तर प्रदेश	—	5	5
पश्चिमी बंगाल	—	1	1
		57	57

(56+57=113)

विवरण-2

विभिन्न राज्यों में क्षेत्रवार मार्च, 1982 तक स्वीकृत मिनी सीमेंट संयंत्रों की कुल संख्या

राज्य	औद्योगिक लाइसेंस			आशयपत्र		
	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	—	4	4	—	8	8
गुजरात	—	1	1	—	14	14
हरियाणा	—	—	—	1	—	1
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	2	2
कर्नाटक	—	—	—	—	10	10
महाराष्ट्र	—	1	1	—	2	2

1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश	—	—	—	1	4	5
उड़ीसा	—	—	—	1	—	1
राजस्थान	—	1	1	4	1	5
उत्तर प्रदेश	—	1	1	4	—	4
	—	8	8	11	41	52

पंजीकरण

राज्य	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
आन्ध्र प्रदेश	—	2	2
बिहार	—	1	1
गुजरात	—	14	14
हिमाचल प्रदेश	—	1	1
जम्मू-कश्मीर	—	1	1
कर्नाटक	—	1	1
मध्य प्रदेश	—	2	2
राजस्थान	—	1	1
पांडिचेरी	—	2	2
तमिल नाडु	—	3	3
उत्तर प्रदेश	—	2	2
	—	30	30

माइक्रो-परियोजना सम्बन्धी रिपोर्ट

2830. **श्री अरविन्द्र नेताम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों ने कौन-कौन सी आदिम जनजातियों का पता लगाया है और उनकी जनसंख्या क्या-क्या हैं तथा उनके मंत्रालय के निदेशों के अनुसार अब तक कौन-कौन सी माइक्रो-परियोजनाएं तैयार की गई हैं ;

(ख) वर्ष 1981-82 तक उनके मंत्रालय द्वारा राज्यवार कितनी-कितनी माइक्रो-परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हुई, और उन्हें मंजूरी दी गई तथा अभी कौन-कौन सी और कितनी परियोजना रिपोर्टें प्राप्त होनी शेष हैं ;

(ग) राज्यों द्वारा परियोजना रिपोर्टें बनाने में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा उनके मंत्रालय ने इन रिपोर्टों को उनसे प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किये हैं ; और

(घ) माइक्रो-परियोजनाओं को शुरू होने से वर्ष 1981-82 तक, राज्यवार कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की गई हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) और (ख) विवरण संलग्न हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5549/82]**

(ग) पिछड़े और दूरस्थ तथा अगम्य क्षेत्रों में रहने के कारण आदिम जनजाति वर्ग जिनको सामान्यतः थोड़े साधन उपलब्ध हैं और जो विभिन्न प्राचीन सामाजिक संस्कृति को अपनाये हुए हैं, के विकास के लिए व्यवहार्य परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के कार्य में समय लगता है। ऐसे कार्य को शुरू करने के लिए आंकड़ों तथा सक्षम कर्मचारियों की अपर्याप्तता, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में विलम्ब के मुख्य कारण रहे हैं तथापि सभी मान्यता प्राप्त आदिम जनजाति वर्गों के लिए प्रारम्भिक लेखे तैयार कर लिए गए हैं। मामले पर राज्य सरकारों के साथ भरसक कार्रवाई की जा रही है।

(घ) विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5549/82]**

कर्नाटक में औद्योगिक विकास

2831. **श्री डी० के० नायकर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने कर्नाटक राज्य को वहां औद्योगिक विकास के लिये गत दो वर्षों में कितनी वित्तीय तथा गैर-वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) क्या सरकार ने यह देखने के लिए स्थिति का पुनरावलोकन किया है कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों का पता लगाने और ऐसे क्षेत्रों में अब स्थापना संबंधी सुविधायें प्रदान करने हेतु उठाये गये कदम पर्याप्त हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) वर्ष 1980-81 और वर्ष 1981-82 में राज्य के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों के लिए केन्द्रीय निवेश राज-सहायता योजना के अन्तर्गत कर्नाटक राज्य सरकार को क्रमशः 2.10 करोड़ रुपये और 1.13 करोड़ रुपये राशि की प्रतिपूर्ति की गई है।

(ख) और (ग) योजना आयोग ने विद्यमान प्रोत्साहन योजना की संवीक्षा करने जैसे मामलों

सहित पिछड़े क्षेत्रों के समग्र प्रश्न की जांच करने और पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से हल करने के लिए एक उपयुक्त नीति की सिफारिश करने के लिए नवम्बर, 1978 में पिछड़े क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया था। इस समिति ने औद्योगिक विकास से सम्बन्धित मामलों, विशेष रूप से औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों का पता लगाने सम्बन्धी मानदण्ड, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए चुने गए क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए प्रदान किये जाने वाले प्रोत्साहनों की योजनाओं पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं।

कतिपय राज्यों की योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन

2832. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने कतिपय राज्यों की परियोजनाओं पर पुनर्विचार शुरू कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं और ऐसी योजनाओं की लागत का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

असम के अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा ज्ञापन

2833. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको असम यात्रा के दौरान राज्य के अल्प संख्यक समुदाय ने उन्हें एक ज्ञापन भेंट किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ऐस्बेस्टोज सीमेंट लिमिटेड काईमोर का बन्द किया जाना

2834. **श्री गुलशेर अहमद** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्या ऐस्वेस्टोज सीमेंट काईमोर तहसील मुड़बाड़ा, जिला जबलपुर मध्यप्रदेश को जबरी छुट्टी करने को बाध्य किया गया है जिसके कारण 1000 से अधिक मजदूर बेकार हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) जबरन छुट्टी की अवधि में उत्पादन की कितनी अनुमानित हानि हुई और सरकार को सीमा शुल्क, केन्द्रीय करों आदि के रूप में कितनी हानि हुई ;

(घ) क्या ऐस्वेस्टोज सीमेंट लिमिटेड को साधारण पोटेलैण्ड सीमेंट के लेवी/गैर लेवी कोटे की सप्लाई न किया जाना इसको बन्द किये जाने का एक कारण है ;

(ङ) कारखाने को बन्द करने के लिए उत्तरदायी अन्य कारण क्या हैं ; और

(च) जबरी छुट्टी को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) मैं० एसबेस्टस सीमेंट लि० ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने काईमोर स्थित कारखाने के कुल 1028 श्रमिकों में से लगभग 200-425 कर्मचारियों को 4-9-1982 से कार्य से हटा दिया है। कार्य से अलग किए गए कर्मचारियों के नाम हाजरी रजिस्टर में चलते रहते हैं और उन्हें कार्य से हटाये जाने का वैधानिक भत्ता दिया जाता है।

(ग) उत्पादन में अथवा सरकारी राजस्व को हुई हानि का अनुमान ठीक-ठीक नहीं लगाया गया है।

(घ) से (च) सीमेंट के आंशिक विनियंत्रण की योजना के अन्तर्गत, सीमेंट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाले बड़े और मंझोले उद्योगों से सीमेंट खुले बाजार से खरीदने की अपेक्षा की जाती है। दि एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनीज लि० जो कि इस कारखाने को साधारण पोटलैंड सीमेंट की आपूर्ति कर रही थी सीमेंट नियन्यक द्वारा जारी किए गए रिलीज आदेशों के अनुसार लेवी सीमेंट देने में असमर्थ रही है अतः उन्हें निदेश दिया गया था कि नीति के अनुसार खुले बाजार में सिमेंट बेचने से पूर्व अपनी लेवी सीमेंट देने की जिम्मेदारी पूरी करें। अतः अभी मैं० एसबेस्टस सीमेंट लि० मैं० एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनीज लि० से गैर-लेवी सीमेंट प्राप्त कर पाने की स्थिति में नहीं हैं। यद्यपि यह श्रमिकों को काम से अलग करने के कारणों में से एक कारण रहा है तथापि इसके और भी कारण हैं जैसे कि बाजार में विपरीत परिस्थितियों के कारण अनबिक तैयार माल का भारी स्टॉक जमा हो जाना ; आयातित जी० आई० शीटों के साथ मूल्य प्रतियोगिता, एसबेस्टस सीमेंट के माल पर रेल-भाड़े में अधिभार वृद्धि आदि। मैं० एसेबस्टस सीमेंट लि० को अन्य निकटस्थ सीमेंट कारखानों से सीमेंट प्राप्त करने तथा आवश्यक होने पर आयात करने की भी सलाह दी गई है।

मणिपुर में "प्रीपाक" का सफाया

2835. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर सरकार ने पीपल्स रिवोल्युशनरी पार्टी आफ कांगलीपाक ("प्रि पाक") का, जो एक सशस्त्र संगठन था, सफाया करने का दावा किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या "प्रिपाक" के कुछ सदस्य अभी तक नहीं पकड़े गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें पकड़ने तथा मणिपुर में शान्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी आफ कांगलीपाक (प्रि पाक) और इसके सहबद्ध निकायों का कुछ अन्य मैतयी उग्रवादी संगठनों जैसे पी० एल० ए० और के० सी० पी० को गैर कानूनी गतिविधियां (निवारक) अधिनियम 1967 के तहत गैर-कानूनी घोषित किया जा चुका है । प्रीपाक को क्षति हुई है क्योंकि इसके अनेक नेता या तो गिरफ्तार किए जा चुके हैं या मुठभेड़ों में मारे गए हैं। अभी तक फरार भूमिगत लोगों को गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को कड़ा कर दिया गया है ।

आनन्द पर्वत, नई दिल्ली में उद्योगों के कारण अपदूषण

2836. **श्री राम लाल राही** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आनन्द पर्वत, नई दिल्ली की गहन जनसंख्या वाली गलियों में अनेक प्रकार के कारखाने स्थापित हैं जो जहरीली गैस फैलाते हैं और आग लगने की आशंका बनी हुई है और मशीनों के चलने की आवाजों ने वहां के निवासियों का रहना मुश्किल कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन कारखानों को रिहायशी क्षेत्रों से स्थानान्तरित करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार आनन्द पर्वत, नई दिल्ली में विभिन्न किस्म के कारखाने काम कर रहे हैं किन्तु ऐसे कारखानों को जो जहरीली गैस फैलाते हैं दिल्ली नगर निगम द्वारा लाइसेंस नहीं दिया गया है । बिना लाइसेंस चलने वाले अनधिकृत कारखानों के खिलाफ दिल्ली नगर निगम द्वारा दण्डनीय कार्रवाई की जाती है ।

सीतापुर में उद्योगों की स्थापना

2837. **श्री राम लाल राही** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले को औद्योगिकीकरण के लिए चुने गए जिलों की सूची में शामिल कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) उत्तर प्रदेश के सीतातुर जिले को अखिल भारतीय सावधिक ऋणदायी वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्त सुविधाएं पाने वाले औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए जिले के रूप में चुना गया है।

राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के अतिरिक्त केन्द्र सरकार भी प्रोत्साहन देती है जैसे कि करों में रियायत, लघु उद्योगों को किराया खरीद के आधार पर मशीनें, तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श, ब्याज राजसहायता, कच्चे माल के आयात हेतु विशेष सुविधाएं और सीमांत तथा बीज धन सहायता।

असम के औद्योगिकीकरण के लिए सहायता

2838. **श्री राम लाल राही** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के आन्दोलनकारी नेताओं ने राज्य के औद्योगिकीकरण के लिए केन्द्रीय सरकार से 700 करोड़ रुपये की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य की आवश्यकता को देखते हुए उनकी मांग मान ली है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्योरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) असम आन्दोलन नेताओं से असम राज्य के औद्योगीकरण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु, असम सरकार ने योजना आयोग के सदस्य सचिव को "एप्रोच पेपर ऑन दि प्रोसपेक्ट्स ऑफ इण्डस्ट्रियलाइजेशन इन आसाम बेस्ट ऑन डाउन-स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स ऑफ बी० आर० पी० एल० एण्ड नैचुरल गैस ऑफ अपर असम ऑयल फील्ड्स।" (बी० आर० पी० एल० की छोटी-छोटी परियोजनाओं और ऊपरी असम तेल क्षेत्रों की प्राकृतिक गैस पर आधारित असम के औद्योगीकरण की संभावनाओं पर एक प्रस्ताव पत्र) दिया है। इस एप्रोच पेपर (प्रस्ताव पत्र) में कताई मिलों, बुनाई परिसर, परिष्करण गृह, विस्कोस संयंत्र, कार्बन ब्लैक, प्थैलिक एन्हाइड्राइड, एरोमेटिक कम्प्लैक्स, पॉलिएस्टर फिल्म, पॉलिएस्टर फिलामेंट धागा संयंत्र आदि जैसी परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव किए गए हैं। जिनमें लगभग 700 करोड़ रुपये का निवेश निहित है। कुछ परियोजनाएं जैसे कुछ कताई मिले लगाना, प्थैलिमक एन्हाइड्राइड संयंत्र, परिष्करण और बुनाई परिसर आदि की परियोजनाएं असम सरकार की 1982-83 की राज्य योजना में पहले ही सम्मिलित कर ली गई हैं और समझा जाता है कि असम सरकार ने इसी वर्ष कताई मिल स्थापित करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। प्रस्ताव-पत्र में दिए गए कुछ प्रस्तावों के समर्थन में विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन लगाने की आवश्यकता पड़ेगी।

जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना

2839. **श्री राम लाल राही** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान सरकार का कितने जिला उद्योग केन्द्र खोलने का विचार है ;

(ख) इनमें से कितने जिला उद्योग केन्द्र उत्तर प्रदेश में खोले जाएंगे तथा सीतापुर में कोई केन्द्र स्थापित किया जाएगा ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जिला उद्योग केन्द्र योजना का महानगर क्षेत्रों को छोड़ कर सभी क्षेत्रों पर लागू होना अपेक्षित है। बंगलौर और लक्षद्वीप के अतिरिक्त सभी जिलों के लिए जिला उद्योग केन्द्र पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं। बंगलौर के संबंध में प्रस्ताव मिल गया है और इस पर विचार किया जा रहा है।

(ख) तथा (ग) उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए जिला उद्योग केन्द्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। सीतापुर के जिला उद्योग केन्द्र को 1979 में स्वीकृति प्रदान की गई थी और यह 1 जनवरी, 1979 से कार्यरत है।

परमाणु रिएक्टरों हेतु ईंधन के रूप में माक्स का विकास

2840. **श्री विजय कुमार यादव :**
डा० कृपा सिन्धु भोई :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) हमारे परमाणु रिएक्टरों हेतु देशी ईंधन मॉक्स (मिश्रित आक्साईड ईंधन) के विकास पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ख) क्या इस प्रक्रिया के आगे विकास से समृद्ध यूरेनियम के विदेशी स्रोतों पर हमारी निर्भरता कम होगी ; और समाप्त भी हो जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो तारापुर के लिए फ्रांस से ईंधन की सप्लाई द्वारा माक्स के माध्यम से आत्म निर्भरता प्राप्त करने का परित्याग करने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) न्यूक्लियर रिएक्टरों के लिए "माक्स" ईंधन का विकास करना अनुसंधान और विकास संबंधी हमारे समग्र प्रयास का ही एक अंग है। इस पर किए गए खर्च को अलग करना संभव नहीं है। यह सिद्ध किया जा चुका है कि हल्के पानी को काम में लाने वाले रिएक्टरों में "मॉक्स" ईंधन को काम में लाया जा सकता है।

(ग) तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए ईंधन की सप्लाई के बारे में फ्रांस के साथ हमारी बातचीत सन् 1963 में हुए सहकार करार और उस करार के आधार पर सन् 1971 में हुए सुरक्षोपाय सम्बन्धी करार की सीमा में रहते हुए चल रही है। यदि भारत और फ्रांस किसी ऐसे हल पर पहुंच जाते हैं जो दोनों देशों के लिए स्वीकार्य हो तो भारत को तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए आवश्यक ईंधन उन्हीं बाध्यताओं के अनुसार मिलता रहेगा जिनकी परिकल्पना उक्त करार में की गई थी तथा उनमें कोई नई बाध्यता शामिल नहीं की जाएगी।

हरिजन कल्याण निदेशालय की स्थापना

2841. **श्री जी० वाई कृष्णन् :**
श्री हीरालाल आर० परमार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में सरकार ने हरिजनों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों की दशा सुधारने हेतु हरिजन कल्याण निदेशालय की स्थापना करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

—**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या)** : (क) गृह मंत्रालय में हरिजन कल्याण के लिए कोई निदेशालय स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है चूंकि अनुसूचित जातियों के विकास के लिए योजनाएं सामान्यत: राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं और सीधे इस मंत्रालय द्वारा नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

व्यापारिक गृहों द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रम में भाग लेना

2842. **श्री गुलाम मुहम्मद खां** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के व्यापारिक गृहों ने ग्रामीण विकास कार्यक्रम में अपनी पर्याप्त रुचि नहीं दर्शायी है ;

(ख) व्यापारिक गृहों के ग्रामीण विकास कार्यक्रम में उत्साह को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय करने का विचार किया गया है ;

(ग) क्या इससे सम्बन्धित कठिनाइयों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ; और

(घ) व्यापारिक गृहों को ग्रामीण विकास कार्यक्रम की ओर प्रोत्साहित करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 सी० सी० के अन्तर्गत कम्पनियों और सहकारी समितियों को उस व्यय को अपने कर योग्य लाभ में से घटाने की अनुमति दी जाती है जो व्यय निर्धारित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ग्रामीण विकास के किसी भी कार्यक्रम पर किया जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 35 सी० सी० ए० के अन्तर्गत कटौती की अनुमति उस व्यय पर दी जाती है जो किसी राशि के ऐसे भुगतान द्वारा किया गया है जो भुगतान उन स्वीकृत संघों और संस्थानों को किया गया हो जिन्होंने इसका प्रयोग निर्धारित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में किया है। इस समय यह प्राधिकरण एक राज्य स्तरीय समिति के रूप में है जिसमें आयकर के अधिसूचित आयुक्त शामिल हैं। जो अध्यक्ष के रूप में अपना कार्य, अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले

उस राज्य/संघ शासित प्रदेश में करते हैं जहां ग्रामीण विकास कार्यक्रम किया जाना है और इस समिति में, राज्य सरकार के सचिव स्तर का एक अधिकारी सदस्य के रूप में होता है। मंत्रालय स्तर पर, वैयक्तिक मामलों में रियायतों आदि के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अभी तक इस योजना के कार्य का कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

एशियाई खेलों के लिए रंगीन टेलीविजन सेटों के मूल्य में वृद्धि

2843. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इलेक्ट्रोनिक्स विभाग को एशियाई खेलों के लिए रंगीन टेलीविजन सेटों के मूल्य में सम्भावित वृद्धि की आशंका है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या रंगीन सेटों के उत्पादक सेट के निर्धारित मूल्य पर बेचने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप-मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां। रंगीन दूरदर्शन सेटों के विनिर्माता टरेट वाले तथा इलेक्ट्रानिक ट्यूनर वाले रंगीन दूरदर्शन सेट क्रमश: 5,200/-रुपये और 5600/-रुपये के निर्धारित कारखानागत मूल्यों पर बेचने के लिए कानूनी दृष्टि से बाध्य हैं और उनसे संलग्न विवरण में दिए गए शर्तनामे के अनुसार, आयात लाइसेंस जारी किए जाने की एक शर्त के रूप में, उपर्युक्त आशय की वचन बद्धता लेकर इस पर अमल किया जा रहा है। उपर्युक्त कारखानागत मूल्य के फलस्वरूप दिल्ली में उपभोक्ताओं को उपर्युक्त सेट क्रमश: 7500/-रुपये और 8,000 रुपये में प्राप्त होंगे।

विवरण

दो रुपये के गैर-अदालती स्टाम्प-पेपर पर समाविष्ट की जाने वाली वचनबद्धता

"सरकार द्वारा बनाई गई योजना के अंतर्गत मैंने/हमने रंगीन दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण के लिए आवश्यक संघटक-पुर्जों और कल-पुर्जों के आयात के लाइसेंस के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। मैं/हम यह वचन देते हैं कि टरेट समस्वरित्र (ट्यूनर) वाले रंगीन दूरदर्शन सेटों का कारखानागत मूल्य 5200 रुपये से अधिक नहीं होगा और इलेक्ट्रानिक समस्वरित्र (ट्यूनर) वाले रंगीन दूरदर्शन-सेटों का कारखानागत मूल्य 5600 रुपये से अधिक नहीं होगा। इन मूल्यों के आधार पर मैं/हम रंगीन दूरदर्शन के बिक्रेताओं से इस आशय का वचन लूंगा/लेंगे कि मेरे/हमारे द्वारा विनिर्मित टरेट समस्वरित्र (ट्यूनर) वाले दूरदर्शन सेटों के लिए वे अंतिम उपभोक्ता से 7500 रुपये से अधिक मूल्य वसूल नहीं करेंगे और इलेक्ट्रानिक समस्वरित्र (ट्यूनर) के दूरदर्शन सेटों के लिए वे 8000 रुपये से अधिक मूल्य नहीं वसूल करेंगे। इस कीमत में दिल्ली में की जाने वाली बिक्री के लिए अदा

किए जाने वाले गारण्टी/समाश्वासन तथा बिक्री-कर शामिल हैं। जहां तक दिल्ली से बाहर की जाने वाली बिक्री का प्रश्न है, स्थानीय करों के अनुसार बिक्री-कर की राशि तदानुसार समायोजित की जाएगी। मैं/हम वादा करते हैं कि विनिर्माण-कर्त्ता द्वारा इस वचनबद्धता का किसी भी प्रकार उल्लंघन किए जाने पर वह दण्ड का भागी होगा, जिसमें आयात नियंत्रण के विनियमों के अंतर्गत किया जाने वाला दण्ड शामिल है।

कम्पनी की सील सहित कम्पनी के प्रबन्ध-निदेशक/मालिक के हस्ताक्षर।

जनसंख्या वृद्धि के कारण पांचवी पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियों का निष्प्रभावी होना

2844. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहली से प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं से लोगों को पूरे लाभ प्राप्त नहीं हुए क्योंकि देश की जनसंख्या में भारी वृद्धि से सारी उपलब्धियां निष्प्रभावी हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में जनसंख्या में वृद्धि को रोकने के लिए विशेष कदम उठाने का है ताकि लोगों को छठी पंचवर्षीय योजना के पूरे लाभ प्राप्त हो सकें और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) पहली पांच पंचवर्षीय योजनाओं में जनसंख्या की संवृद्धि के सम्बन्ध में अनुमानों के आधार पर वर्ष 1978-79 में कुल जनसंख्या लगभग 5980 लाख होनी चाहिए। परन्तु 1981 की जनगणना के आधार पर उस वर्ष में वास्तविक जनसंख्या के 6570 लाख होने का अनुमान लगाया गया है। इस सीमा तक योजना के लाभों की उपलब्धता को प्रभावित हुआ माना जाना चाहिए।

(ख) छठी योजना में देश की जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के दीर्घावधि लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। देश के लिए वर्ष 1995 तक निवल प्रजनन दर की इकाई तक कम कर देने का उद्देश्य है जिसका अर्थ यह है कि प्रति 1000 जनसंख्या में जन्म दर कम करके 21 करदी जाएगी और मृत्यु दर 9 करदी जाएगी। प्रभावी दम्पत्ति संरक्षण को भी योजना के आरंभ में 22.5 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 1995 तक 60 प्रतिशत कर दिया जाना है। इसके अनुसार छठी योजना के दस्तावेज में प्रजनन नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्यनीति की आवश्यकता स्वीकार की गई है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए 1078 करोड़ रु० का आवंटन किया गया है (जिसमें ग्रामीण स्वास्थ्य परिदर्शक स्कीम के लिए धनराशि की व्यवस्था शामिल है जो परिवार कल्याण क्षेत्रक को अंतरित कर दी गई है)। परिवार नियोजन कार्यक्रम को शिक्षा द्वारा और समर्थ दम्पत्तियों को उनके लिए उपयुक्त किसी भी पद्धति को स्वैच्छिक रूप से स्वीकार करने के लिए प्रेरित और राजी करके पुनः गतिशील किया जा रहा है, इन पद्धतियों के लिए उनको सरकार द्वारा आवश्यक सुविधाएं दी जाएंगी। शिक्षा, विशेष रूप से महिलाओं के रोजगार, गरीबी को दूर करने, मातृ और

शिशु देखभाल सेवा और स्वास्थ्य की देखभाल, जल पूर्ति और स्वच्छता के जरिए बहु-अंगीय और एकीकृत दृष्टिकोण और नीति अपनाने की परिकल्पना है। विभिन्न कार्यक्रमों के ब्यौरे छठी पंच-वर्षीय योजना के दस्तावेज में दिए गए हैं। जन आंदोलन के रूप में स्वैच्छिक आधार पर परिवार नियोजन को बढ़ावा देने का विषय नए 20-सूत्री कार्यक्रम में शामिल सूत्रों में से एक सूत्र है और इसका सावधानी पूर्वक प्रबोधन किया जा रहा है।

बड़े व्यापारिक गृहों और बहु-राष्ट्रिक कम्पनियों को लाइसेंस जारी किया जाना

2845. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री सुभाष यादव :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बड़े व्यापारिक गृहों और बहु-राष्ट्रिक कम्पनियों को अनेक आशय-पत्र और लाइसेंस जारी किए गए हैं और यदि हां, तो किस प्रयोजन से ;

(ख) इस अवधि के दौरान प्रत्येक बड़े व्यापारिक-गृहों और बहु-राष्ट्रिक कम्पनियों को कितने-कितने आशय-पत्र और लाइसेंस जारी किए गए हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आरक्षित मदों के निर्माण के लिए भी उन्हें लाइसेंस प्रदान किए गए हैं और यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ; और

(घ) ऐसे लाइसेंस प्रदान करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) कंपनी कार्य विभाग द्वारा दिनांक 31-12-1978 को 20 बड़े औद्योगिक गृहों के बारे में निर्धारित श्रेणी के आधार पर वर्ष 1979 से 1981 की अवधि में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधि-नियम, 1951 के उपबन्धों के अंतर्गत निम्नलिखित आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृति किए गए थे :—

औद्योगिक गृह का नाम	1979 से 1981 की अवधि में जारी किए गए औद्योगिक लाइ-सेंसों की कुल संख्या	1978 से 1981 की अवधि में जारी किए गए आशय-पत्रों की कुल संख्या
1	2	3
1. बिरला	19	30
2. टाटा	9	17
3. मफ्तलाल	7	14

1	2	3
4. जे० के० सिंहानिया	8	14
5. थापर	9	20
6. आई० सी० आई०	7	4
7. ब्रांगुर	1	7
8 श्री राम	5	13
9. आयल इंडिया	—	—
10. सिन्धिया	—	—
11. लारसन एण्ड ट्यूब्रो	4	5
12. ए० सी० सी०	6	5
13. भिवाण्डीवाला	1	—
14. किर्लोस्कर	12	9
15. हिन्दुस्तान लीवर	2	9
16. चौगुले	2	1
17. खटाऊ (बम्बई)	12	6
18. कस्तूर भाई लाल भाई	9	12
19. महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा	2	1
20. बालचन्द	—	1

वर्ष 1978 से 1981 के दौरान विदेशी कंपनियों की भारतीय सहायक कंपनियों को 58 आशय-पत्र और 37 औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे। भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मन्थली न्यूज लैटर" में सभी आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) इन 20 बड़े औद्योगिक गृहों से सम्बन्धित तथा एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत किसी भी उपक्रम को तथा पंजीकृत विदेशी कंपनियों की भारतीय सहायक कंपनियों को केवल सार्वजनिक क्षेत्र में विकास हेतु आरक्षित वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए कोई भी आशय-पत्र अथवा औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थान को दी गई खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट की भूमि

2846. **श्री भीम सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट ने कुछ भूमि एक गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थान को दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो दी गई भूमि का क्षेत्रफल कितना है और उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां ।

(ख) अंग्रेजी माध्यम के सोफिया स्कूल की इमारत बनाने के लिए 2.4 एकड़ भूमि दी गई है, यह स्कूल इस समय खेतड़ी टाउनशिप में अजमेर के मिशन्स सिस्टर हाउस द्वारा चलाया जा रहा है तथा इसे 1975 में कर्मचारियों के बच्चों के लिए पढ़ाई सुविधाओं की जरूरत को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था । चूंकि उक्त स्कूल के लिए कंपनी द्वारा शुरू में निर्मित भवन को, बाद में केन्द्रीय विद्यालय को सौंप दिया गया था और सोफिया स्कूल खेतड़ी कम्पलेक्स टाउनशिप से 8 किलोमीटर दूर खेतड़ी शहर में चला गया था । इसलिए खेतड़ी कम्पलेक्स के कर्मचारियों के लगभग 400 बच्चों को रोजाना खेतड़ी शहर स्थित सोफिया स्कूल जाने में कठिनाई होती थी और इसलिए मिशन को अपने स्कूल की निजी इमारत बनाने के लिए जमीन दी गई है।

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा दिल्ली नगर निगम को बकाया धनराशि का भुगतान न किया जाना

2847. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका की ओर दिल्ली नगर निगम की बकाया धनराशि का ब्योरा क्या है, यह धनराशि किस-किस मद से सम्बन्धित है और कब-कब से बकाया हैं ; और

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा दिल्ली नगर निगम को बकाया धनराशि का भुगतान न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि नई दिल्ली नगर निगम की ओर देयताओं की निम्नलिखित राशियां बकाया है :—

1. विद्युत कर—31-8-82 को 771.93 लाख रु०
2. 1982-83 तक अग्निशमन सेवाओं को बनाए रखने के सम्बन्ध में व्यय का हिस्सा-546.48 लाख रु०
3. दिसम्बर, 1980 तक मलेरिया विरोधी कर्मचारी रखने से सम्बन्धित खर्च की प्रतिपूर्ति—1861, 962.80 रु०

4. 1978-79 से 1980-81 तक की अवधि के लिए चुंगी कर—0.15 लाख रु०

5. भारी जल पूर्ति की लागत—31-3-82 को—104.23 लाख रु०

6. जल मल निकासी की लागत—31-3-82 को—157.14 लाख रु०

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका ने इन दावों पर कानूनी, तकनीकी और प्रशासनिक आधारों पर वाद-विवाद किया है। दिल्ली प्रशासन इन मामलों की छटनी कर रहा है।

असम में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

2848. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980, 1981, 1982 से असम में (जिलेवार) क्रियान्वित की जा रही केन्द्र द्वारा प्रत्योजित योजनाओं के नाम क्या हैं ;

(ख) कितनी केन्द्रीय सहायता का नियतन किया गया और क्रियान्वयनाधीन प्रत्येक योजना के लिए कितनी राशि वास्तव में दी गई ;

(ग) इन योजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ;

(घ) क्या अभी तक किसी योजना का विचार छोड़ दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए लोहे और इस्पात का कम आवंटन

2849. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को लोहे और इस्पात के सामान के कम आवंटन तथा गोहाटी में स्थित स्टील अथारिटी डिपो में ऐसे सामान की कम उपलब्धता के कारण, वहां के विकास कार्य में अत्यधिक बाधा पड़ रही है ;

(ख) क्या गोहाटी डिपो में अधिक भंडार बनाए रखने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में और अधिक डिपो खोलने की काफी लम्बे समय से मांग हो रही है ;

(ग) यदि हां, तो कितने और डिपो खोले जाएंगे तथा कब ; और

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए इस्पात और जी० सी० आई० स्टील की कितनी-कितनी मात्रा प्रति-तिमाही आवंटित की जाएगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को इस्पात की सप्लाई में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 1981-82 में इस क्षेत्र को 1.83 लाख टन इस्पात सप्लाई किया गया था, जबकि वर्ष 1980-81 में इस क्षेत्र को 1.04 लाख टन इस्पात सप्लाई किया गया था। इसके अलावा वर्ष 1981-82 में इस क्षेत्र को 25,000 टन आयातीत इस्पात भी सप्लाई किया गया था। अप्रैल से 21 सितम्बर, 1982 के बीच इस क्षेत्र को 42,934 टन इस्पात सप्लाई किया गया।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को 1705 टन कच्चा लोहा सप्लाई किया गया जबकि पिछले वर्ष 651 टन कच्चा लोहा सप्लाई किया गया था। इस वर्ष 21 सितम्बर, 1982 तक इस क्षेत्र को 107 टन माल सप्लाई किया गया है।

(ख) और (ग) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को लोहे और इस्पात की सप्लाई मुख्य रूप से गोहाटी और न्यू बोंगईगांव के स्टाकयार्डों से की जाती है। नागालैण्ड में दीमापुर में तथा त्रिपुरा में धर्मनगर में दो और स्टाकयार्डों का विकास किया जा रहा है। सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा सम्पूर्ण अवस्थापना सुविधाएं प्रदान करने के पश्चात् ही इन स्टाकयार्डों को खोला जा सकेगा। "सेल" भी गोहाटी और न्यू बोंगईगांव में सुविधाओं के विस्तार करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। तिनसुखिया के स्टाकयार्ड की पुनः खोलने के बारे में भी कुछ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं।

(घ) लोहे और इस्पात का आवंटन राज्य-वार नहीं बल्कि प्राथमिकता प्राप्त विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर किया जाता है। फिर भी, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को आम बिक्री के लिए जस्ती नालीदार चादरों का विशेष वार्षिक आवंटन किया जाता है। वर्ष 1981-82 में 3,000 टन जस्ती नालीदार चादरों का आवंटन किया गया था। इस वर्ष के आवंटन में वृद्धि करके इसे 4,500 टन कर दिया गया है। अभी हाल ही में नागालैण्ड को अपनी ग्रामीण आवास योजना के लिए 4044 टन जस्ती नालीदार चादरों का विशेष आवंटन किया गया है।

असम आन्दोलन में भाग लेने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को निलम्बित किया जाना

2850. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार के आदेशों की परवाह न करते हुए वर्तमान असम आन्दोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकार के कुल कितने कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है ;

(ख) केन्द्रीय और राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है, जिनके वेतन ने ए० ए० एस० यू० और ए० ए० जी० एस० पी० द्वारा कराये गए बन्द, हड़तालों आदि के द्वारा कार्यालय में उपस्थित न होने के कारण कटौती की गई है ; और

(ग) ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है, जिन्हें आन्दोलन में भाग लेने के कारण पहले निलम्बित कर दिया गया था और बाद में बहाल कर लिया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

टैनरी और फुटवियर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की हानि

2851. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैनरी एण्ड फुटवियर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वर्ष 1979-80 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार उक्त कार्पोरेशन को 1584.34 लाख रुपये की हानि हुई है और यदि हां, तो उस भारी हानि के क्या कारण हैं ;

(ख) इसमें कितनी पूंजी लगी हुई है ; और

(ग) टैनरी एण्ड फुटवियर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को वर्ष 1980-81 और 1981-82 में कितना-कितना लाभ/हानि हुई थी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) टैनरी एण्ड फुटवियर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि०, कानपुर की वर्ष 1979-80 की वार्षिक रिपोर्ट में 1588.46 लाख रुपये की संचित हानि दिखाई गयी है। इस हानि के कुछ कारण निम्नलिखित हैं :

1. पुरानी और अनुत्पादक मशीनरी,
2. आयातीत पुरानी मशीनों का लगातार बन्द होते रहना तथा बदलने वाले हिस्से पुर्जों की अनुपलब्धता ।
3. अनुशासन हीनता और यूनियनों की परस्पर प्रतिस्पर्धा ।
4. कामगारों की कम उत्पादकता ।
5. बिजली की कमी और उसका अनियमित संभरण ।
6. भारी ऊपरी खर्चे ।

कम्पनी में निवेशित पूंजी निम्न प्रकार है :—

अंशपूंजी (इक्विटी)	=	1151.42 लाख रुपये
पूंजीगत ऋण	=	142.09 लाख रुपये

वर्ष 1980-81 और 1981-82 की लाभ/हानि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1980-81 की हानि = 360.33 लाख रुपये

1981-82 की हानि = 436.90 लाख रुपये

हिमाचल प्रदेश में भारी उद्योगों की स्थापना

2852. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्यप्रद जलवायु कच्चे माल की बहुतायत और बिजली और आधारभूत ढांचे की मदों की उपलब्धता देखते हुए हिमाचल प्रदेश में "भारी उद्योगों" के अधीन कोई एकक स्थापित करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कब तक तथा कहां पर एकक स्थापित किया जायेगा/जायेंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के किसी भारी इंजीनियरी उद्योग की स्थापना करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकारी क्षेत्र में परियोजनाओं के स्थापन स्थल के बारे में तकनीकी-आर्थिक बातों के आधार पर निर्णय किया जाता है।

राज्यों द्वारा योजनाओं के लिए संसाधन जुटाना

2853. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो योजना परिव्यय के वित्त पोषण के लिए आंतरिक संसाधन जुटाने में असफल रहे हैं जैसा कि छठी योजना के लिए योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था ;

(ख) इस क्षेत्र में प्रत्येक राज्य के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य द्वारा वास्तव में कितना कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया ; और

(ग) योजना लक्ष्यों के क्रियान्वयन और प्रत्येक राज्य के लिए योजना में स्वीकृत परि· योजनाओं को पूरा करने और निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम योजना आयोग और केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी चव्हाण) : (क) और (ख) राज्यों की छठी पंचवर्षीय योजनाओं के वित्त व्यवस्था करने के लिए आंतरिक संसाधनों सहित छठी पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन का कार्य इस समय चल रहा है। इस अभ्यास के पूरे होने के बाद ही अलग-अलग राज्यों की छठी पंचवर्षीय योजनाओं की वित्त व्यवस्था करने के लिए उनके संसाधनों में सम्भावित कमी के सम्बन्ध में स्थिति मालूम होगी। राज्य सरकारों को यह सलाह दी जाती रहेगी कि वे छठी योजना की शेष अवधि में अपने अंशदान में कमियां न होने देने के लिए उपयुक्त उपाय करें जिससे कि संसाधनों की कमी के कारण योजना के लक्ष्यों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में रुकावट नहीं आए।

(ग) 1983-84 की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप देने के लिए योजना आयोग द्वारा बनाए गए कार्यकारी दलों द्वारा सभी क्षेत्रकों में राज्यों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की जाएगी और योजना के प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों में लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से उपलब्ध संसाधनों का आवंटन तय किया जाएगा ।

राजभाषा समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट

2854. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा समिति ने अपने गठन के समय से अब तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी रिपोर्टों की संख्या क्या है तथा ये किस-किस तारीख को प्रस्तुत की गई हैं और उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा समिति से अपनी अंतिम रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) संसदीय राजभाषा समिति राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के अधीन गठित की गई है । समिति के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है ।

स्वर्ण भंडारों के लिए सर्वेक्षण

2855. **श्री नवीन रवाणी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्वर्ण भंडारों का पता लगाने के लिए पिछले पांच वर्षों में किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या परिणाम निकला और कितना सोना प्राप्त हुआ तथा पाए गए स्वर्ण की कोटि क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) स्वर्ण की खोज भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का एक सामान्य क्रियाकलाप है । परन्तु गत 5 वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के भागों में स्वर्ण के सर्वेक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है ।

(ख) स्वर्ण खनिजीकरण आन्ध्र प्रदेश के मालप्पकोंडा तथा चिगार गुन्टा में कर्नाटक के

धारवाड़ जिले में मदाग और गुलवर्गा जिले की मंगलूर शिष्ट पट्टी में, मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में तथा केरल में पुन्नापुझा और चेलियारपुझा में पाया गया है। अब तक अनुमानित स्वर्ण अयस्क भंडार हैं—(i) मालप्पकोंडा-1.8 लाख टन अयस्क, जहां प्रति टन अयस्क में 4 ग्राम स्वर्ण; (ii) चिगारगुन्टा और नन्दीमाडुगु-3.5 लाख टन, जहां प्रति टन अयस्क में अलग-अलग ग्रेडों में 7 ग्राम स्वर्ण है ; और (iii) पुनापुझा में 8.5 मि० घन मीटर वजरी, में प्रति घन मीटर में 0.7 ग्राम स्वर्ण और चेलियारपुझा में प्रति घन मीटर में 0.5 ग्राम स्वर्ण होने का अनुमान है।

मिजो नेशनल फ्रन्ट का सत्ताधारी पीपल्स कान्फ्रेंस को नोटिस

2856. **श्री तारिक अनवर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-कानूनी मिजो नेशनल फ्रन्ट ने मिजोरम विधान सभा तथा ग्रामीण परिषद् में सत्ताधारी पीपल्स कान्फ्रेंस के सदस्यों को वर्तमान मंत्रालय शीघ्र बर्खास्त करने हेतु कोई नोटिस जारी किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मिजो नेशनल फ्रन्ट ने विधान सभा सदस्यों का तथा ग्रामीण परिषद् के सदस्यों का अपहरण करने के लिए लोगों को आह्वाहन किया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मिजो नेशनल फ्रंट ने मिजोरम में रहने वाले गैर-मिजो वासियों को एक महीने के भीतर-भीतर मिजोरम छोड़ने का पुनः नोटिस दिया है ; और

(घ) विधायकों और गैर-मिजोवासियों के जीवन की रक्षा के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि मिजो राष्ट्रीय मोर्चा, जिसे अवैध गतिविधि (निवारक) अधिनियम, 1967 के अधीन गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है, तथा कथित "मिजोरम छोड़ो आन्दोलन" को तेज करने की योजनाएं बनाई थी। उन्होंने मिजोरम में सत्ताधारी दल के विधायकों और ग्राम परिषद के सदस्यों को भी धमकी दी है जिसमें उनके त्याग पत्र की मांग की गई है।

(घ) मिजोरम प्राधिकारियों ने अवैध गति विधियों को रोकने के लिए सभी सम्भव एहतियाती उपाय किये हैं। जनवरी, 1982 से 206 गिरफ्तारियां की जा चुकी है और 462 भूमिगत लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। काफी मात्रा में हथियार व गोला बारूद भी बरामद किया गया है।

स्टील ट्यूब निर्माताओं के सामने कम्पनी बन्द करने का संकट

2857. **श्री तारिक अनवर** . क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लगभग 30 प्रतिशत स्टील ट्यूब निर्माताओं को कम्पनी बन्द होने के संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या इसका कारण घरेलू इस्पात की ऊंची लागत और उदार लाइसेंसिंग नीति तथा ऋण पर लगाए गए प्रतिबंध हैं ; और

(ग) क्या सरकार के पास इस समस्या का हल करने के लिए कोई प्रस्ताव है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) किसी भी एकक से इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

मैसर्स जीलट द्वारा विदेशी मुद्रा की मांग

2858. **श्री तारिक अनवर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका की बहुराष्ट्रिक कम्पनी जीलट अपनी उस मांग से 300 प्रतिशत विदेशी मुद्रा की मांग कर रही है, जिसके लिए उसने ब्लेडों के निर्माण के लिए शुरू में अनुरोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उसके इस अनुरोध को अस्वीकार क्यों नहीं कर दिया है, जबकि विदेशी मुद्रा की स्थिति अत्याधिक गम्भीर है, तथा स्वदेशी क्षमता का केवल 50 प्रतिशत उपयोग हो रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि फर्म भारत में अपनी वर्तमान और पुरानी मशीनें आयात करने का प्रयास कर रही है ; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में मिश्र की सरकार ने इस फर्म को उस देश में पुरानी मशीनों को आयात करने का प्रयास करते हुए पकड़ा था ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) मैं० जिले यू० एस० ए० के वित्तीय और तकनीकी सहयोग से सेफ्टी रेजर ब्लेडों आदि का उत्पादन करने के लिए मैं० हाउस आफ पोद्दार एन्टरप्राइजेज को एक आशय पत्र स्वीकृत किया गया है। मैं० हाउस आफ पोद्दार एण्टरप्राइजेज ने पूंजीगत माल का आयात करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिस पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा ।

(घ) जी, नहीं ।

सागर जिले में धोबी जाति

2859. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में धोबी जाति को अनुसूचित जातियों में शामिल किया गया है और क्या सागर जिले की धोबी जाति को भी इसमें शामिल किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके विस्तृत कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) अद्यतन संशोधित संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के अनुसार मध्य प्रदेश के भोपाल' रायसन और सेहोर जिलों में धोबी, समुदाय को अनुसूचित, जाति विनिर्दिष्ट किया गया है। सागर जिले को मिलाकर राज्य के अन्य हिस्सों में धोबी समुदाय अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

(ख) किसी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए अपनाये गये मानदण्ड, जो अस्पृश्यता की परम्परागत प्रथा से उत्पन्न अत्याधिक सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक पिछड़ापन है ; को ध्यान में रखते हुए राज्यों अथवा राज्यों के भागों के सम्बन्ध में समुदाओं को अनुसूचित जातियों की सूचियों में शामिल किया गया है। किसी समुदाय की दशा अलग-अलग राज्य अथवा अलग-अलग क्षेत्र में मानदण्ड के संदर्भ में अलग-अलग हो सकती है। मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में धोबियों को शामिल करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर अन्य ऐसे प्रस्तावों, सिफारिशों, सुझावों और अभ्यावेदनों के साथ अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में प्रस्तावित व्यापक संशोधन करने के संदर्भ में और इस सम्बन्ध में अपनाये गये सम्बद्ध मानदण्ड के अनुसार संबंधित राज्य क्षेत्र प्रशासनों और भारत के महापंजीयक से परामर्श करके विधिवत विचार किया जा रहा है। कुछ राज्य सरकारों से टिप्पणियां अभी प्रत्याशित हैं और उन्हें नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 341 (2) और 342 (2) को ध्यान में रखकर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की विद्यमान सूचियों में कोई संशोधन संसद के किसी अधिनियम के जरिये ही किया जा सकता है।

लघु कुटीर और बड़े उद्योगों के लिए आरक्षित वस्तुयें

2860. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक चरणबद्ध रूप में इस सिद्धांत को कार्यान्वित करने का है कि जिन वस्तुओं का उत्पादन कुटीर उद्योग क्षेत्र में किया जा सकता है उनको लघु उद्योग में उत्पादन करने की अनुमति दी जाए और जिन वस्तुओं का उत्पादन लघु उद्योग क्षेत्र में किया जा सकता है उनका अवांछनीय प्रतिस्पर्द्धा से कुटीर एवं लघु उद्योग क्षेत्र की रक्षा करने की दृष्टि से, बड़े उद्योग क्षेत्र में उनका उत्पादन करने की अनुमति न दी जाए ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई समयबद्ध कर्यक्रम तैयार किया गया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जुलाई, 1980 में घोषित औद्योगिक नीति विवरण में सरकार ने इस बात को दोहराया है कि लघु उद्योगों के विकास के हित में उनके लिए वस्तुओं के आरक्षण के संबंधित नीति पूर्ववत् चलती रहेगी। आरक्षण के लिए वस्तुओं का चुनाव जिन आधारों पर किया जाता है उनमें अन्य बातों के अलावा लघु उद्योग क्षेत्र में उस वस्तु के उत्पादन की आर्थिक जीव्यता और तकनीकी सम्भाव्यताओं पर भी विचार किया जाता है।

(ख) लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन हेतु वस्तुओं के आरक्षण से संबंधित स्थायी समिति का

दर्जा बढ़ा कर सचिवों को समिति के बराबर कर दिया गया है और यह समिति निरन्तर उन वस्तुओं पर विचार करती करती है जिन्हें आरक्षित सूची में सम्मिलित किया जा सकता है। प्रगति की निरंतर समीक्षा की जाती है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लघु उद्योग क्षेत्र के लिए किया गया आरक्षण सुप्रभावी एवं संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है।

सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों की एस० एस० सी० श्रेणी को शामिल किया जाना

2861. **श्री भीखा भाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस० एस० सी० श्रेणी के अधिकारी सीमा सुरक्षा बल में लिए जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या रक्षा सेवाओं में उनकी सेवाएं गिनी जाती हैं, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ;

(ग) क्या सीमा सुरक्षा बल में लिए गए ई० सी० ओ० को सैन्य बलों में उनकी सेवा से लाभ दिए जाते हैं ;

(घ) यदि हां, तो इस भिन्न स्तर के क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में एस० एस० सी० श्रेणी के अधिकारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(च) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) "रिलीज्ड इमरजैंसी कमिशन्स आफिसर और शार्ट सर्विस कमिशन्स आफिसर (रिक्तयों का आरक्षण) नियम 1971 के अनुसार ई० सी० ओ० और एस० एस० सी० ओ० दोनों की रक्षा सेवाएं वरिष्ठता आदि के लिए गिनी गई थी। यह नियम 29 जनवरी, 1974 को और उसके बाद समाप्त हो गये। इसके बाद दोनों वर्गों के अधिकारियों की रक्षा सेवाओं को वरिष्ठता इत्यादि के लिए नहीं गिना गया है।

(ङ) जी हां, श्रीमान।

(च) उपर्युक्त (ख) (ग) और (घ) के उत्तर को देखते हुए अभ्यावेदन नामंजूर कर दिए गए हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए अतिरिक्त पदों को भरना

2862. **श्री भीखा भाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुच्छेद 16 (4) और 335 के अन्तर्गत आरक्षण की अल्पावधि को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार, आरक्षण की अवधि समाप्त होने तक आरक्षण को समाप्त करने और आरक्षित पदों को अनारक्षित पदों में बदलने की नीति को बहाल न करने की है ; और

(ख) क्या लगभग सभी मंत्रालयों में कमी को समाप्त करने की दृष्टि से आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष भर्ती अभियान कार्यक्रम शुरू करने हेतु सरकार का विचार लोक सेवा आयोग की शक्तियों को स्वयं लेने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, नहीं। अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की विद्यमान नीति की कोई समय सीमा नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ आयोग

2863. **श्री भीखा भाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत दो बार पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ, संविधान के अनुच्छेद 339 के अधीन एक आयोग नियुक्त करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) 1960 में एक आयोग नियुक्त किया गया था। सरकार का दूसरा आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) संविधान के अनुच्छेद 338 के उपबन्ध के अनुसार नियुक्त किये गये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के संबंध में उच्च शक्ति प्राप्त पैनल, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न उपायों के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए अनुसूचित जनजाति के कल्याण के बारे में संसदीय समिति पहले ही विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त सरकार, आवश्यकतानुसार समय-समय पर सम्बद्ध विषयों के बारे में समितियां, कार्यबल आदि नियुक्त करती रही है। अतः वर्तमान संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 339 के अधीन आयोग स्थापित करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का विस्तार

2865. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ने कभी थोड़ा सा लाभ नहीं दिखाया है ; और

(ख) यदि हां, तो 1200 करोड़ रुपये की इतनी भारी लागत से क्षमता के इतनी कम वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं। स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के परीक्षित वार्षिक हिसाब-किताब के अनुसार वर्ष 1981-82 में दुर्गापुर इस्पात कारखाने को न केवल सकल लाभ हुआ है बल्कि 70 लाख रुपये का शुद्ध लाभ भी हुआ है।

(ख) कारखाने के कार्यकरण में सुधार करने के लिए कारखाने का विस्तार/आधुनिकीकरण करना आवश्यक है। कारखाने का विस्तार/आधुनिकीकरण करने की योजना तैयार की जा रही है और इसकी लागत अभी आंकी जानी है।

केरल में मेल के एक वाल्व डिवीजन की स्थापना

2866. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को एक वाल्व डिवीजन की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो किए गए अनुरोध का ब्यौरा क्या है और उस पर भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने केरल में बी० एच० ई० एल० द्वारा वाल्व निर्माण एकक की स्थापना करने का सुझाव दिया था। उन्हें सूचित किया गया था कि वाल्वों के निर्माण के लिए सुविधाएं स्थापित करने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है और यह कि बी० एच० ई० एल० से कहा गया है कि वे इस मामले में अन्तिम निर्णय लेने से पहले केरल सरकार के सुझाव को ध्यान में रखें।

सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद बी० एच० ई० एल० ने तिरुचि में अपनी वाल्व निर्माण सुविधाओं का विस्तार करने के लिए और गोइन्दवाल में एक पृथक सुविधा स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों को राजनीतिक पेंशन

2867. **श्री जैनुल बशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के उन स्वाधीनता सेनानियों की संख्या कितनी है जिनके राजनीतिक पेंशन हेतु आवेदन अभी विचाराधीन हैं ;

(ख) ये आवेदन पत्र कितने समय से विचाराधीन हैं ;

(ग) इस तरह के विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस प्रकार के आवेदन पत्रों का निपटान शीघ्र करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) 5639।

(ख) से (घ) (क) में दी गई संख्या में से अधिकांश आवेदकों ने 1-8-1980 में लागू पेंशन योजना के उदार बनाये गये उपबन्धों के अधीन पेंशन का दावा किया है। इन आवेदनों पर राज्य सत्यापन रिपोर्ट और अथवा आवेदकों से आवश्यक सूचना/दस्तावेज प्राप्त न होने के कारण अंतिम निर्णय किया जाना है। गृह मंत्रालय के अनुरोध पर राज्य सरकार ने केवल स्वतन्त्रता सेनानियों के सम्मान पेंशन दावों पर कार्यवाही करने के लिये विशेष कक्ष गठित किया है। आवेदकों द्वारा काटी गई वास्तविक सजा के सत्यापन में कुछ कठिनाइयों, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पुराने अभिलेखों आदि की जांच करना भी शामिल है, के होते हुए भी, राज्य सरकार ने न्यूनतम संभव समय में अपनी रिपोर्ट भेजने का आश्वासन दिया है।

छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राज्यों को दी गई केन्द्रीय धनराशि

2868. **श्री जैनुल बशर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अब तक विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि दी है ; और

(ख) इसके फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) लोक सभा में दि० 13-10-1982 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1583 के लिए दिए गए उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(ख) 1981-82 और 1982-83 की वार्षिक योजना के प्रकाशित दस्तावेजों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जो संसद के सम्मुख प्रस्तुत किये गये थे और जिनमें विभिन्न क्षेत्रकों में योजना की प्रगति की समीक्षा की गई है।

लघु उद्योगों को बैंक ऋण

2869. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों के लिए बैंक ऋण स्वीकृत करने हेतु व्यवस्थायें की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के ऋणों के लिए किस श्रेणी के व्यक्ति पात्र हैं और विस्तृत शर्तें क्या हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी हां, लघु औद्योगिक एककों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत और वितरित किए जाते हैं। लघु

उद्योगों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अग्रिम ऋण देने सम्बन्धी "अधिमानता क्षेत्रों" की सूची में शामिल कर लिया गया है।

(ख) जीव परियोजनाओं वाले लघु औद्योगिक एकक वाणिज्यिक बैंकों से ऋण पाने के पात्र हैं वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लघु एककों को दिए जाने वाले अग्रिम ऋणों की शर्तें तथा उपबंध भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को समय-समय पर जारी किए गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में नयी योजनाओं के लिए केन्द्रीय निधि

2870. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चालू वर्ष के दौरान नयी योजनाएं चलाने के लिए उत्तर प्रदेश के लिए निधियों का प्रावधान कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य को कितनी राशि प्रदान की गई और किन-किन योजनाओं के लिए वह राशि व्यय की जाएगी तथा तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) राज्य की 1982-83 की वार्षिक योजना के लिए 429.84 करोड़ रु० की सामान्य केन्द्रीय सहायता दी गई है। चालू वर्ष की योजना में केन्द्रीय अनुमोदन की आवश्यकता वाली कोई नई परियोजनाएं या स्कीमें शामिल नहीं की गई हैं।

बिहार में कोहना नदी का प्रदूषण

2871. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोलानी धोवनशाला संयंत्र और किरीभूम खानों से होने वाले निःसरणों के कारण बिहार के सिंहभूम जिले में कोहना नदी के भारी प्रदूषण की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि बड़ी संख्या में आदिवासी बाहुल्य वाले इस क्षेत्र में इस दूषित जल को पीने या कपड़े धोने के लिए, अथवा सिंचाई प्रयोजनों के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय प्रदूषण निरोधी वर्ष 1982 के अनुरूप कोई उपचारात्मक कार्यवाही करने का है ?

पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) कोहना नदी के जल की क्वालिटी का प्रबोधन जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिए बिहार राज्य बोर्ड द्वारा नहीं किया गया है। तथापि इस बात को स्वीकार किया जाता है कि कोयला व्यापारियों से और कोयला खानों से किये गये निस्सारण प्रलम्बित ठोस पदार्थ ले आते हैं और अक्सर अमलीय होते हैं। छोटी

नदियों और जल स्रोतों में इस प्रकार का निस्सारण इनके पानी को पीने, धुलाई करने और सिंचाई के प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त बना सकता है।

(ग) जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिए बिहार राज्य बोर्ड शोध्र नदी के जल का प्रबोधन करने के बारे में सोच रहा है।

झिकपानी स्थित मैसर्स ए० सी० सी० के सीमेंट संयन्त्र इससे निकलने वाली सीमेंट की धूल

2872. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री नारायण चौबे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार के सिंहभूम जिले में झिकपानी स्थिति मैसर्स ए० सी० सी० के सीमेंट संयन्त्र से निकलने वाली सीमेंट की धूल से पैदा हुई पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं ;

(ख) क्या इसके आसपास की फसलों और आसपास की आदिवासी जनसंख्या के स्वास्थ्य को होने वाली कथित क्षति के बारे में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) आदिवासी जनसंख्या की फसलों और स्वास्थ्य को तथाकथित हानि की सीमा का अनुमान नहीं लगाया गया है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण के लिए बिहार राज्य बोर्ड क्षेत्र में समस्या का अध्ययन करने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर रहा है।

त्रिपुरा-मिजोरम सीमा को "अशांत क्षेत्र" घोषित करना

2873. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री पीयूष तिरकी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा-मिजोरम सीमा को "अशांत क्षेत्र" घोषित कर दिया गया है और वहां सेना तैनात की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि त्रिपुरा सरकार ने राज्य सरकार से परामर्श किए बिना केन्द्र द्वारा की जा रही कार्यवाही पर आपत्ति की है ; और

(ग) क्या मुख्य मंत्री ने कहा है कि केन्द्र का निर्णय अकारण और अनुचित है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार त्रिपुरा-मिजोरम सीमा से लगे त्रिपुरा के जामपुई पहाड़ी क्षेत्र का प्रतिबन्धित मिजो राष्ट्रीय मोर्चे के उग्रवादियों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। विद्रोही इस क्षेत्र का प्रयोग छिपने के स्थान के रूप में, मिजोरम में उपद्रव करने तथा बंगलादेश को बचकर भाग निकलने के लिए कर रहे हैं। इसलिए यह विचार किया गया था, कि इस क्षेत्र को दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाय ताकि सुरक्षा बल विद्रोहियों से प्रभावशाली ढंग से निपट सके और मिजो राष्ट्रीय मोर्चे के उग्रवादियों की घुसपैठ/बचकर भाग निकलने को रोका जा सके। त्रिपुरा सरकार, जिनसे परामर्श किया गया था, इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थी। भारत सरकार ने सावधानी से मामले की जांच की और मामले के गुण दोष पर विचार करके त्रिपुरा-मिजोरम सीमा पर त्रिपुरा में एक छोटे क्षेत्र को दंगाग्रस्त घोषित करना आवश्यक समझा। तदनुसार, 17-9-1982 को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अधीन एक अधिसूचना जारी की गई। जैसे ही स्थिति सामान्य होगी अधिसूचना वापस ले ली जाएगी।

भारत में अरब धन का निरन्तर आगमन

2874. **श्री चित्त बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अरब देशों का धन निरन्तर आ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो यह धन किन्हें प्राप्त होता है और उसका क्या उपयोग होता है ; और

(ग) गत तीन वर्षों का ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) सरकार को उपलब्ध सूचना से संकेत मिलता है कि अरब देशों से भारत में धन विदेशी अभिदान के रूप में और अन्य प्रकार से भी आ रहा है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1979, 1980 और 1981 के दौरान विदेशी अभिदान प्राप्तकर्त्ताओं तथा किस तरीके से यह धन प्रयोग किया जाता है, से सम्बन्धित विस्तृत सूचना इन वर्षों के दौरान प्राप्त किए गए विदेशी धन की विवरणियों के संगणीकरण किए जाने के बाद ही उपलब्ध होगी। 1979 में प्राप्त विदेशी धन के संगणीकरण से सम्बन्धित कार्य किया जा रहा है। वर्ष 1980 एवं 1981 से सम्बन्धित कार्य बाद में शुरू किया जाएगा।

महाराष्ट्र जल (प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण) बोर्ड में असन्तोष

2875. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या महाराष्ट्र जल (प्रदूषण निरोध और नियंत्रण) बोर्ड के व्यावसायिक कर्मचारियों में असंतोष के बारे में 12 सितम्बर, 1982 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार प्रगतिशील नीतियों का पालन करने और देश को प्रगति पथ पर ले जाने तथा महाराष्ट्र सरकार को तदनुसार सलाह देने का है जिससे प्रतिष्ठा पलायन भी सकेगा ?

पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां। तथापि, महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार महाराष्ट्र जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) बोर्ड के व्यावसायिक कर्मचारियों में कोई असुन्तुष्टी नहीं है और समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट आधारहीन तथा भ्रामक है।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि राज्य सरकार पहले ही बोर्ड की अग्रवर्ती कार्मिक नीतियों का अनुसरण कर रही है और राज्य सरकार के ध्यान में ऐसा एक भी मामला नहीं आया है जहां बोर्ड के किसी अधिकारी ने बोर्ड की सेवाएं बोर्ड में बताई गई असुन्तुष्टी के कारण छोड़ दी हों।

सतर्कता एवं ओ० एण्ड एम० एककों को समाप्त करना

2876. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार सतर्कता और ओ० एण्ड एम० एककों को समाप्त करने का है जो व्यर्थ हो गए हैं तथा जिनसे सरकारी धन और शक्ति की बर्बादी है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : जी, नहीं।

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बोरीपाड़ा, मयूर भंज में केबल संयंत्र की स्थापना

2877. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के मयूरभंज जिले में बोरीपाड़ा में भारत-इटली सहयोग से एक गैर-सरकारी क्षेत्र का आधुनिक केबल संयंत्र स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उस केबल संयंत्र में किस प्रकार के केबलों का निर्माण किया जाएगा ; और

(ग) इसकी परियोजना लागत, क्षमता का ब्यौरा क्या है और इसमें वाणिज्यिक उत्पादन कब तक शुरू होने की आशा है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं। फिर भी मैं० निक्को उड़ीसा लि० नामक एक संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी में एक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है जिसमें उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम ने मैं० नेशनल इन्सुलेटेड कं० आफ इण्डिया लि०, कलकत्ता को भागीदार बनाया है।

मैं० निक्को उड़ीसा लि० का मैं० टेमाको एस० पी० ए०, इटली के साथ तकनीकी सहयोग है जिनकी विदेशी इक्विटी में भी 10 प्रतिशत की साझेदारी है।

(ख) मैं० निक्को उड़ीसा लि० द्वारा 66 किलोवाट तक के पी० वी० सी०/एक्स० एल० पी० ई० पावर केबलों का निर्माण किया जाएगा।

(ग) मैं० निक्को उड़ीसा लि० ने इस परियोजना को 683 लाख रुपये की कुल लागत से कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया है। वार्षिक क्षमता 1,000 के० एम० (3 कोर की) केबल की है। उनसे औद्योगिक लाइसेंस जारी होने की तारीख से दो वर्षों के भीतर अर्थात् मई, 1984 तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की अपेक्षा की जाती है।

उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना

2878. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है ;

(ख) यदि हां, तो उन बड़े और मझोले उद्योगों की कुल संख्या कितनी है, जो गत दो वर्षों में पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं ; और

(ग) वे उद्योग कौन से हैं तथा उन्हें उड़ीसा में किन स्थानों पर स्थापित किया गया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों के लिए जारी किए गए आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों तथा तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

विवरण-1

उड़ीसा राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के लिए वर्ष 1980 से 1982 (सितम्बर, 82) के दौरान जारी किये गये आशय/पत्रों औद्योगिक लाइसेंसों तथा तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत योजनाओं को तथा उनके स्थापना-स्थलों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	स्थापना-स्थल अर्थात् जिला/क्षेत्र	उद्योग	आशय-पत्र
1	2	3	4
		वर्ष 1980	
1.	धेनकानाल	1. सेमी कोक	

1	2	3	4
		2. कार्बन, अलॉय, बिना जोड़े के इस्पात के पाइप, बैन्डिग, बैंड्स आदि ।	3
		3. सल्फूरिक एसिड ओलियम	
2.	कोरापुट	1. लुग्दी, लिखाई और छपाई और लपेटने का कागज	1
3.	कुझर	1. कार्बन एवं मिश्र धातु इस्पात की ढली वस्तुएं तथा मिश्र धातु लोह की ढली वस्तुएं	
		2. स्टील मिलों/पेपर मिलों के लिए फुलर रबरइंजिग, टैंक लाइलिंग	2
		3. और पाइन लाइनिंग	2
4.	मयूरभंज	1. अंको वाली इलैक्ट्रोनिक घड़ियां	1
		वर्ष 1981	
1.	धेनकानाल	1. एस्नेटल सीमेंट प्रेशर पाइप्स	
		2. हाई टेन्साइल स्टील	3
		3. एस्बेस्टस सीमेंट रफिंग शीट्स आदि	
2.	बालासोर	1. लिखाई और छपाई का कागज	1
3.	मयूरभंज	1. इण्डस्ट्रीयल क्राफ्ट और रैपिंग पेपर	1
4.	कोरापुट	1. सभी प्रकार के पल्प और कागज उत्पाद	
		2. सिलीकोन मेटलस	3
		3. सालसीड वसा और सालसीड डिओ-यलड मील	
5.	क्योझर	1. स्पंज आयरन	2
		2. कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप्स	
6.	कालाहाण्डी	1. पेपर	1
		वर्ष 1982 (जून तक)	
1.	मयूरभंज	1. पी० वी० सी० और एक्स एल० पी० ई० पावर केबल्स्	

1	2	3	4
		2. हैवी ड्यूटी पोस्ट इन्सलेटर	3
	क्योंझर	3. मीडियम डेन्सिटी फाइनर बोर्ड	1
2.		1. कोल्ड रोल्ड माइल्ड स्टील	

बिना उद्योग वाले जिलों को जारी किए गए आशय-पत्र (स्थान नहीं बताया गया है)

क्रम संख्या	उद्योग	आशय-पत्र
1.	सिन्थेटिक डिटर्जेन्टस्	
2.	अल्यूमिनियम एक्सटरडेड पार्टस्	3
3.	डेकोरेटिव वेनीरस	

जारी किए गए लाइसेंस

क्रम संख्या	स्थान नामतः जिला/क्षेत्र	उद्योग	औद्योगिक लाइसेंस
		वर्ष 1980	
1.	क्योंझर	1. इलेक्ट्रोलाईटिक मेगनोज डायोक्साइड	1
2.	कोरापुट	1. फैरो सिलीकोन	2
		2. कोर वनीर बोर्ड	
3.	मयूरभंज	1. सल्फरिक एसिड और ओलियम	1
4.	धेनकानाल	1. अल्यूमिनियम इनगोटस	1
		वर्ष 1981	
1.	मयूरभंज	1. केबल्स	1
2.	बालासोर	1. लार्ज क्रोम	1
		वर्ष 1982 (जून तक)	
1.	मयूरभंज	1. पी० वी० सी० और एक्स एल० पी० ई० केबल्स्	1

विवरण-2

उड़ीसा राज्य के पिछड़े जिलों से सम्बन्धित उन योजनाओं की संख्या जो 1980 से 1982 (सितम्बर, 82) के दौरान तकनीकी विकास के महा-निदेशालय में पंजीकृत हुई हैं।

क्रम सं०	स्थान नामत: जिला/तहसील	उद्योग	पंजीकृत स्कीमों की सं०
1	2	3	4
		वर्ष 1980	
1.	मयूरभंज	पेपर	1
2.	बोलंगीर	तेल	1
3.	बालासोर	पेपर	1
4.	कोरापुट	तेल	1
		वर्ष 1981	
1.	बालासोर	1. पेपर	2
		2. तेल	2
		3. प्लास्टिक और पोलिमर्स	1
2.	कोरापुट	औद्योगिक गैस	1
3.	मयूरभंज	1. विविध रसायन	1
		2. पेपर	2
		3. मेटलारजिकल इन्जीनियरिंग वस्तुएं	4
4.	धेनकनाल	1. मेटलारजिकल इन्जीनियरिंग वस्तुएं	1
		2. औद्योगिक गैस	1
		वर्ष 1982 (सितम्बर, तक)	
1.	मयूरभंज	1. चमड़ा	1

1	2	3	4
		2. मृत्तिका	1
		3. एसिड और लवण	1
2.	धेनकनाल	एसिड और लवण	1
3.	बालासोर	1. पेपर	1
		2. प्लास्टिक और पोलिमर्स	2
		3. औद्योगिक मशीनरी	1
4.	कोरापुट	1. औद्योगिक मशीनरी	1
		2. सीमेन्ट	1
5.	बोलनगीर	तेल	1

बिहार स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

2879. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :**
श्री राम विलास पासवान :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में स्वतंत्रता सेनानियों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से कितनों को पेंशन मिल रही है ;

(ख) उन स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या कितनी है, जिन्होंने पेंशन के लिए आवेदन किया था और उनमें से कितनों की पेंशन मंजूर की गई है ; और

(ग) शेष स्वतंत्रता सेनानियों के लिये पेंशन मंजूर न करने के क्या कारण हैं और उनके लिए पेंशन कब तक मंजूर की जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों के आवेदनों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) लम्बित मामलों की संख्या 39439 है जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है । उन पर राज्यों की पुनः जांच रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण और / अथवा आवेदक से अपेक्षित सूचना/दस्तावेज प्राप्त न होने के कारण अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है । इन मामलों में राज्य की रिपोर्ट/अपेक्षित सूचना प्राप्त होते ही निर्णय ले लिया जाएगा ।

विवरण

स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन देने के प्रयोजन के लिए बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों के आवेदनों की स्थिति

1-8-80 से पहले प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या	1-8-80 के पश्चात 31-3-82 तक प्राप्त	कालम 1 तथा 2 का जोड़	1-8-80 तक स्वीकृत की गई	1-8-80 के पश्चात स्वीकृत की गई	कालम 4 तथा 5 का जोड़	अस्वीकार किए गए मामलों की संख्या	ऐसे मामलों की संख्या जहां पेंशन निलंम्बित की गई है	ऐसे मामलों की संख्या जहां पेंशन बहाल की गई है	ऐसे मामलों की संख्या जहां पेंशन रद्द की गई है	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें राज्य की रिपोर्टें न आने के कारण अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47894	44405	92299	19359	439	19798	32434	453	102	73	39439

राज्यों को कच्चे माल का बटवारा

2880. **श्री चित्त महाटा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मुख्य कच्चे माल सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों को वितरित करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(ग) सरकार प्रमुख कच्चे माल के वितरण के लिए वर्तमान प्रबन्धों में परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझती ।

दूर संकेती उपग्रह का छोड़ा जाना

2881. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) निकट भविष्य में भारत द्वारा दूर संकेती उपग्रह छोड़े जाने की वर्तमान योजनायें क्या हैं ;

(ख) क्या उपग्रह देश में बना होगा ;

(ग) जो उपग्रह कक्ष में पहले से उपलब्ध है, वे सूचना प्रसारण में कहां तक उपयोगी है; और

(घ) उस प्रकार प्राप्त की गई सूचनाओं का क्या उपयोग किया जाता है ?

विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में एवं ऊर्जा मंत्रालय के गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) 1985-86 में एक भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह छोड़े जाने की योजना बनाई गई है ।

(ख) इस उपग्रह का डिजाइन, विकास, संविरचन तथा अर्हता संबंधी कार्य देश में ही किए जायेंगे । जिन कुछ जरूरी उपकरणों का निर्माण भारत में नहीं होता है, उन्हें आयात किया जायेगा ।

(ग) और (घ) भास्कर-I और II नामक दो प्रायोगिक भू-प्रेक्षण उपग्रहों को क्रमश: जून, 979 और नवम्बर, 1981 के दौरान छोड़ा गया था । भास्कर-II उपग्रह अभी भी कक्षा में परिक्रमा कर रहा है । माइक्रोवेव रेडियो-मीटर के माध्यम से तथा दो बैण्ड की टी० वी० कैमरा प्रणाली के माध्यम से इसने उपयोगी सूचना प्रदान की है । इसने लगभग 4000 परिक्रमाएं पूरी हैं । उपग्रह ने लगभग 550 मल्टी बैण्ड प्रतिबिम्बों और लगभग 1300 अवरक्त चित्रों को

भेजा है। 370 परिक्रमाओं के दौरान माइक्रोवेव रेडियो मीटर आंकड़े प्राप्त किए गए हैं। भारत में विविध केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों तथा शैक्षणिक संस्थाओं के 30 से अधिक ग्रुपों ने भास्कर के आंकड़ों का उपयोग किया है तथा भू-मानचित्रण, भूविज्ञान, बाढ़-मान चित्रण आदि पर विविध अध्ययन किए गए। वायुमंडलीय/मौसम विज्ञानीय परिघटनाओं के सम्बन्ध में जल-वाष्प सम्बन्धी मापन तथा कुछ अन्य अध्ययनों के लिए माइक्रोवेव रेडियोमीटर आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए सोवियत रूप से आधुनिक उपकरण

2882. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत रूस ने विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिये अत्यधिक आधुनिक उपकरण और तकनीकी जानकारी का आश्वासन दिया है ;

(ख) क्या प्रधान मंत्री की हाल की यात्रा के दौरान उपरोक्त मामले पर विचार किया गया था और यदि हां, तो सोवियत रूस से मिलने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सोवियत विशेषज्ञ इस इस्पात संयंत्र में पहले से ही कार्यरत हैं और यदि हां, तो उनको किस प्रकार का कार्य सौंपा गया है और किये गये कार्य की प्रगति क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने के बारे में दिनांक 12-6-1979 के तकनीकी-आर्थिक सहयोग से सम्बन्धित करार के अन्तर्गत सोवियत संघ कारखाने के लोहा और इस्पात बनाने वाले क्षेत्रों में तकनीकी और वित्तीय सहायता देगा। सोवियत संघ यह सहायता उपस्करों की सप्लाई, विस्तृत इंजीनियरी कार्य और ऋण के रूप में देगा। कारखने के प्रथम चरण के लिए 250 मिलयन रूबल का ऋण पहले ही दे दिया गया है और भारत-सोवियत संयुक्त आयोग की बैठक और प्रधानमंत्री के दौरे के बाद दूसरे चरण के लिए अन्य ऋण के लिए बातचीत चल रही है।

(ग) जी, हां। 26 सोवियत-विशेषज्ञ पहले से ही कारखाने के कार्य-स्थल पर रूपांकन और निर्माण सम्बन्धी कार्य के पर्यवेक्षण में सहायता दे रहे हैं।

निर्धारित समय से पीछे चल रहे कोटा और तलचर स्थित भारी जल संयंत्र

2883. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा और तलचर स्थित भारी जल संयंत्र निर्धारित कार्यक्रम से बहुत पीछे चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों संयंत्रों के पूरे हो जाने के लिए क्या लक्ष्य निश्चित किया गया था और विलम्ब के कारण क्या हैं ; और

(ग) वर्तमान अन्तिम आकलन क्या हैं जब तक ये दोनों संयंत्र पूरे हो जाएंगे, इनमें उत्पादन कब से शुरू होगा और उत्पादन की दर क्या सोची गई है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों तथा ऊर्जा मंत्रालय के गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) तथा (ख) कोटा और तलचर की भारी पानी परियोजनाओं के पूरा होने का समय आरम्भ में क्रमशः दिसम्बर, 1975 और अप्रैल, 1976 रखा गया था। दोनों परियोजनाएं यांत्रिक दृष्टि से तैयार हो चुकी हैं और अब उनमें वे परीक्षण किए जा रहे हैं जिन्हें उनको चालू करने से पहले करना जरूरी है। परियोजनाओं के पूरा होने में जो विलम्ब हुआ है उनके कारण हैं—सिविल निर्माण-कार्यों के लिए आशा के अनुरूप संविदाएं न मिलना, स्वदेशी और आयातित उपस्करों तथा मशीनों का विलम्ब से मिलना, श्रमिकों से सम्बन्धित समस्याएं, बिजली में कटौती, उपस्करों आदि के निर्माताओं द्वारा काम का विलम्ब से किया जाना, बाहर से लाए जाने वाले दो टावर समुद्र में गिर गए थे उनकी जगह नए टावर प्राप्त करना, ऐसे महत्वपूर्ण उपस्करों के लिए फिर से आर्डर देना जिनके निर्यात पर अन्य देशों ने पाबन्दी लगा दी है।

(ग) आशा है कि यदि उपयोगी वस्तुएं और संयंत्रों में डाली जाने वाली सामग्री उपलब्ध हो गई तो ये दोनों भारी पानी संयंत्र चालू वित्त वर्ष के अन्त तक उत्पादन आरम्भ कर देंगे। यह भी आशा की जा सकती है कि ये संयंत्र लगभग तीन वर्ष में अपनी अधिकतम क्षमता से उत्पादन करने लगेंगे।

कलपाक्कम परियोजना को शुरू किया जाना

2884. श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि कलपाक्कम परियोजना का पहला एकक लगभग पूरा हो गया है, लेकिन अभी सरकार के लिए कुछ समय तक इसे चालू करना संभव नहीं होगा ;

(ख) संयंत्र को शुरू करने से भारी जल की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी और इसे फिर चालू रखने के लिए कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी ; और

(ग) क्या सरकार उसके लिए व्यवस्था कर सकी है और कलपाक्कम का पहला एकक कब तक शुरू हो जाएगा ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मंत्रालय के गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (ग) मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के पहले यूनिट को चालू करने के लिए शुरू में लगभग 250 टन भारी पानी की जरूरत होगी और बाद में हर साल इसमें आई कमी को पूरा करने के लिए लगभग 15 टन भारी पानी की जरूरत पड़ेगी। इस यूनिट को जल्दी से जल्दी चालू करने की कोशिश की जा रही है और सरकार इसके लिए जो जरूरी कदम उठा रही है उनमें भारी पानी का जरूरी स्टाक तैयार करने के लिए भारी पानी का ग्रेड ऊंचा करने की सुविधा में वृद्धि करना भी शामिल है।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र उद्यम उत्पादन में गिरावट

2885. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की कितनी फैक्टरियों में उत्पादन गिर रहा है ;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की फैक्टरियों में किए गए उत्पादन का ब्यौरा क्या है ; और उसमें गिरावट आने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन फैक्टरियों में कितनी बार हड़ताल हुई और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) वर्ष 1977-78 और 1978-79 की कारखानों की संख्या का वर्गीकरण तथा उनके (अखिल, भारतीय) स्वामित्व का प्रकार और उनके उत्पादन के सकल मूल्य की जानकारी केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण में उपलब्ध है। इन वर्षों में कारखाना क्षेत्र के सारांश परिणाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) देश में वर्ष 1980-81 और 1982 (जुलाई तक) के दौरान कमशः 2501, 2265 और 971 हड़तालें होने की जानकारी मिली है।

विवरण

स्वामित्व के प्रकार के अनुसार प्रमुख बातें

क्रम सं०	स्वामित्व का प्रकार	1987-78 कारखानों की संख्या	1987-78 उत्पादन का सकल मूल्य (रु० लाखों में)	1978-79 कारखानों की संख्या	1978-79 उत्पादन का सकल मूल्य (लाख रु० में)
1.	सरकारी क्षेत्र	3865	852720	5418	1057396
2.	संयुक्त क्षेत्र	1558	246418	1385	334230
3.	गैर सरकारी उद्यम	71436	2785624	70921	3042514
4.	अनिर्दिष्ट	8065	1271	10353	239
	कुल	84924	3886033	88077	4434379

स्रोत : उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण की सारणी सं० 2.7, कारखाना क्षेत्र के सारांश परिणाम 1977-78 और 1978-79

टिप्पणी : कृपया अवसर और क्षेत्र (कवरेज) के लिए 1978-79 के कारखाना क्षेत्र के ए० एस० आई० सारांश परिणाम के पैराग्राफ 1.2, धारणाओं और परिभाषाओं के लिए पैरा ग्राफ 1.4, परिसीमाओं के लिए पैराग्राफ 1.7, देखें।

सी० सी० आई० सीमेंट फैक्टरी, नया गांव, मध्य प्रदेश में उत्पादन

2886. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नया गांव मध्य प्रदेश स्थित सी० सी० आई० सीमेंट फैक्टरी की उत्पादक क्षमता कितन है और इस समय कितने प्रतिशत उत्पादन क्षमता का उपयोग किया जा रहा है और प्रति बोरी उत्पादन लागत कितनी है ;

(ख) क्या उक्त फैक्टरी का विस्तार किया जाएगा और यदि हां, तो ऐसे विस्तार के बाद इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी और विस्तार कार्य को पूरा करने में कितना समय लग जाने की संभावना है और विस्तार पर कितनी लागत आएगी ;

(ग) इस फैक्टरी में इस समय काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या कितनी है और विस्तार के बाद बढ़ी हुई संख्या कितनी होगी, इस समय उसमें कितने स्थानीय व्यक्ति काम कर रहे हैं ; और

(ग) कर्मचारियों को उपलब्ध की गई आवासीय, शैक्षिक और मनोरंजन की सुविधाओं का ब्योरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) (I) वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता—4 लाख मी० टन ।

(II) जुलाई-सितम्बर, 1982 की तिमाही के दौरान क्षमता उपयोग--77 प्रतिशत ।

(III) प्रति बोरी सीमेंट की उत्पादन लागत बताना जनहित में उपयुक्त नहीं समझा जाता ।

(ख) जी, हां । 10 लाख मी० टन प्रति वर्ष अतिरिक्त उत्पादन करके क्लिंकर के उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है । भटिंडा और दिल्ली स्थित पिसाई एककों के साथ ही इस विस्तार के लिए स्वीकृत लागत का अनुमान 92.58 करोड़ (जून, 1980 के मूल्यों पर आधारित) लगाया गया है । विस्तार कार्य 1985-86 तक पूरा हो जाने की आशा है ।

(ग) इस समय कर्मचारियों की कुल संख्या 572 है जिनमें से 384 मध्य प्रदेश के हैं । विस्तार के बाद क्षमता में 244 कर्मचारियों की वृद्धि हो जाने की संभावना है ।

(घ) 401 मकानों की व्यवस्था कर दी गई है । शिक्षा और मनोरंजन जैसी अन्य सुविधायें भी कर्मचारियों को दी जा रही हैं ।

सीमेंट उत्पादन की लागत

2887. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 50 किलोग्राम सीमेंट के बोरे पर सभी करों तथा शुल्कों को छोड़कर औसत उत्पादन लागत क्या है ;

(ख) सभी करों तथा शुल्कों को छोड़कर किन-किन कारखानों की सीमेंट उत्पादन लागत न्यूनतम एवं अधिकतम है ;

(ग) 50 किलाग्राम सीमेंट के बोरे पर लगने वाले करों एवं शुल्कों के ब्यौरे क्या हैं और उपभोक्ताओं को नियंत्रित तथा "खुली बिक्री" का सीमेंट किस कीमत पर उपलब्ध किया जाता है ;

(घ) देश में 1982-83 के दौरान सीमेंट की खपत तथा उत्पादन का अनुमान क्या है और कितनी मात्रा का आयात किया जायेगा ; और

(ङ) सीमेंट का विभिन्न देशों से किस कीमत पर आयात किया जाता है और देश में उसका विक्रय मूल्य क्या होगा ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) अलग-अलग किस्म के सीमेंट की उत्पादन लागत एक एकक से दूसरे एकक में भिन्न-भिन्न होती है तथा 1980/1981-82 की अवधि में स्लैग सीमेंट (शुद्ध राज-सहायता को निकालकर) की प्रति मीट्रिक टन (20 बोरी) की लागत 165.37 मी० टन से लेकर 313.44 तक तथा साधारण पोर्टलैंड सीमेंट (शुद्ध राज सहायता निकालकर) की प्रति मी० टन लागत 225.90 रु० से लेकर 358.16 रु० तक तथा पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट (शुद्ध राज-सहायता को निकालकर) की प्रति मी० टन उत्पादन लागत 166.58 रु० से लेकर 286.81 रु० तक के आसपास रही है।

(ग) अक्तूबर, 1982 से प्रभावी उत्पादन कर और पैकिंग प्रभारों सहित सीमेंट का रेल-भाड़ा मुक्त मूल्य निम्नलिखित है :

	साधारण पोर्टलैंड/ स्लैग सीमेंट	पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट
कारखाने से चलते समय का बिक्री मूल्य	रु० 440.00	रु० 425.00
उत्पादन शुल्क	रु० 135.00	रु० 135.00
पैकिंग प्रभार	रु० 76.48	रु० 76.48
	रु० 651.48	रु० 636.48
	अथवा	अथवा
	रु० 32.57 लगभग प्रति बोरी	रु० 31.82 लगभग प्रति बोरी

इन मूल्यों में स्थानीय कर और बिक्री कर सम्मिलित नहीं हैं। खुले बाजार में बेचे जाने वाला सीमेंट मूल्य और वितरण नियंत्रण से मुक्त है। किन्तु सीमेंट उत्पादक संघ ने खुले बाजार में सीमेंट का अधिकतम बिक्री मूल्य निम्न प्रकार बताया है :

स्थानीय करों और बिक्री कर को छोड़कर सीमेंट की 50 कि० ग्राम प्रति बोरी का मूल्य	राज्यों के नाम
60/- रु०	महाराष्ट्र, केरल जम्मू काश्मीर तथा उत्तर पूर्वी राज्य ।
59/- रु०	अन्य सभी राज्य

(घ) और (ङ) बिजली की उपलब्धता में लगातार आ रही रुकावटों को ध्यान में रखते हुए इस अवधि में देश में सीमेंट का उत्पादन लगभग 250 मी० टन होने की आशा है। 28-2-1982 से सीमेंट की आंशिक विनियंत्रण योजना लागू करके सरकारी लेखे पर सीमेंट आयात करने पर रोक लगा दी गई है। वर्ष 1982-83 की आयात और निर्यात नीति के अनुसार राज्य व्यापार निगम तथा प्रत्येक राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन द्वारा नामित सरकारी क्षेत्र के एक अभिकरण के माध्यम से सीमेंट आयात करने की व्यवस्था की जाएगी। इन अभिकरणों द्वारा आयातित किया जाने वाला सीमेंट मूल्य और वितरण नियंत्रण से मुक्त होता है। इस प्रकार आयात किये जाने वाले सीमेंट का मूल्य और उसके बिक्री मूल्य बता सकना कठिन है। देश में उत्पादित सीमेंट और विदेशों से आयातित सीमेंट की खपत देश में ही की जाएगी।

हिन्दी के प्रयोग के लिए संस्थानों को पुरस्कार

2888. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा के प्रयोग में संस्थानों को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उन संस्थाओं के नाम क्या हैं, जिन्हें ये पुरस्कार मिले हैं ;

(ग) क्या हिन्दी को भारतीय प्रशासन सेवा तथा बैंकिंग सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षा के माध्यम के रूप में मान्यता प्राप्त हैं ; और

(घ) किन-किन प्रतियोगी परीक्षाओं में हिन्दी की परीक्षा माध्यम के रूप में मान्यता नहीं दी गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) इस विभाग द्वारा प्रति वर्ष हिन्दी का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले मंत्रालय/विभाग को एक शील्ड दी जाती है और दूसरा तथा तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले मंत्रालयों-विभागों को पुरस्कार के रूप में ट्राफी दी जाती है। केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा कम से कम 500 कर्मचारियों वाले अन्य कार्यालयों में टिप्पणी और आलेखन में हिन्दी का सबसे अधिक प्रयोग करने वाले 3 व्यक्तियों को प्रति वर्ष नगद पुरस्कार दिये जाते हैं। मंत्रालय/विभाग में पहला इनाम 250 रुपये, दूसरा इनाम 150 रुपये

और तीसरा इनाम 75 रुपये है। अन्य कार्यालयों में पहला इनाम 200 रुपये दूसरा इनाम 100 रुपये और तीसरा इनाम 75 रुपये है।

(ख) अब तक निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों को शील्ड ट्राफी दी गई हैं।

1. विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, विधायी विभाग-शील्ड-1979-80
2. पूर्ति तथा पुर्नवास मंत्रालय-शील्ड-1980-81
3. प्रधान मंत्री का कार्यालय-ट्राफी-1979-80, 4. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय-ट्राफी-1979-80
5. विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, विधायी विभाग-ट्राफी-1980-81
6. मंत्रिमंडल सचिवालय-ट्राफी-1980-81

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों को प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिए गए हैं :

1. पूर्ति विभाग 2. रेल मंत्रालय 3. नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 4. रक्षा मंत्रालय 5. समाज कल्याण मंत्रालय 6. वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) 7. सूचना और प्रसारण मंत्रालय 8. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, 9. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)।

(ग) संघ-लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल-सेवा परीक्षा (जो पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षा कहलाती थी) में हिन्दी को माध्यम के रूप में मान्यता दी गई है। बैंकिंग सेवाओं में भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं के बारे में विभिन्न बैंकिंग सर्विस भर्ती बार्डों से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(घ) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली सभी परीक्षाओं के माध्यम के रूप में हिन्दी को मान्यता दी गई है। इन सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी में तैयार कराए जाते हैं और अभ्यार्थियों को हिन्दी या अंग्रेजी में उत्तर देने की छूट दी जाती है। वस्तुपरक प्रश्नपत्र भी हिन्दी तथा अग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराए जाते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए केवल निशान लगाना होता है और किसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। अंग्रेजी भाषा का प्रश्नपत्र केवल अंग्रेजी में तैयार किया जाता है और इस प्रश्न पत्र का उत्तर भी केवल अंग्रेजी में दिया जाना अपेक्षित है। निम्नलिखित परीक्षाओं को छोड़कर संघ-लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली सभी परीक्षाओं में हिन्दी को माध्यम के रूप में मान्यता दे दी गई है :—

1. भू-विज्ञानियों की परीक्षा।
2. सहायक इंजीनियर (के० बो० नि० वि०) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा
3. भारतीय अर्थ सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा।
4. स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसिज परीक्षा, 5. भारतीय वन सेवा परीक्षा।
6. इंजीनियरी सेवा परीक्षा।

भेल के नये निर्माता एकक

2889. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों तथा पांच वर्षीय योजना अवधि के दौरान भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स द्वारा कौन से नये निर्माता एकक आरम्भ किये अथवा किये जा रहे हैं ; और

(ख) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान ये एकक किन-किन खानों में आरम्भ किए गए तथा उनमें से प्रत्येक एकक में कितना उत्पादन हुआ, कुल कितनी राशि व्यय की गई, विदेशी मुद्रा पर कितनी राशि व्यय हुई, रुपयों के रूप में कितना वार्षिक उत्पादन हुआ है, कितना लाभ/हानि हुई ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

गत तीन वर्षों में और पांचवीं योजना की अवधि में
बी० एच० ई० एल० द्वारा प्रारम्भ किए गए नए निर्माण एकक

कुल मिलाकर बी० एच० ई० एल० द्वारा गत तीन वर्षों में और पांचवीं योजना अवधि में 5 नये निर्माण एकक प्रारम्भ किए गए हैं । इन पांच परियोजनाओं में से तीन पहले ही चालू कर दी गई हैं । इन परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

(लाख रु० में)

क्रमांक	निर्माण एकक का नाम और स्थापना स्थल	निर्मित किए जा रहे/निर्मित किए जाने वाले उत्पादन	कुल लागत	विदेशी मुद्रा अंश	टिप्पणी/उत्पादन/लाभ आदि
1	2	3	4	5	6
1.	सेन्ट्रल फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट, हरिद्वार	हेवी कास्टिंगस और फोर्जिंग्स	3420.00	747.00	परियोजना दिसम्बर, 1977 में चालू की गई थी । उत्पादन और लाभ/हानि निम्न प्रकार हुई है : वर्ष उत्पादन लाभ/हानि (+) (—) (लाख रु० में) 1979-80 1424 —382 1980-81 1452 —414 1981-82 2107 —166 1982-83 3029 +185 (बजट)

1	2	3	4	5	6
2.	सीमलेस स्टील ट्यूबप्रोजेक्ट, तिरुन्ची	सीमलेस स्टील ट्यूबें	5820.00	1760.00	यह परियोजना अक्तूबर, 1979 में चालू की गई थी। उत्पादन और लाभ/हानि निम्न प्रकार हुई है :—

वर्ष	उत्पादन	लाभ/हानि (+) (—) (लाख रु० में)
1979-80	570	—820
1980-81	976	—854
1981-82	2193	—396
1982-83	2750	—743

3.	ट्रांसफार्मर फैक्टरी झांसी	पावर (ट्रांसफार्मर) स्पेशल (ट्रांसफार्मर)	2098.70	152.00	यह परियोजना मार्च, 1981 में चालू की गई थी। उत्पादन तथा लाभ/हानि निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	उत्पादन	लाभ/हानि (+) (—) (लाख रु० में)
1979-80	702	—577
1980-81	1574	—271
1981-82	1982	—262
1982-83 (बजट)	2851	+ 42

जिन दो परियोजनाओं को अभी चालू किया जाना है उनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

1	2	3	4	5	6
1.	बायलर आजिलरी प्रोजेक्ट, रानीखेत	फैन एयर प्रोहीटर इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रोसिपिटेटर बायलर सहायक सामान	3280.00	120.00	जुलाई, 1983 में चालू करने का कार्यक्रम है।

2. हाई टेन्शन इंसुलेटर्स प्रोजेक्ट, जगदीशपुर	सिरेमिग सालिड कोर बुशिंग्स डिस्क इन्सुलेटर्स पोस्ट और पिन इन्सुलेटर्स	1149.20	325.00	मार्च, 1984 में चालू करने का कार्यक्रम है।

मध्य प्रदेश पशु-पक्षी बलि प्रतिषेध को स्वीकृति

2890. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश पशु-पक्षी बलि प्रतिषेध विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ख) किस तारीख को इसे स्वीकृति दी जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) विधेयक के कुछ उपबंधों में नीति सम्बन्धी मसले अन्तर्ग्रस्त हैं और मध्य प्रदेश सरकार, जिनको समय-समय पर लिखा गया है, से परामर्श करके जांच की जा रही है। राज्य सरकार के विचार 18 अक्तूबर, 1982 को ही प्राप्त हुए हैं और विचाराधीन हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि किस तारीख तक निर्णय किया जाएगा।

राजस्थान के जैसलमेर जिले में सीमेंट संयन्त्र की स्थापना

2891. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारी मात्रा में उत्तम किस्म का चूना पत्थर, जिप्सस और रांक फास्फेट उपलब्ध है ;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खोज किए जाने पर वहां चूना पत्थर क्षेत्र के पास प्राकृतिक गैस होने का पता चला है ;

(ग) क्या राजस्थान नहर के निर्माण के लिए भारी मात्रा में सीमेंट की आवश्यकता है जिससे आधार के रूप में चूना पत्थर और बिजली के रूप में, प्राकृतिक गैस का उपयोग करके उत्पादित किया जा सकता है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या जैसलमेर जिले में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) भारतीय सीमेंट अनुसंधान संस्थान के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार राजस्थान के जैसलमेर जिले में 800 मिलियन टन चूना-पत्थर (सीमेंट और रसायन ग्रेड) के भण्डार होने की सूचना मिली है। वहां जिप्सस

उपलब्ध होने की सूचना नहीं मिली है और रांक-फास्फेट की उपलब्धता के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सीमेंट अनुसंधान संस्थान के अनुसार, चूना-पत्थर को आधार (बेस) के रूप में और प्राकृतिक गैस को ऊर्जा के स्रोत के रूप में लेकर सीमेंट का उत्पादन करना तकनीकी दृष्टि से सम्भव नहीं है।

(घ) राजस्थान के जैसलमेर जिले में परम्परागत ईंधन पर आधारित 5 लाख मी० टन की वार्षिक क्षमता वाला एक सीमेंट संयंत्र स्थापित करने हेतु प्राप्त एक आवेदन पर कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेश और बिहार के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े जिलों का औद्योगीकरण

2892. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और बिहार के कौन-कौन से जिले आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं ;

(ख) इन जिलों के औद्योगिक विकास के लिए शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के विकास तथा क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त करने से संबन्धित सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या असंतुलन की स्थिति में सुधार के लिए समय-समय पर कोई पुनरीक्षण किया जा रहा है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश और बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में किए गए पुनरीक्षण का ब्यौरा क्या है तथा यदि कोई पुनरीक्षण नहीं किया गया है, तो सुधार सम्बन्धी मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) रियायती वित्त और केन्द्रीय निवेश राजसहायता पाने के पात्र औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए जिलों/क्षेत्रों की सूची जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के जिले/क्षेत्र भी सम्मिलित हैं संसद भवन पुस्तकालय में रख दी गई है।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास और क्षेत्रीय असमानतायें दूर करने के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं और प्रोत्साहनों के अतिरिक्त केन्द्र सरकार भी केन्द्रीय निवेश राजसहायता, परिवहन राजसहायता, रियायती वित्त, करों में रियायत, लघु उद्योगों को किराया-खरीद आधार पर मशीनें दिलवाना, तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श, ब्याज राजसहायता, कच्चे माल के आयात हेतु विशेष सुविधाएं आदि देने जैसे कुछ प्रोत्साहन देती है।

(घ) वर्तमान प्रोत्साहन योजना की संवीक्षा करने के साथ-साथ पिछड़े क्षेत्रों के विकास की समग्र समस्या पर विचार करने और पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं को सुप्रभावी रूप से सुलझाने के लिए उपयुक्त नीति की सिफारिश करने हेतु योजना आयोग ने नवम्बर, 1978 में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया था। इस समिति ने औद्योगिक प्रसार सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में औद्योगिक विकास से सम्बन्धित मुद्दों पर खासतौर से औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के चयन हेतु मानदण्ड अपनाने के बारे में और चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहनों की योजना आदि के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं।

इन्द्रप्रस्थ इन्डोर स्टेडियम में आग

2893. **श्री रामजी भाई मवाणी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की दरियागंज पुलिस उस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है जिसमें 25 सितम्बर, 1982 को इन्द्रप्रस्थ इनडोर स्टेडियम में एक ट्रांसफार्मर की मरम्मत करते समय पांच व्यक्ति जलने से जख्मी हुए ;

(ख) यदि हां, तो जांच की रिपोर्ट क्या है ;

(ग) उपरोक्त दुर्घटना के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं ;

(घ) जिम्मेदार अधिकारियों और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ङ) घायल हुए व्यक्तियों और उनके परिवार के लोगों को क्षतिपूर्ति और अन्य सहायता क्या दी गई ; और

(च) इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) थाना दरियागंज में 26-9-82 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 336 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और जांच पूरी हो जाने पर ही घटना की जिम्मेवारी निर्धारित करना और जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करना संभव होगा।

(ङ) जो व्यक्ति जलने से जख्मी हुए उन्हें लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती किया गया है। उसमें से दो व्यक्तियों को छुट्टी दे दी गई है। प्राधिकरण अपने कर्मचारियों के चिकित्सा उपचार और मैसर्स अंतिया इलैक्ट्रिकल अपनी फर्म के प्रभावित कर्मचारियों के उपचार का व्यय वहन करेगा।

(च) सभी सम्बन्धितों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि किसी भी स्विच बोर्ड की खराबी को ठीक करने से पहले बिजली की सप्लाई को आवश्यक रूप से रोक दिया जाय, ताकि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

विज्ञान और प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत रूस के साथ समझौता

2894. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि विज्ञान और प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत रूस के साथ हुए समझौतों, खासतौर पर प्रधान मंत्री की अमेरिका और सोवियत संघ की हाल की यात्राओं के दौरान किए गए समझौतों और उन्हें पूरे किए जाने का विशेष ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मंत्रालय के गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : संयुक्त राज्य अमरीका : विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भारत-अमरीकी उपायोग उच्च-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत-अमरीका संयुक्त आयोग के तत्वावधान में गठित किया गया था । इनके अन्तर्गत ऊर्जा, आयुर्विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान, आधुनिक प्रकाशिकी, सामग्री, मापिकी और इलैक्ट्रानिक्स, भू, वायुमण्डलीय और सागरीय विज्ञान, पर्यावरण और पारिस्थिकी तथा सूचना विज्ञान आते हैं । दोनों देशों के संस्थानों/वैज्ञानिकों के बीच, बड़ी संख्या में अभिनिर्धारित क्षेत्रों में कार्यशालाओं के माध्यम से और संयुक्त प्रस्ताव तैयार करके अन्योन्यक्रिया शुरू की गई है । भारतीय पक्ष की ओर से, अमरीकी पक्ष को अब तक 22 परियोजनाएं भिजवाई गई हैं जिनमें से 5 परियोजनाओं का हाल में ही निधीयन किया जा रहा है । कई अन्य परियोजनाएं विचाराधीन हैं ।

प्रधान मंत्री की संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा के दौरान, यह तय पाया था कि दोनों पक्षों की ओर से एक "ब्ल्यू रिबन पैनल" गठित किया जाएगा जो निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग की संभावना पर विचार करेगा :

—स्वास्थ्य

—खाद्य

—जैव भार उत्पादन और रूपांतरण

—भू-विज्ञान और सामग्री अनुसंधान ।

इस प्रकार के पैनल के गठन और सहयोग की विधियों पर विचार किया जा रहा है ।

सोवियत संघ : विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत-सोवियत सहयोग का कार्यान्वयन दोनों देशों के बीच आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के संयुक्त आयोग की छत्र-छाया में किया जा रहा है । पारस्परिक प्राथमिक रुचि के क्षेत्रों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है और इनके अन्तर्गत सौर ऊर्जा का उपयोग, कोयले पर आधारित एम० एच० डी० विद्युत उत्पादन, चूर्ण धातु विज्ञान, मौसम विज्ञान, विशाल पैमाने पर आवास निर्माण तकनीकें, निम्न तापमान भौतिकी, ऊष्मा और द्रव्यमान अंतरण, उत्प्रेरण आ जाते हैं । संयुक्त आयोग की हाल ही की बैठक में, जो मास्को में प्रधान मंत्री की यात्रा की पूर्व-संध्या पर आयोजित की गई थी, दोनों पक्षों में यह सहमति हुई

कि सहयोग के विचार को—लेसर्स, आनुवंशिक, इंजीनियरी, प्रणाली विश्लेषण, उच्च तापमान और दाबों पर सामग्रियों सहित सामग्री अनुसंधान और तन्तु प्रकाशिकी को शामिल करके विस्तृत किया जा सकता है ।

यु० के० (ब्रिटेन) : यूनाइटिड किंग्डम के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान सहयोग के सम्बन्ध में समझौता ज्ञापन के अधीन देश में विभिन्न शिक्षा और अनुसंधान संस्थाओं में इंजीनियरी, इलैक्ट्रानिकी, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों में कई परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं ।

छोटे सीमेंट संयंत्र

2895. **श्री ए० के० राय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के दौरान देश में लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय सीमेंट अनुसंधान संस्थान ने लघु सीमेंट संयन्त्र को देश में बड़े सीमेंट संयंत्रों की अपेक्षा अधिक कुशल और उपयुक्त समझा है ; और

(ग) यदि हां, तो ब्यौरेवार तथ्य क्या हैं, दोनों के तुलनात्मक लाभ और हानियां क्या हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) चार मिनी सीमेंट संयंत्रों के अतिरिक्त जिनमें उत्पादन शुरू हो चुका है, 1-12 पार्टियों को सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए आशय पत्र, औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत किए गए हैं और तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण किया गया है जिन्हें अभी स्थापित किया जाना है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

संवर्धित यूरेनियम के विकल्प के रूप में मिश्रित आक्साइड ईंधन (एम० ओ० एक्स०) का उत्पादन

2896. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने परमाणु रिएक्टरों में मिश्रित आक्साइडईंधन (एम० ओ० एक्स०) का उत्पादन और उपयोग करने के जापान सरकार के हाल ही के निर्णय पर ध्यान दिया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार एम० ओ० एक्स० यूरेनियम आक्साइड और प्लूटोनियम आक्साइड के मिश्रण का उत्पादन करने का है जो लाइट वाटर रिएक्टरों में संवर्धित यूरेनियम के स्थान पर काम में लाया जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) "माक्स" ईंधन बनाने के लिए विकास-कार्य किया गया है और उसे बनाना सम्भव पाया गया है ।

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी उद्योग की स्थापना

2897. **श्री सज्जन कुमार** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भारी उद्योग स्थापित नहीं किया गया है जबकि यहां मजदूर सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में गांवों के विकास के लिए और यहां सस्ती दरों पर मजदूरों की उपलब्धता को देखते हुए तथा निर्धन वर्गों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार का विचार वर्ष 1982-83 के दौरान दिल्ली के गांवों में एक भारी उद्योग स्थापित करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में सरकारी क्षेत्र के किसी भारी इंजीनियरी उद्योग को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । स्थापना-स्थल संबंधी नीति के कारण दिल्ली में भारी उद्योगों की स्थापना नहीं की जा सकती है ।

महासागर में खनन के अधिकार

*2898. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारत ने महासागर में खनन के विशिष्ट अधिकारों की पात्रता के लिए संयुक्त राष्ट्र की समुद्र कानून संबंधी तैयारी समिति के समक्ष अपना दावा पेश किया है ;

(ख) यदि हां, तो भारत ने अपने विशिष्ट खनन अधिकारों के लिए हिन्द महासागर तल में कितने किलोमीटर क्षेत्र का दावा किया है ;

(ग) उक्त खनन कार्य पर लगभग कितनी राशि खर्च होगी ;

(घ) हिन्द महासागर तल में खनन कार्य के परिणाम कब तक प्राप्त होने लगेंगे ; और

(ङ) क्या भारत ने समुद्र तल में खनन कार्य के लिए कोई चरण बद्ध कार्यक्रम तैयार किया है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मंत्रालय के अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) अभी प्रारंभिक आयोग (प्रिपेरेरी कमीशन) की स्थापना नहीं हुई है।

(ख) (क) के संदर्भ में, इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अभी इसका अनुमान नहीं लगाया गया।

(घ) उन्नीस सौ नब्बे से शुरू होने वाले दशक से पहले खनन किए जाने की कोई संभावना नहीं है।

(ङ) समुद्र-तल खनन के लिए चरणों में विभाजित कार्यक्रम अभी तैयार किया जाना है ?

बेल्लूर अखबारी कागज कारखाना केरल में तालाबंदी

2899. **श्री के० ए० राजन :**
श्री बी० के० नायर :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में बेल्लूर अखबारी कागज कारखाने में पिछले चार महीनों से तालाबन्दी चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे और कारण क्या हैं ; और

(ग) तालाबन्दी समाप्त करने और उत्पादन आरम्भ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) काम करने से इन्कार, कारखाने में अराजकता और कुछ श्रमिक संगठनों द्वारा क्रमिक हड़ताल के परिणाम स्वरूप प्रबन्धकों द्वारा संयंत्र चला पाना असंभव हो गया था। अतः 14-8-1982 को अखबारी कागज के कारखाने में तालाबन्दी की घोषणा की गई। यह तालाबन्दी 9-10-1982 से समाप्त कर दी गई है।

सीमेन्ट कारखानों द्वारा प्रदूषण विरोधी उपाय

2900. **श्री नारायण चौबे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पर्यावरण विभाग ने विभिन्न राज्यों में कार्यरत सीमेंट संयंत्रों के प्रबन्धकों से उनके द्वारा किये गये प्रदूषण-विरोधी उपायों का ब्यौरा प्राप्त करने हेतु कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिए केन्द्रीय तथा राज्य बोर्डों, जिनकी स्थापना जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के अंतर्गत की गयी थी, वायु प्रदूषण स्रोतों की फेहरिस्त तैयार करने के लिए प्रारम्भिक कार्यवाही प्रारम्भ की है जिसमें उनके अपने-अपने सीमा-क्षेत्र में सीमेन्ट संयंत्र शामिल हैं। कुछ राज्य बोर्डों ने सीमेन्ट के कारखानों के लिए स्टेक निस्सरण मानक निर्धारित करने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण की ढलवां लोहे की सप्लाई

2901. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**
श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष के आरम्भ में ही साराभाई इन्टरनेशनल लिमिटेड ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० को फाउन्ड्री ग्रेड एल० एम०—4 ढलवां लोहे की 1,00,000 टन सप्लाई करने की सहमति दी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि साराभाई इन्टरनेशनल लि० भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को अपेक्षित सप्लाई नहीं कर सका ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि साराभाई इन्टरनेशनल के असफल हो जाने के कारण अपनी बढ़ती हुई आवश्यकता पूरी करने के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को कच्चे लोहे का आयात किया ; और

(घ) क्या सरकार ने साराभाई इन्टरनेशनल लिमिटेड के विरुद्ध अपना आश्वासन पूरा न करने के लिए कोई कानूनी कार्यवाही की है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) मेसर्स साराभाई इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की यह पेशकश सेल द्वारा कच्चे लोहे के लिए विश्व आधार पर आमन्त्रित की गई निविदा के जवाब में प्राप्त हुई थी। मेसर्स साराभाई इन्टरनेशनल द्वारा करार के अनुसार सप्लाई न करने के कारण सेल को उतनी मात्रा की प्राप्ति के लिए एक अन्य निविदा जारी करनी पड़ी थी।

(घ) जी, हां।

पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान ग्रामीण विकास पर खर्च की गई धनराशि

2902. **श्री एम० रामन्ना राय** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पहले ही पूरी हो चुकी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान ग्रामीण विकास पर राज्य-वार कुल कितनी धनराशि खर्च की है ; और

(ख) सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) निम्नलिखित तीन विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत हैं :—

(1) विवरण—1 जिसमें राज्यों के पुनर्गठन से पहले जिस प्रकार राज्य थे उनके लिए पहली पंचवर्षीय योजना में राज्यवार व्यय दिखाया गया है।

(2) विवरण—2 जिसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना से छठी पंचवर्षीय योजना तक राज्य-वार व्यय दिखाया गया है।

(3) विवरण—3 जिसमें पहली पंचवर्षीय योजना से छठी पंचवर्षीय योजना तक केन्द्रीय क्षेत्रक योजना व्यय दिखाया गया है।

विवरण—1

ग्रामीण विकास पर सीधे प्रभाव डालने वाली मदों पर पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) में राज्यवार वास्तविक व्यय का विवरण

(करोड़ रु०)

राज्य		व्यय
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	25.17
2.	हैदराबाद	24.55
3.	असम	13.20
4.	बिहार	31.38
5.	सौराष्ट्र	13.40
6.	कच्छ	1.29
7.	हिमाचल प्रदेश	1.26
8.	जम्मू और काश्मीर	3.39
9.	मैसूर	25.05
10.	कुर्ग	0.39

1	2	3
11.	ट्रावन्कोर कोचीन	8.60
12.	मध्य भारत	11.55
13.	मध्य प्रदेश	16.70
14.	भोपाल	2.19
15.	विन्ध्या प्रदेश	2 56
16.	बंबई	53.86
17.	मणिपुर	6.03
18.	उड़ीसा	6.94
19.	पेप्सू	5.13
20.	पंजाब	9.33
21.	अजमेर	0.79
22.	राजस्थान	8.96
23.	मद्रास	37.83
24.	त्रिपुरा	0.23
25.	उत्तर प्रदेश	54.35
26.	पश्चिम बंगाल	24.02
	सभी राज्य	388.15

टिप्पणी : ग्रामीण विकास पर सीधे प्रभाव डालने वाली व्यय की मदें निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं :

(1) कृषि कार्यक्रम
(2) सामुदायिक विकास और पंचायतें
(3) सहकारिता
(4) बाढ़ नियंत्रण सहित सिंचाई
(5) ग्राम और लघु उद्योग
(6) पिछड़े वर्गों का कल्याण

विवरण—2

ग्रामीण विकास पर सीधे प्रभाव डालने वाली मदों पर दूसरी पंचवर्षीय योजना तक के योजनावार व्यय के सारांश का राज्यवार विवरण

(करोड़ रु०)

राज्य	दूसरी पंचवर्षीय योजना (56-61)	तीसरी पंचवर्षीय योजना (61-66)	3 वार्षिक योजनाएं (66-69)	चौथी पंचवर्षीय योजना (69-74)	पांचवीं पंचवर्षीय योजना (74-78)	वार्षिक योजना		
						1978-79	1979-80	चौथी पंचवर्षीय योजना परिव्यय (1980-85)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. आंध्र प्रदेश	108.26	182.02	105.60	170.71	460.70	207.29	233.67	1701.68
2. असम	32.57	48.26	35.96	85.46	143.20	66.65	71.09	588.75
3. बिहार	91.86	160.90	119.54	241.64	503.32	210.16	199.09	2121.62
4. गुजरात	81.12	99.24	94.93	215.10	442.25	200.61	254.90	1958.08
5. हरियाणा	=	=	27.65	101.68	191.90	97.37	108.79	919.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. हिमाचल प्रदेश	=	=	=	33.99	65.94	33.34	44.42	252.40
7. जम्मू और काश्मीर	8.87	18.28	19.08	42.50	91.58	47.70	64.49	440.66
8. कर्नाटक	67.54†	115.54	93.54	193.02	414.62	149.71	183.69	1145.27
9. केरल	29.93	60.78	57.35	103.77	220.71	98.26	116.91	840.02
10. मध्य प्रदेश	76.13	121.31	78.31	220.49	489.61	174.57	245.84	1943.02
11. महाराष्ट्र	103.97	209.72	176.07	404.45	700.76	327.72	288.19	2772.31
12. मणिपुर	=	=	=	8.81	36.18	17.53	19.55	151.18
13. मेघालय	=	=	=	10.68	27.66	10.97	17.07	94.01
14. नागालैंड	=	3.26	3.71	7.46	26.08	12.21	11.81	88.58
15. उड़ीसा	54.36	79.55	49.27	86.04	220.56	109.42	146.18	910.24
16. पंजाब	72.03	104.08	37.93	101.53	256.42	92.52	107.95	838.73
17. राजस्थान	50.91	119.15	61.99	128.34	334.88	129.36	150.70	1056.90
18. सिक्किम	=×	=	=	=	11.21	8.34	9.77	65.90
19. तमिलनाडु	66.27	138.56	97.37	179.14	299.41	107.42	111.46	1139.31
20. त्रिपुरा	=	—	—	10.26	23.80	15.45	19.63	164.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	उत्तर प्रदेश	110.53	246.72	187.55	444.93	874.21	406.94	480.66	3083.94
22.	पश्चिम बंगाल	51.85	77.60	62.70	121.70	334.58	185.97	180.35	1522.26
	जोड़ राज्य	1006.10	1785.27	1308.25	2911.70	6169.58	2711.51	3066.20	23314.01

टिप्पणी : ग्रामीण विकास पर सीधे प्रभाव डालने वाली व्यय की मदें निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं :

(1) कृषि कार्यक्रम

(2) सामुदायिक विकास और पंचायतें

(3) सहकारिता

(4) ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम

(5) बाढ़ नियंत्रण सहित सिंचाई

(6) ग्राम और लघु उद्योग

(7) पिछड़े वर्गों का कल्याण

(8) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जिसमें ये शामिल हैं :— ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण जल पूर्ति, ग्रामीण भूमिहीनों को मकान बनाने की जगहें, प्रारंभिक शिक्षा, पोषाहार, प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयां, ग्रामीण सड़कें।

† मैसूर

× मद्रास

= यह इस बात को बताने के लिए है यह राज्य उस समय नहीं था।

विवरण—3

ग्रामीण विकास पर सीधे प्रभाव डालने वाली मदों पर पहली पंचवर्षीय योजना से छठी पंचवर्षीय योजना तक केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए व्यय का विवरण

(करोड़ रु०)

वर्ष	
पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56)	424.61
दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61)	251.52
तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66)	266.52
3 वार्षिक योजनाएं (1966-69)	505.44
चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74)	1125.13
पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-78) अनुमान	1510.08
1978-79	783.00
1979-80	1066.63
छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) परिव्यय (संघ राज्य क्षेत्र और विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता सहित)	9769.94

टिप्पणी : ग्रामीण विकास पर सीधे प्रभाव डालने वाली व्यय की मदें निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं :—

(1) कृषि कार्यक्रम

(2) सामुदायिक विकास और पंचायतें

(3) सहकारिता

(4) ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम

(5) बाढ़ नियंत्रण सहित सिंचाई

(6) ग्राम और लघु उद्योग

(7) पिछड़े वर्गों का कल्याण

(8) प्रारंभिक शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य और ग्रामीण जलपूर्ति के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

इस्पात खनन और अलौह क्षेत्र के लिए रूसी सहायता

2903. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**
श्री अर्जुन सेठी :
श्री बाला साहिब विखे पाटिल :
श्री बी० वी० देसाई :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले महीने प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के दौरान सोवियत सरकार ने इस्पात खनन और अलौह धातु क्षेत्र के विकास के लिए भारत को पर्याप्त सहायता देने का प्रस्ताव किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख रूपरेखाएं क्या हैं ; और

(ग) इस सहायता का सरकार द्वारा किस प्रकार उपयोग करने का विचार है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) भारत-रूस संयुक्त आयोग की सितम्बर, 1982 में मास्को में हुई बैठक में इस्पात, खनन तथा अलौह धातुकर्म के क्षेत्रों में सहयोग तथा तकनीकी सहायता के कुछ प्रस्तावों पर विचार किया गया था। इसकी मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

लौह-धातुकर्म

आयोग के बोकारो तथा भिलाई के इस्पात कारखानों के विस्तार कार्यक्रम के कार्यान्वयन और विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की थी। बोकारो तथा भिलाई के इस्पात कारखानों की क्षमता 40 लाख टन से आगे विस्तार करने के बारे में दोनों पक्षों को अनुदेश किए गए थे कि वे वर्ष 1982 की समाप्ति से पहले अपनी-अपनी भूमिकाओं के बारे में फैसला कर लें। उड़ीसा में लगाए जा रहे प्रस्तावित इस्पात कारखाने के निर्माण के बारे में सोवियत रूस के सहयोग के बारे में भी विचार-विमर्श किया गया था। सोवियत रूस ने बर्नपुर में "इस्को" की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए शक्यता रिपोर्ट तैयार करनी भी स्वीकार कर ली है।

अलौह-धातुकर्म

दोनों पक्ष आंध्र एल्यूमिना परियोजना के रूपांकन और निर्माण के लिए सहयोग देने के बारे में आगे बातचीत करने के लिए सहमत हैं वे कोरबा एल्यूमिनियम परियोजना में विशेष एल्यूमिना तथा गैलियम के उत्पादन के लिए शक्यता रिपोर्टें तैयार करने के बारे में भी सहमत थे।

सोवियत पक्ष हाई-स्पीड शाफ्ट लगाने, सुरंग बनाने और भारतीय खानों में खनन कार्य के लिए सोवियत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने हेतु शक्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए आंकड़े एकत्र

करने के लिए विशेषज्ञ भेजने तथा रूस में अलौह-धातुकर्म के क्षेत्र में भारतीय कार्मिकों को प्रशिक्षण देने की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गया है।

परिष्करण तथा अलौह-धातुकर्म के क्षेत्र में वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्यक्रमों के बारे में भी दोनों पक्ष सहमत हो गए हैं।

कोयला उद्योग के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) इन परियोजनाओं की शक्यता रिपोर्टों की जांच कर लेने के पश्चात् ही इन नई परियोजनाओं में सोवियत सहयोग की गुंजाइश और अन्य अपेक्षित ब्यौरों का पता चल सकेगा।

परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की उपलब्धियां

2904. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत बिजली, दवाई और कृषि क्षेत्रों की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपरोक्त क्षेत्रों के लिये छठी योजना में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) राजस्थान की सैक्टर-वार अब तक की क्या उपलब्धियां हैं तथा छठी योजना में किन उपलब्धियों के बारे में विचार किया गया है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मंत्रालय के गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) तथा (ख) निर्माणाधीन परमाणु बिजलीघरों की स्थापित क्षमता 1410 मेगावाट होगी। आशा है कि चालू परमाणु बिजलीघरों की वर्तमान स्थापित क्षमता छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक 860 मेगावाट से बढ़कर 1330 मेगावाट हो जाएगी। इसके अलावा, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1410 मेगावाट की क्षमता वाले और बिजलीघर लगाने का काम शुरू कर दिया जायेगा। आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में, परमाणु ऊर्जा का उपयोग कुछ रोगों के निदान और उपचार के लिए तथा आयुर्विज्ञान सम्बन्धी उत्पादों को रोगाणुरहित बनाने के लिए किया जा रहा है। कृषि के क्षेत्र में, इसका उपयोग बीजों की अधिक फसल देने वाली किस्में तैयार करने के लिए किया जा रहा है।

छठी पंचवर्षीय योजना में बिजली और अनुसन्धान तथा विकास के क्षेत्रों के लिए लगभग 700.00 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया है, जिसमें आयुर्विज्ञान और कृषि के लिए किया गया प्रावधान भी शामिल है।

(ग) राजस्थान परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट दिसम्बर, 1973 में और दूसरा अप्रैल, 1981 में चालू हुआ था।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान की कोयला विंग का पुनर्गठन

2905. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान की कोयला विंग का एक स्वतन्त्र निदेशालय में पुनर्गठित करने हेतु निर्णय लिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उससे क्या लाभ होने की संभावना है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

उड़ीसा के लिए ग्रामीण विद्युत्, डाकघर, स्वास्थ्य रक्षा आदि के बारे में योजना

2906. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों तक विद्युत् डाकघर, स्वास्थ्य रक्षा, शिक्षा आदि का विस्तार करने के बारे में सरकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या हाल में आई बाढ़ को ध्यान में रखते हुए इस राज्य के लिए कुछ अतिरिक्त धनराशि मंजूर की गई है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) उड़ीसा की छठी योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण, प्रारम्भिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए रखे गए परिव्यय क्रमश: 74.70 करोड़ रु०, 26 करोड़ रु० 2 करोड़ रु० और 16 करोड़ रु० हैं । छठी योजना की अवधि में उनके लिए रखे गए वास्तविक लक्ष्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं । खोले गए नए डाकघरों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

वर्ष	डाकघरों की संख्या
1980-81 और	
1981-82 (उपलब्धि)	206
1982-83 (लक्ष्य)	40

(ख) उड़ीसा में बाढ़ के सम्बन्ध में केन्द्रीय दल की रिपोर्ट और सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

विवरण

कार्यक्रम	इकाई	छठी योजना — 1980-85—लक्ष्य
ग्रामीण विद्युतीकरण		
(क) बिजली पहुंचाए जाने वाले गांव	संख्या	13179
(ख) बिजली चालित किए जाने वाले पंप सेट	संख्या	90032
प्रारम्भिक शिक्षा*		
(क) कक्षा 1—5 में नामांकन*	हजार	478*
(ख) कक्षा 6—8 में नामांकन*	हजार	235*
(ग) प्रारम्भिक स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा की कक्षाओं में आने वाले	हजार	340*
ग्रामीण स्वास्थ्य		
(न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत समाविष्ट)**		
(क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	20
(ख) उप केन्द्र	,,	2000
(ग) सहायक स्वास्थ्य केन्द्र	,,	50
(घ) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि	,,	5

* ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त नामांकन के ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। प्रारम्भिक और प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में छठी योजना में ग्रामीण क्षेत्रों पर मुख्य रूप से जोर दिया जाएगा।

** राज्य क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की देखभाल की सुविधाओं को बढ़ाना है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा विश्व-विद्यालय का नाम बदलकर डा० अम्बेडकर के नाम पर रखने से लोगों में भी काफी उत्तेजना है। देश में डा० अम्बेडकर सम्मानीय है···(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह सज्जन जो कह रहे हैं वह कार्यवाही में शामिल नहीं होगा। क्या आपने मेरी अनुमति ली थी ? मैं अनुमति नहीं देता···

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : क्या आपने विशेषाधिकार की सूचना पर निर्णय ले लिया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह विशेषाधिकार का मामला नहीं बनता।

एक माननीय सदस्य : यदि किसी सदस्य पर हमला किया जाता है तो क्या आप उसे सभा में वक्तव्य नहीं देने देंगे।

अध्यक्ष महोदय : वह ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब मैं संतुष्ट हो जाऊं तभी वक्तव्य दे सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उन पर पुलिस ने हमला किया है।

अध्यक्ष महोदय : पुलिस द्वारा नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : पुलिस से सांठ-गांठ के साथ···

अध्यक्ष महोदय : वह कह सकते हैं। मैं संतुष्ट नहीं।

अध्यक्ष महोदय : वह मेरे पास आ सकते हैं। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही में शामिल नहीं होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सब कार्यवाही में शामिल नहीं होगा। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं अनुमति दे सकता। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री हाल्दर आप बैठकर मत बोलिए।

मेरे लिये तो यहां सभी बराबर हैं। दूसरी बात यह है जो कि हम करते रहे हैं कि जब भी मैं किसी मेम्बर को अलाऊ करता हूं तो विधि और नियम के अनुसार करता हूं। आप अगर इस तरीके से पढ़ना शुरू कर दें तो इस तरह से अलाऊ थोड़े ही किया जाता है।

श्री रत्नसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : महोदय उन्होंने सूचना दी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। प्रोफेसर आप क्यों नाराज होते रहते हैं ?

**कार्यवाही वृतान्त में समिलित नहीं किया गया।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं नाराज नहीं हूं, मैं खुश हूं कि आप जस्टिश करने के लिए तैयार हैं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : दो-तीन दिन से विरोधी दल के प्रति आपका स्टीच्यूट ठीक नहीं है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइये। जब मैं बोल रहा हूं। आप बैठिये (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप नेता हैं। इस तरह से आरोप न लगाएं, श्री पासवान।

श्री राम विलास पासवान : मैं आरोप नहीं लगाता। लेकिन आप सदस्य की बात सुनें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे चिन्ता नहीं कि कौन क्या है। मेरे लिए सभी सदस्य बराबर हैं। बस। मैं अनुमति नहीं दे सकता। सभी के लिए मेरे नियम समान हैं। मैं उन्हीं नियमों का पालन करता हूं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : फिर आप खड़े हो कर बोलते हैं। जब मैं बोल रहा हूं तो आप कृपया बैठ जायें।

एक बात मैं आपको बार बार कहता हूं कि अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप मुझे समझा सकते हैं, मैं समझ सकता हूं। मैं अपनी गलती भी मान सकता हूं। यह बात सौ दफा मैंने आप से कही है। इस तरह से कर के आप व्यवधान करें, उलटा काम करें, कानून को तोड़ने और नियमों को तोड़ने की बात करें, उसमें मैं बिल्कुल भी भागीदार बनने वाला नहीं हूं। यह कितनी साधारण बात है। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, आप किस नियम के अन्तर्गत कहेंगे। क्या वे सूचना दें ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें नियम 377 के अन्तर्गत लाना चाहिये। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : या और जो प्रिसिडेन्ट होगा।

श्री हरिकेश बहादुर : सैकड़ों पुलिस वाले चुपचाप तमाशा देख रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : इससे क्या अन्तर पड़ता है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही में शामिल नहीं होगा। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता। यह कार्यवाही में शामिल नहीं··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है। जब आपकी बारी आयेगी तभी अनुमति दूंगा। श्री सोनकर आप मेरी अनुमति से बोल सकते हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं सुनता ।

देखिये जो ज्यादा शोर करते हैं, वे मेरे दिमाग में चढ़ जाते हैं । अगर आप ऐसे ही शोर करते रहेंगे तो मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा । आप मेरे से परमीशन लीजिए । जब आपकी टर्न आयेगी तो मैं आपको परमीशन दूंगा । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब वक्त आयेगा तब आप मेरे से बात करें । कितनी साधारण बात । आप तो हीरो बन रहे हैं । मैं अनुमति नहीं दूंगा । आप अपनी बारी आने पर बोलें । यह कोई तरीका नहीं है । वह अध्यक्ष को इस तरह नहीं धमका सकते । मैं इस तरह की चालबाजी के सामने कभी नहीं झुका हूं ।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : खड़े हुए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी टर्न आयेगी तब बोलिए, अभी बैठ जाइए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मोशन दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : श्री मैत्रा जी, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है ।

श्री सुनील मैत्रा : मुझे कम से कम स्पष्ट करने की अनुमति दीजिए । क्या मैं बोलूं नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं । क्योंकि मैंने आपके प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया है ।

श्री सुनील मैत्रा : मैंने उसे नियमों के अधीन दिया है । मैंने स्थगन प्रस्ताव की एक सूचना दी थी ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे नामंजूर कर दिया है । (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नामंजूर कर दिया है । अनुमति नहीं दी है । स्वीकृत नहीं किया है । (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : स्वीकृत नहीं किया । (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते तो हैं नहीं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात बताना चाहता हूं । आप तो राजधानी एक्सप्रेस की तरह चलते हैं, उसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता । आप कोई दूसरा मोशन दीजिए, कुछ और दे दीजिए मैं जरूर विचार करूंगा । (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैत्रा जी, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप जो कुछ कह रहे हैं, उसे कार्यवाही-वृतान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है । ऐसा करने से क्या फायदा है ? (व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री ई० बालानन्दन (मुकुन्दपुरम) : अध्यक्ष महोदय मैं आपकी बात समझता हूं। यह एक महत्वपूर्ण बात है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन इस तरह नहीं। वह दूसरा प्रस्ताव दे सकते हैं। (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : हम विचार करेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मैं इस मामले के बारे में एक निवेदन करना चाहता हूं। मुझे अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : किस मामले के बारे में ?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : इन माननीय सदस्य के मामले के बारे में।

अध्यक्ष महोदय : वह खुद ही बोलेंगे। वह अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : 1972 में, दुर्गापुर में पुलिस ने मुझे परेशान किया ; और इस सभा में अध्यक्ष महोदय ने मुझे नियम 222 के अधीन वक्तव्य देने की अनुमति दी।

अध्यक्ष महोदय : हम उस पर विचार करेंगे। मैंने अपने सदस्यों को ऐसी अनुमति दी है ; किन्तु कानून के अन्तर्गत, सीमाओं के भीतर तथा नियमों के अधीन।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैंने नोटिस दिया है। कल गृह राज्य मंत्री ने कहा कि शूट एट साइट के आर्डर्स नहीं हैं, लेकिन चंडीगढ़ से समाचार आता है कि शूट एट साइट के आर्डर्स हैं।

मंत्री ने दूसरे सदन में कहा है कि शूट-एट-साइट के आर्डर्स नहीं हैं। मंत्री जी यहां मौजूद हैं। वह बतायें, क्या बात है।

श्री बीजू पटनायक (केन्द्रपाड़ा) : क्या मंत्री जी यह बात बता नहीं सकते ?

अध्यक्ष महोदय : यह कोई यहां उठाने वाली बात नहीं है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कल क्लीयर हो गया है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप कोई और मोशन दीजिए, नोटिस दीजिए, मैं बता दूंगा।

(**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : मिनिस्टर कहते हैं कि नहीं है, चंडीगढ़ कहता है कि है, मिनिस्टर सही है या चंडीगढ़ सही ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा ना कि आप कोई मोशन दीजिए।

---

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राम विलास पासवान : स्थिति क्या है ? सच क्या है और झूठ क्या है ? या मंत्री जी सही हैं या चंडीगढ़ की खबर सही है ।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दे दीजिए, मैं करवा दूंगा ।

श्री राम विलास पासवान : हमने तो लिखकर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं देख लूंगा । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब आएगा तो सबको पता लग जाएगा । (व्यवधान)

श्री ए० के० राय (धनबाद) : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी ओर भी देखें ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रस्ताव दिया था, बिहार को अकालग्रस्त घोषित किया जाए···।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसको देख रहा हूं, स्थिति का पता करवा रहा हूं । मेरे पास है । यह मेरे विचाराधीन है । हां, ध्यानाकर्षण ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : आप मुझको सुन तो लें ।

अध्यक्ष महोदय : सुनूं क्या ? मैंने बता दिया है न कि मैं विचार कर रहा हूं । (व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : मैंने नियम 222 के अन्तर्गत श्री जयपाल सिंह···।

अध्यक्ष महोदय : वह मैं बता देता हूं । वह मेरे पास है । मैं इसे पढ़ देता हूं :

> "श्री मनीराम बागड़ी ने जयपाल सिंह, संसद् सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में जिला मजिस्ट्रेट, पटना द्वारा सूचना भेजने में कथित विलम्ब के बारे में विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी है ।
>
> श्री जगपाल सिंह की गिरफ्तारी के बारे में पटना के जिला मजिस्ट्रेट से दिनांक 12 अक्तूबर, 1982 का एक टेलीप्रिन्टर सन्देश 13 अक्तूबर, 1982 को प्राप्त हुआ था जिसकी उसी दिन सभा में घोषणा कर दी गई थी ।"

एक माननीय सदस्य : जयपाल सिंह कश्यप ।

अध्यक्ष महोदय : जयपाल सिंह । मेरे मित्र मुझसे गलती करवाना चाहते हैं । (व्यवधान)

> "गृह मंत्रालय ने मुझे सूचित किया है कि उसके पारेषण में किसी तरह विलम्ब हो गया । जिला मजिस्ट्रेट, पटना ने खेद व्यक्त किया है ।
>
> पटना के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा व्यक्त खेद को ध्यान में रखते हुए इस मामले को समाप्त समझा जाए ।"

श्री ए० के० राय : आप हमें भी बोलने की अनुमति दीजिए।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) आज के हिन्दुस्तान में यह हैडिंग छपा है।

"हाई सो लांग ट् रिजेक्ट ए लाइव अप्पू ?"

जीवित हाथी के बच्चे को ट्रेनिंग दी जा रही थी···(**व्यवधान**)

श्री कल्पनाथ सोनकर (बस्ती) : अध्यक्ष महोदय, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पुलिस मौजूद थी, एस० पी० मौजूद थे और उनके सामने कांग्रेस आई० यूथ कांग्रेस के लोगों ने मुझे मारा, मेरे कपड़े फाड़ दिए। मैंने पुलिस को कहा कि मुझे बचाओ···

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ? मेरी बात भी तो सुन लीजिए।

श्री कल्पनाथ सोनकर : लेकिन फिर भी···

अध्यक्ष महोदय : कान तो आपके ठीक हैं या नहीं ? मैं जो कह रहा हूं उसको सुन तो लीजिए।

श्री कल्पनाथ सोनकर : मैं 377 के अन्तर्गत इस मामले को उठाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं बोलना चाह रहा हूं और आप सुन ही नहीं रहे हैं। यह क्या बात हुई ? मैंने सुबह इनको समझा दिया था। अब मैंने समझा दिया है इनको कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है। (**व्यवधान**)**

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (गढ़वाल) : हम आपकी चिन्ता समझते हैं। किन्तु माननीय सदस्य बहुत दुखी हैं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत दुखी क्यों हैं ? वह इस सभा के एक माननीय सदस्य हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैंने पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी है और उसे गृह मंत्रालय को भेज दिया है। सारा कुछ मैंने कर दिया है। अगर इनके खिलाफ ऐसी कोई बात हुई है और समाधान हो सकता है तो मुझे 377 में दे दें मैं देख लूंगा और होगा तो मैं करवा दूंगा। मेरे लिए हाउस में कोई कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखता है, कब कौन सी पार्टी में है या कब कौन सी पार्टी में जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुनने ही नहीं देते हैं। अननिसैसरिली हाउस को सिर पर उठा लिया है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों बोल रहे हैं ?

श्री ए० के० राय : मैं आपका ध्यान अपनी ओर खीच रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरा ध्यान खींचिए, लेकिन कान मत खींचिए।

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री ए० के० राय : हमारी समस्या यह है कि मेरे क्षेत्र धनबाद, छोटा नागपुर और संथाल परगाना में भूख से मौत तथा सूखे की भयानक स्थिति के कारण हजारों जनजातियों के लोग अपने घर छोड़कर जा रहे हैं। मैंने एक ध्यानाकर्षण की सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : चार घंटे बहस के बजाय बारह घंटे बहस करवाई थी।

श्री घनिक लाल मंडल (झंझारपुर) : यह भूख से मौत का सवाल है। आदिवासियों की भूख से मौत का सवाल है। मनुष्य के जीवन से सम्बन्ध रखने वाला यह मामला है। इस पर हमने कालिंग एटेंशन दिया है, एडजर्नमेंट मोशन दिया है, 193 के अन्तर्गत नोटिस दिया है।

श्री राम विलास पासवान : मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। परसों डिप्टी स्पीकर साहब ने रूलिंग दिया था कि बिहार में संथाल परगना में हुई मौतों के सम्बन्ध में कालिंग एटेंशन एक्टिव कांसिडनेशन में है। कल आपने इसको रूल आउट कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि यह अण्डर कांसिडनेशन है या नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : इत्तिला इकट्ठी कर रहे हैं।

श्री रामविलास पासवान : आप 5 नवम्बर के बाद स्वीकार देंगे।

अध्यक्ष महोदय : बारह घंटे तो बहस करवा दी है। मैं जानकारी एकत्रित कर रहा हूं। तब मैं निर्णय लूंगा।

श्री मनीराम बागड़ी : मुख्य मंत्री ने एलान किया है कि भूख···

अध्यक्ष महोदय : मैं किसान का बेटा हूं। भूख क्या है, सूखा क्या है, मैं जानता हूं।

श्री मनी राम बागड़ी : अगर फैमिन एरिया डिक्लेयर कर दें तो सरकार की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है।···

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य को अनुमति नहीं दी है। (व्यवधान)*

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

पेट्रोलियम (दूसरा संशोधन) नियम, 1982, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचना और स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के मुख्य लक्ष्यों की प्रति

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 29 की उपधारा (4) के अन्तर्गत पेट्रोलियम (दूसरा संशोधन) नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

7 अगस्त, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 660 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए, संख्या एल० टी० 5530/82]

(2) उद्योग (विकास तथा निनियम) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 659(अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 10 सितम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो मैसर्स अमृतसर आइरन वर्क्स, अमृतसर, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(3) उद्योग (विकास तथा विनियमन), अधिनियम 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अतर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 665(अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 14 सितम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो मैसर्स बंगाल पौटरीज लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(4) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 674 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 17 सितम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो मैसर्स इण्डियन रबड़ मैनुफैक्चर्स लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5531/82]

(5) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के मुख्य लक्ष्यों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एस० टी० 5532/82]

साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 39 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलय) संशोधन योजना, 1982, जो 12 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 730 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) युनाइटिड इण्डिया फायर एन्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (विलय) संशोधन,

योजना 1982, जो 12 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 731(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, (विलय) संशोधन योजना, 1982, जो 12 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 732 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(चार) नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (विलय) संशोधन योजना, 1982, जो 12 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 733(अ) में प्रकाशित हुई थी। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं०-एल० टी० 5533/82]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 603(अ) से 610(अ) तक की एक-एक प्रति, जो 11 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो मानव निर्मित कपड़े को, उस पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क से पूर्ण छूट देने के बारे में है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5534/82]

दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत अधिसूचना, अण्डमान और निकोबार के प्रशासन के वर्ष 1980-81 के वार्षिक सामान्य प्रशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन और अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) संशोधन नियम, 1982

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एफ० 5/132/81-होम (पी)/एस्टेब० की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 20 अगस्त, 1982 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 27 जुलाई, 1982 की अधिसूचना संख्या एफ० 5/182/81-होम(पी)/एस्टेब० का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5535/82]

(2) अण्डमान और निकोबार प्रशासन के वर्ष 1080-81 के वार्षिक सामान्य प्रशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 5536/82]

(3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) संशोधन नियम, 1982 की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 8 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 591(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5537/82]

———

राज्य सभा से संदेश

सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश मिला है कि राज्य सभा, 19 अक्तूबर, 1982 को अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 12 अक्तूबर, 1982 को पारित अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा बैंक (संशोधन) विधेयक, 1982 से, बिना किसी संशोधन के, सहमत हो गई है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसार, मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश मिला है कि राज्य सभा, 19 अक्तूबर, 1982 को अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 16 अक्तूबर, 1982 को पारित चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 1982 से, बिना किसी संशोधन के, सहमत हो गई है।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसार, मुझे लोक सभा द्वारा 16 अक्तूबर, 1982 को पारित और राज्य सभा को उसकी सिफारिश के लिए भेजे गए चीनी उपकर (संशोधन) विधेयक, 1982 को लौटाने और यह बताने का निदेश मिला है कि इस सभा को उक्त विधेयक के सम्बन्ध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

———

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : इस पर विदेश मंत्री का वक्तव्य होना चाहिए·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उसको छोड़िये। गन्तव्य स्थान पर पहुंचो। अपने ध्यानाकर्षण पर आइए।

श्री हरिकेश बहादुर : लेकिन विदेश मंत्री का इस पर व्यक्तव्य होना चाहिए क्योंकि भारत का गलत नक्शा वहां पर पेश किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आज देरी हो रही है। आरम्भ कीजिए।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या आपने उन्हें खेलकूद पर ध्यान आकर्षित करने की अनुमति देदी है ?

अध्यक्ष महोदय : वह आप कह सकते हैं।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : अध्यक्ष जी, मेरी बात तो सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : अब नहीं सुनूंगा। अनुमति नहीं है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैंने एक कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है न्यूयार्क के भारतीय कान्सुलेट में श्री लक्ष्मणन भाने और दया शंकर के साथ दुर्व्यवहार इसलिए हुआ क्योंकि वे लेखक दलित हैं।

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं है। अनुमति नहीं है।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के तटवर्ती भागों में आया समुद्री तूफान

श्री हरिकेश बहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

> "उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के तटवर्ती भागों में आये हाल के समुद्री तूफान के कारण जनजीवन, सम्पत्ति और फसलों को भारी हानि होने के समाचार तथा इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 15 अक्तूबर, 1982 को प्रातः 8-30 बजे कलिंगपत्तनम से लगभग 550 कि० मीटर दक्षिण/पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का दबाव केन्द्रित हुआ था। उसी रात में यह दबाव और अधिक तेज हो गया। 16 अक्तूबर, 1982 की सुबह यह प्रक्रिया तीव्रतर होकर भयंकर समुद्री तूफान में बदल गयी, जो काकीनाड़ा के दक्षिण-पूर्व में लगभग 120 किलोमीटर पर केन्द्रित हुआ। यह उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ा तथा 16/17 अक्तूबर, 1982 की आधी रात के बाद काकीनाड़ा के समीप आंध्र प्रदेश के समुद्री

तट को पार कर गया। तथापि, यह तेजी से कमजोर पड़ गया और समुद्री तट को पार करने के बाद प्रभावहीन हो गया।

2. आंध्र प्रदेश के समुद्री तट के क्षेत्र में तीव्र दबाव बनने तथा उसके साथ प्रतिकूल मौसम की जानकारी के बारे में प्रारम्भिक सूचना 15 अक्तूबर, 1982 की सायं आकाशवाणी को भेज दी गई थी जिसे प्रसारित कर दिया गया था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भी आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव तथा पत्तन प्राधिकरण के सरकारी कर्मचारियों, तथा मात्स्यकी अधिकारियों को चेतावनी दे दी थी। तत्पश्चात् 16 तारीख की सुबह से समुद्री तूफान के बारे में चेतावनी के बुलेटिन आकाशवाणी को नियमित रूप से भेजे जाते रहे और 17 अक्तूबर, 1982 की सुबह संकट दूर होने के बुलेटिन के जारी करने के बाद बन्द कर दिया गया था। आंध्र प्रदेश के समुद्र तट के विशिष्ठ क्षेत्रों में खराब मौसम होने के बारे में आकाशवाणी से नियमित विशेष समुद्री तूफान की चेतावनी के जरिए पूर्व सूचना दे दी गई थी।

3. आंध्र प्रदेश सरकार के अनुसार 17 अक्तूबर को विशाखापत्तनम जिले में समुद्री तूफान के कारण भारी वर्षा हुई जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र में पानी भर गया और सड़कों आदि को नुकसान पहुंचा। मकानों के ढह जाने से विशाखापत्तनम में अब तक पांच व्यक्तियों के मारे जाने की सूचना मिली है। सार्वजनिक एवं जन सम्पत्ति तथा फसलों को हुए नुकसान के बारे में मूल्यांकन किया जा रहा है।

4. राहत कार्य तत्काल शुरू कर दिया गया था और राज्य सरकार ने तत्काल निःशुल्क राहत और लोगों के लिए आहार की व्यवस्था कर दी थी।

5. 18 अक्तूबर को पुनः आंध्र प्रदेश सरकार को मौसम विज्ञान विभाग से एक संदेश मिला कि मद्रास के दक्षिण-पूर्व लगभग 125 किलोमीटर की और एक भारी समुद्री तूफान केन्द्रित है जिसके 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की तूफानी लहरों और झंझावात की गति के साथ उसी दिन मध्य रात्रि अथवा रात तक मद्रास और नेल्लोर के बीच आगे बढ़ने की सम्भावना है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्य सचिवों तथा अधिकारियों, पत्तन प्राधिकारियों, मात्स्यकी अधिकारियों आदि को पुनः आवश्यक चेतावनी दे दी गई थी। यह तूफान 18 अक्तूबर की मध्य रात्रि में श्रीहरिकोटा के निकट आंध्र के तट पर पहुंचा जिससे नेल्लौर और प्रकासम जिलों के गुडूर, नैयडुपेट, सूलूरपेट, नेल्लोर, कोबुर, इन्दुकुरपेट के तटीय तालुक प्रभावित हुए और गुन्टूर, कृष्णा, कुडापा और चित्तूर जिलों में भारी वर्षा हुई। कुछ अन्य जिलों में भी वर्षा हुई। नेल्लोर जिले में दस व्यक्तियों के मारे जाने की सूचना मिली है। क्षतिग्रस्त हुए मकानों के लिए 250 रुपये की अनुग्रह राशि दी जा रही है तथा 20 किलोग्राम चावल उन्हें दिए जा रहे हैं जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है।

6. इससे समुद्री तूफान ने जब श्रीहरिकोटा, में आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र को पार किया और तमिलनाडु के मद्रास शहर और चिंगलेपेट जिले में तूफानी हवा चली तथा वर्षा हुई मद्रास शहर में उन निचले क्षेत्रों से, जहां कुछ झोंपड़ियों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है, 400 लोगों को हटाना पड़ा। राज्य सरकार से किसी व्यक्ति के मारे जाने की कोई सूचना नहीं मिली है।

तथापि कुछ पशुओं की हानि हुई है तथा चिंगलेपेट जिले में अनेक नौकाएं और केटामरान के गुम होने की सूचना मिली है। मद्रास—विजयवाड़ा राजमार्ग पर कुछ वृक्ष उखड़ गए तथा लगभग 6 घण्टे तक यातायात बन्द पड़ा रहा जिसे अब ठीक कर दिया गया है। चिंगलेपेट जिले के कलक्टर द्वारा क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है।

7-8. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उड़ीसा का कोई भी भाग समुद्री तूफान से प्रभावित नहीं हुआ है। प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए तत्काल व्यय की पूर्ति हेतु आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पास क्रमश: 8.58 करोड़ रुपये तथा 8.59 करोड़ रुपये की सीमान्त धनराशि उपलब्ध है।

9. मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि यदि राज्य सरकार अपनी मार्जिन धन राशि से स्थिति का सामना न कर सके तो भारत सरकार राज्य सरकारों की हर संभव सहायता करेगी।

श्री हरिकेश बहादुर : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में प्राय: तूफान की स्थिति पैदा होती रहती है। वैसे तो पूरे देश में कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं अकाल और कहीं तूफान की स्थिति बनती रहती है, लेकिन खासतौर से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तूफान प्राय: आता रहता है और यह एक ऐसी प्रक्रिया बन गई है जो निरन्तर चलती रहती है। वास्तव में यह एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें हमारा नियन्त्रण भी नहीं हो सकता, लेकिन पूर्व सूचना के आधार पर हम लोगों को बचाने के लिए काफी कुछ काम कर सकते हैं।

इन्सैट-1 जब आकाश में फेंका गया था, उस समय उससे यह उम्मीद थी कि उसके जरिए तूफान के बारे में और मौसम की अन्य तमाम जानकारियां हमें मिलेंगी, लेकिन यह अपने आप में एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इन्सैट-1 असफल हो गया और जो सूचनाएं उससे हमें मिल सकती थीं, वह नहीं मिल पा रही हैं। इसलिए इस आपदा को नियंत्रित करने के लिए हमें जितनी पूर्व-सूचना मिल सकती थी, वह मिलने में कठिनाई हो रही है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि विदेशी सरकारों ने जो तमाम इस प्रकार के सैटलाइट आकाश में छोड़े हुए हैं, क्या उनके जरिए वह ऐसी सूचनाएं एकत्रित करने का प्रयास करते हैं जिससे मालूम हो सके कि इस प्रकार की आपदा आने वाली है और उसके आधार पर पहले से व्यापक तैयारी की जा सके ?

क्या मंत्री महोदय यह जवाब देने की कृपा करेंगे कि विदेशी उपग्रहों से यदि कोई जानकारी प्राप्त होती है तो वह कितने दिन पहले हो जाती है ? क्या सरकार उनसे कोई जानकारी लेने की कोशिश करती है या नहीं ?

जहां तक इस तूफान की तीव्रता का सवाल है, इसकी जानकारी ठीक से नहीं हो पाती कि यह कितनी तीव्र गति से आएगा और वायु की गति कितनी तेज रहेगी ? मैं जानना चाहूंगा कि तीव्रता की जानकारी करने के लिए क्या कोई अनुसंधान इस दिशा में चल रहा है ? हमारा जो

सिस्टम है जिसके जरिए हम जानकारी करते हैं, उसको और भी अधिक समुन्नत बनाया जा सके और अधिक जानकारी उससे ली जा सके, इसके बारे में क्या किया जा रहा है ?

हमारे जो साइक्लोन वार्निंग राडार लगाए गए हैं, वह किस हद तक जानकारी देते हैं ? आज यह कहा जाता है कि राडार 400 किलोमीटर तक की दूरी से आने वाले तूफान की जानकारी दे सकता है । इससे हमें 24 घंटे पूर्व सूचना मिल सकती है । जो भी हमारे वार्निंग राडार है, उनकी कार्यक्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए क्या कोई अनुसंधान कार्य हो रहा है ? क्या इससे भी वेहतर किस्म के राडार लगाने की कोई योजना है और उसे आप क्रियान्वित करना चाहते हैं ? क्या आपने विदेशी सरकार से कोई वार्ता इस सम्बन्ध में की है, जिससे वैज्ञानिक सहायता मिल सके ?

अभी जो तूफान आया है इससे जन-धन की भारी क्षति हुई है । माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि 5 व्यक्ति मरे हैं ।

श्री बालेश्वर राम : 5 और 10 कहा है ।

श्री हरिकेश बहादुर : अखबारों में जो सूचनाएं हैं, उसमें इससे ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है । आपने कहा है कि इसका और एसेस्मैंट करने वाले हैं, तब आपको इसकी सूचना मिलेगी ।

हजारों लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जन-धन की भारी क्षति हुई है और जब भी तूफान आता है तो इस प्रकार की दुर्घनाएं होती हैं जो अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो राहत कार्य किया जाता है, उसमें माननीय मंत्री महोदय को विशेष रूप से यह देखना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार न हो । राहत कार्य के बीच में भ्रष्टाचार होता है, यह हमेशा की प्रक्रिया बनी हुई है ।

मैं माननीय मंत्री महोदय को यह बताना चाहूंगा कि 19 नवम्बर, 1977 को जो आंध्रप्रदेश में तूफान आया था वह बहुत भीषण था, उसमें हजारों की संख्या में लोग मरे और उस समय भी राहत कार्य के लिये जो सामग्री दी गई थी, उसको बहुत से लोगों ने, जिनके हाथ में यह राहत देने का कार्य था, उन्होंने उससे अपनी राहत का कार्य ज्यादा किया । यह बहुत ही दुखद स्थिति है, कि जब इतने भयंकर तूफान से लोग कष्ट में पड़े हों, उनके मकान गिरे हों, लोग बेघरबार हों तो ऐसी हालत में भी जो राहत के लिए सामग्री दी जाती है, उसमें भी लूट-खसोट होती है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से जानना चाहता हूं कि आप राहत के तौर पर कितना अनाज, कितना पैसा और कितनी दूसरी वस्तुएं जैसे कपड़ा वगैरह है, वहां पर भेज रहे हैं । साथ ही, वह सारी वस्तुएं वहां पर सही ढंग से वितरित हो सकें, इसके बारे में आप क्या कदम उठा रहे हैं ? राज्य सरकार को किस प्रकार के निदेश इस सम्बन्ध में दिए जा रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे समय एक बहुत बड़ी समस्या पुनर्वास की होती है । क्योंकि जब मकान गिर जाते हैं, तो जिन लोगों के मकान गिरते हैं उनको मकान बनाने में सहायता देना आवश्यक हो जाता है । यहां पर मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि प्रति व्यक्ति 250 रुपये मकान बनाने के लिए सहायता के रूप में दिए जाएंगे । आप बताइये जिसका मकान गिरा है, वह 250 रुपये से क्या कर लेगा ? क्या वह 250 रुपये से अपना मकान बना पायेगा ? सभी लोग जानते हैं कि इतने

पैसे से कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि जैसे आप एक तरफ भारत में फाइव स्टार होटल्स बनाने पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, वहां पर आपको गरीब लोगों को सुविधा पहुंचाने के बारे में भी देखना होगा। मृतकों के परिवारों को जो सहायता राशि दी गई है, वह भी बहुत कम है, नाकाफी है। मेरी सरकार से मांग है कि प्रत्येक मृतक परिवार को 10 हजार रुपये तथा जिन लोगों के मकान गिर गए हैं, उनको कम से कम एक हजार रुपये दिए जाएं। क्योंकि 250 रुपये में कुछ नहीं होगा, वह नाकाफी हैं। वैसे तो एक हजार रु० भी बहुत कम हैं, फिर भी वह 250 का तो चार गुना राशि है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इतनी सहायता आप तत्काल वहां पर दें। इसके अतिरिक्त घर बनाने के लिए बगैर ब्याज के ऋण लोगों को दिए जाएं, जिन पर किसी तरह का ब्याज न लिया जाए। आप ऐसे नियम बना सकते हैं, तरीका सोच सकते हैं कि बिना सूद के लोगों को ऋण दिए जाएं, जिसको वे कालांतर में वापस कर देंगे। मैं चाहता हूं कि : माननीय मंत्री जी मेरे इस प्रस्ताव पर विचार करें। सहायता देने के तरीके को आसान करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय मंत्री मण्डल की एक समिति बनने वाली थी, जब भी कभी देश में इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आयें, जैसे बाढ़, सूखा या तूफान आ जाता है। हो सकता है कि तूफान के समय ऐसी समिति बनाई गई हो, मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात का स्पष्टीकरण करें कि मंत्री मण्डलीय स्तर पर जो समिति बनाने की चर्चा हुई थी, जिसमें माननीय कृषि मंत्री, वित्त मंत्री और योजना मंत्री उसके सदस्य थे ताकि प्रभावित राज्यों को समय पर आसानी से सहायता दी जा सके, अनुदान की राशि दी जाए, उसको जल्दी निश्चित किया जाए, उस समिति के बारे में क्या हुआ ? यदि वे उस समिति के बारे में स्थिति स्पष्ट कर सकें तो अच्छा रहेगा। वह समिति अब तक बनी या नहीं ? यदि कोई समिति बनी है तो वह इस दिशा में क्या कर रही है। इस मामले में वह क्या कर रही है ?

मेरा एक प्रश्न यह भी है कि जितनी जन धन की हानि हुई है, क्या उसकी जांच के लिए भारत सरकार कोई सैन्ट्रल टीम वहां भेजने वाली है ? मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे प्वाइंट को नोट कर लें और स्पष्ट करें कि क्या उनका विचार कोई सैन्ट्रल टीम भेजने का है ?

एक माननीय सदस्य : उस टीम में कौन-कौन से माननीय सदस्य होंगे, इसको भी स्पष्ट करें।

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री (राव बीरेद्र सिंह) : हम लोग चार कानों से सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, आप कहिए.....

श्री हरिकेश बहादुर : तमिलनाडु में पिछले 80 वर्षों में 34 बार तूफान आये हैं। तमिलनाडु में यह काम बहुत अच्छा हुआ है कि वहां कुछ सुरक्षा गृहों का निर्माण कर लिया गया है, कुछ प्रोटेक्सन सैन्टर्स बनाए गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह के सुरक्षा गृह तमिलनाडु में बनाए गये हैं, क्या सरकार दूसरे राज्यों को भी वैसे ही सुरक्षा गृह बनाने के लिए पैसा देगी ताकि समुन्द्र के किनारे जो लोग रहते हैं, वे तूफान की विभीषिका से बच सकें। उन लोगों को जब भी तूफान की आशंका हो, वे अपने परिवार को उन सुरक्षा गृहों में स्थानांतरित कर लें। अन्य राज्यों में सुरक्षा गृह बनाने की दिशा में सरकार का क्या विचार है ? क्या उसके लिए

राज्य सरकारों को अनुदान दिया जाएगा ताकि लोगों को समय पर सहायता देकर बचाया जा सके ? मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस विषय पर भी प्रकाश डालने का कष्ट करें।

मान्यवर, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक एमर्जेंसी रिलीफ आर्गेनाईजेशन स्कीम बना रखी है। सन् 1963 के साइक्लोन के बाद यह बनी है। पब्लिकेशन डिवीजन की ओर से एक पुस्तिका गवर्नमेंट ने निकाली है—"हाऊ टू गार्ड अगेन्स्ट दैम"।

यह पब्लिकेशन्ज डिविजन, गवर्नमेंट आफ इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तिका है। इसमें पेज 32 पर कहा गया है :—

> "प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप होने वाली इसर्जेंसी के लिए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इमर्जेंसी रिलीफ आर्गनाइजेशन स्कीम बनाई है।"

यह जो इमर्जेंसी रिलीफ आर्गनाइजेशन स्कीम है, क्या वह अब भी चलती है ; अगर हां, तो इसके तहत क्या कार्यवाही हो रही है ? जब कभी तूफान या किसी अन्य दुर्घटना की सूचना मिलती है, तो इस स्कीम के तहत सरकारी मशीनरी तुरन्त काम में लगाई जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि जब यह सूचना मिली कि तूफान आने वाला है, तो इस योजना के अन्तर्गत जो संगठन बना हुआ है, क्या उसने कोई काम शुरू किया।

जब साइक्लोन या तूफान खत्म हो जाते हैं, तो महामारियों का भीषण प्रकोप होता है।

महोदय, तमिलनाडु का कृषि मंत्रालय इन समस्याओं की ओर उचित ध्यान नहीं दे रहा है। वह अभी बात कर रहे हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : वह समस्या को भली-भान्ति समझते हैं। वह जानते हैं कि जो आप कह रहे हैं ठीक नहीं है।

श्री हरिकेश बहादुर : तूफान के समाप्त होने के बाद जो महामारी आती है, क्या उसके बारे में सरकार कोई प्रबन्ध करने जा रही है, ताकि लोगों को महामारी तथा इस प्रकार की अन्य विपत्ति से बचाया जा सके ? स्वास्थ्य मंत्रालय से सम्बन्धित बातों के बारे में भी मैं जानकारी चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि इन विपदाओं को प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित करने के लिए और लोगों को राहत देने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं। साथ ही सुरक्षा-गृह बनाने के बारे में सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, ताकि जब कभी तूफान आने की आशंका हो, तो लोगों को घरों से निकाल कर सुरक्षा-गृहों में रखा जाए। यह मेरी मांग भी है और मैं इस बारे में जानकारी भी चाहता हूं।

श्री बालेश्वर राम : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने काफी व्यापक प्रश्न पूछा है। हम सब इससे सहमत हैं कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है और एक राष्ट्रीय विपदा है। हमारी कोशिश तो यह जरूर होती है कि हम प्राकृतिक प्रकोप पर काबू पा सकें, लेकिन फिर भी प्राकृतिक प्रकोप से लड़ना जरा इतना आसान नहीं है।

हमारे यहां उपग्रह बन रहे हैं। माननीय सदस्य ने इनसैट की चर्चा की है। इस बारे में जो हुआ है, वह दुर्भाग्य की बात है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक उपग्रह बनाने के काम में दिन-रात लगे हुए हैं। दूसरे देशों के उपग्रहों से भी हम फायदा उठाते हैं, लेकिन ऐसा कोई सिलसिला नहीं है कि हम बाकायदा उनसे मदद लेते रहें। हमारी कोशिश है कि हम उपग्रह बनायें।

श्री हरिकेश बहादुर : क्या अब की बार उससे सूचना मिली थी ?

श्री बालेश्वर राम : मीट्रियालोजिकल डिपार्टमेंट ने खुद ही सूचना ली और वक्त पर सब को सूचना दे दी। वारनिंग रैडार कलकत्ता, पारादीप, विशाखापत्तनम मद्रास और कारैकाल में है स्थानीय रेडियो केन्द्र मद्रास विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा में हैं। उन्होंने आध-आध घंटे पर वारनिंगज रिले कीं। वहां के चीफ सेक्रेटरीज और गवर्नमेंट के दूसरे उच्च अधिकारियों को भी यह सारी खबर दी गई कि तूफान आने वाला है।

श्री हरिकेश बहादुर : रैडार की एफिशेंशी को बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री बालेश्वर राम : आपने जो सजेस्शन दिया है, हमने उसे नोट किया है। हम उसको जरूर बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं।

दूसरी बात आपने रिलीफ पहुंचाने के सम्बन्ध में कही है। 250 रुपये जो मैंने कहे हैं, वह एक्स-ग्रेशिया कहा है। फिर स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपना रिलीफ का काम तुरन्त शुरू किया है। जब भी कोई विपदा आती है तो स्टेट गवर्नमेंट्स अपने ढंग से रिलीफ का काम करती हैं। आपने जो सजेशन्स दिए हैं, उनको भी हम ध्यान में रखेंगे। अभी राज्य सरकारें मार्जिन-मनी को खर्च करने के लिए स्वतन्त्र हैं, जिस तरह से भी हो सके, वे राहत पहुंचायें ताकि लोगों को कम से कम परेशानी उठानी पड़े। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारें चाहें तो तुरन्त मदद कर सकती हैं और इसके लिए हमने कहा भी है कि रिलीफ-वर्क तुरन्त शुरू होना चाहिए और उन्होंने शुरू भी कर दिया है। आगे जब उनके बस की बात नहीं होगी तो वे हमसे मांग करेंगे और जैसा कि मैंने आश्वासन दिया है कि भारत सरकार पूरी कोशिश करेगी, जो भी इम्दाद दी जा सकती है वह पहुंचाई जायेगी।

आपने रिलीफ कार्यों में भ्रष्टाचार की भी चर्चा की है। मैंने नहीं कहा है कि कहीं भ्रष्टाचार नहीं होता है। होता होगा, यह इतना बड़ा देश है, कई कामों में कमजोरी होती होगी लेकिन हम जो सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं उनको भी देखना चाहिए कि ऐसे कामों में भ्रष्टाचार न होने पाए। हमें भी इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि स्थानीय प्रशासन को चुस्त रखा जाए ताकि भ्रष्टाचार न होने पाए।

जो साइक्लोन-प्रोन क्षेत्र है वहां पर शेल्टर बनाए गए हैं। आंध्र में भी बने हैं और तमिलनाडु में तो काफी बने हैं, वेस्ट-बंगाल में भी बने हैं और केरल में भी बने हैं। यह हो सकता है कि जितने शेल्टर्स की आवश्यकता हो उतने न बन सके हों। आप यह भी जानते हैं कि जैसा लोगों का स्वभाव होता है, यह मछुआरे जो हैं वह समुद्र के किनारे रहते हैं, मछली पकड़ने का

काम करते हैं इसलिए वे जल्दी वहां से हटना नहीं चाहते हैं। यह कठिनाई भी सामने आती है लेकिन कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा शेल्टर्स बनाए जायें। (व्यवधान)

अगर वहां टीम भेजने की जरूरत पड़ेगी तो वह भी भेजी जायेगी। अभी तो जो रिपोर्ट आई है वह मैंने सदन के सामने रख दी है। जो वहां पर नुकसान पहुंचा है उसका जायजा लिया जा रहा है। यहां पर हाई पावर कमेटी जिसमें एग्रीकल्चर, फाइनेन्स और प्लानिंग मिनिस्टर रहते हैं, वह बैठती है और समीक्षा करती है।

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : उन्होंने कौन सा रिलीफ कोड लगाया है ?

श्री बालेश्वर राम : यह तो स्टेट गवर्नमेंट्स डिसाइड करती है, इसकी उनको छूट है।

श्री डी० पी० यादव : सारा सिस्टम ही गलत है, कोई कोड नहीं है और न कोई प्रोसीजर है। राज्य सरकार के आफिसर्स जैसा चाहते हैं करते हैं।

श्री बालेश्वर राम : उनके पास जो मार्जिन मनी और खाद्यान्न है उससे अगर नहीं कर पायेंगे तो हमसे मदद चाहेंगे। यहां पर जो हायस्ट कमेटी है, जिसमें तीनों बड़े इम्पोर्टेन्ट मिनिस्टर्स बैठते हैं, वे समीक्षा करके फैसला लेंगे। 75 परसेन्ट तक गवर्नमेंट आफ इण्डिया देने के लिए तैयार रहती है। पहले जायजा लिया जायेगा उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे।

आपने यह बात भी कही कि स्टेट गवर्नमेंट्स को बिना सूद के ऋण की व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री हरिकेश बहादुर : अगर आप बैंक्स को डायरेक्ट कर दें तो वे कर सकती हैं।

श्री बालेश्वर राम : जैसा कि आप जानते हैं, बैंक्स एक कामर्शियल आर्गेनाईजेशन हैं, यह ठीक है उनको सामाजिक काम भी करने चाहिए लेकिन वे फ्री आफ इन्ट्रेस्ट लोन दे सकेंगी, ऐसा शायद सम्भव नहीं हो पायेगा। स्टेट गवर्नमेंट्स जो भी रिलीफ देना चाहें वह दे सकती है।

(व्यवधान)

कोटेश्वरन कमेटी में डी० डी० आई के लोग भी हैं। उसकी सिफारिश के मुताबिक आंध्र की गवर्नमेंट साइक्लोन की रोकथाम के लिए काम कर रही है। दूसरी समिति की जो आपने चर्चा की, उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

वहां से जो मांग आती है, उस पर यहां हाएस्ट लेबल पर विचार होता है। जिस अनुदान की आवश्यकता हम समझेंगे, उस पर हम विचार करने के लिए तैयार हैं।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : माननीय मंत्री जी ने आध्र प्रदेश, तमिलनाडु में तूफान के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया है, वह, मेरे ख्याल से जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, उससे कुछ अधिक नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि मंत्री जी के वक्तव्य को उनके अधिकारियों ने विशेष कोई जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किये बिना तैयार कर दिया है।

मान्यवर, जहां हम तूफान की बात करते हैं तो दो-तीन प्रश्न उभर कर सामने आते हैं।

एक तो यह कि क्या हमने पहले पूर्वानुमान लगाया था या पहले से कोई सूचना प्राप्त की थी ? उन सूचनाओं के प्राप्त होने के बाद हमने क्या कदम उठाये थे ? पिछली बार इन्सैट एक ए ने सूचना दी, मौसम केन्द्र ने दी, दिल्ली के केन्द्र ने दी, राडार ने दी और चित्र भी भेजे गये, सचिवों को सूचना भेजी गयी । एक जून को और तीन जून को समुद्री तूफान आता है ; सैंकड़ों लोगों के जीवन और लाखों रुपये की सम्पति की क्षति होती है । उस समय भी सरकार ने कह दिया कि हमने सूचना दे दी थी और आकाशवाणी ने भी कह दिया था । अब यह बात सामने आयी है कि 15 अक्टूबर को सूचना प्राप्त हो गयी, 16 और 17 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के क्षेत्र से तूफान गुजरता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि 15 अक्टूबर को सूचना प्राप्त होने के बाद जो क्षति हुई, उसको रोकने के लिए क्या कोई उपाय किये गए थे ? जैसे ही सरकार को सूचना मिली, उसके बाद सरकार ने तुरन्त क्या पग उठाये ? क्या वहां से लोगों को निकालने का प्रयास किया गया ? अगर किया गया तो क्या ? क्या यह बात भी उस समय तक अंधेरे में रह जाएगी जब तक कि कोई अनुमान लगेगा और सदन के सामने कोई बात आयेगी ? जब तक सदन के सामने कोई बात आयेगी तब तक बात पुरानी हो जाएगी ।

मान्यवर, 1910 से 1980 तक बंगाल की खाड़ी में 500 बार भीषण समुद्री तूफान आ चुके हैं और कई तो बड़े भयानक तूफान आये हैं । पिछली तीन जून को उड़ीसा में तूफान आया था । कहने का मतलब यह है कि इस तरह से तूफान आते रहते हैं और क्षति होती रहती है और आप कहते रहते हैं कि हमने यह राहत दे दी, वह राहत दे दी । सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या आपने इन्सैट एक ए के बाद से मौसम से सम्बन्धित दुनिया की जितनी भी एजेंसियां हैं उनसे सूचना प्राप्त करने के लिए कोई समझौता किया है ? पता नहीं, आपने किसी स्रोत से यह सूचना प्राप्त की या नहीं । अगर की है तो किस से और क्या ? मेरे विचार में आपको विदेशी एजेंसियों से जो सूचनाएं प्राप्त होंगी, वह पीस टाईम में तो आसानी से प्राप्त हो जाएंगी लेकिन बार के टाईम में स्थिति खराब हो सकती है । उसके लिए तो आपके प्रयास होने चाहिए । पता नहीं आप कर रहे हैं या नहीं, आप सोच रहें हैं या नहीं । लेकिन यह हो सकता है कि दूसरी एजेंसियों से बार टाईम में सूचनाएं रुक सकती हैं ।

मान लीजिए, आपने दुनिया के सारे मौसम विभागों से सूचनाएं प्राप्त कर लीं, और इस तरह से इस साल और अगले साल तूफान आते रहे तो ले मैन या साधारण व्यक्ति के दिमाग में तो यह बात रहेगी कि सूखा पड़ेगा, वर्षा होगी । क्या आपने इस बारे में कोई कारगर उपाय करने के बारे में सोचा है ?

एक प्रश्न यह है कि जैसे ही सूचना प्राप्त होती है, उसके लिए आपने राज्य सरकारों को कोई निर्देश दे रखे हैं ? अगर दे रखे हैं तो सरकारों ने उन पर अमल करने की कोशिश की है या नहीं ? अगर नहीं की है तो क्यों नहीं ?

मान्यवर, चार सौ झोंपड़ियां और चार सौ लोगों को वहां से हटाना पड़ा । पता नहीं आपने उन चार सौ लोगों को पहले से क्यों नहीं हटाया (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : दस हजार घर गिर गये ।

श्री राजेश कुमार सिंह : दस हजार घर गिर गये, पता नहीं वहां से लोगों को पहले हटाया गया या नहीं ? इसका जवाब मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में नहीं दिया, जो कि उन्हें देना चाहिए था। जहां भी इस प्रकार की स्थिति होती है, वहां पर राहत की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। उड़ीसा में भी जब 113 करोड़ की मांग थी तब 7 करोड़ दे दिया गया और कहा गया कि बाकी के लिए विचार कर रहे हैं। सभी जगह पर यही स्थिति होती है। इसलिए मेरा कहना है कि राहत की सही व्यवस्था होनी चाहिए।

जहां तक मौसम विज्ञान की बात है, हम काफी अरसे से विश्व मौसम विज्ञान संगठन, मोनेक्स के सदस्य हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मौसम विज्ञान के बारे में हमने क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं। आज आप कहते हैं कि मछुए वहां से जाना नहीं चाहते, क्योंकि उनका प्रोफेशन है, लेकिन यह बात नहीं है। असली बात यह है कि लोगों को शिक्षित नहीं किया गया है।

जब लोकदल के लोग एशियाड की बात करते हैं तो कहा जाता है कि ये खेल विरोधी हैं। लेकिन करोड़ों रुपया एशियाड पर खर्च करने वाली सरकार सिर्फ 25 करोड़ रुपया मौसम अनुसंधान पर व्यय करती है। जबकि एक दिन के आयोजन में सैकड़ों करोड़ रुपया बरबाद हो जाएगा। हम खेल विरोधी नहीं हैं, लेकिन मेरे खयाल से यह पैसे का सही इस्तेमाल नहीं है। अगर पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हुआ तो बात नहीं बनेगी। करोड़ों का नुकसान होता रहेगा, लाखों की जानें जाती रहेंगी।

मेरी मांग है कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से मानसून के बारे में एक महीना पहले भविष्यवाणी होनी चाहिए। मानसून की संभावित तिथियों का संकेत पहले ही मिल जाना चाहिए। जून से सितम्बर के मध्य तक 100 दिनों में कुल कितनी वर्षा होगी, इसकी भी भविष्यवाणी होनी चाहिए। उससे काफी फायदा होगा। चक्रवात की जानकारी भी मिलनी चाहिए। इससे ड्राउट और फ्लड दोनों समस्याएं जुड़ी हुई है। ये सारे बुनियादी मुद्दे हैं। अगर जानकारी पहले से प्राप्त हो जाएगी तो इन समस्याओं से निपटने में काफी आसानी होगी।

मदद के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जो ढाई सौ रुपया और 20 किलो अनाज प्रति परिवार दिया गया है, यह बहुत ही अपर्याप्त है। संयुक्त परिवार हैं, 20 किलो अनाज कितने दिन तक चल सकेगा। इसके लिए और कोई आप सहायता देने जा रहे हैं या नहीं ? मेरा निवेदन है कि ढाई सौ रुपए को बढ़ाकर इस समय कम से कम 5000 रुपये तो आप कर ही दीजिए और एक क्विंटल अनाज भी दीजिए, क्योंकि अनाज के अलावा और कोई चीज उन लोगों को उपलब्ध नहीं हो सकती। अनाज खाकर ही जीवित रहते हैं। फल नहीं खाते हैं। फूड फार वर्क प्रोग्राम भी आप चला सकते हैं।

मौसम विज्ञान के संबंध में जो उपलब्धियां हैं, उनका सही उपयोग हो और पूर्वानुमान मिलने पर कारगर कदम उठाए जाएं। हमने देखा है कि शेल्टर वगैरह वैसे ही पड़े हुए हैं। उनका सही रूप होना चाहिए।

केन्द्र सरकार की भी जिम्मेदारी इसमें है केन्द्र और राज्य सरकार दोनों इस समस्या के साथ जुड़े हुए हैं।

श्री बालेश्वर राम : माननीय उपाध्यक्ष जी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री केवल उन प्रश्नों का ही उत्तर देंगे जो यहां उठाए गए हैं। उन्हें उतना समय नहीं लेना चाहिए जितना माननीय सदस्य ने लिया है।

श्री राजेश कुमार सिंह : आज मैंने दक्षिण भारत के अखबारों में देखा है, तूफान की 6 जिलों में अब भी संभावना बनी हुई है। उसके लिए भी कोई कदम उठाया गया है या नहीं और क्या वहां के लोगों के लिए चेतावनी के साथ-साथ व्यवस्था भी की जा रही है क्योंकि फिर 6 जिले चले गए तो आप कहेंगे कि हमने आकाशवाणी से कह दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : समाचार पत्रों में भी यह समाचार छपा है।

श्री बालेश्वर राम : उपाध्यक्ष जी, मुझे अखबार की कोई जानकारी इस वक्त नहीं है। आप सूचना दे रहे हैं और मैं सूचना ले रहा हूं। स्टेट गवर्मेन्ट के डक्कन हेरल्ड में निकाला है, वह आन्ध्र प्रदेश से निकलता ही है, उनको पता होगा और तैयारियां उन्होंने कर रखी हैं।

जो प्रश्न इन्होंने उठाए हैं, आमतौर से सभी प्रश्नों का जवाब मैंने दे ही दिया है और जो हरिकेश बहादुर जी ने प्रश्न उठाए थे मिलते-जुलते सारे प्रश्न इनके वही हैं। जैसा मैंने कहा कि हमारे पास जो रेडार्स हैं, 15 तारीख को सूचना मिलते ही यहां से सारी खबर पहुंच गई और जो डिफरेन्ट रेडियो स्टेशन हैं, वार्निंग देते रहते हैं, वहां से, राज्य सरकार ने यह कोशिश की है कि कुछ लोगों को हटाया जाए जो एकदम तटवर्ती इलाके में पड़ते थे।

श्री राजेश कुमार सिंह : जब आपको सूचना प्राप्त हुई तो क्या लोगों को हटाने का प्रयास किया गया ?

श्री बालेश्वर राम : प्रयास किया गया कि वहां से लोगों को हटाया जाए। कुछ लोग हटे भी और कुछ सुरक्षित स्थानों पर भी गए। नेल्लोर, प्रकासम, गुन्टुर डिस्ट्रीक्ट वगैरह में काफी लोगों को हटाया गया। मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक इन जिलों के लोगों को वहां से हटाया गया। लेकिन फिर भी कुछ लोग रह गए, यह तो बहुत बड़ी घटना हुई। थोड़ा सा हम लोगों को राहत इस बात से है कि सरकार को भी जितना अधिक नुकसान होने की संभावना पहले व्यक्त की गई थी, उसमें जो तूफान की गति थी उसमें कमी रही। इस वजह से कुछ कम नुकसान हुआ, नहीं तो कुछ ज्यादा ही नुकसान पहुंचता और उसका कुछ फायदा भी हुआ है। जैसे-तमिलनाडु के कुछ जिले हैं वहां वर्षा भी हुई, जहां काफी सूखे की स्थिति थी वहां बारिश हुई, उससे फायदे भी हुए हैं और भारत सरकार हमेशा सतर्क रहती है।

पिछले साल जब उड़ीसा में साइक्लोन आया था, 56 करोड़ रुपये की मदद यहां से भारत सरकार ने पहुंचाई जैसा मैंने कहा, एक्स-ग्रेशिया पेमेन्ट भी किया गया। सरकार यह जरूर कहती है कि कोई भी आदमी भूख से नहीं मरेगा। 20 कि० ग्रा० अनाज भी दिया है। अगर जरूरत

पड़ेगी तो और भी देंगे, साल भर के लिए तो देते नहीं हैं, लेकिन जब तक रिलिफ का पीरियड रखते हैं और मापदण्ड राज्य सरकार निर्धारित करती है कि हमको रिलिफ ऑपरेशन अभी चलाना है उसने खुद रिलिफ का काम तेजी से शुरू भी किया है। जैसा मैंने कहा है, भारत सरकार उन्हें और भी मदद पहुंचाने की कोशिश करेगी। कुछ और सुझाव आपने और हरिकेश जी ने दिए हैं, हमने उनको नोट कर लिया है।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे यह रस्म पूरी करनी है इसलिए यह रस्म पूरी कर रहा हूं। गांधी का देश है। नाम गांधी का है जो राष्ट्रपिता थे, लंगोटी बांधते थे और उस राष्ट्रपिता को मनाने वाले कमलापति जी जैसे महान पुरुष यहां बैठे हैं। जिस देश में एक प्राणी के जीवन के वास्ते 2 करोड़ रुपया, गुल्ली-डंडे के खेल-कूद के लिए 25 करोड़ रुपया और तूफान के अन्दर मरने वाले, उजड़ने वाले लोगों के लिए 2 करोड़ रुपया, बीस सेर चावल मदद के लिए बोला था और जब यहां पर तूफान, बाढ़ और भूख का सवाल आता है तो ऐसे बोलते हैं जैसे गांधी बोलते हैं। गांधी की सन्तान वैसे ही बोलती है जैसे बड़े आदमी चर्चिल और लार्ड वेवल की बोली थी, ऐसा मालूम देता है। प्राणी प्राणी में कितना अन्तर किया जाता है इसको आप देखें। एक प्राणी के लिए तो दो करोड़ रुपया और दूसरी तरफ करोड़ों प्राणियों के लिए दो करोड़ रुपया। ठीक है डा० लोहिया आज देश में नहीं हैं और यह लोक सभा पन्द्रह आने के विचार से वंचित हो गई है। अब तो करोड़ों की बात चलेगी। राव साहब क्या कर सकते हैं? कोई भी मंत्री पूर्ण तो है ही नहीं। किसी मंत्री के पास कान है तो जीभ नहीं है और उसकी आंख कटी हुई। किसी का हाथ कटा हुआ है। किसी का दिमाग फटा हुआ है। टूटे फूटे शरीर के अंगों वाली यह सरकार है। कहीं कान पूरा है, कहीं आंख लेकिन शरीर पूरा नहीं है। कितने मरे हैं इसका भी पता नहीं है। इसका भी पता चलेगा जब विदेश से पता लगेगा। विदेश का कोई संगठन है, वह अगर इनको बताएगा तब इनको पता चलेगा कि इतने आदमी मरे हैं। अगर वह सो जाएं तो इनको पता ही नहीं चल सकेगा। राव साहब को ज्यादा दोष मैं नहीं देता हूं। उनके बस की यह बात नहीं है। राव साहब को जब तूफान आता है। तो जो सरकारी महकमे हैं, उनसे इत्तिला भी नहीं मिलती है। वह कृषि मंत्री हैं। उनमें इतनी शक्ति होनी चाहिये थी कि वह इत्तिला ले सकते। हाथ भी चलें, पांव भी चलें, कान भी चलें और आंख भी चलें तब काम बनता है। इनको साधन मिलें तभी तो यह बता सकते हैं। आज तो आकाशवाणी से पीपा बजा दिया जाता है। लेकिन जो साधन चाहियें वे उपलब्ध नहीं है। इनमें इतनी शक्ति नहीं है, इसको मैं मानता हूं, ताकत नहीं है इसको मैं मानता हूं। एशियाड में लठ चल रहे हैं। बालिन्दर सिंह को भी पता चल गया है। राव साहब भी जाते तो ये भी न बचते। अच्छा हुआ नहीं गए। भीष्म जी बैठे हैं। ये कर्म के भीष्म नहीं हैं, नाम के ही हैं। ये भी अब नहीं पाते। आगे जो—होने वाला है उसका यह द्योतक है।

राव साहब से मैं प्रार्थना करता हूं कि कुछ लम्बा वह सोचें। उनको चाहिए कि वह कलम लगाएं और कुछ करें। प्रदर्शनबाजी से काम चलने वाला नहीं है। शोषित वर्ग का वह सोचें, शोषण करने वालों के बारे में नहीं। करोड़ों लोगों का खून चूस कर एक ताज बना दिया गया जो अपने आप में एक अजूबा है। इस तरह का अजूबा वह भी कोई कर दिखाएं, ऐसा अजूबा बना

सकते हैं, तो बनाएं। ऐसा वह नहीं कर सकते हैं तो करोड़ों लोगों की जिन्दगियों को वह बचा नहीं सकेंगे। उनकी जिन्दगियों को बचाने के लिए यह जरूरी था कि क्लेम लगाई जाती। अकाल पर यहां बहस होती, उस पर चर्चा चलती तो सारे तथ्य आपके सामने आते। यह जो ब्यान उन्होंने दिया है इससे साफ मालूम पड़ता है कि दिमाग उनका नहीं है, खोपड़ी उनकी नहीं है। इसमें हैदराबाद का दिमाग लगा हुआ है। वह सड़ी हुई खोपड़ी है। आपस में वहां जूते चल रहे हैं। राज दरबार में रोना मचा हुआ है, तूफान में मरने वालों की कौन चिन्ता करेगा? सरकार वहां चल नहीं पा रही है। जनता को बचाने वाला कोई है, कहा नहीं जा सकता है। जब यह पूछा गया कि कितने लोग प्रभावित हुए हैं तो किसी को याद आ गया और उसने कह दिया कि चार सौ। नहीं तो छः सौ भी लिखे जा सकते थे। लेकिन चार के साथ दो बिन्दियां लगा दी हैं। 401 नहीं, 399 नहीं बल्कि पूरे चार सौ। कैसे चार सौ हो गए, पता नहीं···

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : चार चीफ मिनिस्टर बदल चुके हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : बदले ही तो हैं, मरे तो नहीं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : आप अपनी बात कहिये।

श्री मनीराम बागड़ी : आप जरा रोशनी में आ जाओ, आपका चेहरा देख लूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं, गांव का आदमी किसान के दर्द को जानता है, राष्ट्रपिता ने गलत बात नहीं कही थी कि आजादी के बाद सबसे पहला अगर मेरा काम हो तो राष्ट्रपति या वाइसराय लाज को अगर मिटाऊं नहीं तो कम से कम अस्पताल जरूर बनाऊंगा। झोंपड़ी वालों को आप 250 रुपये देते हैं जिसको बीमारी में ढाई आने की गोली नहीं मिलती है, ऐसे देश के अन्दर एक व्यक्ति 350 कमरों के मकान में रहेगा और बीमारी होगी तो करोड़ों रुपया लगेगा। अगर यह बात चलेगी तो चाहे बाढ़ हो, चाहे तूफान हो, चाहे सूखा हो, उस देश के अन्दर करोड़ों इन्सान भूख से मरेंगे। राव साहब, आप जरा गांवों में कदम टेक दो। आप खुद मौके पर जाओ। यह ठीक है कि भगवान तो नहीं हो कि जाने से मौक्ष हो जाएगा, लेकिन आपके जाने से जगह पकड़ी जाएगी। आप एशियाड प्रदर्शनी में सुन्दर-सुन्दर लड़कियों के फोटोओं को दिखा रहे हों, अच्छा नक्शा देश का दिखा रहे हो जिससे बाहर के लोगों को मालूम हो कि सारा देश ऐसा ही है। लेकिन जिस देश के अन्दर 10 करोड़ लोग भूखे सोते हों उससे आंख नहीं मोड़ी जा सकती। माननीय कमलापति जी जानते हैं, बने बैठे हैं बेचारे भीष्म पितामह, द्रोपदी का चीर लुट रहा है और चुप बैठे हैं। आप मंत्री जी खुद मौके पर जाइए। यह जो लघु ब्यान हैं इसको बन्द कीजिए। लोगों को 20 सेर अनाज और 250 रु० देकर बेइज्जत न कीजिए। बल्कि जरूरत के मुताबिक उनके मकान बनाइए। आपको तो पहले समाचार मिलता है। राव साहब, आपके तो पुरखे ऐसे होते थे कि एक महीना पहले अपनी मौत बता देते थे कि बेटे इकट्टे हो जाओ एक महीना बाद मरेंगे। तो क्या सरकार को तूफान का भी पता नहीं लग रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय : आप उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भागों में समुद्री

तूफान के विषय (जो आज के ध्यानाकर्षण का विषय है) को भूल गए हैं। मैं केवल आपको स्मरण करा रहा हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : सम्पूर्ण देश में समुद्री तूफान।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देंगे जो आज के ध्यानाकर्षण के विषय से संबन्धित हैं। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए इन सब बातों का यहां क्या संबन्ध है ?

श्री मनी राम बागड़ी : साइक्लोन पर ही बोल रहा हूं। मैं तीन बातों का जवाव चाहता हूं।

(1) जब भी साइक्लोन आए, तूफान आए तो केन्द्र का मंत्री फौरन मौके पर पहुंचे। चाहे कितना ही जरूरी काम हो उसको छोड़ कर वह मौके पर जाए।

(2) यह नहीं कि जितना मांगे दे दो। कोई तुम हातिम ताई के खजाने पर नहीं बैठे हो। जानते नहीं तुम्हारा कान पकड़ कर झटका देगी रानी कि तुम क्यों गलत बोल गए। केन्द्रीय सरकार जितना उचित समझें उतना जरूर दे। यह जवाब भी वेग है कि जितना मांगे उतना देंगे। जितना कायदे से बनता है उतना दो। इसका कायदा बनाइए। आपके पास कायदा नहीं है कि किस तरह से पैसा बांटा जाए।

(3) मरने वालों को मुआवजा, और जिनकी क्षति हुई है उनको मुआवजा दिया जायगा। इन तीन चीजों का आप यहां पर ऐलान कीजिए।

श्री बालेश्वर राम : उपाध्यक्ष जी, हमारे बागड़ी जी तो गांधी जी की भाषा बोलते हैं, इन्होंने हमें बहुत उपदेश भी दिए और जो कुछ इन्होंने कहा हमने उसे नोट किया है। हमारे लिए तो वह उपदेश ही होता है। यहां पर उन्होंने तीन प्रश्न पूछे। लेकिन मैं उनको इतना ही बताना चाहता हूं कि यह तूफान वहां 18 तारीख यानी परसों रात को ही आया था। सिर्फ कल का ही एक दिन हमें मिला और इस दौरान जितनी सूचना हम एकत्र कर सकते थे, उतनी सूचना एकत्र करने की हमने पूरी कोशिशकी। जो सूचना हमारे पास उपलब्ध है, किसी भी माननीय सदस्य से उसे छिपाने का कोई प्रश्न है, हम उसे छिपा नहीं सकते। यदि कोई यहां से तूफान के दिन भी चला जाता तो उसको राहत नहीं मिल सकती थी। लेकिन आपको सही जानकारी देने के लिए सही सूचना एकत्र कर आप तक पहुंचाने के लिए हमारा यहां रहना जरूरी था।

आंध्र प्रदेश की 30-35 टीमें वहां पर रिलीफ के काम कर रहीं हैं और वह स्थिति का पूरा जायजा ले रही हैं कि वहां पर तूफान के कारण कितना नुकसान हुआ है। जैसा मैंने पिछले वर्ष भी कहा था, जिस तेजी से उस समय उड़ीसा में तूफान आया था, उसमें भारत सरकार ने 56 करोड़ रुपये की स्टेट को मदद दी थी। इस बार का तूफान वैसा नहीं निकला, जैसी हमें अपेक्षा थी, जिसका हमें डर था। वह तूफान उस गति से नहीं आया। लेकिन हवा काफी तेज चली और 70 किलोमीटर प्रति घण्टा उसकी रफ्तार थी। वह तूफानी हवा ही चली···

श्री मनीराम बागड़ी : मेरे प्रश्न तीन थे, आप नोट कर लीजिए—(1) क्या मंत्री जी मौके पर वहां जाएंगे (2) क्या लोगों को मुआवजा मिलेगा और (3) इस तूफान से प्रभावित लोगों को सहायता देने का क्या कायदा है।

श्री बालेश्वर राम : मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं कि सहायता देने का क्या कायदा है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि मंत्री महोदय उस समय जाएं जब तूफान आ रहा हो या जब वह समाप्त हो जाए ?

श्री मनी राम बागड़ी : जिस जगह यह घटना घटी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वहां कोई मंत्री जाएंगे। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जिन लोगों का वहां नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा मिलेगा या नहीं और तीसरा प्रश्न है कि तूफान पीड़ितों के लिए क्या आपके पास कोई कोड है, जैसा कि फैमीन कोड आपने बनाया हुआ है। यदि नहीं तो क्या ऐसी कोई संहिता बनाने का आपका विचार है या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह चाहते हैं कि आप उस समय न जाए जब तूफान आ रहा हो बल्कि उस समय जाए जब वह समाप्त हो जाए।

श्री बालेश्वर राम : मैंने कहा कि जहां जिस तरह का नुकसान होता है, जैसा पिछले साल उड़ीसा में हमने 56 करोड़ रुपये की सहायता दी, क्योंकि वहां का तूफान ज्यादा बड़ा था। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंटस भी अपने यहां कुछ मापदण्ड स्थापित करती है कि हमने इतनी मदद करनी है। फिर जितना यहां से सम्भव हो सकेगा, हम वह कर ही रहे हैं और यहां से मदद देते हैं। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास कोई मापदण्ड ही नहीं है। जरूरत के अनुसार सहायता हमने पहुंचाई है। लेकिन यह सब क्षति पर निर्भर करता है कि वहां किस तरह की क्षति होती है। यदि ज्यादा क्षति होती है तो हम ज्यादा सहायता देंगे, यदि कम होती है तो कम मदद करेंगे। लेकिन इसके लिए कोई स्टैन्डर्ड मापदण्ड बनाना बड़ा मुश्किल है। हमने राज्य सरकार को यह भी कह रखा है कि वह वहां यह निश्चित करे कि उसे कितनी इमदाद की और आवश्यकता है और जितना हमसे संभव होगा, हम देते हैं।

दूसरा प्रश्न आपका है कि क्या वहां पर कोई मंत्री जाएंगे। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार हमारे लोग समय-समय पर वहां जाते रहते हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम भी वहां जाएंगे, वैसे आंध्र प्रदेश के मंत्री और मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हुए हैं। फिर यह साइक्लोन 70 किलोमीटर प्रति घण्टे की रफ्तार से आया। जब पहले ही वहां पर चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर मौजूद हैं तो फिर हमारा जाने का कोई फायदा नहीं है। तमिलनाडु से भी वहां पर चीफ मिनिस्टर ने आना था, लेकिन उनका जाना साइक्लोन की वजह से रुक गया। जहां ज्यादा नुकसान हुआ है वहां एक क्षेत्र रायलसीमा का है, जहां काफी समय से सूखा पड़ा आ रहा था, वह सूखा प्रभावित क्षेत्र था, इसी प्रकार तंजावूर हमारे तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां भी इस तूफान आने के कारण बारिश हुई और सूखे से राहत मिली है। वहां पर भी एक इन्च बारिश रिकार्ड हुई है। इसलिए

जहां एक ओर इस तूफान से नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी ओर कुछ फायदा भी हुआ है। फिर, जैसा हमने कहा, और इन्फार्मेशन भी हम एकत्र कर रहे हैं, हमारी 34-35 टीमें वहां पहले से सर्वे का काम कर रही हैं। यदि किसी और इमदाद की जरूरत होगी, तो वह प्रबन्ध भी हम करेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : उपाध्यक्ष महोदय···

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम मेरे पास नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मुझे बताया गया है कि श्री साल्वे 2 बजे राज्य सभा में वक्तव्य देंगे।

———

भारत सरकार के मुद्राणलयों के कर्मचारियों के लिए उत्पादकता पर आधारित बोनस के सम्बन्ध में वक्तव्य

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : अध्यक्ष महोदय,

मैं, निर्माण और आवास मंत्रालय के अधीन मुद्रण निदेशालय के भारत सरकार मुद्रणालयों तथा शाखाओं के कर्मचारियों को उत्पादकता सम्बद्ध बोनस की स्वीकृति के बारे में सरकार द्वारा किए गए निर्णय के बारे में एक संक्षिप्त वक्तव्य देना चाहता हूं।

उत्पादकता सम्बद्ध बोनस की योजना फिलहाल जो रेलवे तथा डाक-तार कर्मचारियों पर लागू है, वह निर्माण और आवास मंत्रालय के अधीन मुद्रण निदेशालय के भारत सरकार मुद्रणालयों तथा शाखाओं के लगभग 15,000 कर्मचारियों के लिए भी दे दी गई है। इन कर्मचारियों को भी तदर्थ आधार पर वर्ष 1980-81 के लिए उत्पादकता सम्बद्ध बोनस के रूप में 15 दिन का वेतन / मजदूरी अनुमेय कर दी गई है।

बोनस का पात्रता मापदण्ड मुद्रण निदेशालय के भारत सरकार मुद्रणालयों तथा शाखाओं की नियमित स्थापना के तथा 1600 रुपये प्रतिमाह मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता लेने वाले सभी कर्मचारियों के लिए होगा। उन कर्मचारियों के मामले में जो 750 रुपये से अधिक अथवा 1600 रुपये से कम प्रतिमाह वेतन ले रहे हैं, तदर्थ बोनस केवल 750 रुपये प्रतिमाह के आधार पर गिना जाएगा।

———

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सम्बन्ध में वक्तव्य

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : महोदय मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना पर एक संक्षिप्त वक्तव्य देना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि यह माननीय सदस्यों के लिए रुचिकर होगा।

दिल्ली तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों जिसमें 30,000 वर्ग किलोमीटर से कुछ अधिक क्षेत्र है, के लिए एकीकृत विकास योजना का समन्वित कार्यान्वयन, जो संघ राज्य क्षेत्र तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों के सहयोग से है, के महत्व को सभी जानते हैं। विभिन्न क्षेत्रों का एकीकृत विकास, विशेषरूप से पेय जल पूर्ति, बाढ़ नियन्त्रण, परिवहन, विद्युत, आवास इत्यादि की समस्याओं के समाधान और नगर विकास की सूक्ष्म समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से सुलझाने के लिए आवश्यक है। कुछ वर्ष पूर्व एक क्षेत्रीय योजना बनाई गई थी परन्तु कई कारणों से उस योजना का कार्यान्वयन उतनी तेजी से नहीं हो रहा है जितनी कि अपेक्षा थी। दिल्ली बृहत्त योजना के संशोधन के सन्दर्भ में तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर दबाव अथवा नगर विस्तार के कारण इस मामले को अधिक महत्व मिला।

मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सम्बन्धित मुख्य मंत्रियों तथा दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप हमने यह समझौता किया है कि केन्द्र में इस क्षेत्र के लिए आवश्यक विकास योजना बनाने, उसका समन्वय लागू करने तथा कार्यान्वयन करने के लिए एक सांविधिक बोर्ड का गठन किया जाय जिसमें सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रीगण, सम्बन्धित राज्यों के मुख्यमंत्री तथा दिल्ली के उपराज्यपाल सदस्य होंगे। इसमें भाग लेने वाले राज्यों में से कम से कम दो राज्यों की विधान सभाओं द्वारा आवश्यक संकल्प पारित कर देने के बाद मेरा प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड की स्थापना के लिए यथाशीघ्र संसद में एक आवश्यक विधान प्रस्तुत किया जाय। मुझे अत्यधिक आशा है कि जब इस बोर्ड का गठन कर दिया जायेगा तो यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना को पुनरुज्जीवित करने में समर्थ होगा और इस क्षेत्र का समन्वित विकास तेजी तथा प्रभावी रूप से होगा।

इस क्षेत्र में फिलहाल जो क्षेत्र चुने गये हैं उनमें दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र तथा हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कतिपय क्षेत्र हैं। एक माननीय संसद सदस्य सहित कुछ मित्रों ने इस क्षेत्र को पुनः परिभाषित करने का सुझाव दिया है। यह एक प्रक्रिया है जिसे इस बोर्ड के गठन के बाद उसके मार्ग निर्देशनों के अधीन अन्य प्रक्रियाओं के साथ-साथ आरम्भ किया जा सकता है।

———

कार्य मंत्रणा समिति

सैंतीसवां प्रतिवेदन

निर्माण और आवास मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 19 अक्टूबर, 1982 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के सैंतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे यह घोषणा करनी है कि भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1982 के बारे में श्री एन० के० पी० साल्वे 2-30 बजे एक वक्तव्य देंगे।

अब सभा 2-25 म० प० तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर पच्चीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात दो बजकर तीस मिनट पर पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री एन० के० पी० साल्वे वक्तव्य देंगे।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : हमें अपनी प्रशंसा वापस लेने का अधिकार है।

भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता बिहार (संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में वक्तव्य

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : "बिहार प्रेस विधेयक" के बारे में लखनऊ में प्रधान मंत्री के वक्तव्य और इसी पर नागपुर में मेरे वक्तव्य के बाद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 20 सितम्बर, 1982 को पत्रकारों और समाचार पत्र उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले 9 प्रमुख संगठनों को एक पत्र भेजा था जिसमें "बिहार प्रेस विधेयक" के बारे में उनकी निश्चित आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे।

2. पांच संगठनों ने ही मेरे मंत्रालय के पत्र का उत्तर दिया है। अन्यों ने समय मांगा है

और उनसे अपने उत्तर 25 अक्तूबर, 1982 तक भेजने के लिए अनुरोध किया गया है। कल शाम को, मैं (1) भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ, (2) अखिल भारतीय समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन, (3) आल इण्डिया स्माल एण्ड मीडियम न्यूजपेपर्स एसोसिएशन, (4) प्रेस एसोसिएशन और (5) इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसायटी के प्रतिनिधियों से मिला और उनसे मामले पर विचार विमर्श किया।

3. इस बात पर सहमति हुई कि हल ढूंढने के लिए बातचीत जारी रखी जाए और इसलिए यह निर्णय लिया गया कि सभी 9 संगठनों के प्रतिनिधि अगले सप्ताह मुझसे पुनः मिलें। मैंने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति बातचीत मुकम्मल हो जाने के बाद ही दी जायेगी। मैंने प्रतिनिधियों को यह भी आश्वासन दिया कि जबकि सरकार घटिया पत्रकारिता पर अंकुश लगाने के लिए उत्सुक है, इसका यह विचार है कि प्रेस की स्वतंत्रता गणतंत्र की प्रसंविदा का स्तम्भ है और इसलिए वह संविधान में प्रत्याभूत प्रेस की स्वतंत्रता को न्यून करने में पक्षकार बिल्कुल नहीं होगी।

4. उपस्थित प्रतिनिधियों ने मुझे यह आश्वासन दिया कि वे इस बात के लिए उत्सुक हैं कि प्रेस और सरकार के बीच बातचीत के वातावरण में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए और इसलिए उन्होंने मुझे यह भी आश्वासन दिया कि प्रेस द्वारा 21 अक्तूबर, 1982 को नई दिल्ली में आयोजित की जाने वाली रैली को प्रेस की स्वतन्त्रता के मसले का न तो राजनैतिक रूप देने और न ही प्रेस और सरकार के बीच बातचीत के लिए आवश्यक सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने की अनुमति दी जायेगी।

5. मैं संसद में इस वक्तव्य को उस आश्वासन के अनुसरण में दे रहा हूं जो मैंने बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों को दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अन्तर्गत मामले लिये जायेंगे।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) :** (व्यवधान)**...

उपाध्यक्ष महोदय : कोई स्पष्टीकरण नहीं। मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगा। कोई भी बात कार्यवाही में सम्मिलित न की जाये। (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अन्तर्गत मामले लिये जायेंगे। श्री लक्ष्मण मलिक। (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : मैं आपकी रूलिंग पर वाक आऊट करता हूं।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(श्री राम विलास पासवान सदन छोड़कर चले गये)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लक्ष्मण मलिक । आप अपनी बात कहिए । आपकी बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित की जायेगी ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) पारादीप बन्दरगाह पर मत्स्य पत्तन का निर्माण

श्री लक्ष्मण मलिक : (जगत सिंह पुर) : उड़ीसा में पारादीप में मत्स्य बन्दरगाह बनाने में हुई असाधारण विलम्ब के कारण भारी रोष व्याप्त है । मत्स्य बंदरगाह सुविधाएं न होने से मत्स्य उद्योग को बड़ा धक्का लगा है । पारादीप में लगभग 300 मत्स्य-ग्रहण जहाज काम में लाये जाते हैं ।

इन जहाजों से पत्तन-क्षेत्र में भीड़-भाड़ हो जाती है और प्रवेश मार्गों पर यातायात में रुकावट आती है । मत्स्य बन्दरगाह के निर्माण में विलम्ब के कारण परियोजना की लागत में वृद्धि होती जा रही है ।

यह दुख का विषय है कि पत्तन विकास सलाहकार के अधीन गठित किये गये कृंतिक दल ने परियोजना की स्थापना के लिए स्थान का चयन अन्तिम रूप से अभी तक नहीं किया है ।

स्थल का चयन शीघ्र ही किया जाना चाहिए । जब तक मत्स्य बन्दरगाह के निर्माण के लिए तुरन्त कार्यवाही नहीं की जाती तब तक मत्स्य उद्योग की प्रगति न हो सकेगी । अतः मैं नौवहन और परिवहन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह पारादीप में मत्स्य बन्दरगाह के निर्माण की दिशा में हर सम्भव कार्यवाही करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती जयन्ती पटनायक ।

(दो) उड़ीसा में भूक्षरण रोकने की आवश्यकता

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : भूमि कटाव के कारण उड़ीसा गम्भीर समस्या का सामना कर रहा है । राज्य की कुल भूमि का लगभग 47 प्रतिशत भूमि किसी न किसी प्रकार के भूमि-कटाव से प्रभावित है । पहले हवा से भूमि का कटाव केवल तटीय क्षेत्रों में ही होता था परन्तु अब ऐसा कटाव क्योंझर, मयूरभंज, डेनकनाल और सम्बलपुर जैसे साथ लगे जिलों में भी होता जा रहा है । पानी से भूमि के कटाव की समस्या तो पूरे राज्य की ही है ।

राज्य में लगभग 31 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि, जिसमें बिना बन्धों और सीढ़ियों के खेती होती है, में भूमि कटाव हो रहा है । एक अन्य अनुमान के अनुसार लगभग 28.8 लाख हेक्टेयर भूमि, जहां पर्याप्त वनस्पति नहीं है, में भी कटाव हो रहा है । इसके अतिरिक्त, 25 लाख हेक्टेयर भूमि क्षार और पानी के जमाव से प्रभावित है । समुद्र से लगे लगभग 55 किलोमीटर के अन्तर्गत

तटीय क्षेत्र की कृषि भूमि हवा द्वारा कटाव से अर्थात् रेत एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर जमने की समस्या से प्रभावित है।

यदि मंत्रालय द्वारा शीघ्र ही कार्यवाही नहीं की गई तो कटाव की समस्या नहीं रुकेगी। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पौधे लगाकर, बन्ध बांधकर, सीढ़ियां बनाकर और चरागाहों का विकास करके भूमि संरक्षण के उपाय शीघ्र करे।

(तीन) पोरबन्दर बन्दरगाह को बारहमासी बन्दरगाह घोषित करना

श्री दौलतसिंह जी जदेजा (जामनगर) : पोरबन्दर कई दशकों से पत्तन के रूप में विद्यमान है और व्यापारियों तथा भाड़ा कमाने वालों का सऊदी अरब, पूर्वी अफ्रीका और फारस की खाड़ी के पत्तनों से बहुत अधिक व्यापार होता है। जब 1904 में भारत अफ्रीका यात्री सेवा ब्रिटिश इण्डियन स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड ने शुरू की थी, तब पोरबन्दर को यात्री जहाज सेवा के लिए एक ऐसे पत्तन के रूप में चुना गया था जहां से होकर जहाज आते-जाते थे। अब वहां से पोरबन्दर और अफ्रीकी पत्तनों के बीच यात्रियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। यह पत्तन अभी तक एक मौसमी पोताश्रय है तथा अमरावती नदी के किनारे-किनारे माल लादने-उतारने की सुविधाएं दी गई हैं। अब चूंकि वहां पर सभी मौसमों में काम आ सकने वाली बर्थ सुविधाएं उपलब्ध करदी गई है और चूंकि यह भारत और मध्य पूर्व और यूरोपीय देशों के बीच सुस्थापित जल मार्गों पर उपयुक्त स्थान पर स्थित है, इसलिए इसकी महत्ता बहुत अधिक बढ़ गई है।

पोरबन्दर की परिस्थितियां अनुकूल हैं। वहां ज्वार उग्र नहीं होता। ज्वार-तरंगें भी नहीं होती और गाद भी इकट्ठी नहीं होती। समुद्र में पुश्ता 'ब्रेकवाटर' बनाकर वर्षा से उत्पन्न होने वाली समुद्र की उग्रता पर भी वहां काबू पा लिया गया है। इन सब सुविधाओं के बावजूद यह पत्तन मौसमी-पत्तन है जिस कारण से उसका उपयोग भी कुछ हद तक ही किया जा सकता है। सभी मौसमों में प्रयोग होने वाली बर्थ सुविधाओं के उपलब्ध होने से यह आशा की जाती है कि अब यह पत्तन पृष्ठ-प्रदेश को और अच्छी तरह से फायदेमंद सिद्ध होगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इसे सभी-मौसमों में काम आने वाले पत्तन का दर्जा दे और इसके महत्त्व और राष्ट्रीय हित को देखते हुए इसे तदनुरूप विकसित करे।

(चार) एशियाई खेलों के दौरान उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों को बिजली की नियमित सप्लाई

श्री चन्द्रपाल सिंह (अमरोहा) : जैसा कि सबको विदित है कि इस वर्ष भारत की राजधानी में नवम एशियाई खेल का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए सरकार यह चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें और इसका प्रचार हो सके। परन्तु सीमित स्थान उपलब्ध होने के कारण ज्यादा लोग इसे यहां नहीं देख पायेंगे।

दिल्ली दूरदर्शन के प्रसारण से लगभग 150 कि० मी० दूर तक के लोग लाभान्वित होते हैं। एशियाई खेलों को भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग, जो टिकट के अभाव में स्टेडियम पर आकर उन्हें नहीं देख सकेंगे, दिल्ली दूरदर्शन के माध्यम से देख सकेंगे।

परन्तु बड़े खेद का विषय है कि पूर्ण ग्रामीण अंचलों में (विशेषकर उ० प्र०) बिजली की आपूर्ति बहुत ही अपर्याप्त तथा अनियमित है। बिजली 24 घण्टे में अधिक से अधिक मात्र 8-10 घण्टे आती है और वह भी कब आयेगी और कब चली जायेगी, कोई निश्चित नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उ० प्र० के पश्चिमी जिलों के वे ग्रामीण जो दिल्ली दूरदर्शन के माध्यम से एशियाई खेलों को देख पाते, बिजली आपूर्ति के अभाव में देखने से वंचित रह जायेंगे।

अतः मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से साग्रह निवेदन करूंगा कि वे इस सदन के माध्यम से सम्बन्धित क्षेत्र के ग्रामीणों को आश्वस्त करें कि एशियाई खेलों के समय बिजली की आपूर्ति बराबर बनी रहेगी और उसकी सुनिश्चित आपूर्ति के लिए तुरन्त आवश्यक विभागीय कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(पांच) तमिलनाडु में तापीय विद्युत घरों को पर्याप्त मात्रा में कोयले की सप्लाई करने की आवश्यकता

श्री एम० कंडास्वामी (तिरुचेंगोडे) : तमिलनाडु में पूरे वर्ष बिजली में 30 प्रतिशत कटौती लगातार होती रहती है। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं :

तापीय परियोजनाओं में, अधिष्ठापित क्षमता 1500 मेगावाट है। पनबिजली परियोजनाओं में अधिष्ठापित क्षमता 1600 मेगावाट है।

जनवरी से जुलाई के बीच पनबिजली परियोजनाओं की कुल अधिष्ठापित क्षमता में से केवल 1000 मेगावाट बिजली ही प्राप्त हो पाती है। निवेली निगम से 600 मेघावाट बिजली दक्षिण राज्यों को बराबर-बराबर बांटी जा रही है।

जहां तक ताप बिजली परियोजनाओं का सम्बन्ध है, 2400 मेगावाट बिजली की आवश्यकता के मुकाबले में इस समय केवल 1500 मेगावाट बिजली उपलब्ध है। प्रथम चरण के कार्यान्वयन का काम चल रहा है। दूसरे चरण के लिए एक प्रस्ताव (तूतीकोरिन: 710 मेगावाट; मेतुर 420 मेगावाट; उत्तर मद्रास 1050 मेगावाट) 30-12-81 को केन्द्रीय सरकार के पास भेजा गया है। 10 महीने से अधिक समय बीत गया है परन्तु सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। यह विलम्ब कोयले की कमी के कारण हो सकता है। हमें पता चला है कि कोयला उत्तरी राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि को अलाट किया जा रहा है। यदि तमिलनाडु को भी उसका कोटा दे दिया जाता है तो ताप बिजली इकाइयां सुचारू रूप से कार्य कर सकेंगी।

यदि ताप बिजली इकाइयों में पूरी क्षमता की व्यवस्था कर दी जाती है तो उससे कपड़ा मिलों, बड़े और लघु उद्योगों, कृषि तथा इंजीनियरिंग फाउंड्रियों पर बिजली की कटौती के प्रभाव को कम किया जा सकेगा। चूंकि यह लाखों मजदूरों की रोजी-रोटी का सवाल है, इसलिए यह मांग की जाती है कि तमिलनाडु में ताप बिजली इकाइयों के दूसरे चरण का काम समुचित ढंग से चलाने के लिए कोयला पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो दिया है, जिसे स्वीकार किया जा चुका है वही रिकार्ड में रहेगा।

(छः) मारुति लिमिटेड की डीलरशिप की नीति

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : इस संसद ने मारुति लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1980 पास किया है। इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ मारुति लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण की व्यवस्था की गई है। सरकार उन लोगों के हितों की, जिन्होंने मारुति कार बनाने की योजना में सहायता दी और सहयोग दिया, रक्षा करने के लिए कर्त्तव्यबद्ध है।

स्वर्गीय श्री संजय गांधी ने देश के विभिन्न भागों के लगभग 73 लोगों से समझौता किया था और उन्हें मैसर्स मारुति लिमिटेड के डीलरों के रूप में देश के विभिन्न भागों में नियुक्त किया था। मैसर्स मारुति लिमिटेड की मांग पर इन डीलरों ने प्रत्येक ने औसतन 3 लाख रुपये दिये थे जो कुल राशि 2.39 करोड़ रुपये बैठती है। इसके अलावा इन डीलरों ने शेयरों, शो-रूमों और वर्कशापों तथा बिक्री सम्बन्धी सुविधाओं के लिए भी धन दिया था। यह धन उन्होंने अपनी सम्पत्तियों को बेचकर या रहन रखकर और बैंकों से तथा अपने निजी स्रोतों से उधार लेकर दिया था। परन्तु दुर्भाग्यवश मारुति कार की योजना असफल रही।

राष्ट्रीयकरण के बाद नए राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान ने पिछली कम्पनी की आस्तियां और देनदारियां संभाल ली हैं। ये 73 डीलर महसूस करते हैं कि उन्हें राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान का डीलर माना जाना चाहिए। सरकार का यह नैतिक और कानूनी कर्त्तव्य है कि वह सरकारी कम्पनी चलाने से पहले इन मूल डीलरों के हितों की रक्षा करे और उन्हें पुराने समझौते के अनुसार बताए गए क्षेत्रों में सीधे डीलर नियुक्त करे।

कई अन्य उपक्रमों के राष्ट्रीयकरण के मामले में मूल डीलरों को ही राष्ट्रीयकृत संस्था के डीलरों के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए यह उचित एवं न्याय संगत होगा कि सरकार उन मूल डीलरों को राष्ट्रीयकृत संस्था के डीलरों के रूप में स्वीकार करे ओर इसकी घोषणा करे।

(सात) गोरखपुर जिले में मस्तिष्क ज्वर को समाप्त करना

श्री महाबीर प्रसाद (बांसगांव) : मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार का ध्यान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बांसगांव एवं सम्पूर्ण गोरखपुर जनपद में जोरों से व्याप्त मस्तिष्क ज्वर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन्, सम्पूर्ण जनपद बाढ़ और जल जमाव के कारण व्यापक दृष्टि से त्रस्त हो गया है। फलस्वरूप सम्पूर्ण जनपद में मस्तिष्क ज्वर ने महामारी का रूप धारण कर लिया है और काफी लोग मर चुके हैं और अब भी मर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता के अनुसार तीन सप्ताह के अन्दर 34 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और 149 व्यक्ति अब भी मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित हैं। ये सभी व्यक्ति जिला अस्पताल, गोरखपुर एवं मैडिकल कालेज, गोरखपुर में मरे हैं।

अत: पुन: आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर अविलम्ब उचित कदम उठा कर उक्त महामारी को रोकने के लिए आदेश प्रदान करें।

(आठ) कोल इंडिया लिमिटेड में इंजीनियरों के साथ समता का व्यवहार करने की आवश्यकता

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित वक्तव्य देता हूं !

मैं कोल इंडिया लिमिटेड के खुदाई, बिजली और मैकेनिक तथा सिविल काडर के हजारों इंजीनियरों की दयनीय स्थिति और उनमें विद्यमान असंतोष की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कोयला उद्योग में ऐसा लगता है कि केवल खनन इंजीनियरों को ही निदेशकों के पदों और निगमित स्तर पर तकनीकी काडर में ही नहीं बल्कि कार्मिक, सुरक्षा जैसे अन्य काडरों में भी नियुक्ति के लिए चुना जा रहा है। खुदाई, बिजली और मैकेनिकल जैसे इंजीनियरिंग काडरों में उन अधिकारियों को, जो योग्य एवं अनुभवी हैं, अपनी सेवा में आगे बढ़ने के अवसरों से तथा निर्गमित स्तर पर निर्णय लेने में भाग लेने के अवसरों से वंचित रखा जा रहा है। यह घोर अन्याय है।

उत्पादन, योजना, मशीन प्रबन्ध, अनुरक्षण प्रबन्ध, वर्कशाप प्रशिक्षण और कुशल श्रमिकों के प्रबन्ध तथा आयात प्रतिस्थापन में इन इंजीनियरों का योगदान विलक्षण एवं सराहनीय है। कोयला उद्योग की उपलब्धियों में इन इंजीनियरों ने कठिन परिश्रम, उत्साह का प्रदर्शन किया है।

यह दुर्भाग्य की बात है कि उच्च अधिकारी उनके योगदान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यदि उनके प्रति सरकार की उदासीनता बनी रही तो डर है कि वे हताश और निराश हो जाएंगे और कोयला उद्योग के लिए यह एक अच्छी स्थिति नहीं होगी। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह कोयला उद्योग में मशीनों, संयन्त्रों आदि पर काम करने वाले सभी इंजीनियरों के साथ समान व्यवहार करें।

(नौ) फसलों को बचाने के लिए तेनुघाट से पश्चिम बंगाल के लिए पानी छोड़ना

प्रो० रूपचन्द पाल (हुगली) : मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित वक्तव्य देता हूं :

पश्चिमी बंगाल इस समय भयंकर सूखे से पीड़ित है। वहां लाखों लोग भारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। दो बार सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अभी भी किसान अपनी फसलों को बचाने में लगे हुए हैं। यदि पानी की व्यवस्था तुरन्त नहीं की गई तो दामोदर घाटी निगम कमान क्षेत्र की 240,000 हेक्टेयर भूमि में खड़ी फसल सिंचाई के अभाव में नष्ट हो जाएगी। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने दो दिन पहले प्रधान मंत्री

के पास एक टेलेक्स संदेश भेजा है जिसमें उन्होंने प्रार्थना की है कि प्रधान मंत्री पश्चिम बंगाल की गंभीर स्थिति को देखते हुए बिहार के तेनुघाट से कम से कम 50 हजार एकड़ फुट पानी की तुरन्त व्यवस्था करे। पश्चिम बंगाल के सिंचाई मंत्री ने भी केन्द्रीय सिंचाई मंत्री और केन्द्रीय उद्योग मंत्री को इस आशय के सन्देश भेजे हैं। परन्तु पांच दिन के बाद भी उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला है।

मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि वह पश्चिम बंगाल के अनुरोध को स्वीकार करे और दामोदर घाटी निगम कमान क्षेत्र में खड़ी फसल को बचाने के लिए कम से कम कुछ दिनों के लिए तेनुघाट से कम से कम 50 हजार एकड़ फुट पानी की व्यवस्था करे।

(दस) बिहार में बांधों का निर्माण करने की आवश्यकता

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर बिहार और विशेषकर समस्तीपुर सदा से उपेक्षित रहा है। स्वतन्त्रता के 35 वर्ष बाद भी यहां विकास की गति अत्यन्त धीमी रही है। यद्यपि यह कृषि प्रधान क्षेत्र है, फिर भी सिंचाई के साधनों एवं सिंचित भूमि का विस्तार अति संकुचित रहा है। गंडक, कोसी, जैसी धमधूसर सिंचाई परियोजनाएं तो किसानों के लिए अरबों रुपये खर्च होने के बाद भी विशेष लाभदायक नहीं हो सकीं। नहरों के टूटने और रिसने से जितना नुकसान हर साल होता है, उतना सिंचाई से फायदा भी नहीं पहुंचता है। लघु सिंचाई तथा उदवह योजनायें तथा राजकीय नलकूप कुछ लोगों के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जैसी हो, पर किसानों के लिए व्यर्थ हैं। लगभग 80 प्रतिशत राजकीय नलकूप मृतप्रायः ही रहते हैं, कुछ बिजली के बगैर और कुछ तकनीकी खराबियों से तथा बाकी बिजली की आपूर्ति के अभाव से।

समस्तीपुर के दक्षिणी भाग दलसिंह सराय पटोरी और मोहीउद्दीन नगर प्रखंडों में कहीं-कहीं तो 24 घंटे में मुश्किल से लगातार 24 मिनट भी बिजली नहीं टिक पाती। अब पीने के पानी का भी संकट बढ़ गया है। पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णियां, गोपालगंज, छपरा, सीवान नवादा, नालंदा, रांची, संथाल परगना और भागलपुर में अभूतपूर्व अकाल की भयावह स्थिति पैदा हो गई है।

एक ओर बिहार में सूखा है, दूसरी ओर उत्तरप्रदेश में अतिवृष्टि के कारण गंगा, गंडक, सोन की बाढ़ से कुछ जिले तबाह हो गये, समस्तीपुर के दक्षिणी भाग में गंगा के किनारे गांवों का कटाव जारी है। इन क्षेत्रों के बचाव के लिए हाजीपुर, बाजिदपुर बांध (बरुआ बांध) और चिनगिया बांध तथा मीरजान नाले में स्लुइस गेट का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक है।

(ग्यारह) जमालपुर रेल वर्कशाप

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : श्रीमन् पूर्वी रेलवे वर्कशाप जमालपुर की पिछले 10-15 वर्षों की गाथा उन वचनों की गाथा है जिन्हें पूरा नहीं किया गया है। 1973 में तत्कालीन रेल मंत्री ने वचन दिया था कि जमालपुर के रोलिंग मिल का एक और मिल की स्थापना करके विस्तार किया जायेगा परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया है और आज वर्तमान रोलिंग मिल का कार्यभार भी

कम कर दिया गया है। मार्च 1981 में जमालपुर में अपने दौरे के दौरान तत्कालीन रेल मंत्री ने जमालपुर में एक रेल डिब्बा निर्माण कारखाने की स्थापना करने का वचन दिया था। पता चला है कि रेल मंत्रालय ने पूर्वी रेलवे को रेल डिब्बा निर्माण की योजना बनाने के लिये निदेश भी दिया था। जमालपुर के लिए अन्य परियोजनायें स्वीकार की गई हैं जैसे स्प्रिंग शाप सफेरोडल ग्रेफाइट कास्ट आयरन और मालेबल का स्टगिस् तथा बड़ी क्रेनों का निर्माण। परन्तु इनमें से कोई भी परियोजना वहां नजर नहीं आ रही है। क्रेनों का निर्माण रेलवे ने 1960 और 1969 के बीच आरंभ किया था। इस समय 10 साल पहले जो निर्माण किया जा रहा था उतना भी नहीं हो रहा है। जमालपुर में अन्य कार्य भी आहिस्ता आहिस्ता समाप्त हो रहे हैं। बिजली के जैकों के निर्माण की क्षमता 4 सेट प्रतिमास है। रेलों की आवश्यकता कहीं अधिक है। ऐसी ही स्थिति टिकट छापने की मशीनों के निर्माण की है। डीजल इंजनों की समय समय पर मरम्मत कराने का वचन भी रेल मंत्रालय ने दिया था परन्तु इस परियोजना की प्रगति भी बहुत धीमी है। यह परियोजना यद्यपि 1977 में मंजूर की गई थी 36 शंटर प्रतिमास के लक्ष्य का आधा भाग भी निर्माण नहीं किया जा रहा है। जहां तक मुख्य लाइन डीजल इंजनों का सम्बन्ध है, तीन इन्जन प्रतिमास बनाने के स्थान पर छः महीने में एक इन्जन बनाने की व्यवस्था भी नहीं की गई है। 1982-83 में इस परियोजना के लिये 48 लाख रूपये नियत किये गये थे जिसमें 1.50 करोड़ रूपये से अधिक की बकाया थी।

वर्कशाप की 70 प्रतिशत से अधिक मशीनें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। फिर भी 1978-79 में रेलवे द्वारा आरंभ की गई आधुनिकीकरण योजना में जमालपुर का जिक्र नहीं किया गया है।

इसलिये मैं रेलमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह भारत की सबसे बड़ी रेलवे वर्कशाप की इस बिगड़ती हुई स्थिति को संभालने के लिए तुरन्त व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करे और इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे।

(बारह) आन्ध्र प्रदेश में तूफान से प्रभावित हुए लोगों को वित्तीय सहायता

श्री पसाला पेंचालैया (तिरुपति) : श्रीमन्, सोमवार, 18 अक्तूबर, 1982 की अर्धरात्रि को आन्ध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले के श्री हरिकोटा के निकट पूर्वी तट पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक भयंकर समुद्री तूफान आया। आन्ध्र प्रदेश के नेल्लौर, चित्तौड़ और कुड्डापा जिलों में लगभग 50 लाख निर्धन लोग बेघर बार हो गए और एक लाख मकान गिर गए। दस लाख व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और सैकड़ों मवेशी भी मर गए। नेल्लौर जिले के गुडुर, वकाडु,, नायुडैफ्ट, सुल्लुरपेट, वेंकटगिरी तालुकों में और चित्तौड़ जिले के सत्यावेदु, कालाहस्ती, नागेरी, पुत्तुर और चन्द्रगुगिरी तालुकों में और ड्डपा जिले के कुछ तालुकों में इसका प्रभाव सबसे अधिक रहा।

इन क्षेत्रों में संचार व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई है। सड़कें और टैंक टूट गए हैं। रेल और बस सेवा ठप्प हो गई है। धान नर्सरी, नींबू और आमों के बाग तथा फिल्टर प्वाइंटों के अन्तर्गत धान की फसल बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बड़े बड़े वृक्ष उखड़ गए हैं।

कल तक तो लोग सूखे से पीड़ित थे और आज के उक्त जिलों में समुद्री तूफान के शिकार हैं।

सरकारी अनुमान के अनुसार नुकसान करोड़ों रुपये का है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ आन्ध्र प्रदेश में समुद्री तूफान से प्रभावित क्षेत्र की बड़े पैमाने पर सहायता करे और राहत कार्य आरम्भ करने हेतु तुरन्त आर्थिक सहायता प्रदान करे।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक जारी

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम विधायी कार्य लेते हैं।

श्री एस० बी० पी० पट्टाभिरामा राव द्वारा 19 अक्तूबर, 1982 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा :—

> "कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"।

श्री मूलचन्द डागा बोल रहे थे। वे अधिक समय ले चुके है.....

श्री मूलचन्द डागा (पाली): मैं केवल 15 मिनट बोला था।

उपाध्यक्ष महोदय: आप 20 मिनट ले चुके हैं। आप अपना भाषण 3 मिनट में समाप्त करें। यदि प्रत्येक सदस्य 3 मिनट लेता है तो आवंटित 2 घंटे में हम इस चर्चा को समाप्त कैसे कर सकेंगे ? 50 मिनट का समय समाप्त ले चुका है।

श्री मूलचन्द डागा: आप कृपा कर मुझे 10 मिनट का समय दें।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, विशेष रूप से आपको इतना समय दिया जाता है। कृपया 10 मिनट में समाप्त करें।

श्री मूलचन्द डागा: उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि मेरी समझ में नहीं आया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से यह गलती कैसे रह गई।

(श्री एस० एम० कृष्ण पीठासीन हुए)।

1964 के अधिनियम की धारा 37 में विनियम बनाने के अधिकार दिए गए हैं।

सारे रूल्स और रैगुलेशन्स बनने के बाद, जहां तक मुझे याद है हमने कई बार सब्रौडिनेट - लैजिस्लेशन कमैटी के जरिए यह सजैस्शन दिया और अब भी बार-बार उसको प्रैस कर रहे हैं कि पांचवीं लोक सभा ने यह निर्णय लिया था कि—

> "समिति को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि तीसरे प्रतिवेदन (पहली लोक सभा) के पेश किये जाने के 18 वर्ष बाद (प्रतिवेदन 3-5-55 को पेश किया

गया था) भी इस प्रकार की गलतियां अब भी होती हैं। इस प्रतिवेदन में समिति ने नियमों, विनियमों, उपनियमों आदि के महत्व के बारे में उल्लेख किया है। यह समिति इसलिए अपने तीसरे प्रतिवेदन (पहली लोक सभा) के पैरा 36-37 में दी गई सिफारिशों को पुनः दोहराती है। और इस बात पर जोर देती है कि नियम, विनियम आदि बनाने के लिए अधिकार प्रदान करने हेतु अधिनियम में संशोधन करते समय उन सबको सभा पटल पर रखने का समुचित उपवन्द किया जाना चाहिए।"

20 वर्ष के बाद हमने पुनः 1971 में यह सिफारिश की थी परन्तु हम आज देखते हैं कि इस फार्मूले को जो विधेयक सभा में पेश किया गया है उसमें शामिल नहीं किया गया।

मेरा आवजेकशन है कि आप रूल्ज और रेगुलैशन्ज बनाने के बाद उन्हें सदन में नहीं रखते हैं, न इस बारे में बिल में प्राविजन रखते हैं और न हमारे द्वारा बताया गया फार्मूला रखते हैं। कुछ विभागों ने ऐसा करना शुरू कर दिया है। समझ में नहीं आता कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने यह गलती कैसे कर दी। मैं चाहता हूं कि इस गलती को सुधारा जाए।

हिन्दुस्तान में 84 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां कोई इंडस्ट्री नहीं है- न मीडियम और नस्माल-स्केल। आई० डी० वी० आई० ने कहा है कि 25 डिस्ट्रिक्ट्स में उद्योगों के विकास के लिए स्पेशल सेल एपायंट किया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि आई० डी० वी० आई० ने जो 25 डिस्ट्रिक्ट्स लिए हैं, उनमें से राजस्थान में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स लिए गए हैं और उनमें क्या काम किया गया है।

स्माल-स्केल सैक्टर की रीफाइनेन्स स्कीम के अन्तर्गत लाने की तरफ न सरकार का ध्यान जाता है और न कमिर्शल बैंक्स और अन्य फाइनेन्शल इन्टीट्यूशन्ज का। इस बारे में पब्लिक अंडरटेकिंग्ज कमेटी ने कहा है :—

"भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के शुरू होने के समय से पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत कुल 1900.7 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। इस पुनर्वित्त सुविधा का लाभ मुख्य रूप से वाणिज्यिक बैंकों ने उठाया है.....

समिति यह जानना चाहती है कि विकासशील वित्त व्यवस्था में इन बैंकों की क्या भूमिका रही। यदि इस बात का अनुमान अब तक नहीं लगाया गया है तो वह अब लगाया जाना चाहिए। 4.29 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लघु उद्योग क्षेत्र को सहायता पुनर्वित्त योजना के माध्यम से देता है। पूंजीगत उत्पादन के अनुपात के कम होने और उत्पादन आरम्भ करने के समय के छोटा होने की दृष्टि से लघु क्षेत्र के उद्योगों के विकास से पूंजी के उपयोग से अधिक अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत लघु क्षेत्र को मिलने वाली सहायता का भाग बढ़ कर 71 प्रतिशत हो गया है। तथापि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की कुल सहायता का 35 प्रतिशत ही पुनर्वित्त के अन्तर्गत आता है, भारतीत औद्योगिक विकास बैंक

द्वारा लघु क्षेत्रों को दी गई कुल सहायता 25 प्रतिशत ही बैठती है। समिति चाहती है कि पुनर्वित्त योजना को इस क्षेत्र के लिए अधिक आकर्षक बनाया जाये और इसे अधिक बढ़ावा दिया जाये तथा इस तरह का प्रचार किया जाये कि लघु उद्योगों के लिए अधिक धन मिल सके।"

मैं भी कहना चाहता हूं कि छोटे छोटे उद्योगों का विकास करने के लिए उन्हें काफी पैसा मिलना चाहिए। लेकिन आई० डी० बी० आई० छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए पूरी धन राशि नहीं दे पा रहा है।

आई० डी० बी० आई० के चेयरमैन ने कहा :—

"देश की अधिक मात्रा विदेशी धन की आवश्यकता होगी। जहां तक दीर्घ कालीन पूंजी का सम्बन्ध है, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं और सरकारों से आने वाली विदेशी सहायता के साथ-साथ विदेशों में पूंजी बाजार में बड़ी मात्रा में रुपया उधार लेना होगा।"

मैं यह कहना चाहता हूं कि ये बताते क्यों नहीं हैं कि कितना धन दूसरे देशों से ले रहे हैं? हमको मालूम होना चाहिए कि इतना धन आई० डी० बी० आई० दूसरे देशों से लेकर हमारी इण्डस्ट्रीज को फाइनेन्स करना चाहती है। महाराष्ट्र को ड्राई फार्मिंग प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर दिया गया है लेकिन राजस्थान में डी० पी० ए० पी० के प्रोग्राम को ड्राप कर दिया गया है। एन० आर० ई० पी० प्रोग्राम के लिए भी राजस्थान को लोन नहीं दिया गया है। इसी की वजह से देश में रीजनल इम्बैलेन्सेज बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान को बहुत कम लोन मिला है। महाराष्ट्र को ज्यादा मिला है। उड़ीसा की फीगर्स मेरे पास नहीं हैं लेकिन उड़ीसा को भी बहुत कम मिला है। इसलिए मेरा कहना है कि रीफाइनेन्स करने का जो तरीका है उस पर भी गौर करने की जरूरत है।

एक बात मुझे और भी कहनी है कि बैंक जिसको फाइनेन्स करती है वहां जो नामिनी डायरेक्टर्स रखती है उसकी क्या स्थिति है :

"31 दिसम्बर, 1980 तक सहायता प्राप्त 487 कम्पनियों के बोर्डों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 288 व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट किया, जिनमें से 205 अधिकारी थे तथा 83 गैर-सरकारी लोग तथापि साक्ष्य में समिति को बताया गया कि परियोजना बिना डिवीजन में 108 कम्पनियों में, सरल ऋण डिवीजन में 94 और पुनर्वास वित्त डिवीजन में 19 में निवेदक नाम निर्दिष्ट नहीं किए गए थे।"

इन नामिनीज का क्या रोल रहता है, इनका क्या तरीका है और ये क्या वाच करते हैं, ह भी मालूम नहीं हुआ है। इसके अलावा कुछ जगह तो आपने नामिनी रखे हैं लेकिन कहीं पर भी तक नहीं रखे हैं हम देख रहे हैं कि कामर्शियल बैंक्स में कई जगह जो आप लोन देते हैं, सिक इंडस्ट्रीज को देते हैं, वहां पर गलत तरीके से लोग पहुंच जाते हैं। मैं समझता हूं जो पार्लियामेंट

के मेम्बर्स हैं, उनको वहां पर डायरेक्टर बनाया जाना चाहिए। वे लोग अच्छी तरह से अपनी जाब को निभा सकेंगे। लेकिन अभी इतना खर्चा करके जो डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं उनके पास समय ही नहीं रहता है। इसलिए जो पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव्ज हैं, वे बड़े ध्यान से इस काम को कर सकेंगे। अभी तो जो डायरेक्टर्स बैठते हैं वे सरकारी आफिसर ही होते हैं। नतीजा यह होता है कि मीटिंग में 50 परसेन्ट और कभी-कभी 30 परसेंट अटेन्डेन्स तक नहीं रहती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आई० डी० बी० आई० में पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव्ज को डायरेक्टर रखना चाहिए ताकि पब्लिक लोन सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट हो सके।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, अभी मुझसे पूर्व डागा साहब और लारेन्स साहब ने इस बिल के सम्बन्ध में काफी बातें कहीं हैं। देखने में तो यह बिल बहुत छोटा लगता है कि इसकी रकम को 200 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके उद्देश्य क्या थे और इसकी पर्फार्मेंस क्या रही है। मुख्य रूप से यह दो चीजें विचारणीय हैं। जब किसी को रुपया देते हैं तो उसके पहले यह सोचना पड़ता है कि वह संस्था उसको लेने के लायक है या नहीं है।

इसके लिए यदि आप विगत परफार्मेन्स को देखें तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि इस संस्था के तीन उद्देश्य थे जिसमें बैकवर्ड एरियाज, बैकवर्ड स्टेट्स और बैकवर्ड क्लासेज, इन तीनों के लिए इस संस्था का निर्माण हुआ था, इन तीनों के उत्थान के लिए काम करेगी। लेकिन यह "रिपोर्ट ओन डवलपमेंट बैंकिंग इन इण्डिया, 1980-81," को सभापति महोदय, यदि आप देखें तो इसके जो तीन उद्देश्य थे, इसमें तिलांजलि दे दी गई है और इतना ही नहीं यह जो सरकारी उपक्रम समिति का 24वां प्रतिवेदन है, जो सातवीं लोक सभा का है, इसमें जगह-जगह पर जो चेअरमैन हैं और कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने इसके कार्यकलापों की निन्दा की है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि जिस उद्देश्य से इसको बनाया गया था, उस उद्देश्य की पूर्ति में यह सफल नहीं हो पाई है।

आपकी रिपोर्ट का पेज संख्या-82, टेबल-6 (5) है। इसमें एक टी० सी० ओ० है (टेक्नीकल कंसलटेन्सी आरगेनाइजेशन) जहां से लोग ट्रेंड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं उसके सम्बन्ध में इसमें कहा गया है।

> "टी० सी० ओ० के आरम्भ से 1000 उद्यमियों में से आधे उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया गया।"

और उसमें से जितने ट्रेनिंग वाले थे, इसमें इन्होंने कहा है :

> "टी० सी० ओ० ने 3,289 उद्यमियों में से 4% को प्रशिक्षित किया। इनमें से 13% उद्यमियों ने परियोजनायें चालू कर दी हैं।"

जितने लोगों का इनका उद्देश्य था नौकरी देने का, इन्होंने कुल 15 लाख का बताया है कि 15 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे। जो बड़े-बड़े उद्योग-धंधे हैं, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उसके लेवल पर हम विलेज इन्डस्ट्रीज को खड़ा करेंगे, स्माल-स्केल इन्डस्ट्रीज को खड़ा करेंगे।

उसके लिए लोगों को ट्रेनिंग देंगे । आपने कुल मिलाकर हजार लोगों को भी ट्रेनिंग नहीं दी । जब आप ट्रेंड नहीं कर सकते हैं, इसका नतीजा यह हो रहा है कि जो विलेज इन्डस्ट्रीज हैं, खादी कमीशन है, यह तमाम का तमाम करप्शन का अड्डा होकर खत्म हो गया है इसलिए कि उसमें आउटलूक नहीं है ।

दूसरी तरफ, जो बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज थीं, उनके सामने छोटी इंडस्ट्रीज को खड़ा नहीं कर पाए । आपकी यह रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में आप देखिए । अभी हमारे डागा साहब जिक्र कर रहे थे । इसमें आपने दिया है ।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गई सहायता का राज्यवार वर्गीकरण :

जब मैं गुजरात की बात कहता हूं या दूसरे राज्यों की बात कहता हूं जहां आज डवलपमेंट है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उसकी निन्दा करता हूं । मैं तो इतना ही कहता हूं कि जब गुजरात और महाराष्ट्र स्टेट की बात आएगी तो वहां के लोग जानते हैं कि कैसे इन्डस्ट्री लगाई जाती है । लेकिन आपकी संस्था किस लिए खुली थी । इसलिए नहीं खुली थी कि जहां लोग जानते हैं उतनी ही जानकारी देकर खत्म किया जाए ।

आपकी संस्था का उद्देश्य था कि जहां लोग जानते हैं उनको जगाने की कोशिश की जाए। आप इस रिपोर्ट को देखिए कि महाराष्ट्र में आपने दिया 1979-80 में 407.85 करोड़ रुपया, 1980-81 में 471.11 करोड़ रुपया, फिर उसके बाद यह सैन्कशन हुआ और डिस्ट्रीब्यूशन 1979-80 में 236 करोड़ और 1980-81 में हुआ 359 करोड़, बिहार में 40 करोड़ है और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 24 करोड़, 1979-80 और 1980-81 में आपने 82 करोड़ का सैंक्शन किया और डिस्ट्रीब्यूशन 35 करोड़ का हुआ ।

आप आसाम को देख लें । आसाम में आपने कुल कितना सैंक्शन किया 1979-80 में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 6 करोड़ मात्र और 1980-81 में 5 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ । मणिपुर को एक करोड़ भी नहीं मिला । 1979-80 में 17 लाख ही दिया गया और इससे अगले साल 45 लाख । मेघालय को 1.27 लाख और अगले साल 1.12 लाख । नागालैंड को 49 लाख और अगले साल 55 लाख । नतीजा यह हुआ कि नार्थ ईस्टर्न जोन जो बैकवर्ड था वह बैकवर्ड रहा स्टेट के दृष्टिकोण से भी और अखिल भारतीय दृष्टिकोण से भी । मदद जो बैकवर्ड एरियाज की फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशंज से होनी चाहिए थी नहीं हुई । 1979-80 में बैकवर्ड एरियाज के लिए टोटल सैंकशन किया गया 1891 करोड़ और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 806 करोड़ । अगले साल 1225 करोड़ में से 473 करोड़ डिसबर्समेंट हुआ । इसी तरह से 1980-81 में 951 करोड़ सैंकशन हुआ और खर्च किया गया 628 करोड़ । यह कुल 1596 करोड़ में से है । आपको इन सब आंकड़ों से पता चलेगा कि जो हमारा उद्देश्य था वह पूरा नहीं हुआ । अगले टेबल में वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गई सहायता का राज्यवार वर्गीकरण दिया गया है । उसमें बताया गया है कि पब्लिक सैक्टर को 1979-80 में 211 करोड़ दिया गया और प्राइवेट सैक्टर को 1415 करोड़ । इसी तरह से 1980-81 में पब्लिक सैक्टर को दिया 254.67 करोड़ और प्राइवेट सैक्टर को

दिया 1920.98 करोड़। खर्चा आपने पब्लिक सैक्टर पर 1980-81 में 143.14 करोड़ किया और प्राइवेट सैक्टर पर 1351.19 करोड़। साफ है कि जो परपज था वह अचीव नहीं हुआ। उद्देश्य था बैकवर्ड इलाकों की हालत को सुधारना, उनको डिवलेप करना लेकिन वह नहीं हुआ।

आज आप देखेंगे कि गांव का जो कुम्हार है, लुहार है, बढ़ई है, चमार है उन सबकी स्थिति दिन प्रति दिन खराब होती जा रही है। बैंक ने बड़े बड़े मोनोपोली हाउसिस को ही फाइनेंस किया है। कल एक साथी ने बताया था कि अकेले बिड़ला को इसके माध्यम से, आई० एफ० सी० आई० के माध्यम से 65.50 करोड़ मिला, मफ्त लाल को मिला 13.70 करोड़ ए० पी० सी० को मिला 13.50 करोड़। इसी तरह से सिंहानिया को खूब पैसा मिला। गांव का कुम्हार जो बर्तन बनाता था उसके बदले में चालू कर दिए गए स्टेनलैस स्टील के बर्तन। नतीजा यह हुआ कि वह बेरोजगार हो गया। बढ़ई जो सामान बनाता था उसके बजाय आपने नई इक्विपमेंट्स लाकर रख दीं और नतीजा यह हुआ कि तमाम बढ़ई बेरोजगार हो गए। बुनकर को आप लें। आपको चाहिए था कि बुनकरों को आप पैसा देते, बैंक उसकी मदद करते। लेकिन इसके बजाय आपने सरकारी संस्था खोल दी और नतीजा यह हुआ कि उसका जो उत्पादन था वह उसके माध्यम से जाने लगा और उसकी रोजी रोटी का जो जरिया था वह खत्म हो गया। जो गरीब हरिजन था, चमार था, जो जूता बनाता था उसके बदले में आपने बाटा को प्रोत्साहन दे दिया और नतीजा जो है वह आपके सामने है। बैंक के माध्यम से बेरोजगारी की जिस समस्या को दूर किया जाना चाहिए था वह और बढ़ गई। गांव के गरीब लोगों को, हरिजन लोगों को, बैकवर्ड लोगों को, बुनकरों को आपने खत्म कर दिया। इसके माध्यम से आपने कुछ कीचड़ के बीच कमल खिलाने की कोशिश की। लेकिन वह नहीं हो सका और जो उद्देश्य था वह आप पूरा नहीं कर सके।

यह रिपोर्ट है पी० यू० सी० की, इसके पेज 23 पर लिखा है कि :

> "समिति यह नोट करके चिंतित है कि वर्ष 1979-80 के दौरान कुल संस्वीकृत राशि में से लगभग 215 भाग उन परियोजनाओं की अनुमान से अधिक लागत को पूरा करने के लिए व्यय किया गया जिन्हें पहले सहायता दी गई थी और उसमें से 101.2 रुपये की राशि केवल एक परियोजना के नाम थी, अर्थात गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कं० लि०।"

फिर पेज 24 पर समिति कहती है :

> "समिति उद्योग की दूरव्यापी रुग्णता को लेकर अत्यन्त चिंतित है। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आई० एफ० सी० आई० और आई० सी० आई० सी० आई० से सहायता प्राप्त औद्योगिक एककों में से 31 दिसम्बर, 1980 को 122 रुग्ण एकक थे। इनमें से 30 जून, 1980 को भारतीय उद्योग विकास बैंक 84 को पुनर्विकास के लिए सहायता दे रहा था। समिति का विचार है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का

यह दायित्व होना चाहिए कि वह अखिल भारतीय स्तर पर रुग्ण एककों की निगरानी करे और उनके पुनर्विकास के लिए सहायता दे।"

लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा बम्बई में इसका हैड आफिस है और वहां से चलता है गांवों का विकास करने के लिये, नतीजा यह होता है कि जिनकी पहुंच होती है, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो या तमिलनाडु हो, वही फायदा उठा लेते हैं। कोई बैंक का दायित्व नहीं रह गया है कि वह सुदूर देहात में या बैकवर्ड स्टेट का भला करे। इनके चेयरमैन, श्री पाई ने कलकत्ते में इंटरव्यू निकाला कि 5,000 जो सिक इन्डस्ट्रीज हैं उनको मरने दो। छोड़ दो। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप पैसा मांग रहे हो, पैसा तो यह सदन देगा, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए आप संस्था खोलते हैं, जिस समय 1964 में इसकी स्थापना हुई थी आपने इसका परपज ले किया था सदन में, तो मैं चाहूंगा कि आप व्यक्तिगत अभिरुचि लीजिये और इसकी खामियों को दूर कीजिये। और मेन जो उद्देश्य है, जो छोटी-छोटी इन्डस्ट्रीज हैं, बैकवर्ड स्टेट्स हैं, बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, उनका उत्थान करने के लिये इसके पैसे का उपयोग करवाइये। मोनोपली हाउसेज को बढ़ावा देने से न तो बैंक का उद्धार होगा, न देश का और न मेरा और आपका कल्याण होने वाला है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : इस बैंक की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों से की गई थी :—

(क) विपणन और निवेडा का आकलन अथवा उसके सम्पादन के लिए अनुसंधान और सर्वेक्षण करना तथा उद्योग के विकास के लिए तकनीकी आर्थिक अध्ययन करना ;

(ख) किसी भी उद्योग के संवर्धन प्रबन्ध और विस्तार के लिए किसी भी व्यक्ति की औद्योगिक फर्म को तकनीकी और प्रशासनिक सहायता देना ; और

(ग) भारत में औद्योगिक ढांचे में कमियों को पूरा करने के लिए उद्योगों की योजना बनाना, उनका संवर्धन करना और विकास करना।

इस बात को लम्बा समय बीत गया है और अभी यह देखना है कि 1964 में इस विधेयक को पास करते समय प्रस्तावना में शामिल किए गए उद्देश्य किस सीमा तक पूरे हुए हैं।

अन्य बहुत सी बातों के समान ही, जो कुछ यहां कहा गया है उसे पूरा नहीं किया गया। जो किया गया है वह कहा नहीं गया, कांग्रेस सरकार की यही खूबी है। पिछले 35 वर्षों से वे कहते कुछ रहे हैं और करते कुछ रहे हैं। हम इस ओर बैठे लोग यह सब नहीं कहते। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदनों से भी यही सिद्ध होता है कि अधिकतर लाभ एम० आर० टी० पी० कम्पनियों को ही हुआ है।

कल कामरेड लारेंस ने स्पष्ट कहा था कि बैंक से केवल एम० आर० टी० पी० कम्पनियों को मुख्य रूप से लाभ मिला है। गत 5 वर्षों में बिरला बन्धुओं को 65.50 करोड़, मफतलाल को 14.00 करोड़ तथा थापर को लगभग 4 करोड़ रुपये मिले। 1980-81 में गैर सरकारी क्षेत्र को

237.2 करोड़, सरकारी क्षेत्र को 258.2 करोड़ रुपये तथा सरकारी क्षेत्र को 33.8 करोड़ रुपये मिले। इससे स्पष्ट हैं कि अमीर आदमी और अमीर हुए हैं। बैंकों का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। आजकल तो 'समाजवाद' शब्द का प्रयोग भी नहीं होता जो आपात काल में बहुत सुनने को मिलता था। आजकल तो 'चूसना' ही रह गया है।

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : आप उन दिनों हमारे साथ थे।

श्री नारायण चौबे : एक अन्य बात है। जैसा पिछले वक्ता ने कहा है भारत में क्षेत्रीय असमानता है। बैंक का एक उद्देश्य उद्योगों के विकास के क्षेत्र में इस असमानता को दूर कराना था। यह अंग्रेजों के शासन के समय से चला आ रहा है। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 24वें प्रतिवेदन के पृष्ठ 40 पर स्पष्ट लिखा है :

> "भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दी जाने वाली सहायता से क्षेत्रीय असमानता ही दृष्टिगोचर होती है। समिति को खेद है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को सहायता का भाग केवल 1% ही बैठता है। पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु 1970-71 में शुरू किये गये विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत आई० डी० बी० आई० ने 1999 करोड़ रुपये मंजूर किये। विश्लेषण से पता चलता है कि 250 पिछड़े जिलों में सबसे अधिक पिछड़े हुए 50 जिलों में बैंक ने सर्वाधिक सहायता 69% से 85% तक दी।"

आगे लिखा है :

> "यद्यपि समिति अनुभव करती है कि यद्यपि विकास बैंकों की भूमिका सीमित है तथापि अध्ययन से पता चलता है कि अविकसित प्रदेश और अविकसित हो जाने दिये गये हैं।"

इससे आप देखेंगे कि पहले जो अविकसितता तथा असमानता थी उसे वैसा ही रहने देकर अधिक बढ़ने दिया गया है। समिति ने आगे कहा है कि इस स्थिति को यदि बने रहने दिया गया तो इसके गंभीर सामाजिक आर्थिक परिणाम होंगे। आप कृपया इसे असम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र-नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर आदि के विकास के साथ जोड़िये। बैंक के कार्यकरण से जो आर्थिक असमानता दिखाई पड़ती है, उसे दूर किया जाये।

आज मंत्री जी ने श्री सतीश सामंत के जीवन पर एक पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा है कि उनके जिला मिदनापुर ने स्वतन्त्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। यह जिला तथा पश्चिम बंगाल का एक बड़ा भाग पिछड़ा क्षेत्र है। स्वतन्त्रता के बाद उद्योगों के मामले में पश्चिम बंगाल की स्थिति काफी अच्छी थी लेकिन अब इसमें गिरावट आ रही है। अतः मेरा उनसे अनुरोध है कि पश्चिम बंगाल के बारे में असमानता दूर की जाये।

कहा गया है कि यह बैंक विकसित देशों से ऋण लेने की सोच रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से ऋण लेने के बारे में मंत्री जी अपने अनुभव को याद रखें। भारत के नेतृत्व में 77 देशों का समूह जानता है कि विकसित देशों से धन लेना कितना कठिन है और उसके साथ क्या-क्या शर्तें

लगायी जाती हैं। इस मामले में बड़े गृह भी अब शिकायत करते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा लगायी गयी शर्तों के कारण सरकार ने ऐसी चीजों के आयात की भी अनुमति दे दी है जो भारत में ही बन रही हैं। इस सम्बन्ध में बाल बियरिंगस का एक उदाहरण है। आयात के कारण इस उद्योग को भारी धक्का लगा है। हाल ही में मंत्री जी ने यह कहा है कि यह बैंक कुछ श्रमिक प्रधान परियोजनाओं की सहायता करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब आप पृष्ठ- 11 देखिए। इसमें कहा गया है कि जहां तक संभव हो श्रमिक प्रधान प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिये। मैं एक और बात, जिसका सम्बन्ध उनके विभाग से तो नहीं लेकिन भारत सरकार तथा पूरे मंत्रिमंडल से है, कहना चाहता हूं। इस समय रेलवे विश्व बैंक से 400 मिलियन डालर का ऋण ले रहा है। लेकिन उसके साथ शर्त यह है कि उन्हें विद्युत उपकरण भी खरीदने होंगे जबकि वे भारत में ही आसानी से बन रहे हैं। रेलवे ने कर्मचारियों में 10 प्रतिशत कटौती करने का निर्णय किया है। अतः इस बैंक की सहायता से सरकार की श्रमिक प्रधान योजना सम्बन्धी नीतियों का पालन कैसे होगा।

महोदय, आजकल देश को धन की आवश्यकता है और जरूरत पड़ने पर विदेशों से उधार भी लिया जा सकता है। लेकिन पहले हम श्री नेहरू के समय में काले धन की बात बहुत सुनते थे। आज काले धन को निकालने के लिये कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। मैं मंत्री से पूछता हूं कि आजकल देश में कितना काला धन है और सरकार इसे निकालने का क्या प्रयास कर रही है?

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : किसे पता है? कौन जानता है?

श्री नारायण चौबे : यदि किसी को नहीं पता तो आप हमें सत्ता में लाईये हम उसकी जानकारी देंगे।

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : आपको पता है पश्चिम बंगाल में कितना काला धन है।

श्री नारायण चौबे : उस पर पश्चिम बंगाल सरकार का नियंत्रण है।

डा० कृपासिन्धु भोई : लेकिन चित्त बसु बता सकते हैं।

श्री नारायण चौबे : आप चित्त बसु को लाईये और वह बताएंगे।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : चित्त बसु को यहां लाने के लिये आप उन पर निर्भर कर रहे हैं।

श्री नारायण चौबे : मैं उन पर निर्भर नहीं करता।

श्री प्रणव मुखर्जी : आप उन्हें यहां लाने में पूर्ण सक्षम हैं।

श्री नारायण चौबे : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार काले धन को निकालने के लिये गंभीर है। यह बैंक बड़ी तथा छोटी कम्पनियों को ऋण देता है। लेकिन पैसा वापस लेने की स्थिति क्या है। प्रतिवेदन के पृष्ठ 59 पर कहा गया है।

"सहायता लेने वाले एककों द्वारा पैसा वापस न किये जाने की स्थिति से समिति को चिन्ता है। बकाया राशि 93.33 करोड़ रुपये है।"

इसमें यह भी कहा गया है :

"जिन 244 कम्पनियों ने पैसा नहीं दिया उनमें से 54 रूग्ण एकक हैं। इससे सन्देह पैदा होता है कि परियोजना मूल्यांकन की तकनीक प्रभावी नहीं है।"

इसका अर्थ है कि ऐसे लोगों को धन दिया जाता है जो वापस करने की स्थिति में नहीं होते। इस मामले में कोई गड़बड़ तो नहीं, यह भी देखा जाना है।

मंत्री जी ने अमरीका में और टोरोंटो में विदेशी लोगों को प्रसन्न करने के लिये कहा था कि हमारा सरकारी क्षेत्र और कुछ नहीं केवल गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये ढांचा तैयार करता है। प्रेस समाचारों के अनुसार श्री राजीव गांधी ने भी अमरीका में कहा था कि हम बहुराष्ट्रीय निगमों का राष्ट्रीयकरण नहीं करने जा रहे।

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली सदर) : आप उन्हें गलत बयान न कीजिये।

डा० कृपासिन्धु भोई : मेरे विचार से माननीय सदस्य श्री राजीव गांधी और वित्त मंत्री के पीछे बैठे थे।

मेरे विचार में वह अवश्य ही किसी तरह छिप कर वहां गए होंगे।

श्री नारायण चौबे : क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या उन्होंने उनके दादा के पिता को भी देखा था।

सभापति महोदय : अगर आप उसे उद्धृत कर रहे हैं.....

श्री नारायण चौबे : श्रीमन्, यह समाचार पत्रों में आया था।

श्री जगदीश टाइटलर : यह अलग रूप से छपा था।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : ठीक है। इसका खण्डन किया गया है। यह रिकार्ड में है।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं चाहता हूं कि मेरे उत्तर देते समय वह उपस्थित हों वह समाचारपत्र लायें जिस पर वह निर्भर कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कहा है।

श्री नारायण चौबे : आपने टोरोंटों में ऐसा कहा था और यह प्रेस में छपा था।

श्री प्रणव मुखर्जी : आपने कहा कि यह समाचारपत्रों में छपा है। अब वह उस भारतीय समाचारपत्र को लायें जिसमें ऐसा प्रकाशित हुआ था।

सभापति महोदय : श्री चौबे नियम अनुसार जब आप किसी मंत्री अथवा माननीय सदस्यों को उद्धृत करते हैं तो आपके पास पक्का प्रमाण होना चाहिये।

श्री नारायण चौबे : ठीक है मैं समाचारपत्र लाने का प्रयत्न करूंगा ।

सभापति महोदय : तभी आप न्याय कर सकते हैं ।..... (व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : इससे इंकार कर दिया गया है । यह आरोप नहीं था । मंत्री जी ने कहा है कि उनके बारे में गलत कहा गया है ।

श्री नारायण चौबे : यदि उन्होंने नहीं कहा तो ठीक है ।...(व्यवधान) यदि वह जोर देते हैं तो मैं समाचार पत्र लाऊंगा ।

सभापति महोदय : आपको वह लाना चाहिये ।

श्री नारायण चौबे : उन्होंने कहा है कि भारत में सरकारी क्षेत्र गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये है । यही झगड़े की बात है ।

श्री प्रणव मुखर्जी : माननीय सदस्य भ्रमित हो रहे हैं ।

श्री जगदीश टाइटलर : महोदय, आप उन्हें उचित समय बाद में दीजिये । क्योंकि उन्हें अपने तथ्यों पर पूरा भरोसा नहीं । (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री चौबे आप समाप्त करें ।

श्री नारायण चौबे : मुझे बहुत खुशी है कि श्री टाइटलर हिटलर की भांति नहीं है । उन्होंने मुझे कम से कम इस पर विचार करने के लिए कुछ समय दिया है । मेरे विचार था कि श्री टाइटलर नई दिल्ली के हिटलर हैं ।

श्री रतन सिंह राजदा : हिटलर की दाढ़ी नहीं थी ।

श्री नारायण चौबे : यही अन्तर है । हमें इस विधेयक के मुख्य प्रयोजन पर कोई आपत्ति नहीं है । इसका उद्देश्य पूंजी को 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये करना है । वह तो किया जाना चाहिए । बात तो असमानता, श्रमिक प्रधान कार्यक्रम, पैसा न लौटाये जाने की है । मैं समझता हूं कि जब उनका बैंक पर पूरा नियंत्रण है तो वह यह देखें कि सब कार्य सुचारू रूप से चले ।

चन्द्रपाल सिंह (अमरोहा) : अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुमति से इस चर्चा में मैं भी भाग लेना चाहता हूं । 1964 में यह ऐक्ट पास हुआ था । वैसे तो देखने में यह बिल बड़ा छोटा सा लगता है कि 300 करोड़ की धनराशि की बढ़ोत्तरी की जा रही है । लेकिन जब आप इस बैंक के उद्देश्यों में जायेंगे, जिस तरह से इस बैंक के द्वारा पिछड़े हुए क्षेत्रों को आगे बढ़ाने का काम किया जाना था, उसकी पूर्ति कहां तक की गई है तो निराशा ही होगी ।

अभी तक जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं उनमें मैं न जाते हुए, यह कहना चाहता हूं कि अभी तक महाराष्ट्र जैसे प्रदेश और बड़े-बड़े पूंजीपतियों को पैसा दिया जाता रहा है यह कह कर कि वे पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योग लगायेंगे । लेकिन अभी तक जो परम्परा चली है वह इससे उल्टी ही

थी। बेरोजगारी दूर करने का जो हमारा उद्देश्य था उसमें हम सफल नहीं हुए हैं, बेरोजगारी और भी अधिक बढ़ गई है। मेरे कहने का मतलब यह कि जो हमारा उद्देश्य था उसमें हम सफल नहीं हो सके हैं। इसके पीछे क्या वजूहात और क्या कारण उत्तरदायी रहे हैं वह हमें देखने चाहिए।

इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आई है। हम चाहते थे कि छोटी इंडस्ट्रीज बढ़ाई जायें लेकिन वह न बढ़कर, 75 परसेन्ट इसका पैसा बड़े पूंजीपतियों के पास गया है। आगे के लिए हमें इस दिशा को मोड़ना चाहिए। बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने से बेरोजगारी और भी बढ़ती है और उससे कुछ लोगों के ही हाथ में पैसा सीमित हो जाता है। कुछ जरूरी चीजों के लिए तो बड़ी इंडस्ट्रीज लगानी ही पड़ेगी लेकिन जहां वह छोटी इंडस्ट्रीज को प्रभावित करती हों वहां पर छोटी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

हमारे यहां उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के लिए खादी बोर्ड के द्वारा एक स्कीम आई थी जिसमें सघन क्षेत्र बनाने के लिए छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज बढ़ाने की बात थी, जिसमें कि बुनकरों की मदद की जा सके, कुम्हार, बढ़ई इत्यादि की मदद की जा सके लेकिन वह स्कीम फेल हो गई और आज वह त्रस्त हालत में पड़ी हुई है। कम से कम जो स्कीमें चलाई जाती हैं उनमें यह देखना चाहिए कि कितना पैसा दिया और उसका क्या लाभ पहुंचा। वह स्कीमें तो बड़ी अच्छी होती हैं लेकिन उनको सही प्रकार से लागू नहीं किया जाता।

खादी बोर्ड के सदस्य रुचि ले रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि सेन्टर के अधीन वह आता है, उसे दिखावें पार्लियामेंटरी कमेटी और जिस माध्यम से आप समझते हैं हम उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। एक्सपेरीमेंट के नाते, हमने कहा था कि किस तरह से विलेज इन्डस्ट्री को खड़ा कर सकते हैं, गरीब आदमी हम कैसे खड़ा कर सकते हैं, उसके लिए हमने प्रयास किया था तब वह सारी की सारी फेल हो गई। बैंकों से किस तरह से इन्डस्ट्री को पैसा मिलता है। अगर प्रोसेसिंग में जाओगे तो उसमें इतनी खामियां हैं जो लोग जानने वाले हैं, जिन्हें इन्डस्ट्री का ज्ञान है, जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, वे ज्यादा पैसा ले लेते हैं। जो कमजोर आदमी है, बीच का आदमी जो इन्डस्ट्री लगाना नहीं चाहता है, उसे इतनी आब्सटेकल्स आती हैं कि वह हो ही नहीं पाता। इसके लिए खासतौर से जो बीच में कमी है उसे देखा जाना चाहिए। इन्डस्ट्री को बढ़ाने की बात आई तो जो गरीब आदमी है वह कमजोर रह जाता है, दब जाता है। जो पढ़े-लिखे लोग हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, वे सब उसमें नाकामयाब हो जाते हैं। एक सबसे बड़ा कारण है बैंकों का जो हम चाहते थे लेकिन उसमें कमी हो रही है।

एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। ट्रेक्टर पर आप कर्जा देते हैं तो जमीन रहन रखी जाती है। ऐसी इन्डस्ट्रीज कितनी हैं जो होशियार लोग हैं उन्होंने तो अपना पैसा ले लिया और उसको लौटाने की भी उनके पास बहुत तरकीब हैं। लेकिन, किसान की सारी की सारी जमीन रखी जाती है। मैं चाहता हूं कि उन चीजों पर आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिए। यह देखना चाहिए कि जो गरीब आदमी है, जो उपेक्षित है, जो दबा पड़ा है, अविकसित है, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, बेकवर्ड कम्युनिटी है, उनको हम किस तरह से सहारा दें, किस तरह से उन्हें आगे बढ़ाएं। लेकिन ऐसा न होकर इन्डस्ट्री के नाम पर जो बड़े पैसे वाले होशियार आदमी हैं, वह पैसा ले लेते हैं और जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिलता है।

राम विलास जी ने एक बात की ओर इशारा किया था। नौ साल के कार्यकाल में हम कुछ नौजवानों को, बेरोजगारों को ट्रेनिंग देना चाहते थे। तीन हजार नौजवान उसमें आए और उसमें से भी जब ज्वाइन करने की बात थी तो 13 परसेंट शरीक हुए। यह कोई देखने के लिए तैयार नहीं कि कौन बेरोजगार आए थे, कौन से घरानों के लड़के थे, क्यों शरीक नहीं हुए। इस तरह की चीजों से यह दिखाई देता है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, बगैर यह देखे हुए कि पीछे क्या हुआ है। मुल्क की प्लानिंग और डवलपमेन्ट में सबसे बड़ी कमी यह हो रही है कि हम पिछली चीजों में नहीं जाते हैं। कहां खामियां हैं, कहां क्या हो रहा है? कमेटी बैठाई गई, तीन-चार साल में रिपोर्ट आती है लेकिन इससे आगे और बढ़ जाते हैं, आख मूंद रखी है और हम इस तरह से आगे बढ़ते चले जाते हैं।

मेरा आपसे और मंत्री जी से यही कहना है कि जो चीज भी करो, प्लानिंग और जगह के अनुरूप देखकर, हालात को देखकर, जितने भी काम हों वही करें जो पक्का हो, पुख्ता हो और मजबूती से हो तभी इस देश का उद्धार हो सकता है अन्यथा जैसा चल रहा है, वैसे ही चलेगा।

कमेटी की रिपोर्ट आई, यहां से गड़बड़ की बात आई और जैसा हम चाहते हैं देश को बढ़ाना, अगर सैकड़ों साल तक हम लगे रहें कुछ बनने वाला नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) सभापति महोदय, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई तीन ऐसे नगर हैं जहां औद्योगीकरण बहुत पहले शुरू हुआ था। बम्बई और मद्रास ने औद्योगीकरण की गति बनाए रखी। वे अपने लिए राज्य तथा केन्द्र के लिए अच्छा धन अर्जित कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में, दुर्भाग्यवश, केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहन के बावजूद औद्योगीकरण की गति धीमी हो गई है। वहां निजी क्षेत्र अच्छी उन्नति कर रहे हैं और वे अपनी क्षमता का 70 से 80 प्रतिशत तक उपयोग कर रहे हैं। लेकिन सरकारी क्षेत्र अपनी क्षमता का 30 प्रतिशत भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। कठिनाई यहां होती है। बैंक की डयूटी धन को डम्प करने की नहीं है। यह भारत के लोगों का धन है। यदि आधारभूत सुविधाएं होंगी तो धन आएगा। आधारभूत सुविधाएं जुटाने के लिए राज्य सरकार तथा सरकारी व्यक्ति उत्तरदायी हैं। यदि हम आधारभूत सुविधाएं नहीं जुटाते हैं तो धन कहां खर्च किया जाएगा? यदि वहां उद्योग होंगे तथा सभी व्यवस्थाएं की गई हैं, तो स्वाभाविक है कि बैंक अधिक ऋण देने में रुचि दिखलाएंगे। उसके लिए हमें वातावरण बनाना होगा। यदि वातावरण नहीं बनाया जाता है तो धन किसे दिया जाएगा? आखिरकार, यह दानशीलता नहीं है। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लोगों को दान देने हेतु एक प्रस्ताव किया गया था और पश्चिम बंगाल सरकार इसकी प्रतिपूर्ति केन्द्र द्वारा करवाना चाहती थी। श्री प्रणव मुखर्जी ऐसा नहीं कर सकते हैं। वे इस महान राष्ट्र के धन के संरक्षक है। उस धन को बहुत युक्ति मुक्त ढंग से खर्च किया जाना है।

एकाधिकार घरानों को बहुत बड़ी धनराशि ऋण के रूप में दी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि वसूली की दर तथा आपने जो वसूली की है उस पर ब्याज की दर क्या है? क्या वे ठीक ढंग से भुगतान कर रहे हैं। यदि उद्योग धन ले रहे हैं और उसे लौटा नहीं रहे हैं तो इसका नतीजा

क्या होगा ? यदि उद्योगों, चाहे निजी क्षेत्र में अथवा कोई अन्य क्षेत्र में, द्वारा लिया गया धन निश्चित रूप से लौटा दिया जाता है तो उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे लोगों को रोजगार उपलब्ध करेंगे।

पश्चिमी उड़ीसा औद्योकीकरण में बहुत पिछड़ा हुआ है। हांलाकि, इसका कारण दलों में अस्थायित्व है। वह उत्तरदायी है। राज्य सरकार द्वारा उस क्षेत्र के विकास हेतु विशेष प्रयत्न करना चाहिए। भारत सरकार को पश्चिम बंगाल समेत राज्य सरकार को सहायता देनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में वरिष्ठ नेताओं को ठीक से काम करना चाहिए। कुछ परियोजनाओं को चलाने का दायित्व केन्द्र सरकार को लेना चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण चीज बिजली है। पश्चिम बंगाल में 8 से 10 घंटे तक बिजली नहीं मिलती कलकत्ता नगर में भी बिजली नहीं है। वहां प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है। आप बिजली पैदा क्यों नहीं करते ? बिना बिजली के आप कारखाने स्थापित नहीं कर सकते। बिना कारखाने के आप धन निवेश नहीं कर सकते। बिना धन के आप लोगों को रोजगार मुहैया नहीं कर सकते। इन सभी पूर्वी राज्यों में बेरोजगारों की संख्या अधिक है। जहां बेरोजगारी और गरीबी होगी वहां सी० पी० एम० अथवा सी० पी० आई० अथवा वामपंथी दलों को अधिक मत मिलने की संभावना होगी। यही कारण है कि मैं माननीय मंत्री से अनुरोध कर रहा हूं कि राष्ट्र की एकता तथा सम्मान के हित में इन क्षेत्रों को अधिक अनुदान दें।

यहां हमारे मित्र ने उल्लेख किया है कि श्री राजीव गांधी ने आश्वासन दिया है। वे भी एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। वे एक राष्ट्रीय सम्मानवादी व्यक्ति हैं अमेरिका अथवा किसी अन्य विदेशी राष्ट्र को आश्वासन नहीं दे सकते। यदि उन्हें आश्वासन देना ही होगा तो वे भारत के लोगों को आश्वासन देंगे न कि विदेशियों को। उन्हें अपने उत्तरदायित्व की अनुभूति है। अतः, ऐसा गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य सभा में नहीं देना चाहिए।

श्री प्रवण मुखर्जी की पदावधि के दौरान देश प्रगति करेगा और पूरे भारत में सर्वांगीण विकास होगा। देश में और औद्योगीकरण होगा।

यदि आप गिलास में पानी उड़ेलते हैं तो गिलास में पानी का स्तर एक समान बढ़ता है। देश का विकास भी ऐसा ही होना चाहिए ताकि देश का प्रत्येक नागरिक यह महसूस करें कि वह इस सरकार तथा कांग्रेस (आई) दल की नीतियों से लाभान्वित हो रहा है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : वित्त मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया और जिसके द्वारा वह आथोराइज्ड कैपिटल को दो सौ करोड़ से पांच सौ करोड़ करना चाहते हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन साथ में ही जो अन्य सदस्यों ने आई० डी० बी० आई० की कार्य प्रणाली के बारे में चिन्ता व्यक्त की है उसमें अपने आपको शामिल करते हुए वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा जिस उद्देश्य को लेकर आई० डी० बी० आई० की स्थापना की गई आरम्भ में उसका उद्देश्य कुछ और था, लेकिन 1975 में जो महत्वपूर्ण संशोधन लाये उनके द्वारा आई० डी० वी०

आई० को कुछ फंक्शन्स करने हैं, देश के अन्दर कुछ परिस्थितियों का मुकाबला करना है और उस दृष्टि से पैसे का इन्वेस्टमेंट उसी दिशा में हो, यह देखने का काम वित्त मंत्री जी का है। जो अभी तक तर्क दिए गए मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन कहना चाहूंगा आजादी के बाद कई फैक्टर रहे देश के अन्दर हमारे जो राज्य थे, जैसा अभी बताया रीजनल इम्बैलेंस के बारे में, पिछड़े रहे वहां पर विकास नहीं हो पाया क्योंकि अंग्रेजों के समय दृष्टिकोण परकीय था। आज उन पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि राज्यों में असमानता को समाप्त किया जाए। बढ़ती हुई आबादी के साथ-साथ जिस प्रकार बेरोजगारी बढ़ रही है उसको खत्म करने के लिये लेवर इमेंटिव के आधार पर कारखाने देश में लगाये जायें, सोशियो इकोनामिक चेंजेज लाये जायें, यह दृष्टिकोण था जिसको ध्यान में रखकर 1975 के अन्दर संशोधन किया गया इसके एक्ट में। लेकिन दुख है कि इस दिशा में इस बैंक को जितना काम करना चाहिये था उद्योग प्रसार के लिए वह काम नहीं हो पाया। और मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी का ध्यान जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स हैं जिनके द्वारा कई कन्सेशनल फाइनेंशियल स्कीम्स निकाली गयी हैं उसके बारे में प्लानिंग कमीशन के प्रोग्राम इवैल्यूएशन आर्गेनाइजेशन ने पूरा सर्वे करने के बाद अपनी फाइन्डिंग्स दी हैं। और वह कितनी खतरनाक हैं और क्या इशारा करती हैं उसको वित्त मंत्री जी ने जरूर देखा होगा। लेकिन मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि उस रिपोर्ट के अन्दर कहा गया है कि मार्च 1981 तक कुछ लेंडिंग इंस्टीट्यूशन्स के द्वारा कन्सेशनल फाइनेंशियल स्कीम्स में 778 करोड़ रु० इन्वेस्ट किये गए। इस 778 करोड़ में से 31 परसेंट केवल उन स्टेट्स ने ऐप्रोप्रिएट किया जो पहले से ही इंडस्ट्रियलाइज्ड थीं और वह केवल 3 स्टेट्स हैं—महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक। इन तीन स्टेट्स ने 31 परसेंट कंसेशनल स्कीमस का ले लिया।

दूसरे यह कहा कि जो वीकर सेक्शन्स थे, नौजवान थे, पढ़े लिखे बेरोजगार थे, इन योजनाओं में जबकि उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए था, उनकी उपेक्षा की गई। उनको जिस प्रकार से सैटिल करने का प्रयास किया जाना चाहिए था वह इन बैंकिंग इंस्ट्रीट्यून्स द्वारा नहीं किया गया। और उसी पी० ओ० फाइंडिंग के अन्दर सबसे घातक बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि जो पैसा दिया गया है उसका अधिकतर लाभ बड़े घरानों ने उठाया है छोटे कारखानों की कीमत पर। और उस पर उन्होंने आंकड़े दिए। जो बड़े कारखाने हैं, जिनमें 50 लाख से ऊपर इन्वैस्टमैंट होता है, जो कि कुल कारखानों के केवल 3.4 प्रतिशत ही हैं, जिनको आपने सहायता दी है, उनको लगभग 53 प्रतिशत कुल रकम दी गई है जिसका फायदा उन्होंने उठा लिया है। इसी प्रकार से जो मीडियम यूनिट थे, जिनमें 10 से 50 लाख तक रुपया लगा हुआ है, जो कुल कारखानों के केवल 5.4 प्रतिशत हैं, उन्होंने कुल सब्सीडी का 25.2 प्रतिशत लाभ उठाया है। इसी तरह से जो छोटे यूनिट थे, जिनमें केवल 10 लाख तक रुपया लगा हुआ है और जो कुल यूनिट्स के 91.2 प्रतिशत भागीदार हैं, उनको आपने केवल 21.2 प्रतिशत ही पैसा दिया। इस प्रकार से इवैल्यूएशन रिपोर्ट में औसतन एवरेज के आधार पर बताया गया कि प्रत्येक बड़े कारखाने को 10.7 लाख रुपया मिला, मीडियम कारखाने को 3.1 लाख रुपया मिला और छोटे कारखाने को केवल 20,000 रुपया ही मिला। यह पी० ई० ओ० की रिपोर्ट जो प्लानिंग कमीशन ने सर्वे करके अपनी मैंडेशन के साथ दी है, वह आपके सामने है।

मैं इसके आधार पर वित्त मंत्री से कहना चाहूंगा कि जिस उद्देश्य को सामने रखकर इस आई० डी० बी० आई० बैंक की स्थापना की गई थी या फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई थी वह अपने आप में असफल रहे हैं।

पी० यू० सी० की रिपोर्ट के बारे में अन्य मेम्बरों ने आपका ध्यान आकर्षित किया है, मैं भी उस बारे में मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि लगभग 122 सिक यूनिट्स जून, 1980 तक देश में थे उसमें से 84 यूनिट्स आई० डी० बी० आई० लुक-आफर कर रही थी। इन सिक यूनिट्स को रिहैब्लीटेट करने में आइ० डी० बी० आई० कहां तक सफल हुई, उनकी क्या प्रोग्रेस है, लेटेस्ट पोजीशन किसी को आज मालूम नहीं है।

जैसा कि कई और मेम्बर्स ने बताया कि डिफाल्ट्स की पोजीशन और भी भयावह है। बड़े लोगों में यह डिफाल्ट बहुत पाया जा रहा है। स्वयं पी० यू० सी० ने भी ध्यान आकर्षित किया है। मैं मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि 51.78 करोड़ रुपया 18 महीने से भी अधिक से एरियर्स के अभी तक बकाया हैं। 644 कंपनीज को एसिस्ट किया गया, 244 कंपनीज ऐसी हैं जिनको प्रोजेक्ट फाइनेन्स स्कीम में एसिस्ट किया, और उसके अन्तर्गत 82.4 करोड़ रुपया उनकी तरफ बकाया है। इसमें से केवल 8 कंपनी ऐसी हैं, जिनके ऊपर 45 प्रतिशत एरियर अर्थात आधा पैसा इनकी तरफ बकाया है।

जो चित्रण है, जो पैसे का इन्वैस्टमैंट है, उसके बाद उसकी रिकवरीज, सिक यूनिट्स को रिहैब्लीटेट करना और इस सारी स्थिति पर पी० यू० सी० ने जो अपनी रिपोर्ट में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री को इस सम्बन्ध में कदम उठाना पड़ेगा और उठाना चाहिए।

मेरा एक सुझाव है कि किसी भी प्रोजेक्ट को सैंक्शन करते हुए उसकी वायब्लिटी को देखना आवश्यक है, लेकिन वही एकमात्र कंसीडरेशन नहीं होना चाहिए। जिन उद्देश्यों को लेकर हमने इन बैंकों की स्थापना की है, हमारा मकसद है कि सिक यूनिट उससे तरक्की कर सकें, यह भी सरकार को देखना आवश्यक है। इसके साथ ही साथ जितनी भी आपकी डिफरेंट फाइनेन्सिंग स्कीम हैं, यह जो डिफरैंट स्कीम्स के अन्दर फाइनैन्सेज हैं, उनकी प्रोग्रेस क्या है। कितना आप

(श्री बी० एन० गाडगिल पीठासीन हुए)

एचीव कर पाये हैं। अपने लक्ष्य को आप किस हद तक प्राप्त कर पाये हैं। मेरा सुझाव है कि इस सम्बन्ध में सदन के पटल पर एक विस्तृत रिपोर्ट रखनी चाहिए ताकि यह सदन और देश यह देख सके कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना के पीछे जो मकसद था, वह पूरा हुआ या नहीं।

इतना ही कहकर मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : माननीय सभापति जी, मैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 में संशोधन करने वाले विधेयक के समर्थन में अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी आपके और हमारे सामने कई माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के महत्व

और आवश्यकता पर प्रकाश डाला। साथ ही, कई माननीय सदस्यों ने इसकी कार्य प्रणाली और अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कुछ बातें कहीं।

सबसे पहले मैं इस विधेयक को लाने की जो आवश्यकता पड़ी, उसके विषय में प्रकाश डालना चाहूंगा। इस बैंक की शेयर कैपिटल 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये करने का प्रमुख कारण हमारे आई० डी० वी० आई० बैंक की ग्रोथ है। इस बैंक ने देश में जिस तरह से ग्रोथ की है, जिस गति से औद्योगिक विकास के लिए ऋण वितरित किए हैं, फाइनेंस दिया है और इस बिल में भी उसके आंकड़े देकर स्थिति स्पष्ट की गई है। साथ में यह भी कहा गया है कि इस बैंक की ईक्विटी डैट रेश्यो 1:12 है जो अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि इस बैंक का कार्य क्षेत्र दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है, दिन प्रति दिन इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसकी ग्रोथ रेट 32 प्रतिशत बताई गई है। वर्ष 1976-77 के बाद जिस तरीके से इस बैंक ने कार्य किया है, उसको देखते हुए इसकी शेयर कैपिटल बढ़ाने के लिए वे कारण पर्याप्त हैं। क्योंकि यही एक ऐसा प्रमुख बैंक है जो कि हमारे देश के विभिन्न लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों को वित्तीय सहायता देता है। इसके माध्यम से करीब डेढ़ करोड़ रुपये की पूंजी इन लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों को फाइनेंस करने के लिए दी गई है। इन उद्योगों को आई० डी० बी० आई० के माध्यम से सीधे रूप से सहायता न पहुंचा कर, हर एक स्टेट में जितने औद्योगिक विकास बैंक, फाइनैन्श्यल कार्पोरेशन और दूसरी संस्थाएं हैं, उसके एजेंट के रूप में कार्य करती हैं। इस कार्य के लिए उन इंसटीट्यूशन्स की कुछ सीमाएं बंधी हुई है, जिनके अन्तर्गत उन उद्योगों को रीफाइनेंस मिलता है।

यहां पर हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि यह बैंक हमारे गांवों के लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों को ऋण नहीं देता। लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि आई० डी० बी० आई० डायरेक्ट छोटे उद्योगों को ऋण नहीं देता, कृषि कार्यों के लिए ऋण नहीं देता। इस बारे में इसके कार्यों में स्पष्ट किया गया है कि इस तरह के कार्यों के लिए आई० डी० बी० आई० सीधे रूप में फाइनैंस नहीं करती। इसके लिए स्टेट्स में जितनी फाइनैंश्यल इंसटीट्यूशन्स बनी हुई हैं, उनके माध्यम से ऋण देने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है।

यहां पर एक और बात ध्यान देने की है। देश के ग्रामीण विकास और छोटे-छोटे लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों को ऋण देने के लिए अभी हाल ही में पिछले वर्ष संसद के सत्र में एक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई है। इस बैंक का कार्य 500 करोड़ रुपये की पूंजी से आरम्भ किया गया है। इस तरह की ऋण की व्यवस्था वह बैंक करता है, जिसमें ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को मजबूत करने का विषय निहित हो। ग्रामीण विकास का कार्य आई० डी० बी० आई० का नहीं है, कृषि बैंक का है। आई० डी० बी० आई० प्रमुख औद्योगिक ऋण बैंक है, जो कि ऋण देने के मामले में हमारे देश के यंग एन्टरप्रैन्योर्स को बढ़ावा देता है, जो हमारे देश में लघु और मध्यम दर्जे के उद्योग लगाकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। उनको यदि पूंजी में अंशदान की आवश्यकता होती है, उनको कमी पड़ती है तो उनके सीड कैपिटल के माध्यम से मदद करने की इस बैंक की बहुत बढ़िया योजना बनी हुई है। सिर्फ आई० डी० बी० आई० के माध्यम

से ही यह सुविधा उन एन्टरप्रैन्योर्स को उपलब्ध है जो बेरोजगार हैं, जो कृषि उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें इन कार्यों की ललक होती है, जिनमें कुछ टैक्नीकल टेलैंट होता है उनको ही आई० डी० बी० आई० के द्वारा सुविधायें दी जाती हैं।

उसके प्राजेक्ट कास्ट का 10 प्रतिशत और अधिकतम 15 लाख रुपये के सीड कैपिटल की सुविधा आई० डी० बी० आई० के माध्यम से दी जाती है।

1976-77 के पश्चात् आई० डी० बी० आई० के आपरेशन्ज का ग्रोअथ रेट 32 प्रतिशत बताया गया है। आई० डी० बी० आई० ने अपना कार्य-क्षेत्र बढ़ाया है, जिसके कारण ईक्विटी-डेट रेशो 1 : 12 हो गया है। ईक्विटी-डेट रेशो के इतना बढ़ने की वजह से ही हमको शेयर कैपिटल बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी है।

फाइनेन्शल इंस्टीट्यूशन्ज-रिजर्व बैंक, आई० डी० बी० आई० या स्टेट की फाइनेन्शल इंस्टीट्यूशन्ज आदि—अमूमन जो ईक्विटी-डेट रेशो मेनटेन करते हैं, वह 1 : 2 होता है या अधिक से अधिक 1 : 3, इससे ज्यादा नहीं होता है। ईक्विटी-डेट रेशो में असंतुलन का कारण यह है कि वर्ल्ड बैंक, आई० डी० ए० और रिजर्व बैंक आदि वित्तीय संस्थाओं ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऋण देकर औद्योगीकरण में सहयोग दिया है।

मैं आई० डी० बी० आई० के कार्य-क्षेत्र और वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए उसके पुराने नियमों में संशोधन की आवश्यकता के बारे, में अपने विचार रखना चाहता हूं। आई० डी० बी० आई० इस समय स्टेट फाइनेन्स कार्पोरेशन्ज के माध्यम से लघु और मध्यम उद्योगों को जो ऋण देता है, उसकी कुछ सीमाएं हैं। इस सम्बन्ध में मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण देना चाहता हूं। वहां पर मध्य प्रदेश फिनांस कार्पोरेशन की सीमा 30 लाख रुपये है, जो आई० डी० बी० आई० रीफिनांस करता है। इसी तरह मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम एम० पी० ए० वी० एन०—की अधिकतम सीमा 60 लाख रुपये है। इन दोनों का जो जायंट प्रोपोजल बनता है, एपरेजल के लिए जायंट कमेटी में जाता है, उसमें आज भी 90 लाख रुपये से ज्यादा रीफिनांस नहीं किया जाता है। ये सीमाएं आज से करीब 15 साल पहले निर्धारित की गई थीं। तब से लघु उद्योग के कैपिटल इनवैस्टमेंट की सीमा 7.5 लाख रुपये से बढ़ा कर 20 लाख रुपये कर दी है और मध्यम उद्योग की 1 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 3 करोड़ रुपये कर दी गई है। इस वजह से स्टेट एजेन्सीज की पुरानी लिमिट्स कम पड़ती हैं। जिन मध्यम उद्योगों की लागत डेढ़-दो करोड़ रुपये के आस-पास होती है, जिन्हें लोकल बेसिक इनफ्रा-स्ट्रक्चर को डेवेलप करके स्थापित करना होता है, उनको बड़ी-बड़ी फिनांशल इंस्टीट्यूशन्ज से फिनांस लेने में बड़ी कठिनाई होती है। आई० सी० आई० सी० आई० और आई० एफ० सी० आई० जैसी वित्तीय संस्थायें बड़े उद्योगों को ऋण देती हैं, छोटे एवं मध्यम उद्योगों को नहीं। इस लिए यह आवश्यक है कि 60 लाख रुपये और 30 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाया जाए और डेढ़-दो करोड़ रुपये के उद्योग आई० डी० बी० आई० द्वारा रीफिनांस किए जायें, ताकि एन्टरप्रीनर्ज को अन्यत्र न जाना पड़े।

अन्त में मैं कृषि पर आधारित उद्योगों और बैकवर्ड जिलों के बारे में कुछ सुझाव देना

चाहता हूं। हमारा देश एक कृषि-प्रधान देश है, जिसमें हम कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे कई उद्योग एग्रीकल्चरल रेजिड्यू पर आधारित होते हैं, जैसे स्ट्रा से स्ट्राबोर्ड और मिनी पेपर प्लांट, या सोयाबीन पर आधारित सोयाबीन सालवेंट एक्स्ट्रेक्शन प्लांट। ये उद्योग लोकल एम्पलायमेंट का पोटेंशल क्रीएट करते हैं, लोकल या मैटीरियल का उपयोग करके एम्पलायमेंट की गति को बढ़ाते हैं। इनके लिए आई० डी० बी० आई० को इन उद्योगों के लिए कनसैशनल रेट पर लोन देना चाहिए। जो जिले पिछड़े हुए हैं और भारत सरकार द्वारा नोटिफाइड हैं, वहां पर उद्योगों के लिए कनसैशनल रेट पर अधिक से अधिक फिनांस उपलब्ध कराना चाहिए।

उद्योगों को चलाने में एक प्रमुख समस्या इलेक्ट्रिक पावर की शार्ट सप्लाई है, जिसको हल करने के लिए उद्योगपति और उद्योग-ग्रुप अपने कैप्टिव पावर यूनिट लगाना चाहते हैं, और लगाते हैं। उसके लिऐ आई० डी० बी० आई० रीफिनांस करता है। लेकिन उसके लिए कम रेट आफ इन्ट्रेस्ट, कम ब्याज, पर ऋण देने की सुविधा आई० डी० बी० आई० नहीं देता है। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि समय की आवश्यकता को देखते हुए—यह उत्पादकता वर्ष है—इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उद्योगों को अपने कैप्टिव पावर यूनिट या जैनीरेटिंग सैट रखने के लिए आई० डी० बी० आई० द्वारा कनसैशनल रेट पर रीफिनांस किया जाए, जिससे उनके उत्पादन में गिरावट न आए और वे अपनी क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग कर सकें।

मैं इस बिल का समर्थन करते हुए आई० डी० बी० आई० के शेयर कैपिटल को 500 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के प्रावधान का पुरजोर समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों की नोटिस में लाना चाहता हूं कि इस विधेयक के लिए आवंटित समय पहले ही समाप्त हो गया है। अतः मेरा अनुरोध है कि बहुत संक्षेप में भाषण करें। श्री एस० मुरूगयन।

* **श्री एस० मुरूगयन** (तिरूयचुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में कतिपय सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ हूं जो हमारे माननीय वित्त मंत्री द्वारा पुर : स्थापित किया गया है। इस संशोधनवादी विधेयक द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की 200 करोड़ रुपये की प्राधिकृत पूंजी को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये करने का प्रावधान मांगा गया है। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं चूंकि देश की औद्योगिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिक निधियां उपलब्ध होंगी। सबसे पहले, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को यह परामर्श दिया जाए कि वह बड़े उद्योगों, मध्यम उद्योगों तथा लघु उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं के मामले में निष्पक्षता बरते।

महोदय, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि आई० डी० बी० आई०, आई० एफ० सी० आई०, आई० सी० आई० सी० आई० सी० ई० जैसी केन्द्रीय वित्तीय संस्थायें अपेक्षित वित्तीय आधारभूत सुविधायें जुटाकर एम० आर० टी० पी०, फेरा कम्पनियों का विकास कर रही हैं। यह

* तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

खेद की बात है कि इन वित्तीय संस्थाओं द्वारा मध्यम तथा लघु उद्योगों की कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रति ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन मामलों में ऋण मंजूर करने में अनावश्यक विलम्ब होता है। कतिपय राष्ट्रीयकृत बैंक सरकारी तौर पर ऐसे ऋण आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर देते हैं कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ऐसे ऋणों पर पुनर्वित्त नहीं करता। यदि ऐसी स्थिति जारी रही तो अमीर व्यक्ति और अमीर होते जायेंगे, बड़े उद्योग बड़े होते जायेंगे और छोटे उद्योग और छोटे होते जायेंगे, जैसा कि गरीब व्यक्ति गरीब होता जा रहा है। मैं मांग करता हूं कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की प्राधिकृत पूंजी 200 करोड़ रुपये को 500 करोड़ रुपये बढ़ाने के फलस्वरूप होने वाली वृद्धि के अनुपात में बड़े उद्योगों, मध्यम उद्योगों तथा लघु उद्योगों को ऋण सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए।

महोदय, हमारे माननीय रक्षा मंत्री तमिलनाडु में उद्योग मंत्री थे, तब उन्होंने तमिलनाडु में उद्योगों का संतुलित विकास सुनिश्चित किया था। उन्होंने तमिलनाडु में बड़े मध्यम तथा लघु उद्योगों की आवश्यकताओं पर बराबर ध्यान दिया था। आज तमिलनाडु में जो औद्योगिक प्रगति हुई है उसका श्रेय उनके द्वारा बनाई गई मजबूत आधारशिला को जाता है। मैं आशा करता हूं कि हमारे गतिशील वित्त मंत्री पूरे देश में उद्योगों के संतुलित विकास पर भी ध्यान देंगे और न कि एक अथवा अन्यों की कीमत पर। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करने में एक भूमिका निभानी है ताकि कृषिक मजदूर जो एक वर्ष में अंशतः रोजगार में लगे होते हैं, ऐसे ग्रामीण उद्योगों के माध्यम से अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे माननीय वित्त मंत्री इस बात को ध्यान में रखेंगे।

महोदय, इस समय 5000 लघु उद्योग रुग्न हैं तथा जिन उद्यमियों ने इसमें धन निवेश किया है कि वे किंकर्त्तव्य विमूढ़ हैं कि क्या वे अपना उद्योग जारी रखें अथवा बन्द कर दें। उनमें भारी निवेश के घाटे के अलावा पूरे देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी होगी, यदि उन्हें बन्द करा दिया गया। कुछ तीन वर्ष पूर्व कलकत्ते में एक विचार-गोष्ठी में भाषण करते समय भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के चैयरमैन ने कहा है। 'ऐसे रुग्न मिलों को बन्द होने दें।" मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री के ध्यान में इसे लाया गया होगा, क्योंकि उन्होंने कलकत्ता में कहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे वित्त मंत्री का यह विचार नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करना हूं कि लघु उद्योगों के प्रति ऐसी नाशवादी प्रवृति को बढ़ावा न देने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के चैयरमैन को परामर्श दिया जाए।

मैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के चैयरमैन के दृष्टिकोण का एक और हवाला देत हूं। सीमेंट अनुसंधान संस्थान ने नई दिल्ली में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया था और इस विचार-गोष्ठी में 1000 से अधिक डेलीगेटों ने भाग लिया था, जबकि वैयक्तिक अंशदान 400 रुपये था। विचार-गोष्ठी के संयोजकों ने पूरे देश में लघु सीमेंट कारखानें स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि उपलब्ध कच्चे माल को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके। हाल ही में सीमेंट उत्पादन निजी क्षेत्रों की कतिपय एकाधिकारी संस्थानों के हाथों में है, जो काफी मुनाफा कमा रहे हैं। इस विषय पर चर्चा करते समय, प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों की इस

आधार पर ऋण देने की अनिच्छा का उल्लेख किया कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उन्हें पुनर्वित्त नहीं करते। एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के स्थान पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के चैयरमैन, जो इस विचार-गोष्ठी में उपस्थित थे, ने कहा कि उनके लिए लघु-सीमेंट कारखानों के लिए ऋण का विस्तार करना संभव नहीं है, यदि वे ऐसी वित्तीय सहायता के मानदण्डों के परिप्रेक्ष्य से बाहर हैं। दूसरे शब्दों में, वह प्रत्येक चीज भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के नियमों तथा विनियमों के अनुकूल चाहते हैं जो इस समय बड़े उद्योगों के पक्ष में हैं। यह स्पष्ट है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक मध्यम तथा लघु उद्योगों की प्रगति में रुचि नहीं लेता। यदि यही रवैया रहा तो प्रधान मंत्री द्वारा 1982 को उत्पादकता वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा बेकार जाएगी। माननीय वित्त मंत्री को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को परामर्श देना चाहिए कि वह अपना दृष्टिकोण देश में औद्योगिक आवश्यकता के अनुरूप बदले।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व, मैं ऐसे वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता प्राप्त करने वाली कम्पनियों में इन वित्तीय संस्थाओं के नामितों की नियुक्ति के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। उदाहणणार्थ, एक सी० आर० एस० भट्ट, जिनकी उम्र 73 वर्ष है, जो सिन्थेटिक्स एण्ड केमिकल में आई० सी० आई० सी० आई० के नामिति हैं, 23 अन्य ऐसी कम्पनियों के बोर्ड में भी हैं जो आई० सी० आई० सी० आई० से ऋण प्राप्त करते हैं। यह उन नियमों का खुला उल्लेखन है कि ऐसे नामिति 63 वर्ष से अधिक उम्र के नहीं होने चाहिए तथा 10 कम्पनियों से अधिक में नामिति नहीं होना चाहिए। सेवा निवृति के पूर्व ही आई० ए० एस० तथा अन्य अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी ऐसे उपक्रमों में अपने लिए स्थान बनवा लेते हैं। यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केवल वास्तविक व्यावसायिक विशेषज्ञ ही सरकारी वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने वाली कम्पनियों में उनके द्वारा नियुक्त किए जाएं। तभी उनके हितों की रक्षा की जा सकेगी।

अन्त में मैं पुनः इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जैसी सरकारी वित्तीय संस्थाओं के लिए स्पष्ट अनुदेश तैयार करवाएं और लघु, मध्यम तथा बड़े उद्योगों को समान अनुपात में वित्तीय सहायता की जाए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : श्रीमन्, अन्य सदस्यों ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की कार्यप्रणाली तथा अन्य बातों की चर्चा की है, मैं केवल एक दो ही बातों का जिक्र करना चाहता हूं।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि यह उत्पादित वर्ष है और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने की जरूरत है। जब तक हम देश में औद्योगीकरण नहीं करेंगे तब तक हम प्रगति नहीं कर सकेंगे। कहा जाता है, 'उद्योगीकरण कीजिये या नष्ट हो जाइये।' यही हमारा नीति-मन्त्र होना चाहिए। मुझे आशा है कि इस विधेयक से देश में उद्योगों का संवर्धन करने में निःसन्देह मदद मिलेगी। फिर भी कुछ बाधाएं हैं। हम पहले ही कह रहे हैं कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा ऋण देने की योजनाएं पर्याप्त नहीं हैं। यह एक बहुत

बड़ा देश है और यह कहा गया है कि देश के उत्तर-पूर्वी तथा अन्य विभिन्न भागों में उद्योगों की विकास की दर भिन्न-भिन्न है। यहां तक कि मेरा राज्य केरल भी औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है। उद्योगों के मामले में यह प्रादेशिक असंतुलन क्यों है ? इसका मुख्य कारण यह है कि ऋण देते समय में वित्तीय संस्थाएं उस क्षेत्र के औद्योगिक रूप से पिछड़ेपन को ध्यान में नहीं रखती हैं। वे केवल उद्योग के आर्थिक पहलू को ही ध्यान में रखती हैं। ऋण देने की कसौटी केवल उद्योग की वित्तीय क्षमता ही है। मेरे विचार में यह एक गलत नीति है। अन्य पहलुओं का भी ध्यान रखना होता है। उदाहरणार्थ, एक बड़े पैमाने के उद्योग की तुलना में एक मध्यम दर्जे के उद्योग में रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हो सकते हैं। एक बड़े पैमाने के उद्योग में पूंजी-निवेश तो बहुत अधिक होता है परन्तु रोजगार के अवसर कम होते हैं। मध्यम दर्जे के तथा छोटे उद्योगों में रोजगार के अधिक अवसर मिलते हैं चाहे वे वित्तीय दृष्टिकोण से कम अर्थक्षम होते हैं। इन्हें बढावा दिया जाना चाहिए क्योंकि इनके फलस्वरूप रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योंगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उद्योग के क्षेत्र में आने वाले युवा उद्यमियों, इंजीनियरों तथा तकनीकी व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से ये सभी बातें केवल कागजों पर ही हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों को बार बार ऋण दिए जाने के अलावा और कुछ नहीं किया गया है। जो भी रियायतें दी जाती हैं। वे सभी बड़े उद्योगों को दी जाती हैं।

यहां पर सीमेंट के छोटे कारखानों के बारे में कहा गया है। हमें सीमेंट के छोटे कारखानें लगाने के प्रश्न पर क्यों विचार नहीं करना चाहिए ? यहां सीमेंट की कमी है। हमें सीमेंट के आयात पर मूल्यवान विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। यदि हमनें इस दिशा में पहले आयोजन किया होता और सीमेंट के छोटे कारखाने लगाए होते, तो अब सीमेंट की कमी का सामना न करना पड़ता।

यही बात कागज के छोटे कारखानों के बारे में लागू होती है। मुझे मालूम हुआ है कि कागज के छोटे काखानों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। मुझे एक मामले का पता है जिसमें एक युवा इन्जीनियर ने सरकार के प्रचार से प्रेरित होकर सोचा कि नौकरी करने की बजाए कागज का एक छोटा कारखाना ही लगा लिया जाये। केरल सरकार ने भी उसे प्रोत्साहित किया। उसने लगभग 13 लाख रुपये उधार लिए, राज्य औद्योगिक विकास निगम ने भी उसकी सिफारिश की। परन्तु अब यह बताया जाता है कि यह अर्थक्षमी नहीं है और इसीलिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक वित्तपोषण नहीं कर रहा है। वह लड़का कह रहा था कि वह फांसी ले लेगा। यह स्थिति है। पूंजी लगाने से पहले भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा अन्य संस्थानों ने ऐसा क्यों नहीं कहा ? आप लोगों को उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और जब नये विशेष कर युवा तथा शिक्षित लोग आगे आते हैं, तब उन्हें ऋण की सुविधा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। वे जगह जगह जाते हैं, धक्के खाते हैं और अन्ततः उन्हें निराश वापस लौटना पड़ता है। यह स्थिति है इस देश की। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। न केवल वित्तीय क्षमता परन्तु अन्य पहलुओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। कोई उपाय करना चाहिए जिससे ऋण सुगमता से

मिल सके । इस समय स्थिति यह है कि केवल उन्हीं लोगों को ऋण मिलता है जिनका उद्योगों पर पहले ही नियन्त्रण है । इसी कारण देश में सीमेंट, कागज तथा अन्य कई चीजों का अभाव है ।

मैं बताना चाहता हूं कि देश में पूंजी की कमी नहीं है । इस देश में धन तो बहुत है । जैसा कि मैं केरल के बारे में कह रहा था, वहां 500 करोड़ रूपये बाहर से आते हैं । केरल में इन सभी बैंकों की शाखायें हैं । मुझे मालूम हुआ है कि जितनी रकम वहां जमा होती है उसकी दो प्रतिशत रकम भी उद्योगों में नहीं लगाई जाती । यह स्थिति केवल केरल के बारे में ही नहीं है । गुजरात हो चाहे, कोई और राज्य, स्थिति यही है । धनराशि है, परन्तु उसका उपयोग उद्योग में उत्पादन के लिए नहीं किया जाता । इसमें अड़चन क्या है ? अड़चन यह है । मैं यह नहीं कहता कि वित्तीय संस्थाओं या सरकार द्वारा जो सहायता दी जाती है, वह अपर्याप्त है, परन्तु उन उद्यमियों को, जो पहल करके इस क्षेत्र में आते हैं, कई तकनीकी अड़चनों का सामना करना पड़ता है । मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इन सब पहलुओं को ध्यान में रख कर कोई उपाय करें । ऋण इस प्रकार दिए जाने चाहिए जिससे प्रादेशिक असंतुलन दूर हो सके । जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, उद्योग की केवल वित्तीय क्षमता को ही ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए । ऐसा नहीं किया जाना चाहिए । न केवल वित्तीय क्षमता ही परन्तु अन्य पहलुओं, अर्थात रोजगार के अवसरों के मिलने, क्या आवेदक पिछड़े हुए क्षेत्र से है या कोई युवा स्नातक है, पर विचार किया जाना चाहिए । ऋण उपलब्ध करने के साधनों को सुलभ बनाया जाना चाहिए जिससे साधारण लोग भी इन संस्थाओं के दरवाजे तक पहुंच कर ऋण प्राप्त कर सकें । धन्यवाद ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं जो वित्त मंत्री जी ने पेश किया है । मंत्री जी ने इसकी शेयर पूंजी को 200 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ रु० करने की बात की है । यह तो नेशनल इन्टरेस्ट में है । मगर इस पूंजी का वितरण किस प्रकार से हो रहा है यह देखने की बात है । यह पैसा जितने भी लोगों को मिल रहा है वह बड़े-बड़े पूंजीपतियों को ही मिल रहा है और जो फ्राड कर रहे हैं । मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं हमारे यहां एक मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल बिल्कुल सिक यूनिट हो गई, सारी पूंजी निकाल कर उस मालिक ने दूसरी इन्डस्ट्रीज खड़ी कर दीं ताकि मजदूरों को नुकसान पहुंचाया जाय । 30 लाख रु० मजदूरों के प्रोवीडेंट फण्ड का खा गया, साढ़े 3 लाख रु० ई० एस० आई० का जमा नहीं कराया । इस तरह से जो मजदूरों का पैसा खा रहा है उसी को आई० डी० बी० आई० ने 3 करोड़ रुपया लोन दिया । मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह सारा पैसा आपका डूब जायगा और सारा झंझट भारत सरकार या बैंक के सर पर आ जायगा जिसने उसको कर्जा दिया है । मैंने यहां पर रिप्रजेन्टेशन दिया कि इस आदमी को कर्जा न दिया जाय, इसके पास सारा पैसा डूब जायगा । मगर उसके बाद भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स ने उसको 3 करोड़ रु० का लोन एडवांस कर दिया । यह पैसा निश्चित तरीके से वापस नहीं होगा क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति खराब है और उस इंस्टीट्यूशन का पैसा जिसने कर्जा दिया है वह पैसा जमा नहीं करा सकता और इस तरह से बहुत बड़ा फ्राड वह पूंजीपति भारत सरकार के खिलाफ कर रहा है । इसलिए आपको सतर्कता से काम करना चाहिए । आपको मैंने एक चिट्ठी लिखी है, हमारे यहां पर राजस्थान स्पिनिंग और वीविंग मिल्स एक संस्था है जिसने बहुत पैसा कमाया और 4,5 बड़ी यूनिट खड़ी कर

लीं और इस यूनिट को सिक कर दिया। जो अच्छी यूनिट्स हैं वह उसके साथ थीं उनको अलग कर दिया और सिक यूनिट को अलग करके भारत सरकार से पैसा लेने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ सीमेंट इन्डस्ट्री लगा रहा है और इस इन्डस्ट्री को सिक करके जितना पैसा भारत सरकार या फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशन्स से लिया है उस सारे पैसे को हड़प करने की कोशिश कर रहा है। और फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशन्स बराबर उसको पैसा दे रहे हैं। किस तरह से यह काम कर रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना चाहिए।

दूसरी तरफ मजदूरों की वेजेज, बोनस और प्रोवीडेंट फंड और ई० एस० आई० का कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है। उसको वह स्वयं खा रहा है और दूसरी तरफ भारत सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहा है और अपना काला धन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और इस काम में आपके फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशन उसकी मदद कर रहे हैं। इसको आपको देखना चाहिए।

मैंने चिट्ठी लिखी कि यह आदमी अच्छी यूनिट से खराब यूनिट को, जो एक ही यूनिट है आज तक, उसको प्राइवेट यूनिट बना रहा है और इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। मगर उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वह संस्था अलग हो गई और उस संस्था ने भी करोड़ों रु० फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशन्स से ले रखा है और वह सारा पैसा सिक इन्डस्ट्री में डाल दिया। इसकी वजह से आपका पैसा वापिस मिलना मुश्किल हो जायेगा और किस प्रकार की हानि भारत सरकार को होगी, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इस प्रकार के लोग भारत में बहुत ज्यादा हैं, बड़े-बड़े पूंजीपति इस प्रकार का काम कर रहे हैं। इनसे जब तक आप सावधान और सतर्क नहीं होंगे, सारी व्यवस्था ठीक नहीं होगी।

आप इंडस्ट्रीज के डैवलपमेंट के लिये अच्छा काम कीजिये, उसके लिए 500 करोड़ क्या आप हजार करोड़ रुपया लीजिये, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो सरकार, देश और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्ज को धोखा देना चाहते हैं, उनसे सावधानीपूर्वक निपटने की आवश्यकता है। इसके सम्बन्ध में खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है।

राजस्थान एक बहुत पिछड़ा हुआ प्रांत है। 83 जिलों को आपने बैकवर्ड घोषित करके उनमें बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने की बात कही है। राजस्थान में कितने जिलों को आप बिग या मीडियम इंडस्ट्रीज दे रहे है, इसके संबन्ध में भी हमको कोई न कोई जानकारी दीजिये ताकि हमें विश्वास हो कि भारत सरकार पिछड़े प्रांतों को ऊंचा उठाने का जो काम कर रही है, या पिछड़े हुए जिलों को या पिछड़े हुए लोगों को आर्थिक तौर पर संपन्न बनाने का जो कार्यक्रम चला रही है, उसमें आपने क्या प्रगति की है और हमको भी उसमें कितना हिस्सा मिल रहा है? इस बात की मैं जानकारी करना चाहता हूं।

मेरा एक बड़ा अहम सवाल है। हमारे वित्त मंत्री जी पहले कामर्स मिनिस्टर और स्टील माइंस के मिनिस्टर रहे हैं। मैंने तब भी उनसे बार-बार आग्रह किया था कि एक बहुत बड़ी इन्डस्ट्री हमारे जिले में लग सकती है और वह है जिंक स्मैल्टर प्लान की। हिन्दुस्तान में ही नहीं, बल्कि दुनिया का एक बहुत बड़ा डिपाजिट इसका हमारे आबू क्षेत्र में है। आप हर साल 100, 150

करोड़ रुपये का सीसा और जस्ता बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। हमारे यहां इसका इतना डिपाजिट है कि आपको 100, 150 करोड़ रुपये का इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा और आप इसमें फारेन एक्सचेंज इतने रुपये की बचा सकते हैं। इतना ही नहीं 100, 150 करोड़ रुपया इसके अलावा इसे एक्सपोर्ट करके आप प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह हर साल 300 करोड़ से ज्यादा की इससे आमदनी भारत सरकार को हो सकती है, मगर आपने इस तरफ कोई तवज्जह नहीं दी है।

हमारे इस पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट के लिए यह एक बड़ा अहम प्रश्न है और यह हमारा हक है। इतना बड़ा डिपाजिट संसार में शायद अमेरिका में ही एक आध जगह हो, उसके अलावा कहीं इतना बड़ा डिपाजिट इसका नहीं है। यहां से 60 करोड़ मीट्रिक टन डिपाजिट सीसे और जस्ते का मिल सकता है। इसकी तरफ निश्चित तरीके से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, बैकवर्ड पीपल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस पर तवज्जह देने की कृपा करें ताकि यहां के लोग आगे बढ़ सकें और उनकी आर्थिक उन्नति हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका समर्थन करता हूं।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : सभापति महोदय, वित्त मंत्री यह विधेयक लाये हैं जिससे केन्द्रीय सरकार बैंक की अधिकृत पूंजी को 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर सके।

श्रीमन् आजकल अतिसूक्ष्मता के दिन हैं और हमारे औद्योगिक एवं वित्तीय क्रियाकलापों में विभिन्नता और अतिसूक्ष्मता आ गई है और इसलिए अब बैंकों को पहले समय की तुलना में बहुत ही भिन्न आर्थिक परिस्थितियों में कार्य करना है। 25 वर्ष पूर्व जो वे भूमिका अदा कर रहे थे वह बिल्कुल भिन्न थी। अब उन्हें भिन्न प्रकार की भूमिका निभानी है। इस समय समस्यायें कहीं अधिक और व्यापक हैं। गैर-सरकारी तौर पर औद्योगिक परियोजनाओं को बढ़ावा देने वाले पहले की तरह अब भी हैं। अब परियोजनाओं का संवर्धन स्थापित कम्पनियों तथा राज्य औद्योगिक निवेश निगमों द्वारा किया जाता है। इन सब चीजों का भार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पर पड़ता है। यह बैंक जुलाई, 1964 में स्थापित किया गया था और इसके पीछे श्री टी० टी० कृष्णमाचारी का हाथ था। उस समय, श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने सभा में इस औद्योगिक विकास बैंक का मुख्य प्रयोजन स्पष्ट किया था। इसका मुख्य प्रयोजन भविष्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग को वित्त जुटाना है। जहां तक मूल्यांकन का संबन्ध है, प्रायः हम आंकड़ों का सहारा लेते हैं और बैंक के कार्य के बारे में निर्धारण उद्योगों को दी गई सहायता और उसके निकले परिणामों के आधार पर करते हैं। यह पर्याप्त नहीं है। हमें देश में औद्योगिक विकास के लिए दिए गए ऋण के समस्त आयोजन में अदा की गई भूमिका को ध्यान में रखना होगा।

सभापति महोदय, जैसे आपने बताया, समय कम है, इसलिए मैं संक्षेप में ही कहूंगा।

संसद की सरकारी उपक्रमों संबन्धी समिति के प्रतिवेदन हैं इन्हें प्रकाशित कर दिया गया है, सरकारी उपक्रमों संबन्धी समिति ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की समस्त कार्यप्रणाली पर विचार किया है और युक्तिसंगत टिप्पणियां की हैं। उन्होंने इस संबन्ध में ठोस सुझाव दिए हैं।

श्रीमन् एक त्रुटि जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की कार्यप्रणाली में पाई गई है वह यह है कि :

> "भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋणों और सहायता के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं देता है। हालांकि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को समन्वय कार्य तथा संस्थागत वित्त के मामले में पूरी जिम्मेवारी सौंपी गई है।"

यह तो पहली त्रुटि है जो पाई गई है। प्रतिवेदन में आंकड़ों के उपलब्ध न होने के बारे में भी कहा गया है :

> "सभी वित्तीय तथा पूंजी-निवेश संस्थाओं के क्रियाकलापों के फलस्वरूप पूंजी और रोजगार के अवसरों में समूचे रूप से हुई वृद्धि तथा अर्थव्यवस्था को हुए लाभ के बारे में आंकड़े भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से मंगाये जाते हैं।"

ये आंकड़े भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास उपलब्ध नहीं हैं। अतः सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने यह जानकारी उनसे मांगी थी :

> "यदि ऐसा कर दिया जाता है, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को कारबार के आयोजन तथा उद्योग के वित्तपोषण के लिए समस्त ऋण के साधनों के लिए जिम्मेदार ठहराना होगा।"

उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने आगे कहा :

> "वित्तीय संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य सामाजिक रूप से वांछनीय दिशाओं में पूंजी सृजन को बढ़ावा देना है। वित्तीय क्षमता के अतिरिक्त एक और बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उससे समूचे दृश्य से राष्ट्र को क्या लाभ होगा। अतः परियोजना आंकन विधियों का महत्व है।"

जहां तक इस परियोजना-आंकन विधि का सम्बन्ध हैं, हम बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। हम आधुनिक तरीका नहीं अपनाते हैं। हम उनका अनुसरण नहीं करते हैं। साधनों का अभाव है और विशेष ज्ञान भी सीमित है। अतः सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का मुख्य सुझाव यह है कि :

> "प्रत्येक वित्तीय संस्था को कुछ ही उद्योगों से व्यवहार करना चाहिये ताकि दोहरा काम न हो।"

इस समय उनका अधिकार क्षेत्र सर्वत्र फैला हुआ है। कोई भी वित्तीय संस्था प्रायः किसी भी परियोजना को हाथ में ले लेती है और दोहरा काम होता है। इसे रोका जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त :

"भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दी जाने वाली सहायता में बहुत अधिक प्रादेशिक असंतुलन है। उत्तरपूर्वी क्षेत्र की विशेष रूप से उपेक्षा की गई है।

श्रीमन्, कई सदस्यों ने कहा है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में कदाचार व्याप्त है। जो बातें उन्होंने कह दी हैं, मैं उन्हे नहीं दोहरना चाहता हूं।

महोदय, आवेदन पत्रों को निपटाने तथा मंजूरी के पश्चात् सहायता देने के मामले में विलम्ब हो जाता है। 17 प्रतिशत आवेदन पत्रों के मामले में छह महीनों का विलम्ब हो जाता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जो इस देश में शीर्ष विकास-वित्त पोषण निकाय है, के कार्य की यह स्थिति है :

"इसके अतिरिक्त, 1973 से लगभग सभी वित्तीय संस्थाओं का खर्च बढ़ता जा रहा है। यह वित्तीय संस्थाओं द्वारा किए जा रहे कार्य के बारे में आक्षेपहै। क्रियान्विति की देख रेख के लिए एक विशेष पेनल या अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए।"

उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने यह भी कहा है। मैं समिति के विचारों का समर्थन करता हूं। गहन अध्ययन करने के पश्चात् वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं :

"यह अखिल भारतीय आकार पर होना चाहिए।"

यह रुग्ण कारखानों को चालू करने के बारे में है। यह अखिल भारतीय आधार पर किया जाना चाहिए और यह भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस बारे में अभी तक कोई स्पष्ट धारणा नहीं बनी है कि किन कारखानों को रुग्ण ठहराया जाये। हम अभी किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे हैं। मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कई उदाहरण दिये हैं। कभी कभी बड़े बड़े उद्योगपति कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं जिनसे वे अपने कारखानों को तथाकथित रूप में रुग्ण बना देते हैं। बम्बई में कई कारखानों को रुग्ण घोषित कर दिया गया है। वे सरकार से पैसा लेना चाहते हैं जिससे वे उसे अन्य परियोजनाओं में लगा सकें। वे यह खुले-आम कर रहे हैं और हम उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सके हैं।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और रिजर्व बैंक के बीच दोहरा काम होता है उसको रोका जाना चाहिए और इस बारे में समान मार्गदर्शी सिद्धांत होने चाहिएं।

ऋण के सामान्य शेयरों में बदलने के बारे में एक और पहलू है। इस बारे में स्पष्ट निर्देश दिये जाने चाहिए कि ऋण को सामान्य शेयरों में कब बदला जा सकता है और किन परिस्थियों में विकल्प की छूट दी जा सकती है। विकल्प की छूट अधिकारियों की मर्जी पर निर्भर है। यदि इसके लिए विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्त हों, तो अधिकारियों की मनमानी से बचा जा सकेगा।

मुझे आशा है कि हमारे सक्रिय वित्त मंत्री मेरी इन बातों की ओर ध्यान देंगे। धन्यवाद, मैंने जो कहना था कह चुका।

श्री प्रणव मुखर्जी : सभापित महोदय, सर्व प्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं उन सब माननीय सदस्यों की टिप्पणियों की कदर करता हूं जिन्होंने वाद विवाद में भाग लिया, हालांकि मैं उनकी सब टिप्पणियों से सहमत नहीं हूं। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान, जिसका उपबन्ध बहुत ही सरल है, इस मुख्य वित्तीय संस्थान के कार्यकरण पर विचार करने का अवसर मिला है और इससे माननीय सदस्यों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के विभिन्न पहलुओं की जांच करने का अवसर मिला है।

मोटे तौर पर विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा कही गई बातों को हम इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं—प्रथम, क्या उन उद्देश्यों को पूरा किया गया है जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह मुख्य वित्तीय संस्थान स्थापित किया गया था। दूसरे, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने, पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक कार्यकलापों को बढ़ाने, लघु उद्योगों को सहायता प्रदान करने तथा अन्य मामलों में इसका क्या योगदान रहा है और क्या दी जाने वाली सहायता बड़े पैमाने पर बड़े बड़े उद्योगों और एन० आर० टी० पी० गृहों को मिल रही है।

पहले में यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने अपनी नीति में गैर-सरकारी क्षेत्र को भी शामिल किया है और हमने उनको सहायता देने की जिम्मेदारी को भी स्वीकार किया है। इसलिए इस बात में कोई दम नहीं है कि संस्थान गैर-सरकारी क्षेत्र को सहायता दे रहे हैं।

सकल योजना निवेश के संदर्भ में माननीय सदस्यों को यह ज्ञात है कि चालू योजना के दौरान गैर सरकारी क्षेत्र में लगभग 24000 करोड़ रुपये की पूंजी लगाने की संभावना है। यह राशि कहां से आयेगी ? कुल पूंजी निवेश 97500 करोड़ रुपये है, जिसमें सरकारी क्षेत्र भी शमिल हैं। जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है उसके लिए राशि की व्यवस्था बजट में की जाती है और गैर सरकारी क्षेत्र को वित्तीय संस्थानों से सहायता दी जाती है तथा इसके अतिरिक्त उनकी अपनी बचत होती है। यदि आप यह स्थिति स्वीकार कर लें कि गैर सरकारी क्षेत्र को बिल्कुल सहायता न दी जाये तो आपके आधे औद्योगिकि कार्यकलाप और आधा निवेश पूर्णतया समाप्त हो जाएगा।

दूसरे गैर सरकारी क्षेत्र के बारे में विचार करते हुए हमें इस बात को ध्यान में रखना होता है कि गैर सरकारी क्षेत्र के अधिकांश उद्योग लघु उद्योग हैं। लगभग 50 प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन लघु उद्योगों से प्राप्त होता है। इसलिए गैर सरकारी क्षेत्र को मदद देने का अर्थ एक बड़ी सीमा तक छोटे उद्योगों को मदद देना है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम यह देखेंगे कि गत वर्षों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की उपलब्धियां क्या रही हैं ? मैं कुल उपलब्धियों का मूल्यांकन कर रहा हूं। जहां तक वर्ष 1981-82 का सम्बन्ध है, गैर सरकारी क्षेत्र को दी गई सहायता में से कुल 66.1 प्रतिशत सहायता लघु उद्योगों को दी गई थी। प्राथमिकता प्राप्त करने वाले क्षेत्रों का चयन योजना की प्राथमिकता के अनुसार सरकार द्वारा किया जाता है न कि उद्योगों द्वारा। मेरे पास आंकड़े हैं और यदि आप चाहें तो मैं विस्तृत जानकारी दे सकता हूं।

लघु उद्योग क्षेत्र को दी गई सहायता 44% ; पिछड़े क्षेत्रों में एककों को दी गई सहायता 33.6% ; एम० आर० टी० पी० कम्पनियों को दी गई सहायता 7.3%। अतः एम० आर० टी० पी० कम्पनियों का सहायता का अंश केवल 7.3% है। क्या यह बहुत अधिक है ? कुछ क्षेत्रों

में हम उन्हें उत्पादन बढ़ाने को कहते हैं। आप एक ओर तो यह कहते हैं कि उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग किया जाए और उत्पादन बढ़ाया जाये तथा साथ ही यह भी कहते हैं कि उन्हें कोई सहायता न दी जाये। यह दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं ? कागज, वाणिज्यिक वाहन, सीमेंट तथा कपड़ा उद्योग क्षेत्रों में गैर-सरकारी क्षेत्र का आधिपत्य है। इसलिए हमें इन क्षेत्रों में गैर-सरकारी क्षेत्र को सहायता देनी पड़ती है।

छोटे पैमाने के कारखानों को सहायता देने सम्बन्धी योजना के बारे में माननीय सदस्यों को भली प्रकार जानकारी है। इस बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उन्हें सीधी सहायता नहीं देता है। यह उन्हें सीधी सहायता देने के लिए नहीं है। उन्हें लघु उद्योग निगमों के माध्यम से सहायता दी जाती है, इसलिए यह कहने में कोई तथ्य नहीं है कि उन्हें सीधी सहायता क्यों नहीं दी जाती। उन्हें सीधी सहायता देना सम्भव नहीं है क्योंकि एक शीर्षस्थ संस्थान के लिए देश भर में फैले छोटे उद्योगों को सहायता देना सम्भव नहीं है। अब तक छोटे उद्योगों को, जिनकी संख्या लगभग 2.5 लाख है, 2,340 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है और इनमें से लगभग 44% एककों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सहायता दी गई है। इसलिए मैं कहूंगा कि हालांकि लघु उद्योग क्षेत्र की समुचित आवश्यकताओं को पूरा करना सम्भव नहीं हो सका है तथापि इस क्षेत्र को पर्याप्त सहायता दी गई है और इस सहायता में प्रति-वर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : परन्तु फिर भी सुधार की गुंजाइश है।

श्री प्रणव मुखर्जी : सुधार की गुंजाइश तो हमेशा ही रहती है। माननीय सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियों में भी सुधार की गुंजाइश है।

महोदय, पिछड़े क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में, मैं कहना चाहता हूं कि 84 जिलों में से जिनमें कोई भी उद्योग नहीं है, भारतीय औद्योगिक बैंक ने 25 जिलों में योजनायें आरम्भ की हैं और ऐसे अन्य जिलों के बारे में जहां उद्योग नहीं हैं योजनायें तैयार की जा रही हैं।

तकनीकि परामर्शदात्री संगठन के सम्बन्ध में, मैं पहले ही कह चुका और कुछ माननीय सदस्यों ने भी प्रतिवेदन से उद्धरण पेश किये हैं कि पन्द्रह तकनीकी परामर्शदात्री संगठन स्थापित किये गए हैं परन्तु ये तकनीकी परामर्शदात्री संगठन उस प्रकार से सेवा नहीं कर रहे हैं जैसा कि हम चाहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ?

विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। इस क्षेत्र के सम्बन्ध में, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे जरा गहराई से विचार करें। सर्वप्रथम तो इन क्षेत्रों में यह सम्भव नहीं है कि बाहर से उद्यमी वहां जायें और पूंजी लगायें, क्योंकि वहां के लोग इसे पसन्द नहीं करते और दूसरे वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा करना सम्भव नहीं है। इसका विकल्प यही है कि उन ही क्षेत्रों के उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जाये। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशेष समस्यायें होती हैं। इस क्षेत्र को नियमित रूप से बैंककारी प्रणाली के अन्तर्गत लाने में पांच से छह वर्ष का समय लगा है। मेघालय की अपनी विशेष आर्थिक-सामाजिक संस्कृति है, मनिपुर की भिन्न आर्थिक-

सामाजिक संस्कृति है और अरुणाचल प्रदेश का सामाजिक-आर्थिक कार्यकरण सर्वथा ही भिन्न है। इसलिए, यह पूछना तो आसान है कि वहां पूंजी क्यों नहीं लगाई जाती, परन्तु इसका उत्तर इतना सरल नहीं है। क्या आप चाहेंगे कि बाहर से उद्यमी वहां जायें और पूंजी लगायें ? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सहायता को कई गुना बढ़ा सकता है परन्तु उद्यमी तो वहीं के लोगों को बनाना होगा और इसमें अधिक समय लगेगा। वहां के लोग आगे ही नहीं आ रहे हैं। हमें प्रस्ताव ही प्राप्त नहीं हो रहे हैं। हमने पूर्वोत्तर क्षेत्र की सभी राज्य सरकारों से निवेदन किया है कि वे प्रस्तावित उद्यमियों का चयन करें, हम उन्हें विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों में ले जायेंगे और औद्योगिक कार्यकलापों से अवगत करायेंगे ताकि वहां कुछ उद्यमी पैदा किये जा सकें। 1976 में जब मैं बैंक-कारी विभाग का भारसाधक मंत्री था, मैंने इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गोहाटी में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया था।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि उद्यमियों को बम्बई जाना होता है। उन्हें बम्बई जाने की जरूरत नहीं है। जहां तक छोटे उद्योगों का सम्बन्ध है, जोकि मुख्यत: इन क्षेत्रों में हैं, उनके मामलों का निपटारा क्षेत्रीय कार्यालय तथा शाखा कार्यालयों पर ही हो सकता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमने पांच क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं और 1976 में गोहाटी में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के लिए मैंने स्वयं पहल की थी।

माननीय सदस्यों ने एक और बात कही है। श्री डागा ने कुछ बातें कही और उन्होंने विशेष रूप से राजस्थान के उन जिलों का उल्लेख किया जहां एक भी उद्योग नहीं है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक राजस्थान सरकार के अधिकारियों के सहयोग से पहले ही इस मामले पर विचार कर रहा है और ऐसे जिलों का पता लगाने के लिए जहां एक भी उद्योग नहीं है संयुक्त रूप से अध्ययन किया जा रहा है।

नियम और विनियम बनाने के बारे में एक सामान्य बात कही गई है। मेरा विचार है कि किसी अन्य चर्चा के उत्तर में मैंने इस बात का उल्लेख किया है कि बजाय इसके कि प्रत्येक मंत्रालय इस प्रकार का विधेयक लाये, यह निर्णय किया गया है कि विधि मंत्रालय एक विधेयक लायेगा जिनमें सभी अधिनियमों को शामिल किया जायेगा। विधि मंत्रालय इस बारे में कार्य कर रहा है। इसलिए आपकी इस तकनीकी समस्या का समाधान हो जायेगा।

छोटे इस्पात कारखानों तथा छोटे कागज कारखानों के बारे में कुछ टिप्पणियां की गई हैं। मैं यहां मननीय सदस्यों की जानकारी के लिए एक बात कहना चाहूंगा जब कभी छोटे कारखाने स्थापित किए जाते हैं तो यह कहा जाता है कि ये कारखाने आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद हैं। परन्तु क्या ये वस्तुत: लाभप्रद होते हैं ? इन्हें लाभप्रद बनाया जाता है और इसके लिए भारी राज-सहायता दी जाती है। यदि मैं उन्हें उत्पाद शुल्क के मामले में राजसहायता देता हूं, यदि बिजली की खपत के बारे में राजसहायता देता हूं और यदि कच्चे माल की खपत के

बारे में राजसहायता देता हूं ताकि ये लाभप्रद बन जाये तो क्या ये वस्तुतः लाभप्रद हुए ? जब आप इतनी प्रकार की राजसहायता देते हैं तो इसका भार तो किसी को सहन करना ही होता है। यह भार वित्त मंत्री को सहन करना नहीं ? इन सब राजसहायताओं की गणना करके जो कि उन्हें विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत दी जाती हैं उन्हें लाभप्रद कहा जाता है। परन्तु अर्थव्यवस्था पर इस राजसहायता का भार पड़ता है। इस तरह से उत्पादन शुल्क में राजसहायता देने से राजस्व में कमी होती है। यदि आप किसी कारखाने को राजसहायता देकर लाभप्रद बनाते हैं तो वस्तुतः वह आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं होता।

अब जहां तक छोटे सीमेंट कारखानों का सम्बन्ध है इन्हें इसी प्रकार लाभप्रद बनाया गया है। परन्तु यदि कोई कारखाना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है तो उसे आप लाभप्रद कैसे बनायेंगे ? यदि उसका उत्पादन और उत्पादन लागत अर्थव्यवस्था की एक मानक पद्धति के अनुसार नहीं है, तो क्या राजसहायता देकर उसे कृत्रिम रूप से लाभप्रद बनाना एक अच्छी नीति कही जा सकती है ? रूग्ण उद्योग के बारे में भी यही कहा जा सकता है।

रूग्ण उद्योगों के बारे में हमने अपनी नीती स्पष्ट कर दी है, अर्थात हमें यह जांच करनी होती है कि क्या औद्योगिक एककों को आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाया जा सकता है। यदि उन्हें लाभप्रद बनाया जा सकता है तो उन्हें आवश्यक सहायता दी जाती है। परन्तु यदि उन्हें लाभप्रद नहीं बनाया जा सकता तो उन्हें समाप्त करना ही बेहतर होता है। अतः यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि अमुक रूग्ण एकक को किसी भी प्रकार से किसी भी तरह की राजसहायता देकर लाभप्रद नहीं बनाया जा सकता तो उसमें और धन न लगाना ही बेहतर है। अतः हमने निश्चित किया है कि हम उचित समय पर समुचित निर्णय लें। हम हर एकक को वित्तीय सहायता नहीं देना चाहते। वित्तीय सहायता देने संबंधी निर्णय करने में कई बातों को ध्यान में रखना होता है। यह निर्णय एक समुचित स्तर पर किया जाता है। औद्योगिक लाइसेंस देते समय क्या किया जाता है ? यदि आप चाहें कि उस समय सहायता दी जाये तो यह सही नहीं है। यदि आप औद्योगिक लाइसेंस दे रहे हैं, तो यह सुनिश्चित करना लाइसेंस देने वाले अधिकारी का कार्य है कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या यह लाइसेंस देने से क्षेत्रीय पिछड़ापन दूर होगा ? परन्तु औद्योगिक लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। कुछ पूंजी लगाई जा रही है यदि वित्तीय संस्थान ये जांच करना आरम्भ कर दें कि क्या उद्योग पिछड़े क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं अथवा नहीं ? और फिर सहायता दें तो समूची व्यवस्था ही अस्त-व्यस्त हो जायेंगी। इसलिए जहां तक रूग्ण एककों का सम्बन्ध है इस बारे में निर्णय प्रशासकीय मंत्रालय को करना होता है कि क्या इस एकक को आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाया जा सकता है और यदि प्रशासकीय मंत्रालय इस निष्कर्ष यह पहुंचता है कि इसे आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाया जा सकता है तो उसका अधिग्रहण कर लिया जाता है और 6 महीने के अन्दर उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। अन्यथा उसका अधिग्रहण नहीं किया जाता। परन्तु यदि एक बार आप अधिग्रहण कर लेते हैं तो उसका राष्ट्रीयकरण करना होता है और इस प्रक्रिया में विलम्ब नहीं किया जाता।

कतिपय एककों के अधिग्रहण के बाद 35-40 करोड़ रुपये की पूंजी लगाए जाने के बाद हम अपने अनुभव से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उनका राष्ट्रीयकरण अपरिहार्य है, अन्यथा उन्हें

कभी भी आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं बनाया जा सकता। आप इतनी पूंजी लगाने से 3-4 और एकक स्थापित कर सकते थे।

श्री चौबे ने एक टिप्पणी करते हुए कहा था कि जहां तक भारत में पूंजी निवेश के वातावरण का संबन्ध है हमें विदेशी पूंजी निवेश की आवश्यकता है। श्री चौबे की जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमें विदेशी निवेश की आवश्यकता है, विशेषकर अत्यधिक तकनीकी क्षेत्रों में, निर्यात के क्षेत्र में हमें विदेशी पूंजी की आवश्यकता है। हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार विदेशी पूंजी हमारे लिए आवश्यक है। मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूयार्क में भी यही बात कही थी।

हमारा उद्देश्य अत्यधिक सफलता प्राप्त करना है और हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जब हम यह सफलता प्राप्त कर लेंगे तो हम इस बारे में सबको अवगत करा देंगे। यह एक साधारण सा तथ्य है।

श्री नारायण चौबे : क्या आप अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : जी, हां, हम चाहते हैं, केवल आप ही नहीं चाहते। समूची समस्या यह है कि साम्यवादी दल सदा ही किसी न किसी का पिछलग्गू रहा है चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अथवा मार्क्सवादी साम्यवादी दल का। गत 40 वर्षों में आपने कभी अपने पैरों पर खड़े होना नहीं सीखा। यही आपकी समस्या है (व्यवधान) केवल हम ही ऐसा कर सकते हैं।

श्री नारायण चौबे : जब वह बाहर थे, तो क्या वह अपने पैरों पर खड़े थे ? (व्यवधान)

श्री प्रणव मुखर्जी : अतः हम यह करने का प्रयास कर रहे हैं। आप चाहे माने या न माने परन्तु वास्तविकता यह है कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री डागा और कुछ अन्य सदस्यों ने मनोनीत निदेशक के बारे में उल्लेख किया है। मैं स्वयं मनोनीत, निदेशक के सम्बन्ध में संतुष्ट नहीं हूं। जब श्री वेंकटरामन वित्त मंत्रालय में थे तब मैंने एक बार कहा था कि इस सम्पूर्ण मामले की जांच की जानी चाहिए। पहली बात यह है कि जब कोई एक व्यक्ति इतने अधिक बोर्डों से सम्बद्ध होता है तो वह पूरा ध्यान नहीं दे सकता है क्योंकि उसे अन्य कार्यों पर भी ध्यान देना होता है। दूसरी बात यह है कि जानकारी लिपिबद्ध करने और उसे देने की ठीक व्यवस्था नहीं है। उन्होंने एक समिति नियुक्त की थी और इस समिति ने कुछ बड़े ही महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। हमने वे सुझाव स्वीकार कर लिए हैं और मैं आशा करता हूं कि ऐसी व्यवस्था से मनोनीत निदेशकों की व्यवस्था के कार्यकरण में सुधार करना सम्भव हो जाएगा। परन्तु मैं एक सुझाव स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि वह हमारा स्वयं का—संसद का ही निर्णय है कि केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के प्रबन्ध मंडलों में संसद सदस्य नहीं होने चाहिए। यह संसद का निर्णय है और यह तर्कसंगत भी है तथा संसद की एक समिति है जो सभी सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करती है। वे, जो चाहे, कर सकते हैं परन्तु संसद सदस्यों के लिए यह उचित न होगा कि वे इन सरकारी उपक्रमों के निदेशक मंडलों के कार्यकरण के साथ अपने आप को सम्बद्ध न करें। अतः यह निर्णय हमारा अपना ही है यह सरकार या किसी अन्य संस्था का निर्णय

नहीं है—संसद की इस सिफारिश के अनुरूप सरकार ने उस आशय का निर्णय लिया है। इसीलिए हमें इसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। मेरे विचार से और कोई बात ऐसी नहीं है जिसका मैं उल्लेख करूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं जो सामान्य प्रक्रिया के अनुरूप हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मुखर्जी, यदि आप उन्हें सरकारी उपक्रम सम्बन्धी समिति में रहने के लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं तो श्री चौबे वहां कर्मचारी यूनियन के प्रेजीडैंट की हैसियत से चले जायेंगे।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं चाहता हूं कि वे सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्य के नाते उनका पर्यवेक्षण करें। परन्तु मैं नहीं चाहता कि वे निदेशक मंडल में रहें।

इन शब्दों के साथ मैं उन सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और मैं आशा करता हूं कि वे विधेयक का समर्थन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में विधेयक पर खंडवार चर्चा होगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गए

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

आंध्र साइंटिफिक कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम आन्ध्र साइंटिफिक कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक लेंगे ।

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि देश की आवश्यकताओं के लिए वैज्ञानिक उपकरणों का उत्पादन जारी रखना सुनिश्चित करके जनसाधारण के हितसाधन के लिए आंध्र साइंटिफिक कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों का उचित प्रबन्ध-सुनिश्चित करने की दृष्टि से उसके उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

आन्ध्र प्रदेश के कृष्ण जिले में मछलीपत्तनम स्थित आन्ध्र साइंटिफिक कम्पनी लिमिटेड में साइंटिफिक उपकरणों का उत्पादन होता है जिनमें से बहुत बड़ी संख्या में रक्षा उपकरणों में प्रयोग किया जाता है । यह कम्पनी भागीदारी फर्म के रूप में 1926 में स्थापित की गई थी और 1937 में पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में निगमित की गई थी । इस कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी 100 लाख रुपये है जिसमें से 25 लाख रुपये की पुरोधृत पूंजी है और 17.68 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी है ।

इस कम्पनी ने कई ऐसे उपकरण विकसित करने में सफलता प्राप्त कर ली है जो पहले आयात किये जाते थे । वर्ष 1966-71 की अवधि में रक्षा विभाग ने इस कम्पनी को 52 लाख रुपये का क्रयादेश दिया परन्तु विभिन्न कारणों से इस कम्पनी का उत्पादन घटता चला गया और 1971-72 में घटकर 9 लाख रुपये का हो गया जबकि 1967-68 में उसका उत्पादन 45 लाख रुपये मूल्य का था । इस कम्पनी ने नवम्बर 1971 में कामबंदी की घोषणा कर दी थी । लगभग 850 कर्मचारियों के रोजगार को बनाये रखने और महत्त्वपूर्ण रक्षा उपकरणों की सप्लाई सुनिश्चित रखने की दृष्टि से उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 कक के उपबंधों के अधीन 23 जून 1972 को आन्ध्र साइंटिफिक कम्पनी लिमिटेड का प्रबन्ध सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया था । प्रारम्भ में इसका प्रबन्ध पांच वर्ष की अवधि के लिए सरकारी नियन्त्रण में लिया गया था और इसके बाद एक-एक वर्ष करके यह अवधि बढ़ाई गई और अब यह अवधि 26 दिसम्बर 1982 तक है ।

प्रबन्ध के सरकारी नियंत्रण में लिए जाने के बाद इस कम्पनी का उत्पादन 1972-73 में 40.44 लाख रुपये से बढ़कर 1981-82 में 205.33 लाख रुपये का हो गया। जिस अन्तर्मंत्रालय समिति को इस कम्पनी के भावी गठन का स्वरूप निश्चित करने के लिए गठित किया गया था उसने विभिन्न विकल्पों पर विचार करके यह सिफारिश की थी कि प्रबन्ध अन्तरण के लाभ को प्राप्त करने और रक्षा प्रयोजन के लिए महत्त्वपूर्ण उपकरणों की निरन्तर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए इस कम्पनी के उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण किया जाये। सरकार ने विभिन्न सम्बद्ध मंत्रालयों से विचार-विमर्श करते हुए समिति की सिफारिशों पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस कम्पनी के उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण करना ही सर्वोत्तम रहेगा। राष्ट्रीयकरण हो जाने के पश्चात ही सरकार इसके सुचारू कार्यकरण और इसके संयंत्रों और मशीनरी के आधुनिकीकरण के लिए अपेक्षित अतिरिक्त पूंजी लगा सकेगी।

इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने के उद्देश्य से ही यह विधेयक सभा में पेश किया गया है। इस कम्पनी के उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण की व्यवस्था के साथ-साथ इस विधेयक में ऐसे अर्जन के लिए भुगतान, इस कम्पनी के उपक्रमों को सरकारी कम्पनी के अन्तर्गत रखने, कम्पनी को देय राशि के वितरण के लिए आयुक्त की नियुक्ति तथा उससे सम्बन्धित तथा उसके आनुषंगिक अन्य विषयों की भी व्यवस्था की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया गया :

> "कि देश की आवश्यकताओं के लिए वैज्ञानिक उपकरणों का उत्पादन जारी रखना सुनिश्चित करके जनसाधारण के हितसाधन के लिए आंध्र साइंटिफिक कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने की दृष्टि से उसके उपक्रमों के अर्जन और अंतरण का और उससे संबन्धित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री को इस विधेयक को पेश करने के लिए धन्यवाद देता हूं जो एक महत्वपूर्ण उपक्रम का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में है और जिस उपक्रम में रक्षा संबन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण और साइंटिफिक उपकरणों का उत्पादन होता है।

इस विधेयक के अध्याय 3 में खण्ड 7 और 8 में मुआवजे का उपबन्ध है। कोई भी कारखाना मालिक अपने धन से कारखाना नहीं स्थापित करता। वह वित्तीय संस्थानों और सरकारी संसाधनों से धन लेता है। अंधाधुंध लाभ कमाकर वह उद्योग को रुग्ण बनाकर छोड़ देता है। ऐसी स्थिति में सरकार को मुआवजा नहीं देना चाहिए। किन्तु यहां पर तो सरकार का रवैया स्पष्ट है कि वह ऐसे लोगों को मुआवजे के रूप में भारी राशि देकर उनकी मदद करती है। इस मामले में मुआवजे की राशि 224.10 लाख रुपये है। अतः मैं इस खण्ड का विरोध करता हूं जिसमें इस कम्पनी को भारी राशि देने का उपबन्ध किया गया है।

एक उपक्रम को बन्द होने से बचाने और इसके कर्मचारियों को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकार का यह एक अच्छा प्रयास है।

उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में सरकार ने यह पावन आशा व्यक्त की है कि इस बात को देखते हुए कि कम्पनी के पास निष्ठावान वैज्ञानिक तथा इन्जीनियर हैं, यह उसकी सहायता करना चाहती है। उनका इरादा तो नेक है लेकिन सरकार इस कथन के प्रति गम्भीर नहीं है।

हम जानते हैं कि हमारे हजारों वैज्ञानिक उचित अवसर तथा सुविधाओं के अभाव में अनुसंधान नहीं कर पाते और देश छोड़ने को मजबूर होते हैं। हमारे देश में वैज्ञानिक विकास का यह अभिशाप है। अतः केवल कहने मात्र से कुछ नहीं होगा। सरकार को इन कथनों को कार्यान्वित करना होगा। वैज्ञानिकों को अनुसंधान के लिए अधिक अवसर जरूरी सुविधाएं दी जानी चाहिएं। साथ ही उनकी सेवा की शर्तों, पदोन्नति के अवसरों आदि का भी ध्यान रखा जाये।

उद्देश्यों और कारणों के कथन में संयन्त्र और मशीनों के आधुनिकीकरण का भी उल्लेख किया गया है। इसका आत्मनिर्भरता से बहुत संबन्ध है। सामान्यतः आधुनिकीकरण के नाम पर सरकार विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात कर लेती है। और काफी उदारता पूर्वक ऐसा किया जाता है। लेकिन जब हम पश्चिमी देशों से इसका आयात करते हैं तो वे हमें कभी भी नवीनतम तकनीक नहीं बताते बल्कि पुरानी प्रौद्योगिकी देते हैं। अतः हम ऐसी स्थिति में आधुनिकीकरण करके आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। हमें अपने वैज्ञानिकों और इन्जीनियरों की सहायता से ही कारखानों का नवीनीकरण करना चाहिये।

रक्षा उत्पादन में हमें अधिकाधिक आत्मनिर्भर होना चाहिये। हमें इस मामले में उचित योजना बनानी चाहिये। हाल का एक एकक पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में कार्य कर रहा है। आदेशों के बिना उत्पादन ठप्प है श्रमिक बेकार हैं। इस सबसे पुराने एकक में संकट है। मैंने मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी का भी इस बारे में ध्यान आकर्षित किया है। वास्तव में मंत्री जी ने सभा के बाहर मुझे आश्वासन दिया था कि इस एकक के बारे में उचित आदेश देंगे। अतः मैं उन्हें स्मरण करा रहा हूं। यह भी राष्ट्रीयकृत एकक है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : वह कहां है।

उपाध्यक्ष महोदय : पश्चिम बंगाल में बैरकपुर में।

श्री हन्नान मोल्लाह (बैरकपुर) : मैं एक और एकक इण्डस्ट्रीज प्लांटस लि० के बारे में जो पहले बिरला का था, कहना चाहता हूं। इस एकक की 80 प्रतिशत पूंजी सरकार द्वारा तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी जाती है। लेकिन शत प्रतिशत आदेश रक्षा मंत्रालय द्वारा दिये जाते हैं। इसी मंत्रालय के आदेशानुसार पूर्ति की जाती है। लेकिन गत 5 वर्ष से वहां तालाबन्दी है। एक उच्च शक्ति प्राप्त तकनीकी समिति ने भी सिफारिश की है कि यह एक आर्थिक रूप से लाभदायक एकक है और रक्षा मंत्रालय के लिए भी सहायक है।

अंत में मेरा कहना है कि राष्ट्रीयकरण के बाद आंध्र साइन्टिफिक कंपनी के 850 कर्मचारियों के संरक्षण का उपबन्ध है। अतः मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि उन्हें अन्य सुविधाएं दी जाएं और हितों को संरक्षण दिया जाए। मैं इस एकक के राष्ट्रीयकरण का स्वागत करता हूं।

श्री एन० जी रंगा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और सरकार

को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण एकक को सरकारी अधिकार में लेने का निर्णय किया ।

लेकिन सरकार ने इस निर्णय को लेने में बहुत विलम्ब कर दिया है । अब मुझे खुशी है कि निर्णय ले लिया गया है ।

1000 से कम अर्थात 850 ही वैज्ञानिक या उनके सहयोगी हैं जिन्हें अब सेवा की सुरक्षा मिलेगी । लेकिन इस एकक के विस्तार की जरूरत है ताकि न केवल रक्षा के उद्देश्यों बल्कि हमारे उच्च स्कूलों, कालेजों और चिकित्सकों के लिए वैज्ञानिक उपकरण भी बनाये जा सकें । इसमें बने ये उपकरण देश भर में बहुत प्रसिद्ध हुए हैं । लेकिन यह एकक लाभप्रद नहीं रहा । डा० पट्टाभि की प्रेरणा से इसे स्थापित किया गया था । इससे काफी आशाएं थीं । आशा है कि सरकार देश के पूर्वी तटवर्ती भाग में अनेक आयुध कारखाने लगाने पर गम्भीरता से विचार करेगी । अभी तक हमने पश्चिम में या गंगा घाटी में ही उन्हें लगाया है या हिमाचल प्रदेश में रखा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : केरल में ।

प्रो० एन० जी० रंगा : जहां तक उड़ीसा, आंध्र और तमिलनाडु का सम्बन्ध है, वहां बहुत कम आयुध कारखाने हैं ।

रक्षा मंत्रालय ने बहुत कम प्रतिष्ठान आरम्भ किये हैं और उनका रखरखाव किया है । अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस क्षेत्र और यहां के लोगों की आवश्यकता की ओर ध्यान दे । हमारे यहां वैज्ञानिक हैं । उन्होंने वास्तव में बहुत अच्छा कार्य किया है । बहुत से वैज्ञानिक हैं जो हमारी विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । इन दिनों हम उनकी सेवाओं का रक्षा प्रयोजनों के लिए लाभ उठा सकते हैं । मैं विश्वास करता हूं कि रक्षा मंत्रालय इस ओर ध्यान देगा, हमारे वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करेगा और उन्हें हमारे यहां नौकरी करने के लिये प्रेरित करेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं और सरकार को इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं ।

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, आंध्र साइंटिफिक कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक जो यहां पर प्रस्तुत किया गया है, मैं सोचता हूं कि यह एक साइंटिफिक कम्पनी है लेकिन साइंटिफिक तरीके से इसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया । 1972 में यह पता लगा था कि प्रबन्ध में कमी के कारण इस उपक्रम को लेना जरूरी हो गया है लेकिन दस साल के बाद 1982 में आज इसके ऊपर विचार किया जा रहा है । हिन्दुस्तान में वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए कोई बहुत अच्छी संस्थायें हों—ऐसी बात भी मैं नहीं समझता हूं । बहुत से उपकरणों को आज भी हमें आयात करना पड़ता है । ऐसी स्थिति में हमारे देश में जो वैज्ञानिक हैं और इस प्रकार की अच्छी कम्पनियां हैं, जोकि इस प्रकार के उपकरण तैयार करती है, उनको अवश्य ही प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए ।

यह भी बताया गया है कि जो वहां पर वैज्ञानिक हैं या जो अन्य कर्मचारी हैं वे बहुत ही अच्छा काम करने वाले हैं परन्तु अच्छा प्रबन्ध न होने के कारण उनकी अच्छाइयां प्रकट नहीं हो पाई हैं। वहां पर जो प्रबन्ध की कमी रही है उसको दूर करने की दृष्टि से सरकार ने जो कदम उठाया है उसमें काफी विलम्ब हुआ है। यह भी बताया गया है कि पहले यह छोटी कम्पनी थी लेकिन बढ़ते-बढ़ते इसका टर्नओवर व्यापारावर्त्त 45 लाख तक पहुंच गया है। स्पष्ट है कि इस कम्पनी को बढ़ाने में वहां के वैज्ञानिकों एवं अन्य कर्मचारियों का पूरा सहयोग रहा है परन्तु कम्पनी जो घाटे की स्थिति में आई, उसका मूल कारण कुप्रबन्ध ही है। 1967-68 में 1 लाख 51 हजार की हानि हुई थी और 1971-72 में वह बढ़कर 25 लाख हो गई। उसके बाद सरकार ने उसके प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने की बात सोची। लेकिन यह नहीं बताया गया कि 1972 से 1982 तक इन 10 वर्षों में इस कम्पनी की क्या स्थिति रही ? वहां पर मुनाफा या घाटा की क्या स्थिति रही ? मैं समझता हूं मंत्री जी इस सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे।

इसके अतिरिक्त इस कम्पनी में 850 कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको भी संतुष्ट करके राष्ट्र के हित में उनका सदुपयोग किया जाना चाहिए। उनकी सेवाओं को बचाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है, जोकि सराहनीय है लेकिन साथ ही मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार ने उन कर्मचारियों की सुविधाओं के बारे में, उनके आवास, उनकी वर्किंग कंडीशन्स, उनके शिफ्ट्स अलाउसेंस आदि के बारे में भी कुछ विचार कर रही है या नहीं। इस सम्बन्ध में भी मंत्री जी को यहां पर जानकारी देनी चाहिए।

जो कंपनियां घाटे में जाती हैं, पहले कई साल सरकार इसका प्रबन्ध संभालती हैं, उसके बाद भी जब कोई लाभ नहीं होता तब मजबूरन इनका राष्ट्रीयकरण अर्थात् सरकारीकरण किया जाता है। इसके बाद भी इनमें मुनाफा होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है।

आज हमारे देश में वैज्ञानिकों की क्या स्थिति है। सरकार उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण का सारा प्रबन्ध करती है, लेकिन उनका लाभ विदेशों को जाता है। मुझे दो प्रकरण याद हैं जब प्रधान मंत्री जी ने आह्वान किया था कि वैज्ञानिक देश में वापिस आ जाएं, उनकी सेवाओं का ठीक से उपयोग किया जाएगा, लेकिन जो लौट कर आए, उनका कोई सदुपयोग नहीं हुआ, उनको निराशा ही हाथ लगी। इसलिए वैज्ञानिक उपकरण तैयार करने वाली कंपनियों के बारे में सरकार चिंता करेगी, ऐसी मुझे आशा है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। बिल को पढ़ने से कुछ बातों के बारे में संशय पैदा होता है। इन्होंने कहा कि कंपनी प्रगतिशील वैज्ञानिक उपकरण बनाती है और एक बार 45 लाख का टर्न ओवर भी दिखाया है। लेकिन 45 लाख का टर्न ओवर कोई ज्यादा नहीं है। इस तरह की बहुत सी कंपनियां इतना टर्न ओवर दिखाती होंगी। इसलिए कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं।

अभी जैसा कि जटिया साहब ने कहा कि 1972 में आपने इसका मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया और इस अवधि में आप इसका इंतजाम करते रहे। इसके बावजूद हानि होती रही। इतना समय इंतजार क्यों किया गया। रक्षा मंत्री जी ने अभी अपने वक्तव्य में बताया कि यह कंपनी

खास रक्षा उत्पादन से संबंधित है और महत्वपूर्ण है, ऐसा उनका संकेत था। मेरे ख्याल से 10 वर्ष व्यर्थ गंवा दिए गए। अगर इसको इतना आवश्यक समझा गया था तो आपने पहले ही इसको क्यों नहीं नेशनलाइज कर दिया ? ये बातें संशय पैदा करती हैं।

एक प्रश्न और है। 850 लोगों के रोजगार का प्रश्न है, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं क्योंकि उनके रोजगार का प्रश्न है। वैसे भी आप नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर के बारे में लोगों की धारणा अच्छी नहीं है। जहां कोई चीज पब्लिक सेक्टर में आई तो पोलिटिक्स और करप्शन शुरू हो जाता है। मेरी अपनी राय भी इनके बारे में अच्छी नहीं है। इसके बारे में छोटी सी बात कहना चाहूंगा। ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइसेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि 109 पब्लिक सेक्टर्स के अंदर 35853.96 करोड़ का टर्न ओवर होगा और अगर आप मुनाफा देखें तो वह है 403.70 करोड़। इतना बड़ा व्यापार करने के बाद सिर्फ इतना मुनाफा है। यदि आप रक्षा के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो मैं आपसे सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय : आज स्थिति पहले की अपेक्षा सुधरी हुई है।

श्री राजेश कुमार सिंह : मैं 1980-81 के आंकड़े दे रहा हूं।

नेशनल टैक्सटाईल कारपोरेशन के बारे में आपको मालूम होगा। इनकी मिलें सौ करोड़ रुपये का घाटा देती है। इस घाटे की बात के लिए आपने नेशनलाइज करने की बात कही है, वह अच्छी नहीं लग रही है। अगर आप रक्षा के उत्पादनों को बढ़ाने की बात करने जा रहे हैं तो यह स्वागत-योग्य है क्योंकि यह देश की आवश्यकता है।

हमारे माननीय वरिष्ठ नेता प्रो० रंगा साहब फरमा रहे थे, उनकी बात सही है कि इसका लक्ष्य उत्पादनों का ही न बनकर कम से कम इसमें दृष्टिकोण यह लिया जाए कि छात्रों के लिए, जो पढ़ते हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनके लिए उन सामानों का जो संयंत्र मार्डनाइज करने जा रहे हैं, मशीनरी लगाने जा रहे हैं, यह लक्ष्य निर्धारित हो कि उनके लिए यह मुहैया हो सके। यही मेरा प्रश्न था। मान्यवर, रक्षा उत्पादन करने वाली बात से मैं पूणतः सहमत हूं।

मजदूरों के सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहूंगा। मैंने कुछ प्रॉविजन जल्दी में देखे हैं। जैसे प्राविडेन्ट फन्ड की बात है। यदि पिछली कम्पनी या अन्डरटेकिंग में कोई बकाया राशि हो तो उसके बारे में भी सरकार को अपनी जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। नेशनल हेरल्ड का फैसला हुआ था। प्राविडेण्ट फन्ड का, कुछ लोगों ने आज तक जमा नहीं किया।

मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूं कि प्राईवेट कम्पनी और अन्डरटेकिंग्स की जो कल्याण निधि हैं उनकी सुविधाओं के बारे में भी बड़े गौर से नजर रखनी चाहिए। जैसे ही सरकार नेशनलाइज करती है, उसकी जिम्मेदारी लेती है, उन लोगों को भी जिस दिन से सर्विस में हैं, उस कम्पनी में सर्विस में लगाया जाए। जो नियम आपके होंगे, उसे आप देखते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो उनके राइट्स हैं, जो उन्हे सुविधाएं मिलनी चाहिए उनके बारे में भी सरकार को बड़ी सहानुभूतिपूर्वक गौर करना चाहिए जिससे उनके हितों की रक्षा की जा सके।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार अपने कार्यालयों में कुछ बिल बना कर रखती है और जब बिल का समय आता है, वही लैंग्वेज, वही भाषा रखकर के उसमें फिगर्स बदलकर पेश कर देते हैं ।

श्री राजेश कुमार सिंह : भाषा बदलवा दीजिए ।

श्री मूलचन्द डागा : उसमें कुछ नहीं है । यह जो बिल बनाते हैं, कई पढ़े-लिखे लोग हैं, उसमें फिगर्स बदलकर भेज देते हैं और ये टेक-ओवर कर लेते हैं ।

श्री एन० के० शेजवलकर : नाम बदलना पड़ता है ।

श्री मूलचन्द डागा : नाम बदल देते हैं । इसके अन्दर प्रतिभा पलायन होता है । के० पी० सिंह साहब सुनेंगे, इतनी देरी से क्यों लिया आपने इसको । 35 लाख जो बैंक का लोन था, उस पर आपने ब्याज दे दिया लेकिन 84.59 लाख पे करना है । आपने रुपया दे दिया और लोन कितना दिया, यह आपने कितने साल के बाद निर्णय लिया । सरकार का कोई काम खुद का काम नहीं होता । सरकार का काम सरकारी तरीके से ही होता है और इससे हमारे सरकारी खजाने को जो नुकसान होता है, उसके जिम्मेदार कौन हैं ? जब यह कंपनियां इतना रुपया लेने के बाद, इतना घाटा दिखाती हैं और आप कहते हैं इतनी अच्छी है, बड़े वैज्ञानिक काम करते हैं, उससे इतना अच्छा हमारा उत्पादन होता है । क्या आप कारण बतायेंगे कि आपको इतना समय क्यों लगा ? कमिशनर आप कब एप्वाइंट करेंगे ? आपने कोई तारीख बिल में नहीं बताई है । क्या आप बता सकते हैं कि किस तारीख तक कमिशनर एप्वाइंट आप करेंगे ? कम्पनीज को आप टेक ओवर कर लेते हैं लेकिन कमिशनर का एप्वाइन्टमेंट एक एक दो दो साल तक नहीं होता है । मुकदमे चलते रहते हैं । पता नहीं चलता है कि प्रापर्टी कम्पनी की कितनी कीमत की है, मशीनरी तथा दूसरा सामान कितनी कीमत का है, कितने की है । आपको यह सारा कुछ बताना चाहिए ।

मेरा यह भी कहना है कि जो आडिट है वह आडिटर जनरल द्वारा होना चाहिए । सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए । आडिटर जनरल की जो रिपोर्ट हो वह सदन में पेश होनी चाहिए । इस चीज को आपने प्रोवाइड नहीं किया है । यह रुपया खजाने में से जाएगा । इसके हिसाब किताब का हम को पता चलना चाहिए । आडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जानी चाहिए । सरकारीकरण हो गया है । जनता के हित में कम्पनी आपने ली है । आपने सैक्शन 15 में कहा है :

> "केन्द्रीय सरकार, धारा 7 और 8 के अन्तर्गत कम्पनी को देय धनराशियों भुगतान करने के प्रयोजनार्थ, अधिसूचना द्वारा एक भुगतान आयुक्त नियुक्त करेगी ।"

दो कम्पनियां आपने अभी ली हैं । दो साल हो गए हैं । लेकिन कमिशनर एप्वाइन्ट नहीं हुआ है । आप जो रैग्युलेशंज बनायेंगे उनका आप क्या करेंगे । रूल्ज तो आपने कह दिया है कि ले कर देंगे । लेकिन रैग्युलेशंज का क्या होगा, इसका कुछ पता ही नहीं है । आपने कहा है कि 850 मजदूरों के हित के लिए आप काम कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि कितने सालों से

यह कम्पनी घाटे में चल रही थी ? दस साल आपको निर्णय लेने में लग जाते हैं। यह जो इन्डिशियन की स्थिति है यह मोस्ट डिसएप्वान्टिंग है। मालूम ऐसा होता है कि सरकार पर दबाव डाला गया और तब वह इसको ले रही है।

बैंकों ने कम्पनी को लोन दे रखे थे। बैंक इनको वापिस क्यों नहीं ले रहे थे और क्यों यह देख नहीं रहे थे कि कम्पनी घाटे में जा रही है और अपना पैसा उनको वसूल करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में आपके अनुसार भारत का अर्थ अतिमंय है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यह और अधिक निराशाजनक है।

होता क्या है ? ये कम्पनियां जब घाटे में जाती हैं और बन्द करने की नौबत आ जाती है तो जो अच्छी मशीनरी होती है उसको किसी दूसरी जगह ले जाती है। जिस तरह से गाड़ियां डिसपोजल के लिए पड़ी रहती हैं और उनका सामान गायब हो जाता है उसी तरह से इन कम्पनियों की अच्छी मशीनरी भी जब आप लेते हैं, उसको गायब कर दिया जाता है। जब भी आप कोई बिल लायें तो पूरी डिटेल्ज आपको हमें सप्लाई करनी चाहिए ताकि हमको मालूम हो सके कि इतने की मशीनरी है, इतनी कीमत की बिल्डिंग है, इतना हमको देना है। आठ साल के बाद आप बिल लाते हैं। जब आप टैक ओवर करते हैं तो इसका मतलब यह है कि खजाने से पैसा आप खर्च करने जा रहे हैं। खजाने के एक एक पैसे का हिसाब जनता हमसे पूछेगी और उसका उत्तर हमको देना होगा। तब हम क्या उत्तर देंगे ? आज होता यह है कि चार्टर्ड एकाउंटेंट से ये कम्पनियां आडिट करवा लेती हैं और उनके कोल्यूशन से गोलमाल करती हैं। हमारी मांग यह है कि आडिटर जनरल से आडिट इन कम्पनियों का करवाने की आप व्यवस्था करें। यहां भी 76 करोड़ का घाटा हुआ है।

ये सब चीजें हैं जिनकी तरफ आप का ध्यान जाना चाहिए।

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के माध्यम से आंध्र साइंटिफिक कम्पनी लिमिटेड का प्रबन्ध भारत सरकार के रक्षा विभाग द्वारा ग्रहण किया जा रहा है। सर्वप्रथम, मैं यह कहना चाहूंगा कि मुझे इस बात का खेद है कि सरकार इस प्रकार बहुत सी संस्थाओं का प्रबन्ध अपने हाथ में ले रही है परन्तु उसके लिए कोई निश्चित नीति निर्धारित नहीं की है। पहले मारुति और फिर कई कपड़ा मिलों और कई पटसन मिलों का प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में लिया है और अब कई रेलों का कार्यभार भी संभाल लिया है। तथा हाल ही में चण्डीगढ़ खाद्य तेल पिल का प्रबन्ध भी ग्रहण कर लिया है। परन्तु सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति नहीं बनाई है। एक ओर तो कहते हैं कि वे अच्छे प्रबन्ध के लिए कार्यभार सम्भाल रहे हैं और दूसरी ओर वे इसे अर्जन कर रहे हैं या इसे खरीद रहे हैं। यहां मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात छिपाई जा रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार ब्यौरा दिये बिना प्रबन्ध ग्रहण किस प्रकार कर रही है। यह कम्पनी आरम्भ से ही घाटे में चल रही है। 1967-68 में घाटा 1.91 लाख रुपये था और 1971-72 में यह घाटा बढ़कर 25 लाख रुपये हो गया। वर्षों में घाटा 25 लाख तक पहुंच गया। इस कम्पनी में निश्चित रूप से कहीं कोई गड़बड़ी है

क्योंकि यहां शुरू से ही घाटा हो रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि यह कम्पनी रक्षा विभाग के लिए वैज्ञानिक उपकरण बनाती है। मुझे पता है कि आंध्र साइंटिफिक कम्पनी कई हाई स्कूलों और कालेजों को प्रयोगशाला के उपकरण दे रही है। मैं नहीं समझ पाता कि रक्षा विभाग इसका प्रबन्ध ग्रहण करने में इतनी रुचि क्यों ले रहा है।

विधेयक में कम्पनी, उसका स्वामित्व, नाम और उपक्रमों पर देय ब्याज के रूप में 224 लाख रुपये का नकद भुगतान करने की व्यवस्था है। फिर सरकार को बैंक ऋणों के रूप में 35 लाख रुपये का भुगतान और करना है, जो कम्पनी को राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं नें दिया है। इस प्रकार दोनों को मिलाकर कुल 309 लाख रुपयों का भुगतान करना है।

वास्तव में यह राशि 224 लाख रुपये न होकर कुछ अधिक है। इस विधेयक के अनुसार इसके अतिरिक्त कम्पनी को उपक्रमों के प्रबन्ध से वंचित करने के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये सरकार को देने होंगे जो कुल मिलाकर 90,000 रुपये होगा। विधेयक में यह व्यवस्था भी की गई है कि खंड 3, 4 और 5 के उपबन्धों को लागू किए जाने पर 10,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से और धनराशि भी दी जाएगी। सरकार 75,000 रुपये की धनराशि का भुगतान करने पर भी राजी हो गई है जो 4 प्रतिशत की दर पर ब्याज के रूप में होगी। इस सबको एक साथ मिलाने पर आप देखेंगे कि यह एक बड़ी धनराशि हो जाती है। इसके अतिरिक्त आप कम्पनी के अर्जन के लिए 224 लाख रुपये का भुगतान करेंगे, फिर आप 85 लाख रुपये बैंक ऋण का भुगतान करने से भी सहमत हो गए हैं। इस प्रकार कंपनी को खरीदने के लिए 309 लाख रुपये की राशि देनी होगी। कंपनी को अत्यधिक हानि हो रही है और ऐसी स्थिति में सरकार इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान कर रही है। यह अच्छा होता है कि इस बात को स्पष्ट कर दिया जाता कि कंपनी को 224 लाख रुपये का भुगतान किस आधार पर किया जाना है। आस्तियों और दायित्वों के सम्बन्ध में पूरा विवरण देना आवश्यक है, जिससे हम जान सकें कि सरकार इस कम्पनी को कितना भुगतान कर रही है तथा बैंक ऋण के लिए कितनी राशि का भुगतान किया गया। यदि यह सब विवरण दे दिया जाता तो हमें इस सम्बन्ध में जानकारी मिल जाती कि इस फर्म का प्रबन्ध क्योंकर हाथ में लिया जा रहा है?

कम्पनियों को तभी हाथ में लिया जाता हैं जब उन्हें आर्थिक हानि होने लगती है और जब कुप्रबन्ध होने लगता है। फिर यह कम्पनी एक राष्ट्रीय महत्व की कंपनी है। और इसलिए हम इसका प्रबन्ध अपने हाथों में ले रहे हैं। ऐसा हम कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए भी कर रहे हैं। भविष्य में भी ऐसा होता रहेगा, इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं और यह आवश्यक भी है कि किसी भी कपनी का अर्जन करने के लिए कुछ मोटी नीतियां बनाई जाएं। वित्तीय मामलों में जाने पर मुझे लगता है कि इसमें कुछ गोलमाल है। यदि सही प्रकार से हिसाब किताब दिया जाता तो इस प्रकार का सन्देह न रहता। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार की एक नीति बनाई जाए कि कैसी कम्पनियों का अर्जन किया जाए तथा किन को सीधे खरीदा जाए? यह बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा किसी कम्पनी के प्रबन्ध को हाथ में लेने के लिए अपनी सहमति देना हमारे लिए कठिन होगा। धन्यवाद।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, साधारणतया इस विधेयक का मैं स्वागत ही करूंगा। सरकार ने 850 कर्मचारियों, समर्पित वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की जीविका के सवाल पर सहानुभूतिपूर्ण रुख रखा है, इसकी मुझे प्रसन्नता है, लेकिन समझ में नहीं आता कि यह सहृदयता और जगहों व और मामलों में क्यों नहीं है ?

बहुत-सी बातें कही जा चुकी हैं इसलिए मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं जल्दी-जल्दी कुछ प्रश्न आप से करूंगा और उसी में मेरी सारी बातें आ जाएंगी, आशा है आप उनका उत्तर कृपा कर अवश्य देंगे।

1. यदि रक्षा उत्पादन से यह उपक्रम, कम्पनी सम्बन्धित है तो उसमें 1972 के बाद 10 वर्षों का विलम्ब क्यों लगाया है ?

2. 1972 में ही इसका प्रबन्ध अपने हाथ में लेने बाद कोई सुधार इसमें नहीं दिखाया, आपके उद्देश्य के कथन से स्पष्ट है। पैरग्राफ 2 में आपने कहा है—

> "यद्यपि केन्द्रीय सरकार कुछ धन दे रही·····संयत्र और मशीनों का आधुनिकीकरण करने के लिए भी धन की आवश्यकता है।"

इससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा उसका प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के बावजूद भी उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। क्या आपने इसका विश्लेषण किया है कि दोष कहां है। आखिर कहां कमी है। क्योंकि कम्पनी जब शुरू हुई थी तो उसको पहले साल दो लाख रुपये का मुनाफा हुआ था 1965-66 में। लेकिन उसके बाद 1971-72 में 25 लाख 62 हजार रुपये का घाटा हुआ है। क्या आपने इसका विश्लेषण किया कि क्यों मुनाफा घाटे में बदल गया और इसके क्या कारण हैं। कहीं प्रबन्ध में अक्षमता तो नहीं है, पूंजी का अभाव तो नहीं है। यदि है तो कहां पर क्या सुधार लाने की आवश्यकता है। क्या आपने उसके अनुरूप कोई पग उठाये ? उसके क्या कारण स्पष्ट हुए। जबसे आपने उस कम्पनी को अपने हाथ में लिया है, उसकी स्थिति में कितना सुधार हुआ। यदि उसमें पूंजी का अभाव था तो आप इतने दिनों तक क्या करते रहे।

मेरा अगला प्रश्न है कि आपकी प्रवृत्ति ही ऐसी बन गई है कि आप सिक इण्डस्ट्रीज का सरकारीकरण कर देते हैं। होता क्या है कि इण्डस्ट्री के मालिक फाइनैन्शयल इण्सटीटयूशंस से कर्ज ले लेते हैं, वह कर्जा बहुत बड़ा होता है और उसमें उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी होती जाती है। कहीं वे उस पैसे को किसी दूसरी जगह डाइवर्ट कर देते हैं जिसके कारण वह इंडस्ट्री सिक हो जाती है। सिक हो जाने के बाद उसको सरकार के मत्थे मढ़ दिया जाता है। फिर इस प्रकार उस उद्योग पर बकाया राशि का भुगतान सरकार को करना पड़ता है इस तरह जब भी किसी इंडस्ट्री का सरकारीकरण होता है तो उसके जरिए सार्वजनिक धन का अपव्यय होता है। क्या आपने इस पर विचार किया है ?

मेरा अगला प्रश्न यह है कि एक तो पहले ही सरकारी उपक्रमों की हालत अच्छी नहीं है, उसके ऊपर आप और सिक इण्डस्ट्रीज को अपने हाथ में ले लेकर क्या उनकी क्षमता और उपयोगिता को बढ़ा पायेंगे। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि कहीं आप मियां मंगतू और दरवेश वाली

कहीं आपकी वही हालत तो आपकी नहीं कि एक तो पहले ही आपकी हालत खस्ता है ऊपर से आप और कम्पनियों को हाथ में लेकर उनमें सुधार लाने की बात कर रहे हैं। आपका कथन कहां तक जायज है, आप किस तरह से उनमें सुधार लाने की बात सोचते हैं। खाली स्वामित्व बदल देने से तो उनका अधिकार नहीं हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मुझे तीन प्रश्न और पूछने हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके प्रश्न बहुत लम्बे हैं। कृपया छोटे में पूछें।

प्रो० अजित कुमार मेहता : चैप्टर 3 में आपने रकमों के संदाय के बारे में व्यवस्था की है। मैं जानना चाहता हूं कि धारा 7 और 8 के खण्ड 1 और 2 में आपने 224 लाख रु० और 10 हजार रु० प्रतिवर्ष की संगणना की है। उसका आधार क्या है ? मैं उसको जानना चाहूंगा।

इसके बाद मैं यह निवेदन करूंगा और सवाल भी करूंगा कि आपने शैडयूल में अवधि के कर्मचारियों के बकाया को प्रवर्ग 5 में रखा है, वह किस तरह से जायज है। क्योंकि कर्मचारियों का जो बकाया है उनकी कमाई है वह तो उनको प्राथमिकता के आधार पर मिलना चाहिए। इसलिए उसको पांचवें शैडयूल के प्रवर्ग में रखने की बात समझ में नहीं आती।

अन्त में मैं जानना चाहूंगा कि सरकार द्वारा कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के बाद, अर्थात् 1972 से, कर्मचारियों के प्रौविडैन्ट फण्ड को क्या आपके प्रबन्धक ने जमा किया है या नहीं। मैं आशा करता हूं कि मेरे इन प्रश्नों का उत्तर-माननीय मंत्री जी अवश्य देंगे।

धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : इस विधेयक को पेश करते समय माननीय रक्षा मंत्री ने इसके उद्देश्य और कारणों का उल्लेख किया था वे अत्याधिक स्पष्ट हैं। यह कम्पनी वैज्ञानिक उपकरणों का उत्पादन करने में लगी थी या लगी है। ये उपकरण बड़े जटिल प्रकार के हैं तथा रक्षा से संबंधित हैं। 1965-66 में इसने 45 लाख रुपये का उत्पादन किया उसके बाद से इसके उत्पादन में गिरावट आती गई और 1967-68 में कम्पनी को 1.91 लाख रुपये की हानि हुई जो 1971-72 में बढ़कर 25.62 लाख रुपये हो गई।

इस अवधि के दौरान रक्षा मंत्रालय ने कंपनी को 22 लाख रुपये के उपकरणों के आर्डर दिये, जो तब तक आयात किए जा चुके थे।

इसलिए सरकार ने आंध्र साइंटिफिक कम्पनी लिमिटेड का प्रबन्ध औद्योगिक अधिनियम की धारा 18कक के अन्तर्गत अपने हाथ में ले लिया। जिससे कि उसे आवश्यक ठोस और समुचित प्रबन्ध प्रदान किया जा सके।

इसे शुरू में 5 साल के लिए हाथ में लिया गया था और फिर वर्ष प्रति वर्ष इस अवधि को बढ़ाया जाता रहा ।

मैं इस बात के आंकड़े आपको देता हूं कि 1965-66 के बाद से कम्पनी का कार्य किस प्रकार चला ।

1965-66 में 86 लाख रुपये का उत्पादन हुआ और बिक्री 45.52 लाख रुपये रही ।

1966-67 में उत्पादन 70 लाख का हुआ और बिक्री 59.36 लाख की ।

1967-68 में 43 लाख का उत्पादन हुआ और बिक्री 32.79 लाख की। इस प्रकार 1.91 लाख रुपये की हानि हुई ।

1968-69 में 33 लाख का उत्पादन हुआ और बिक्री 33.06 लाख रही । हानि 3.32 लाख रुपये की हुई ।

1969-70 में 27 लाख रुपये का उत्पादन हुआ और बिक्री 26.61 लाख रुपये की हुई तथा हानि 23.89 लाख रुपये रही ।

1970-71 में उत्पादन 25 लाख था । बिक्री 24.71 लाख थी, घाटा 22.04 लाख था।

1971-72 में उत्पादन 9 लाख था । बिक्री 9.15 लाख थी। घाटा 25.62 लाख था ।

महोदय, इसलिए अतः प्रबन्ध ग्रहण करना तथा समय-समय पर ऋण के रूप में वित्तीय सहायता देना ठीक है।

ब्याज सहित ऋण की कुल राशि, 30-6-81 को, 176.20 लाख थी । उत्पादन तथा बिक्री में जून, 1972 के पश्चात् वृद्धि हुई जिसे कार्यकारी परिणाम में दर्शाया गया है जिसे मैं तुरन्त दूंगा ।

1972-73 में उत्पादन 40.44 लाख था तथा बिक्री 26.2 लाख थी । घाटा 10.30 लाख था । 1973-74 में उत्पादन 72.28 लाख था तथा बिक्री 72.16 लाख थी तथा 15.44 लाख का मुनाफा हुआ था । 1974-75 में उत्पादन 91.48 लाख था, बिक्री 99.78 लाख थी, मुनाफा 16.27 लाख था । 1975-76 में उत्पादन 110.29 लाख था, बिक्री 106.21 लाख थी, तथा मुनाफा 16.98 लाख था । 1976-77 में उत्पादन 92.62 लाख था, बिक्री 100.63 थी। 1977-78 में उत्पादन 96.12 लाख था, बिक्री 100.39 लाख थी । इसी तरह, 1981-82 तक, कंपनी के कार्यकरण में सुधार के साथ वे रक्षा सेवाओं की आवश्यकता को पूरा कर सकेंगे जिसका आयात किया जाता है तथा जो बहुत महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं ।

माननीय सदस्यों ने वस्तुतः इन्हीं मुद्दों का उल्लेख किया है । एक माननीय सदस्य ने प्रति-

पूर्ति का उल्लेख किया है। मैं समझता हूं कि श्री मोल्लाह ने भी इसी मुद्दे का उल्लेख किया है। यहां कुल देयता 334.98 लाख रुपये है, लेकिन क्षतिपूर्ति की राशि, जिसे देने का विचार है, 224.10 लाख है जो परिसम्पतियों के मूल्य के बराबर है। मेहता चाहते थे कि इस 224.10 लाख रुपये की धनराशि का अलग-अलग वास्तविक ब्यौरा क्या है। इसमें से किस्त जाने वाले अधिकांश भुगतान केन्द्रीय सरकार के ऋणों तथा कर्मचारियों के बकायों के भुगतान के लिए है। पूरा प्रति-वेदन मेरे पास है, लेकिन मैं समझता हूं कि मैं इसके विस्तार में जाना आवश्यक नहीं समझता।

इस धनराशि में से पिछले मालिकों को कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। यह परिसम्पतियों की प्रतिपूर्ति, जिसका भुगतान किया जा रहा है, के लिए हैं।

प्रो० रंगा ने यूनिट के विस्तार के प्रश्न का उल्लेख किया है। कतिपय माननीय सदस्यों ने बैरकपुर, हाल तथा पिछड़े क्षेत्रों का भी उल्लेख किया है। यद्यपि किसी क्षेत्र का पिछड़ापन पर भी विचार किया जाता है, लेकिन कोई रक्षा उपक्रम अथवा रक्षा उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में सामरिक महत्व की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसी आधार पर रक्षा उपक्रम तथा रक्षा उद्योग स्थापित किए गए हैं। इसलिए, हम यह नहीं कह सकते कि उपयुक्त कारखाना अमुक स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए। यदि यह सामरिक महत्व की आवश्यकताओं को पूरा करता है तो निश्चित रूप से ऐसे उपक्रमों तथा महत्वपूर्ण यूनिट को वहां स्थापित किया जाएगा।

यूनिट के विस्तार का प्रश्न श्री रंगा द्वारा उठाया गया है। राष्ट्रीयकरण से सरकार द्वारा और निवेश किया जा सकेगा ताकि उत्पादन में वृद्धि की गति बनाई रखी जा सके, जिसके परिणाम स्वरूप और आगे विस्तार होगा, क्योंकि उपक्रमों का कार्य-निष्पादन में प्रगति होगी।

श्री राजेश कुमार सिंह ने एक मुद्दा उठाया है कि इस उपक्रम का व्यवसाय 45 लाख रुपये का है। यह वर्ष 1965-66 में था ; यह अब 1981-82 में बढ़कर 223 लाख रुपये हो गया है और इस विधेयक का उद्देश्य इस गति को बनाए रखना तथा रक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं और वैज्ञानिक औजारों व उपस्करों, जिनका आयात किया जा रहा है, की आवश्यकता को पूरा करना इसलिए आत्म निर्भरता, स्वदेशीकरण तथा आयात प्रतिस्थापन की हमारी नीति इससे पूरी होगी।

अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि राष्ट्रीयकरण में 10 वर्षों, 1971 से 1982 तक क्यों विलम्ब हुआ। मैं उनकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि कंपनी 1972 से ही सम्बन्धित अधिनियम के अधीन सरकारी प्रबन्ध में थी। एक अन्तर मंत्रालय समिति इस उपक्रम के बारे में अग्रिम कार्यवाही सुझाने हेतु गठित की गई थी। इस समिति ने 1976 में राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की थी प्रबन्धग्रहण पूर्व देयताओं तथा पिछले ऋणों की जांच करने में समय लगा। पिछले चार वर्षों में कंपनी के कार्यकरण में लगातार प्रगति हुई, इसलिए सरकार ने यह विधेयक लाया है।

मैं माननीय सदस्यों का उनके समर्थन तथा इस विधेयक का स्वागत करने के लिए अनुग्रहित हूं। मैं सभा से इस विधेयक पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश की आवश्यकताओं के लिए वैज्ञानिक उपकरणों का उत्पादन जारी रखना सुनिश्चित करके जनसाधारण के हितसाधन के लिए आंध्र साइंटिफिक कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने की दृष्टि से उसके उपक्रमों के अर्जन और अंतरण का और उससे संबन्धित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेगी। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 32 तक तथा अनुसूची विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 32 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़े गए।

श्री के० पी० सिंह देव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अधिसूचना तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : श्री पट्टाभिरामाराव की ओर से मैं सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना

संख्या 232/82-सी० शु० की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 20 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो आयातित कैपरोलैक्टम पर मूल सीमाशुल्क की वर्तमान 55 प्रतिशत मूल्यानुसार दर को बढ़ाकर 75 प्रतिशत मूल्यानुसार करने के बारे में है, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5538/82]

6. 10 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 21 अक्तूबर, 1982/29 आश्विन 1904 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

मित्तल प्रिण्टर्स, K-13 नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032